



सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे

2014-15



राजस्थान सरकार

विनियोग लेखे

वर्ष 2014-2015 के लिए

राजस्थान सरकार

विषय सूची

विनियोग लेखे की भूमिका	1
विनियोग लेखों का सारांश	2-15
भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	16-17
विनियोग लेखे :	
राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल,	
संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	18
ब्याज अदायगियां	19
लोक सेवा आयोग	20
लोक ऋण	21-22
001. राज्य विधान मंडल	23-24
002. मंत्रि परिषद्	25
003. सचिवालय	26-28
004. जिला प्रशासन	29-30
005. प्रशासनिक सेवाएं	31-33
006. न्याय प्रशासन	34-38
007. निर्वाचन	39-40
008. राजस्व	41-42
009. वन	43-49
010. विविध सामान्य सेवाएं	50
011. विविध सामाजिक सेवाएं	51-55
012. अन्य कर	56-60
013. आबकारी	61-62
014. बिक्री कर	63-65
015. पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	66-69
016. पुलिस	70-74
017. कारागार	75-76
018. जन-सम्पर्क	77
019. लोक निर्माण कार्य	78-93
020. आवास	94-97
021. सड़कें एवं पुल	98-110
022. क्षेत्र का विकास	111-113

023.	श्रम तथा रोजगार	114-118
024.	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	119-136
025.	कोषागार व लेखा प्रशासन	137-138
026.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	139-154
027.	पेय जल योजना	155-178
028.	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	179-180
029.	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	181-191
030.	जनजाति क्षेत्रीय विकास	192-257
031.	पुर्नवास एवं सहायता	258
032.	नागरिक आपूर्ति	259-261
033.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	262-282
034.	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	283-291
035.	विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	292-298
036.	सहकारिता	299-301
037.	कृषि	302-313
038.	लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	314-316
039.	पशुपालन एवं चिकित्सा	317-321
040.	राजकीय उपक्रम	322
041.	सामुदायिक विकास	323-328
042.	उद्योग	329-332
043.	खनिज	333-336
044.	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	337
045.	राज्य कर्मचारियों को ऋण	338
046.	सिंचाई	339-364
047.	पर्यटन	365-367
048.	विद्युत्	368-375
049.	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन	376
050.	ग्रामीण रोजगार	377-378
051.	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	379-435
परिशिष्ट -	व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित वसूलियों के अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों का अनुदानवार विवरण	436-437

विनियोग लेखे की भूमिका

राजस्थान सरकार के वर्ष 2014-15 के विनियोग लेखों का यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियम से संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में, 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है।

इन लेखों में:-

“मू” मूल अनुदान या विनियोग के लिए प्रयुक्त है,

“अ” अनुपूरक अनुदान या विनियोग के लिए प्रयुक्त है,

“पु” सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों, प्रत्याहरणों या अभ्यपणों के लिए प्रयुक्त है।

प्रभारित विनियोग और व्यय तिरछे अंकों से दिखाये गये हैं।

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक प्रभारित	10,75,07	..	9,74,96
ब्याज अदायगियां प्रभारित	1,05,25,18,24	..	1,04,62,89,56
लोक सेवा आयोग प्रभारित	28,79,36	..	19,77,44
लोक ऋण प्रभारित	..	49,56,89,02	..
001. राज्य विधान मंडल दत्तमत प्रभारित	49,41,62 30,77	47,26,46 16,15
002. मंत्रिपरिषद दत्तमत	11,88,96	..	8,49,83
003. सचिवालय दत्तमत प्रभारित	2,50,67,21 2	1 ..	2,27,76,82 ..
004. जिला प्रशासन दत्तमत प्रभारित	3,83,54,12 21,91	3,48,14,80 21,45
005. प्रशासनिक सेवाएं दत्तमत प्रभारित	1,41,67,68 11,71	1,28,10,29 11,64
006. न्याय प्रशासन दत्तमत प्रभारित	5,76,44,08 75,57,38	5,39,02,65 73,07,89

लेखों का सारांश

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ सहस्र में)			
..	1,00,11
..	62,28,68
..	9,01,92
49,60,04,38	3,15,36 (आधिक्य ₹3,15,36,084)
..	2,15,16
..	14,62
..	3,39,13
..	22,90,39	1
..	2
..	35,39,32
..	46
..	13,57,39
..	7
..	37,41,43
..	2,49,49

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूँजीगत	
	(₹ सहस्र में)		
007. निर्वाचन दत्तमत प्रभारित	3,57,92,69 2	3,36,60,19 ..
008. राजस्व दत्तमत प्रभारित	6,40,00,88 3	5,79,04,89 ..
009. वन दत्तमत प्रभारित	7,47,86,32 50,00	2,23,41,01 ..	6,30,62,11 45,76
010. विविध सामान्य सेवाएं दत्तमत	6,18,48,07	..	6,17,52,43
011. विविध सामाजिक सेवाएं दत्तमत प्रभारित	1,13,72,86 3	23,15,00 ..	71,25,68 ..
012. अन्य कर दत्तमत प्रभारित	5,16,32,75 6,02	3,74,78,37 ..	4,34,14,28 6,00
013. आबकारी दत्तमत प्रभारित	1,23,22,90 12	2 ..	1,10,03,17 12
014. बिक्री कर दत्तमत प्रभारित	6,54,01,77 31	6,01,77,93 29
015. पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ दत्तमत प्रभारित	98,95,11,11 1,20,04	96,28,97,11 11,21
016. पुलिस दत्तमत प्रभारित	38,50,99,37 41,16	84,74,42 ..	37,63,85,49 38,71
017. कारागार दत्तमत प्रभारित	1,47,40,48 2	1,42,12,27 ..

लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में)				
..	21,32,50
..	2
..	60,95,99
..	3
1,34,92,42	1,17,24,21	88,48,59
..	4,24
..	95,64
6,86,04	42,47,18	16,28,96
..	3
74,78,34	82,18,47	3,00,00,03
..	2
..	13,19,73	2
..
..	52,23,84
..	2
..	2,66,14,00
..	1,08,83
64,81,33	87,13,88	19,93,09
..	2,45
..	5,28,21
..	2

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	
	(₹ सहस्र में)		
018. जन-सम्पर्क दत्तमत प्रभारित	77,94,09 1	49,60,19 ..
019. लोक निर्माण कार्य दत्तमत प्रभारित	4,19,32,45 2,00	13,97,64,86 ..	3,72,60,42 1,09
020. आवास दत्तमत प्रभारित	77,32,15 1	25,19,41 ..	62,48,06 ..
021. सड़कें एवं पुल दत्तमत प्रभारित	17,21,39,03 1,70,90	32,81,25,28 ..	16,28,32,19 1,69,28
022. क्षेत्र का विकास दत्तमत प्रभारित	24,10,89 4	3,48,13,14 1,35	18,13,16 ..
023. श्रम तथा रोजगार दत्तमत प्रभारित	4,83,19,47 4	4,42,01 ..	4,70,58,76 ..
024. शिक्षा, कला एवं संस्कृति दत्तमत प्रभारित	1,93,18,57,38 44,81	53,66,56 ..	1,65,70,32,02 43,89
025. कोषागार व लेखा प्रशासन दत्तमत प्रभारित	1,94,94,18 3	3,00,00,00 ..	1,86,59,69 ..
026. चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई दत्तमत प्रभारित	62,51,68,73 69,56	3,46,25,35 ..	50,81,44,97 28,45
027. पेय जल योजना दत्तमत प्रभारित	25,01,77,11 48,09	35,73,70,96 ..	24,03,27,33 46,69

लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में)				
..	28,33,90
..	1
7,09,61,18	46,72,03	6,88,03,68
..	91
6,49,34	14,84,09	18,70,07
..	1
23,99,82,44	93,06,84	8,81,42,84
..	1,62
2,57,67,75	5,97,73	90,45,39
1,33	4	2
1,54,33	12,60,71	2,87,68
..	4
25,19,64	27,48,25,36	28,46,92
..	92
3,00,00,00	8,34,49
..	3
2,23,28,67	11,70,23,76	1,22,96,68
..	41,11
33,08,01,73	98,49,78	2,65,69,23
..	1,40

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
028. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम दत्तमत प्रभारित	5,94,70,37 1	2,74,80,01 ..	3,10,29,94 ..
029. नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास दत्तमत प्रभारित	28,63,76,09 3	12,80,91,12 1	22,98,24,16 ..
030. जनजाति क्षेत्रीय विकास दत्तमत प्रभारित	63,52,64,28 1,77	27,32,47,60 ..	51,30,07,65 1,39
031. पुनर्वास एवं सहायता
032. नागरिक आपूर्ति दत्तमत प्रभारित	5,77,12,40 2	6 ..	5,61,06,91 ..
033. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण दत्तमत प्रभारित	55,92,12,83 2,59	3,01,81,62 ..	53,58,85,78 1,98
034. प्राकृतिक आपदाओं से राहत दत्तमत प्रभारित	24,38,91,99 84	57,03 ..	23,11,90,96 82
035. विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं दत्तमत	8,47,72,06	1,12,48,21	3,98,20,44
036. सहकारिता दत्तमत प्रभारित	4,62,33,45 1	65,85,81 ..	4,53,34,86 ..

लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में)				
2,74,80,00	2,84,40,43	1
..	1
7,07,48,58	5,65,51,93	5,73,42,54
..	3	1
21,16,63,04	12,22,56,63	6,15,84,56
..	38
..
..	16,05,49	6
..	2
45,83,96	2,33,27,05	2,55,97,66
..	61
..	1,27,01,03	57,03
..	2
1,06,60,33	4,49,51,62	5,87,88
59,77,84	8,98,59	6,07,97
..	1

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
037. कृषि			
दत्तमत	19,56,79,88	4,29,96,10	15,46,90,57
प्रभारित	13,28	..	13,26
038. लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण			
दत्तमत	1,24,48,22	1,67,30	1,12,10,97
प्रभारित	3,69	..	3,65
039. पशुपालन एवं चिकित्सा			
दत्तमत	6,32,05,73	2,30,37	5,11,34,79
प्रभारित	1,01	..	62
040. राजकीय उपक्रम			
दत्तमत	1,42,67	54,53,68	1,32,35
प्रभारित	1
041. सामुदायिक विकास			
दत्तमत	50,93,59,07	1,65,06	44,57,14,14
प्रभारित	18,57	..	18,57
042. उद्योग			
दत्तमत	1,43,88,81	20,21,58	1,34,24,43
प्रभारित	2
043. खनिज			
दत्तमत	1,96,98,01	1,03,55,97	1,02,46,85
प्रभारित	1
044. लेखन सामग्री एवं मुद्रण			
दत्तमत	31,45,70	1,34,01	30,05,97
प्रभारित	1,72	..	1,71

लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में)				
3,09,65,90	4,09,89,31	1,20,30,20
..	2
78,86	12,37,25	88,44
..	4
77,45	1,20,70,94	1,52,92
..	39
54,53,68	10,32
..	1
1,19,48	6,36,44,93	45,58
..
-81,64,25	9,64,38	1,01,85,83
..	2
-4,64,52	94,51,16	1,08,20,49
..	1
1,28,65	1,39,73	5,36
..	1

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
045. राज्य कर्मचारियों को ऋण दत्तमत	..	9	..
046. सिंचाई दत्तमत	18,14,74,09	11,65,59,22	17,02,88,28
प्रभारित	5,87	2	5,60
047. पर्यटन दत्तमत	24,91,80	37,38,00	20,78,38
प्रभारित	1
048. विद्युत दत्तमत	1,03,84,95,56	36,00,00,10	91,14,40,02
049. स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन दत्तमत	80,53,41	..	8,62
050. ग्रामीण रोजगार दत्तमत	36,11,45,41	37,09,81	23,89,85,50
051. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना दत्तमत	61,64,26,83	30,49,44,20	45,09,85,34
प्रभारित	2
दत्तमत	10,01,39,87,01	2,33,10,03,35	8,65,13,60,10
योग			
प्रभारित	1,06,46,97,18	49,56,90,40	1,05,70,38,18
कुल योग	11,07,86,84,19	2,82,66,93,75	9,70,83,98,28

लेखों का सारांश (क्रमशः)

		बचत		आधिक्य	
पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	
(₹ सहस्र में)					
..	..	9	
9,53,90,88	1,11,85,81	2,11,68,34	
..	27	2	
24,50,86	4,13,42	12,87,14	
..	1	
30,67,12,80	12,70,55,54	5,32,87,30	
..	80,44,79	
37,09,80	12,21,59,91	1	
25,51,98,10	16,54,41,49	4,97,46,10	
..	2	
1,77,40,74,65	1,36,26,26,91	55,69,28,70	
49,60,05,71	76,59,00	5	..	3,15,36	
2,27,00,80,36	1,37,02,85,91	55,69,28,75	..	3,15,36	

2014-15 के विनियोग लेखों का सारांश- (क्रमशः)

निम्नलिखित एक प्रभारित अनुदान से अधिक व्यय का नियमन आवश्यक है :-

क्र.स.	अनुदान की संख्या और नाम	आधिक्य	
		राजस्व	पूंजीगत
		₹	₹
1.	लोक ऋण	..	3,15,36,084

2014-15 के विनियोग लेखों का सारांश- (समाप्त)

चूंकि अनुदान और व्यय इस सकल राशि के लिये है जिनका व्यय करना अपेक्षित है तो उनके प्रति दर्शाये गये व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दिखाये जाते हैं ।

वर्ष 2014-15 के लिये विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिये वित्त लेखे में दिखाये गये आंकड़ों के बीच मिलान नीचे दर्शाया गया है:-

दत्तमत			
	राजस्व 1	पूंजी 2	योग 3
(₹ सहस्र में)			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	8,65,13,60,10	1,77,40,74,65	10,42,54,34,75
घटाइये : वसूलियों का योग	25,42,01,36	6,37,29,33	31,79,30,69
	8,39,71,58,74	1,71,03,45,32	10,10,75,04,06
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दर्शाया गया निवल कुल व्यय			
प्रभारित			
	राजस्व 4	पूंजी 5	योग 6
(₹ सहस्र में)			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	1,05,70,38,18	49,60,05,71	1,55,30,43,89
घटाइये : वसूलियों का योग	3	..	3
	1,05,70,38,15	49,60,05,71	1,55,30,43,86
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दर्शाया गया निवल कुल व्यय			

ऊपर दी गयी वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में पृष्ठ संख्या 436-437 पर दिया गया है ।

भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे वर्ष की सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा राजस्थान सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाउचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

राजस्थान सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत कोषागार कार्यालय और अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (सामान्य तथा सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन हैं जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाईनें तथा प्रबंधन ढांचा है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें की लेखे तात्त्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जांच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले राजस्थान सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांक:

स्थान: नई दिल्ली,

राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक
(समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2012. राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल,
संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	10,58,47	10,75,07	9,74,96	- 1,00,11
अनुपूरक	16,60			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				1,00,05

टिप्पणी तथा टीका :

राजस्व

1. मार्च 2015 में अनुपूरक विनियोजन द्वारा लिया गया ₹ 16.60 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।

ब्याज अदायगियां (समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2049. ब्याज अदायगियां

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	1,04,70,36,08			
अनुपूरक	54,82,16	1,05,25,18,24	1,04,62,89,56	- 62,28,68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				61,14,40

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

1. मार्च 2015 में लिया गया ₹ 54,82.16 लाख का अनुपूरक विनियोजन अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 62,28.68 लाख की अंतिम बचत में से, ₹ 1,14.28 लाख अन्-अभ्यर्पित रहे।

लोक सेवा आयोग (समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2051. लोक सेवा आयोग

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	24,11,39			
अनुपूरक	4,67,97			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)		28,79,36	19,77,44	- 9,01,92

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

1. मार्च 2015 में अनुपूरक विनियोजन द्वारा ₹ 4,67.97 लाख का प्रावधान मुख्यतः विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन, बोनस तथा बढ़े हुए मंहगाई भत्ते के भुगतान के व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. बचत मुख्यत निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2051. लोक सेवा आयोग				
102. राज्य लोक सेवा आयोग				
(01) राजस्थान लोक सेवा आयोग				
मू.	24,11.39			
अ.	4,67.97			
पु.	- 9,01.84			

मार्च 2015 में अनुपूरक विनियोजन द्वारा ₹ 4,67.97 लाख का प्रावधान मुख्यतः विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन, बोनस तथा बढ़ी हुई दर से मंहगाई भत्ते के भुगतान पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2015 को ₹ 9,01.84 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कलेण्डर के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन नहीं होने, (ii) वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय हुआ क्योंकि अध्यक्ष तथा सदस्यों के चार पद क्रमशः 7 महीनों और 9 महीनों से रिक्त रहे तथा (iii) कम्प्यूटर खरीदने की संशोधित स्वीकृति नहीं प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित की गई।

लोक ऋण (समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : पूंजी - 6003. राज्य सरकार का आंतरिक ऋण और
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहरस्र में)	आधिक्य + बचत -
पूंजी				
मूल	49,56,89,02	49,56,89,02	49,60,04,38	+ 3,15,36
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				15,28,53

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

पूंजी

- व्यय विनियोजन से ₹ 3,15,36,084 अत्यधिक हुआ जिसका नियमन आवश्यक है।
- ₹ 3,15.36 लाख के अंतिम आधिक्य को देखते हुए ₹ 15,28.53 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था।
- आधिक्य मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रहा :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण			
106. प्रतिकर तथा अन्य बन्ध-पत्र			
(02) विशेष बाण्ड (पावर बॉण्ड्स)			
[18] 8.50% टैक्स फ्री राजस्थान सरकार विशेष बॉण्डस् , 2015	..	18,43.91	+ 18,43.91

बिना प्राधिकृति के किये गये ₹ 18,43.91 लाख के व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

- उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित आधिक्य को बचत द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण			
108. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्जे			
मू.	48,55.05	42,77.42	..
पु.	- 5,77.63		
31 मार्च 2015 को ₹ 5,77.63 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

लोक ऋण - (समाप्त)

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज			
101. एकमुश्त कर्ज			
(02) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए कर्ज			
[09] राजस्थान लघु सिंचाई विकास योजना-जे.आई.सी.ए.			
मू.	4,27.24	3,29.43	3,29.43
पु.	- 97.81		..
31 मार्च 2015 को ₹ 97.81 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज			
101. एकमुश्त कर्ज			
(02) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए कर्ज			
[20] राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम फेज-। एवं ॥			
मू.	24,46.26	15,66.04	15,66.04
पु.	- 8,80.22		..
₹ 8,80.22 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 001 – राज्य विधान मण्डल

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहरन्न में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	46,43,70	49,41,62	47,26,46	- 2,15,16
अनुपूरक	2,97,92			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				2,09,80
प्रभारित				
मूल	30,77	30,77	16,15	- 14,62
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				14,62
टिप्पणियां तथा टीकाएं:				

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 2,15.16 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, वेतन एवं भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु मार्च 2015 में लिया गया ₹ 2,97.92 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
- ₹ 2,15.16 लाख की अंतिम बचत में से, ₹ 5.36 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल				
02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल				
101. विधान सभा				
(01) विधान मंडल				
मू.	20,21.79	21,69.41	21,67.03	- 2.38
अ.	2,97.92			
पु.	- 1,50.30			

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,97.92 लाख वेतन एवं भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्षों के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 1,50.30 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्थानीय निकाय एवं ग्राम पंचायत चुनावों के कारण समितियों की बैठक नहीं होने तथा माननीय सदस्यों द्वारा निःशुल्क यात्रा सुविधा का कम उपभोग करने को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 001 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
103. विधान मंडल सचिवालय			
मू .	24,12.69		
		23,59.97	23,57.00
पु .	- 52.72		- 2.97

₹ 52.72 लाख की प्रत्याशित बचत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यों के कम निष्पादन को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 002 - मंत्रिपरिषद् (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2013. मंत्रिपरिषद्

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	11,88,96	11,88,96	8,49,83	- 3,39,13
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				3,42,50

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

1. ₹ 3,39.13 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 3,42.50 लाख का अभ्यर्ण अत्यधिक था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2013. मंत्रिपरिषद्				
101. मन्त्रियों और उप मन्त्रियों का वेतन				
मू.	2,76.72	1,21.62	1,21.62	..
पु.	- 1,55.10			

₹ 2,76.72 लाख का प्रावधान नव गठित मंत्रीमंडल के वेतन तथा भत्तों के भुगतान हेतु अनुमानित था किन्तु नये मंत्रीमंडल में मंत्रियों की संख्या पिछले मंत्रीमंडल की तुलना से कम होने के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2015 को ₹ 1,55.10 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

105. मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान

(01) मुख्यमंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान की राशि

मू.	50.00	3.48	3.48	..
पु.	- 46.52			

₹ 46.52 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 003 - सचिवालय

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2052. सचिवालय - सामान्य सेवाएं,
 2251. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं और
 3451. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं
 पूंजी - 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	2,50,67,17	2,50,67,21	2,27,76,82	- 22,90,39
अनुपूरक	4			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				22,88,64
प्रभारित				
मूल	2	2	..	- 2
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				2
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				1

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 42,31.63 लाख, ₹ 3,56,83.73 लाख, ₹ 1,72,73.58 लाख, ₹ 45,19.38 लाख तथा ₹ 22,90.39 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 9.14 प्रतिशत से 70.36 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 003 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
090. सचिवालय			
(01) मंत्रिमण्डल एवं सामान्य सेवाएं (मुख्यमंत्री कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, परिवहन, नागरिक उड्डयन के वेतन भत्ते)			
[01] कार्मिक विभाग के माध्यम से			
मू.	26,45.00	20,68.25	20,68.25
पु.	- 5,76.75		

₹ 5,76.75 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर अनुमान से कम व्यय होने तथा वर्ष के दौरान रिक्त पदों को नहीं भरने को आरोपित की गयी।

090. सचिवालय			
(02) कार्मिक विभाग			
[01] कार्मिक विभाग (कार्मिक विभाग, मुख्य सचिव कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, अल्पसंख्यक मामलात, स्टेट मिशन के वेतन भत्ते)			
मू.	49,64.23	45,14.17	45,14.16
पु.	- 4,50.06		

₹ 4,50.06 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, राज्य सरकार से पदस्थापन आदेशों के लिए प्रतीक्षारत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने तथा नये फर्नीचर की खरीद नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।

090. सचिवालय			
(04) वित्त विभाग			
मू.	22,51.50	20,19.16	20,19.03
पु.	- 2,32.34		

₹ 2,32.34 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर अनुमान से कम व्यय होने तथा वर्ष के दौरान रिक्त पदों को नहीं भरने को आरोपित की गयी।

2251. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
090. सचिवालय			
(01) शिक्षा विभाग, कला एवं संस्कृति			
मू.	9,58.50	8,08.29	8,08.28
पु.	- 1,50.21		

₹ 1,50.21 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर अनुमान से कम व्यय होने तथा वर्ष के दौरान रिक्त पदों को नहीं भरने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 003 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
090. सचिवालय			
(01) राज्य स्तरीय आयोजना मशीनरी			
[06] राज्य नव प्रवर्तन परिषद्			
मू.	1,25.94		
		35.89	35.89
पु.	- 90.05		..
<p>₹ 1,25.94 लाख का प्रावधान गैर सरकारी संगठनों एवं शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्राप्त नयी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता हेतु अनुमानित था। परियोजनाएं तीन विशिष्ट व्यक्तियों की कमेटी द्वारा जांच की जानी थी और परिषद की सहमति एवं कमेटी द्वारा दिये गये सुझावों के द्वारा वित्तीय सहायता दी जानी थी।</p> <p>यद्यपि, राज्य नव प्रवर्तन परिषद के पुनर्गठन का कार्य प्रक्रियाधीन होने के कारण शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 90.05 लाख की प्रत्याशित बचत रही, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।</p>			
102. जिला योजना संगठन			
(03) विश्व बैंक सहायता के अंतर्गत जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना, द्वितीय चरण हेतु व्यय			
मू.	62,50.00		
		55,84.64	55,84.64
पु.	- 6,65.36		..
<p>₹ 6,65.36 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः परियोजना कार्यों के देरी से शुरू होने एवं कम संख्या में स्वयं सहायता ग्रुप स्थापित होने को आरोपित की गयी।</p>			

अनुदान संख्या 004 - जिला प्रशासन

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2053. जिला प्रशासन

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	3,83,54,10	3,83,54,12	3,48,14,80	- 35,39,32
अनुपूरक	2			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				35,19,07
प्रभारित				
मूल	5	21,91	21,45	- 46
अनुपूरक	21,86			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				47

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 30,80.24 लाख, ₹ 34,79.18 लाख, ₹ 49,93.92 लाख, ₹ 36,60.88 लाख तथा ₹ 35,39.32 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 9.23 प्रतिशत से 14.87 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के लिए विभिन्न कारण दिये गये।
- ₹ 35,39.32 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 20.25 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2053. जिला प्रशासन				
093. जिला स्थापनाएँ				
(01) जिलाधीश कार्यालय				
मू.	88,67.68	81,25.05	81,11.07	- 13.98
अ.	0.01			
पु.	- 7,42.64			

₹ 7,42.64 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 2,235 स्वीकृत पदों में से 602 पदों के रिक्त रहने तथा (ii) जिलाधीश कार्यालयों द्वारा कार्यालय व्यय कम करने को आरोपित की गयी।

₹ 13.98 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 004 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2053. जिला प्रशासन 093. जिला स्थापनाएँ (02) दण्डाधीश			
मू.	9,26.98		
अ.	0.01	6,88.08	6,87.58
पु.	- 2,38.91		- 0.50

₹ 2,38.91 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 560 स्वीकृत पदों में से 411 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

094. अन्य स्थापनाएँ
(01) सब डिवीजनल स्थापनाएँ

मू.	59,05.30		
पु.	- 4,01.81	55,03.49	55,02.76
			- 0.73

₹ 4,01.81 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 2,324 स्वीकृत पदों में से 1,096 पदों के रिक्त रहने तथा (ii) 43 उप-खण्ड कार्यालयों के लिए फर्नीचर की कम खरीद को आरोपित की गयी।

094. अन्य स्थापनाएँ
(02) तहसील कार्यालय

मू.	2,09,69.26		
पु.	- 14,98.11	1,94,71.15	1,94,66.20
			- 4.95

₹ 14,98.11 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 10,487 स्वीकृत पदों में से 5,070 पदों के रिक्त रहने तथा (ii) तहसील कार्यालयों द्वारा चिकित्सा पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

101. आयुक्त

मू.	11,16.90		
पु.	- 1,58.60	9,58.30	9,58.26
			- 0.04

₹ 1,58.60 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 220 स्वीकृत पदों में से 65 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

800. अन्य व्यय
(02) राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम

मू.	5,62.74		
पु.	- 4,73.76	88.98	88.94
			- 0.04

₹ 5,62.74 लाख का प्रावधान जिलाधीशों के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत सभी जिलों में नये कार्यालयों की स्थापना हेतु अनुमानित था।

31 मार्च 2015 को ₹ 4,73.76 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि नये कार्यालयों में पदस्थापन का कार्य प्रक्रियाधीन था।

अनुदान संख्या 005 – प्रशासनिक सेवाएं

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2051. लोक सेवा आयोग,
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं,
2062. सतर्कता और
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहरन्न में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,35,14,71	1,41,67,68	1,28,10,29	- 13,57,39
अनुपूरक	6,52,97			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				
				13,52,89
प्रभारित				
मूल	10,53	11,71	11,64	- 7
अनुपूरक	1,18			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				
				7

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 13,57.39 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2015 में लिया गया ₹ 6,52.97 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं				
003. प्रशिक्षण				
(01) हरीश चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर				
[01] संचालन एवं प्रशासन				
मू.	11,19.16	10,23.25	10,23.28	+ 0.03
अ.	27.59			
पु.	- 1,23.50			

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 27.59 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 1,23.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 005 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं 104. सतर्कता (01) सतर्कता आयोग/लोकायुक्त संगठन			
मू.	3,82.41
पु.	- 3,82.41
31 मार्च 2015 को ₹ 3,82.41 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा नया बजट शीर्ष "2062-103-लोकायुक्त" खोलने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,12.41 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,70.00 लाख) किया गया।			
114. वाहन का क्रय तथा रखरखाव (01) राज्य गैराज तथा आटोमोबाइल विभाग			
मू.	31,08.37	31,28.15	31,28.11
अ.	3,23.95		- 0.04
पु.	- 3,04.17		
मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 3,23.95 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
₹ 3,04.17 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
115. अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि (01) राजकीय अतिथियों पर व्यय			
मू.	2,50.00	1,62.97	1,62.97
पु.	- 87.03		..
31 मार्च 2015 को ₹ 87.03 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
115. अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि (02) राजस्थान भवन, नई दिल्ली			
मू.	5,27.41	5,41.91	5,41.92
अ.	70.00		..
पु.	- 55.50		
मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 70.00 लाख का प्रावधान मुख्यतः संविदा तथा भोजनालय प्रबंध के बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
31 मार्च 2015 को ₹ 55.50 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
115. अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि (03) परिधि गृह			
मू.	31,72.38	28,75.19	28,74.75
अ.	58.00		- 0.44
पु.	- 3,55.19		
मार्च 2015 में ₹ 58.00 लाख के अनुपूरक अनुदान का प्रावधान मुख्यतः भोजनालय प्रबंध पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।			
₹ 3,55.19 लाख की प्रत्याशित बचत (i) 223 पदों के रिक्त रहने तथा (ii) परिधि भवनों के देख रेख के जाब बेसिस कार्य में कटौती को आरोपित की गई।			

अनुदान संख्या 005 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं 115. अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि (08) राजस्थान भवन वाशी, नवी मुम्बई			
मू.	3,04.51		
पु.	- 2,98.50	6.01	6.01
			..

31 मार्च 2015 को ₹ 2,98.50 लाख का प्रावधान 2014-15 के दौरान राजस्थान भवन वाशी, नवी मुम्बई के नव-निर्मित विश्राम गृह के चालू नही होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2062. सतर्कता 103. लोकयुक्त/उप लोकायुक्त (01) लोकायुक्त सचिवालय			
मू.	0.15		
पु.	4,05.28	4,05.43	4,05.42
			- 0.01

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,05.28 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः (i) नये बजट शीर्ष खोलने के कारण शीर्ष "2070-104" से व्यय हस्तान्तरित करने तथा (ii) रिक्त पदों पर नियुक्ति एवम् नये पदों की स्वीकृति पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 006 - न्याय प्रशासन
मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2014. न्याय प्रशासन

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	5,67,37,28	5,76,44,08	5,39,02,65	- 37,41,43
अनुपूरक	9,06,80			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				
प्रभारित				
मूल	71,20,26	75,57,38	73,07,89	- 2,49,49
अनुपूरक	4,37,12			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				
टिप्पणियां तथा टीकाएं:				

राजस्व**दत्तमत**

1. मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 9,06.80 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 37,41.43 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 27.83 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2014. न्याय प्रशासन			
105. सिविल और सेशन न्यायालय			
(02) व्यवहार तथा अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीशों एवं मुख्य न्यायिक दण्डनायकों के न्यायालय			
मू.	98,47.72	97,56.76	- 15.12
पु.	- 90.96		
₹ 90.96 लाख की प्रत्याशित बचत 229 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।			
₹ 15.12 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
105. सिविल और सेशन न्यायालय			
(03) मुंसिफ एवं न्यायिक दण्डनायकों के न्यायालय			
मू.	1,27,87.89	1,22,27.42	- 2.17
पु.	- 5,60.47		
₹ 5,60.47 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 522 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।			

अनुदान संख्या 006 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2014. न्याय प्रशासन			
105. सिविल और सेशनस न्यायालय			
(15) एन.आई. एक्ट के अन्तर्गत न्यायालय			
मू.	11,24.72		
पु.	- 2,79.80	8,44.92	8,43.94
			- 0.98

31 मार्च 2015 को ₹ 2,79.80 लाख का प्रावधान मुख्यतः 139 पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

105. सिविल और सेशनस न्यायालय
(18) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत विभिन्न योजनाएं
[01] सुबह-शाम की अदालतें

मू.	25,86.81
पु.	- 25,86.81			

31 मार्च 2015 को ₹ 25,86.81 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 10,71.73 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 15,15.08 लाख) किया गया क्योंकि नीतिगत मामलों के कारण वर्ष के दौरान सुबह-शाम अदालत की योजना लागू नहीं हुई।

2012-13 और 2013-14 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित/अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया था।

105. सिविल और सेशनस न्यायालय
(18) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत विभिन्न योजनाएं
[07] जिला वैकल्पिक विवाद निराकरण केन्द्र (ए.डी.आर.)-
मध्यस्थों को प्रशिक्षण

मू.	3,75.47			
अ.	50.45	1,08.28	1,08.15	- 0.13
पु.	- 3,17.64			

₹ 3,75.47 लाख का प्रावधान तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत नेशनल प्लान ऑफ एक्शन में वैकल्पिक विवाद निराकरण केन्द्रों के गठन एवं तंत्र संचालन हेतु अनुमानित था। तत्पश्चात् मार्च 2015 में इसी उद्देश्य हेतु अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 50.45 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2015 को ₹ 3,17.64 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 501 स्वीकृत पदों में से 217 पदों के रिक्त रहने के कारण विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति में धीमी प्रगति, (ii) वैकल्पिक विवाद निराकरण केन्द्रों के तंत्र को बनाने एवं संचालन पर कम व्यय होने, (iii) मध्यस्थता प्रशिक्षण पर कम व्यय होने क्योंकि प्रशिक्षण विश्राम भवन/आर.टी.डी.सी./ लोक प्रशिक्षण संस्थानों में राजकीय दरों पर सम्पन्न हुआ, (iv) न्यायालय परिसर में ही वैकल्पिक विवाद निराकरण केन्द्रों के संचालन होने से कार्यालय व्यय कम हुआ क्योंकि उनके स्वयं के भवन निर्माण नहीं/निर्माणाधीन होने तथा (v) संविदा कर्मियों के वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय हुआ क्योंकि यह व्यय वैकल्पिक विवाद निराकरण केन्द्रों के स्वयं के भवन के निर्माण के बाद मुख्य शीर्ष "2235" के अन्तर्गत वर्गीकृत करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 006 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2014. न्याय प्रशासन			
114. विधि सलाहकार और परामर्शदाता			
(02) गृह विभाग के माध्यम द्वारा			
[01] अभियोजन कर्मचारी वर्ग			
मू.	57,44.04	54,49.09	54,47.81
पु.	- 2,94.95		

₹ 2,94.95 लाख की प्रत्याशित बचत 159 सहायक लोक अभियोजकों के पद रिक्त रहने को आरोपित की गयी क्योंकि प्रकरण न्यायिक प्रक्रियाधीन होने और अक्टूबर 2014 से 31 मार्च 2015 तक विभिन्न संवर्गों में 695 पद रिक्त रहे।

116. राज्य प्रशासनिक अधिकरण
(01) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण

मू.	5,94.10	6,53.58	6,53.56
अ.	1,77.38		
पु.	- 1,17.90		

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,77.38 लाख का प्रावधान वेतन एवं भत्तों, यात्रा व्यय तथा किराया, दरों और कर/रायल्टी पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2015 को ₹ 1,17.90 लाख का प्रावधान विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 161 पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया। स्थानीय निकायों के चुनाव हेतु आचार संहिता के कारण वर्ष के दौरान रिक्त पदों को नहीं भरा जा सका।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2014. न्याय प्रशासन			
105. सिविल और सेशन न्यायालय			
(01) जिला और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के न्यायालय			
मू.	1,59,23.05	1,65,87.50	1,65,83.19
अ.	5,66.68		
पु.	97.77		

मार्च 2015 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 5,66.68 लाख का प्रावधान मुख्यतः रिक्त पदों को भरने, मंहगाई भत्ते की दरों में वृद्धि और बोनस के भुगतान पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया।

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 97.77 लाख की अतिरिक्त निधियाँ मुख्यतः (i) न्यायिक अधिकारियों के लिए लेपटॉप खरीदने, (ii) पुराने लेपटॉप का रखरखाव, (iii) जिला न्यायालयों में आशुलिपिक व कनिष्ठ लिपिकों की संभावित भर्ती, (iv) जिला न्यायालयों में ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कार्यरत टेक्निकल मैन पावर का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन करने, (v) न्यायिक अधिकारियों को स्थानान्तरण पर डिस्टेंबेन्स भत्ता एवं लंबित बिलों का भुगतान करने तथा (vi) न्यायिक अधिकारियों के लंबित चिकित्सा बिलों के भुगतान पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 006 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2014. न्याय प्रशासन			
105. सिविल और सेशन न्यायालय			
(09) अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) के लिए विशेष न्यायालय			
मू.	9,93.01	10,86.20	10,85.88
पु.	93.19		
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 93.19 लाख की अतिरिक्त निधियां छः माह के व्यय के रुझान के अनुसार वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
105. सिविल और सेशन न्यायालय			
(18) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत विभिन्न योजनाएं			
[04] न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण			
मू.	2,58.60	3,65.36	3,64.98
पु.	1,06.76		
105. सिविल और सेशन न्यायालय			
(18) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत विभिन्न योजनाएं			
[05] लोक अभियोजकों को प्रशिक्षण			
मू.	1,55.20	3,25.35	3,24.86
पु.	1,70.15		
उपर्युक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,76.91 लाख की अतिरिक्त निधियां उच्चस्तरीय मोनिटरिंग कमेटी द्वारा मंजूर कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
117. पारिवारिक न्यायालय			
(01) विधि विभाग के माध्यम द्वारा			
मू.	6,40.89	11,04.97	11,01.93
पु.	4,64.08		
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,64.08 लाख की अतिरिक्त निधियां छः माह के व्यय के रुझान के अनुसार वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु ली गई।			

अनुदान संख्या 006 - (समाप्त)

प्रभारित

1. ₹ 2,49.49 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2015 में अनुपूरक विनियोजन द्वारा लिया गया ₹ 4,37.12 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
2. ₹ 2,49.49 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 10.62 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2014. न्याय प्रशासन			
102. उच्च न्यायालय			
(01) उच्च न्यायालय प्रशासन			
मू.	66,16.01		
अ.	2,14.08	66,03.85	65,96.59
घु.	- 2,26.24		- 7.26

मार्च 2015 में अनुपूरक विनियोजन द्वारा लिया गया ₹ 2,14.08 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 2,26.24 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) माननीय न्यायाधीशों के पदों और उच्च न्यायालय में अन्य पदों के रिक्त रहने, (ii) कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं होने तथा (iii) उच्च न्यायालय परिसर जोधपुर में ठेके पर सफाई कार्य शुरू नहीं होने को आरोपित की गयी।

₹ 7.26 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 007 - निर्वाचन

**मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2015. निर्वाचन और
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	3,55,51,23	3,57,92,69	3,36,60,19	- 21,32,50
अनुपूरक	2,41,46			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				18,80,57
प्रभारित				
मूल	2	2	..	- 2
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				2

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. मार्च 2015 में ₹ 2,41.46 लाख का अनुपूरक अनुदान मुख्यतः संसद चुनाव के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 21,32.50 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 2,51.93 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2015. निर्वाचन				
102. निर्वाचन अधिकारी				
मू.	17,97.38	17,37.01	17,36.74	- 0.27
अ.	37.88			
पु.	- 98.25			
मार्च 2015 में लिया गया ₹ 37.88 लाख का अनुपूरक अनुदान शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था। ₹ 98.25 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 104 पदों के 6 माह से अधिक रिक्त रहने को आरोपित की गयी।				
103. निर्वाचन नामावली तैयार करना और मुद्रण				
मू.	31,50.00	28,59.07	28,57.11	- 1.96
पु.	- 2,90.93			

31 मार्च 2015 को ₹ 2,90.93 लाख का प्रावधान जिला निर्वाचन कार्यालयों से चुनावी मतदाता सूची से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 007 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2015. निर्वाचन			
105. संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार			
मू.	1,50,00.00		
अ.	2,02.88	1,52,19.85	- 1,66.16
पु.	16.97		
₹ 1,66.16 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

800. अन्य व्यय			
(01) पंचायत निर्वाचनों पर व्यय			
[02] महानिर्वाचन			
मू.	1,40,30.00		
		1,23,98.45	- 69.84
पु.	- 16,31.55		

31 मार्च 2015 को ₹ 16,31.55 लाख का प्रावधान (i) 16 जिलों में जिला परिषदों/पंचायत समितियों के सदस्यों के चुनाव मतपत्रों के स्थान पर ई.वी.एम. से कराने, (ii) कुछ स्थानों पर प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचित होने, (iii) विधानसभा/ संसद के चुनावों के लिये तैयार की गयी मतदाता सूची के उपयोग हेतु नये सॉफ्टवेयर के विकास के पश्चात् पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करने पर कम व्यय होने तथा (iv) मतदाता सूचियों को तैयार करने हेतु राज्य स्तर की एजेन्सी को नियुक्त करने के पश्चात् गणकों को मानदेय का कम भुगतान करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 14,46.50 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,85.05 लाख) किया गया।

₹ 69.84 लाख की अंतिम बचत जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा स्थानीय निकायों के चुनावों हेतु ए.सी. बिल द्वारा आहरित में से रही अवशेष राशि जमा कराये जाने के कारण थी।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2015. निर्वाचन			
108. मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना			
मू.	2,00.00		
		3,06.84	..
पु.	1,06.84		

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,06.84 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 008 - राजस्व

**मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2029. भू-राजस्व और
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	6,33,59,81	6,40,00,88	5,79,04,89	- 60,95,99
अनुपूरक	6,41,07			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				60,81,81
प्रभारित				
मूल	3	3	..	- 3
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				3

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 60,95.99 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2015 में लिया गया ₹ 6,41.07 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 1,70,77.39 लाख, ₹ 1,37,30.99 लाख, ₹ 97,35.58 लाख, ₹ 72,08.34 लाख तथा ₹ 60,95.99 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 9.52 प्रतिशत से 30.32 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2029. भू-राजस्व				
102. सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य				
(02) जिला कर्मचारी वर्ग				
मू.	60,07.06	52,78.05	52,76.88	- 1.17
पु.	- 7,29.01			

31 मार्च 2015 को ₹ 7,29.01 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा अवकाश वेतन/चयनित वेतनमान/बकायों इत्यादि को स्वीकृत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 008 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2029. भू-राजस्व			
103. भू-अभिलेख			
(03) प्रशिक्षण विद्यालय			
[03] राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर			
मू.	18,14.98		
		16,53.07	- 0.01
पु.	- 1,61.91		

31 मार्च 2015 को ₹ 1,61.91 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) स्थानान्तरण के कारण पदों के रिक्त रहने तथा पटवार प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कुछ पटवार प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण छोड़ दिये जाने तथा (ii) पटवार प्रशिक्षण केन्द्रों में आई.टी. प्रशिक्षण के लिए राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिलों के देरी से जमा कराने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

103. भू-अभिलेख			
(07) राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम			
मू.	56,80.48		
		5,15.48	+ 0.57
पु.	- 51,65.00		

31 मार्च 2015 को ₹ 51,65.00 लाख का प्रावधान (i) आधुनिक अभिलेखागार के निर्माण के लिए एजेन्सी के चयन का कार्य प्रक्रियाधीन होने, (ii) कम्प्यूटर के निर्गम पर कम व्यय होने क्योंकि उप-पंजीयक कार्यालयों में पंजीकृत दस्तावेजों के कम्प्यूटरीकरण के लिए केवल एक कम्प्यूटर दिया गया, (iii) एन.आई.सी. द्वारा मूल्यवान विवरणों की डाटा एन्ट्री के लिए दावा प्रस्तुत नहीं किया गया क्योंकि एन.आई.सी. द्वारा अपने स्तर पर ही कार्य को पूर्ण किया गया, (iv) स्केनिंग एवं पुराने दस्तावेजों के संरक्षण का कार्य प्रक्रियाधीन होने, (v) 137 उप-पंजीयक कार्यालयों को हार्डवेयर निर्गम का कार्य प्रक्रियाधीन होने तथा (vi) उप-पंजीयक कार्यालयों द्वारा वेबसाइट बनाये जाने पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 48,97.06 लाख) तथा (₹ 2,67.94 लाख) अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

अनुदान संख्या 009 - वन

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी

पूंजी - 4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	7,47,86,29			
अनुपूरक	3			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)		7,47,86,32	6,30,62,11	- 1,17,24,21
प्रभारित				
मूल	20,00			
अनुपूरक	30,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)		50,00	45,76	- 4,24
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	2,23,41,01			
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)		2,23,41,01	1,34,92,42	- 88,48,59

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 1,17,24.21 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 51.11 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।
- वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 66,03.24 लाख, ₹ 1,34,70.05 लाख, ₹ 1,54,23.07 लाख, ₹ 1,88,28.65 लाख तथा ₹ 1,17,24.21 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 13.62 प्रतिशत से 25.13 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 009 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
102. समाज तथा फार्म वानिकी			
(25) बाह्य सहायता प्राप्त राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज-II			
मू .	1,50,99.69	1,01,44.35	1,01,44.35
पु .	- 49,55.34		..

₹ 1,50,99.69 लाख का प्रावधान परियोजना के अन्तर्गत लिये गये विभिन्न वानिकी गतिविधियों हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 49,55.34 लाख की प्रत्याशित बचत रही जिसे 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित (₹ 30,97.91 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 18,57.43 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव परिरक्षण			
(01) बाघ परियोजना, रणथम्भोर			
मू .	40,18.53	10,49.70	10,49.55
पु .	- 29,68.83		- 0.15

₹ 40,18.53 लाख का प्रावधान जानवरों के प्राकृतिक आवास के विकास, अनुरक्षण, सुधार एवं सुरक्षा तथा अभ्यारण्य क्षेत्रों से पुनर्विस्थापन हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 29,68.83 लाख की प्रत्याशित बचत रही जिसे 31 मार्च 2015 को मुख्यतः (i) गांव से विस्थापन हेतु ग्रामीणों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, (ii) भारत सरकार से वार्षिक कार्य योजना की द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं होने तथा (iii) राज्य सरकार द्वारा अनुदान कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव परिरक्षण			
(02) बाघ परियोजना, सरिस्का			
मू .	26,30.00	3,83.79	3,83.78
पु .	- 22,46.21		- 0.01

₹ 26,30.00 लाख का प्रावधान जानवरों के प्राकृतिक आवास के विकास, अनुरक्षण, सुधार एवं सुरक्षा तथा अभ्यारण्य क्षेत्रों से पुनर्विस्थापन हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 22,46.21 लाख की प्रत्याशित बचत रही जिसे 31 मार्च 2015 को मुख्यतः (i) गांव से विस्थापन के लिए ग्रामीणों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, (ii) भारत सरकार से वार्षिक कार्य योजना की द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 009 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव परिरक्षण			
(03) वन क्षेत्रों का संधारण			
मू.	50,11.17	44,41.69	44,19.89
पु.	- 5,69.48		

₹ 5,69.48 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 1,144 स्वीकृत पदों में से 262 पदों के रिक्त रहने, (ii) भारत सरकार से अन्य अभ्यारण्य क्षेत्रों के लिए द्वितीय किशत प्राप्त नहीं होने तथा (iii) स्वीकृति देरी से जारी किये जाने के कारण बीड़ अभ्यारण्य, धौलपुर पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

₹ 21.80 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव
110. वन्य जीव परिरक्षण
(04) घाना पक्षी अभ्यारण्य का विकास

मू.	2,00.00	46.67	46.67	..
पु.	- 1,53.33			

31 मार्च 2015 को ₹ 1,53.33 लाख का प्रावधान भारत सरकार से वार्षिक कार्य योजना की द्वितीय किशत प्राप्त नहीं होने तथा साइबेरियन क्रेन योजना को बन्द किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव
110. वन्य जीव परिरक्षण
(06) इको-टूरीज्म का विकास

मू.	3,20.00	30.69	30.69	..
पु.	- 2,89.31			

31 मार्च 2015 को ₹ 2,89.31 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव
112. सार्वजनिक उद्यान
(01) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से

मू.	17,55.69	16,39.93	16,39.83	- 0.10
पु.	- 1,15.76			

₹ 1,15.76 लाख की प्रत्याशित बचत (i) 86 विभिन्न पदों के रिक्त रहने जिसमें नौ अधिकारियों/कार्मिकों की कर्तव्य निर्वहन पर हुई मृत्यु तथा दो कर्मचारियों द्वारा द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सम्मिलित है, (ii) दीर्घ अवकाश पर गये कर्मचारियों द्वारा वेतन आहरित नहीं करने तथा (iii) आमेर विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे पाँच कर्मचारियों द्वारा मौलिक कार्यालय में पदभार नहीं सम्भालने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 009 - (क्रमशः)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को आधिक्य व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) अधीनस्थ तथा दक्ष कर्मचारी वर्ग			
मू.	3,75,75.19	3,79,76.93	3,79,70.14
अ.	0.01		
पु.	4,01.73		
			- 6.79

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,01.73 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) जुलाई, 2013 से वेतनमान-2008 के पुनरीक्षण के कारण कार्य भारित कर्मचारियों के बकायों तथा (ii) नये नियुक्त सहायक वन संरक्षकों को प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियाँ एवं वजीफे के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 6.79 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

01. वानिकी
102. समाज तथा फार्म वानिकी
(26) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम
[01] राज्य वन विकास अभिकरण

अ.	0.01	2,29.20	2,29.20	..
पु.	2,29.19			

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 2,29.19 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

पूँजी

दत्तमत

- ₹ 88,48.59 लाख की अंतिम बचत में से, ₹ 3,80.09 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।
- वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 49,43.55 लाख, ₹ 20,22.55 लाख, ₹ 27,44.09 लाख, ₹ 16,30.16 लाख तथा ₹ 88,48.59 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 8.82 प्रतिशत से 68.01 प्रतिशत के बीच थी। विभाग द्वारा इन निरन्तर बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
070. संचार तथा भवन			
(02) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग के माध्यम से			
मू.	15,20.00	11,70.00	..
पु.	- 3,50.00		

31 मार्च 2015 को ₹ 3,50.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 009 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(07) जैव विविधता का संरक्षण (वन संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय पर्यटन)			
मू.	3,02.29		
पु.	- 2,07.87	94.42	94.42
31 मार्च 2015 को ₹ 2,07.87 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

01. वानिकी			
102. समाज तथा फार्म वानिकी			
(08) सांभर नम भूमि का संरक्षण एवं विकास			
मू.	1,08.97		
पु.	- 1,08.97
₹ 1,08.97 लाख का प्रावधान झीलों के सूखेपन में कमी एवं गीली भूमि के जीवन काल में वृद्धि हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2015 को ₹ 1,08.97 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

01. वानिकी			
102. समाज तथा फार्म वानिकी			
(14) नाबार्ड के सहयोग से वनीकरण कार्य			
मू.	1,54,59.75		
पु.	- 71,67.07	82,92.68	82,40.27 - 52.41
₹ 71,67.07 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 52.41 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव			
(08) बायोलोजिकल पार्क, कायलाना			
मू.	2,00.00		
पु.	- 2,00.00
₹ 2,00.00 लाख का प्रावधान बायोलोजिकल पार्क, कायलाना के लिए इको-टूरीज्म को बढ़ावा देने तथा क्षेत्र के सूक्ष्म जलवायु में सुधार किये जाने हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, 31 मार्च 2015 को ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 010 – विविध सामान्य सेवाएं

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2075. विविध सामान्य सेवाएं

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	4,26,63,16	6,18,48,07	6,17,52,43	- 95,64
अनुपूरक	1,91,84,91			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				95,64

अनुदान संख्या 011 – विविध सामाजिक सेवाएं

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2250. अन्य सामाजिक सेवाएं,
 3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान और
 3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण
 पूंजी – 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय और
 5425. अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान
 पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,13,72,86	1,13,72,86	71,25,68	- 42,47,18
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				42,46,38
प्रभारित				
मूल	3	3	..	- 3
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				3
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	23,15,00	23,15,00	6,86,04	- 16,28,96
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				16,10,59

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं				
102. धार्मिक तथा पूर्व अक्षय निधि अधिनियमों का प्रशासन				
(01) देवस्थान एवं धर्मपुरा				
मू.	13,46.78	12,63.90	12,63.80	- 0.10
पु.	- 82.88			

अनुदान संख्या 011 - (क्रमशः)

₹ 82.88 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) मंदिरों के पुजारियों/प्रबंधकों द्वारा उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति के कारण दावे प्रस्तुत न करने तथा (iii) वाहन उपयोगकर्ताओं के 5 पद रिक्त रहने के कारण सभी 13 विभागीय वाहनों का उपयोग नहीं होने के कारण आरोपित की गयी।

2250. अन्य सामाजिक सेवाएं

800. अन्य व्यय

(02) तीर्थ यात्रा योजना

[01] वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना

मू.	15,00.00		11,28.45	11,28.45	..
पु.	- 3,71.55				

₹ 15,00.00 लाख का प्रावधान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, 2014 के तहत 7,500 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, लाभार्थियों की वास्तविक संख्या अनुमान से कम होने के परिणामतः 31 मार्च 2015 को ₹ 3,71.55 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

01. भारतीय सर्वेक्षण

800. अन्य व्यय

(01) विज्ञान एवं तकनीक

मू.	6,77.98		5,94.35	5,94.35	..
पु.	- 83.63				

₹ 83.63 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

01. भारतीय सर्वेक्षण

800. अन्य व्यय

(03) सरसेक/सेट कॉम नेटवर्क

मू.	2,38.16		60.42	60.42	..
पु.	- 1,77.74				

31 मार्च 2015 को ₹ 1,77.74 लाख का प्रावधान मुख्यतः आयोजना सीमा में कटौती तथा चुनाव आचार संहिता के कारण स्वीकृति जारी न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. भारतीय सर्वेक्षण

800. अन्य व्यय

(04) विज्ञान तथा समाज

मू.	79.80	
पु.	- 79.80				

31 मार्च 2015 को ₹ 79.80 लाख का समस्त प्रावधान मुख्यतः आयोजना सीमा में कटौती तथा चुनाव आचार संहिता के कारण स्वीकृति जारी न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 011 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
01. भारतीय सर्वेक्षण			
800. अन्य व्यय			
(05) विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण			
मू.	6,01.90		
		2,08.17	2,25.18
पु.	- 3,93.73		+ 17.01

31 मार्च 2015 को ₹ 3,93.73 लाख का प्रावधान मुख्यतः आयोजना सीमा में कटौती तथा चुनाव आचार संहिता के कारण स्वीकृति जारी न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 17.01 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

01. भारतीय सर्वेक्षण			
800. अन्य व्यय			
(10) अनुसंधान एवं विकास			
मू.	1,98.77		
		33.88	33.32
पु.	- 1,64.89		- 0.56

31 मार्च 2015 को ₹ 1,64.89 लाख का प्रावधान मुख्यतः आयोजना सीमा में कटौती तथा चुनाव आचार संहिता के कारण स्वीकृति जारी न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण			
03. पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरुद्भव भवन			
102. पर्यावरणीय योजना तथा समन्वय			
(02) सी.ई.टी.पी.			
मू.	2,00.00		
	
पु.	- 2,00.00		..

₹ 2,00.00 लाख का प्रावधान नदियों को जल प्रदूषण से बचाने के लिए लघु उद्योगों से निस्तारित उच्छिष्ट का उपचार करने हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, 31 मार्च 2015 को ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान भी समस्त प्रावधान इसी कारण से अभ्यर्पित किया गया था।

03. पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरुद्भव भवन			
102. पर्यावरणीय योजना तथा समन्वय			
(04) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना			
मू.	28,58.00		
	
पु.	- 28,58.00		..

31 मार्च 2015 को ₹ 28,58.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 24,03.02 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 4,54.98 लाख) किया गया।

वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान भी समस्त प्रावधान इसी कारण से क्रमशः अभ्यर्पित तथा पुनर्विनियोजित किया गया था।

अनुदान संख्या 011 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण			
03. पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरुद्भव भवन			
102. पर्यावरणीय योजना तथा समन्वय			
(05) राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड			
मू .	3,05.25	2,03.46	2,03.46
पु .	- 1,01.79		..

₹ 3,05.25 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड को वेतन एवं भत्तों तथा बोर्ड की अन्य गतिविधियों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु अनुदान जारी करने हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, 31 मार्च 2015 को ₹ 1,01.79 लाख का प्रावधान बोर्ड के पास निधियों की उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण			
03. पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरुद्भव भवन			
102. पर्यावरणीय योजना तथा समन्वय			
(03) राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना			
मू .	28,95.61	32,68.82	32,52.71
पु .	3,73.21		- 16.11

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,73.21 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 16.11 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

पूँजी

दत्तमत

- ₹ 16,28.96 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 18.37 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(01) तीर्थ यात्रियों को सुविधाएं			
[01] धार्मिक कस्बा विकास समिति के माध्यम से			
मू .	15,00.00	6,76.76	6,74.62
पु .	- 8,23.24		- 2.14

अनुदान संख्या 011 - (समाप्त)

31 मार्च 2015 को ₹ 8,23.24 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) नवीन कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने में विलम्ब, इन कार्यों की कार्यकारी एजेन्सी की घोषणा में विलम्ब तथा चुनाव आचार संहिता के कारण कार्य आदेश जारी न करने, (ii) पीडीकोर द्वारा मास्टर प्लान तैयार करने के लिए सलाहकार चयन न करने के कारण 32 मंदिरों के लिए कार्यों का निष्पादन न होने तथा (iii) सहायक आयुक्त कार्यालय, जयपुर-। के भवन तथा पाली में धर्मशाला के निर्माण कार्य को निरस्त करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5425. अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(02) विज्ञान एवं तकनीकी			
मू.	3,65.00		
		27.65	
पु.	- 3,37.35		
		11.42	- 16.23

31 मार्च 2015 को ₹ 3,37.35 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 16.23 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

800. अन्य व्यय
(03) साइंस सिटी
[01] विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मू.	4,50.00			
	
पु.	- 4,50.00			

31 मार्च 2015 को ₹ 4,50.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 012 - अन्य कर

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण,
 2041. वाहन कर,
 2045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क और
 3055. सड़क परिवहन
 पूंजी - 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय और
 7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	4,43,20,09	5,16,32,75	4,34,14,28	- 82,18,47
अनुपूरक	73,12,66			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				81,28,91
प्रभारित				
मूल	63	6,02	6,00	- 2
अनुपूरक	5,39			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				2
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	3,74,78,37	3,74,78,37	74,78,34	- 3,00,00,03
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				3,00,00,03

टिप्पणियां तथा टीकारं :

राजस्व

दत्तमत

1. मार्च 2015 में लिया गया ₹ 73,12.66 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 82,18.47 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 89.56 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।

अनुदान संख्या 012 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण			
02. स्टाम्प- न्यायिकेत्तर			
102. स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय			
मू.	18,00.00	16,50.00	15,64.90
पु.	- 1,50.00		
			- 85.10

31 मार्च 2015 को ₹ 1,50.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया क्योंकि न्यायिकेत्तर स्टाम्पों की बिक्री के अनुसार वेंडरों को कमीशन का भुगतान किया गया था। माह मार्च 2015 में वेण्डरों को स्टाम्प जारी करने की सीमा में ₹ 3.00 लाख से ₹ 0.50 लाख की कटौति करने के पश्चात् स्टाम्पों की बिक्री प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई।

₹ 85.10 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

03. पंजीकरण			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) जिला संगठन			
मू.	23,65.16	24,12.40	24,10.24
अ.	3,27.03		
पु.	- 2,79.79		
			- 2.16

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 3,27.03 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 2,79.79 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) बजट उद्घोषणा की अनुपालना में करदाताओं को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए "कार्यालय व्यय" के अंतर्गत प्रावधान अनुमानित किया गया परन्तु दिसम्बर 2014 से बकाया की वसूली अभियान में अधिकारियों/कर्मचारियों की संलग्नता के परिणामतः कम व्यय होने, (ii) ऑन स्पॉट निरीक्षण शुल्क के भुगतान हेतु "पेशेवर तथा विशेष सेवाएं" के अन्तर्गत प्रावधान अनुमानित किया गया परन्तु दिसम्बर 2014 से बकाया की वसूली अभियान में अधिकारियों/कर्मचारियों की संलग्नता के कारण शुल्क के दावे प्रस्तुत नहीं किये जा सके, (iii) 5 नये वृत्त कार्यालयों तथा 25 नये उप पंजीयक कार्यालयों की स्थापना न होने के कारण समूह घ/ सुरक्षा कर्मियों के पदों पर संविदा कर्मिकों की मांग कम होने तथा (iv) नये कार्यालयों की स्थापना न होने के कारण कम्प्यूटर मशीन मय आदमी की मांग कम होने को आरोपित की गयी।

2041. वाहन कर			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) संचालक परिवहन			
मू.	7,99.42	6,88.90	6,88.73
अ.	65.17		
पु.	- 1,75.69		
			- 0.17

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 65.17 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 1,75.69 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 147 स्वीकृत पदों में से 48 पदों के वर्ष भर रिक्त रहने के कारण 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 012 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2041. वाहन कर			
101. संग्रहण प्रभार			
(01) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी			
मू.	51,20.78		
अ.	10,12.92	58,01.37	58,00.33
पु.	- 3,32.33		- 1.04

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 10,12.92 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2015 को ₹ 3,32.33 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) बकाया का भुगतान न होने, (iii) फर्म (रेक्सको) द्वारा सुरक्षा कर्मियों, वाहन चालकों तथा समूह घ के लिए संविदा कार्मिक कम संख्या में उपलब्ध कराने तथा (iv) प्रक्रिया सम्बन्धी कमी के कारण बकाया दायित्वों के कम भुगतान के कारण अभ्यर्पित किया गया।

102. मोटर वाहनों का निरीक्षण
(02) निरीक्षण

मू.	22,99.80			
अ.	2,12.25	20,46.61	20,45.76	- 0.85
पु.	- 4,65.44			

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 2,12.25 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2015 को ₹ 4,65.44 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) वेतन निर्धारण न होने तथा कार्मिकों को चयनित श्रेणी वेतन श्रृंखला/ए.सी.पी. के बकाया का भुगतान न होने, (ii) अधीनस्थ कार्यालयों में कम संख्या में वाहनों के किराये पर लेने तथा (iii) फर्म (रेक्सको) द्वारा संविदा कार्मिक को कम संख्या में उपलब्ध कराने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क

103. संग्रहण प्रभार-विद्युत् शुल्क

(03) मु.शी. 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर से स्थानान्तरित संयुक्त स्थापना का आनुपातिक व्यय

मू.	7,61.05			
अ.	62.85	7,06.74	7,06.74	..
पु.	- 1,17.16			

₹ 7,61.05 लाख का प्रावधान बिक्री कर, विद्युत् कर तथा मनोरंजन कर के अंतर्गत राजस्व प्राप्ति के अनुपात में "मुख्य शीर्ष 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर" से स्थानान्तरित वास्तविक संयुक्त स्थापना व्यय हेतु अनुमानित किया गया था। तत्पश्चात् मार्च 2015 में ₹ 62.85 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक प्राप्ति के संग्रहण की प्रत्याशा में लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था। यद्यपि, आनुपातिक प्रभार का वास्तविक हस्तांतरण अनुमान से कम था परिणामतः ₹ 1,17.16 लाख की प्रत्याशित बचत रही जिसे 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 012 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3055. सड़क परिवहन			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को वायबिलिटी गेप फण्ड के लिए अनुदान			
मू.	15,00.00		
अ.	18,64.23	29,84.98	29,84.98
पु.	- 3,79.25		..

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 18,64.23 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को ग्रामीण बस सेवाओं के संचालन हेतु वायबिलिटी गेप फंड के पुर्नःभरण के लिये अनुदान हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2015 को ₹ 3,79.25 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा दावों के औचित्य पर टिप्पणी करने के पश्चात् पुर्नःभुगतान दावों के लिए स्वीकृति कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता
(03) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में मुफ्त/रियायती यात्राओं की राशि के पुनर्भरण हेतु सहायतार्थ अनुदान

मू.	1,50,00.00		
अ.	10,00.00	1,54,19.95	1,54,19.95
पु.	- 5,80.05		..

मार्च 2015 में ₹ 10,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान बसों में मुफ्त/रियायती यात्राओं के विरुद्ध राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से प्राप्त पुर्नःभरण दावों के भुगतान हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

यद्यपि, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से दावे कम प्राप्त होने के कारण 31 मार्च 2015 को ₹ 5,80.05 लाख की राशि अभ्यर्पित की गयी।

- 190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता
(06) डीजल पर वेट की अन्तर राशि का पुनर्भरण

मू.	2,94.00		
अ.	20,00.00	19,05.28	19,05.28
पु.	- 3,88.72		..

₹ 2,94.00 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को डीजल पर वेट की अन्तर राशि हेतु पुर्नःभरण दावों के लिए अनुमानित किया गया था। तत्पश्चात्, मार्च 2015 में ₹ 20,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान इसी कारण से लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

यद्यपि, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को डीजल पर वेट की अन्तर राशि के कम दावे स्वीकृत करने के परिणामतः शीर्ष के अंतर्गत ₹ 3,88.72 लाख की प्रत्याशित बचत रही जिसे 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 012 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3055. सड़क परिवहन			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(10) सुधार सम्बद्ध योजना-राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को सहायतार्थ अनुदान			
मू.	1,20,00.00		
अ.		70,00.00	..
पु.	- 50,00.00		

₹ 1,20,00.00 लाख का प्रावधान बजट भाषण में की गई उद्घोषणा के अनुसार सुधार सम्बद्ध योजना की नियम एवं शर्तों की अनुपालना में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को प्रति माह ₹ 10,00.00 लाख का अनुदान जारी करने हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा सुधार सम्बद्ध योजना की संपूर्ण नियम एवं शर्तों के साथ अनुपालना न किये जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा ₹ 70,00.00 लाख स्वीकृत किये गये परिणामस्वरूप 31 मार्च 2015 को ₹ 50,00.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 49,71.57 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 28.43 लाख) किया गया।

पूजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5055. सड़क परिवहन पर पूजीगत परिव्यय			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(07) सुधार सम्बद्ध योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य बस अड्डा सेवा निगम को हस्तान्तरित की गई परिसम्पत्तियों के विरुद्ध राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को अंशपूजी			
मू.	3,60,00.00		
पु.	- 3,00,00.00	60,00.00	60,00.00

₹ 3,60,00.00 लाख का प्रावधान बजट भाषण में की गई उद्घोषणा की अनुपालना में सुधार सम्बद्ध योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य बस अड्डा सेवा निगम को हस्तान्तरित की गई परिसम्पत्तियों के विरुद्ध राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को अंशपूजी हेतु अनुमानित था। यद्यपि, राज्य सरकार द्वारा निगम के स्थान पर बस अड्डा विकास प्राधिकरण के गठन के निश्चय करने के बाद सम्पत्तियों के हस्तांतरण की कार्यवाही की क्रियान्विती न होने तथा वर्ष के दौरान प्रस्तावित प्राधिकरण के अस्तित्व में न आने के कारण 31 मार्च 2015 को ₹ 3,00,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 013 - आबकारी

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2039. राज्य उत्पाद शुल्क
पूंजी - 5465. सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,23,22,90	1,23,22,90	1,10,03,17	- 13,19,73
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				13,16,82
प्रभारित				
मूल	12	12	12	..
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	2	2	..	- 2
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				2

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2039. राज्य उत्पाद शुल्क				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(01) प्रधान कार्यालय				
मू.	20,02.93	14,12.17	14,12.14	- 0.03
पु.	- 5,90.76			

₹ 5,90.76 लाख की प्रत्याशित बचत रेडियो/टेलीविजन/समाचार पत्रों के माध्यम से शराब और अन्य मादक पदार्थों से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव से जन जागरूकता लाने संबंधी जारी किये गये विज्ञापन, शराब का अवैध उत्पादन तथा बिक्री की रोकथाम के लिये किये गये उपायों पर कम व्यय को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 013 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2039. राज्य उत्पाद शुल्क			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) निरोधक दल			
मू.	66,09.41		
		60,19.40	60,17.03
पु.	- 5,90.01		- 2.37

₹ 5,90.01 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) निरोधक दल से 98 कार्यरत पूर्व सेना कर्मी द्वारा त्याग पत्र/ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय, (ii) कुल स्वीकृत 148 वाहनों में से 110 वाहन ही किराये पर उपलब्ध हुए क्योंकि सरकार द्वारा तय दर बाजार दर से कम थी जिसके परिणामस्वरूप किराये के वाहनों पर कम व्यय हुआ तथा (iii) होम गार्ड्स की स्वीकृति देरी से प्राप्त होने तथा निरोधक दल में 400 रिक्त पदों के विरुद्ध होम गार्ड की कम उपलब्धता को आरोपित की गयी।

001. निदेशन तथा प्रशासन
(03) अन्य स्थापना

मू.	37,10.44		
		35,74.40	35,73.89
पु.	- 1,36.04		- 0.51

₹ 1,36.04 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 1145 स्वीकृत पदों के विरुद्ध विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 347 पदों के रिक्त रहने तथा आबकारी निरीक्षकों के लिये कुल 132 स्वीकृत वाहनों के विरुद्ध 40 वाहन ही किराये पर उपलब्ध हुए क्योंकि सरकार द्वारा तय दर बाजार दर से कम थी परिणामस्वरूप किराये के वाहनों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 014 - बिक्री कर

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	4,95,02,74			
अनुपूरक	1,58,99,03			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)		6,54,01,77	6,01,77,93	- 52,23,84
प्रभारित				
मूल	2			
अनुपूरक	29			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)		31	29	- 2
				1

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 52,23.84 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2015 में ₹ 1,58,99.03 लाख का अनुपूरक अनुदान मुख्यतः राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के अन्तर्गत निवेश सहाय्य तथा विशिष्ट प्रोत्साहन पैकेज के भुगतान हेतु लिया गया जो अत्यधिक था।
- ₹ 52,23.84 लाख की अंतिम बचत में से, ₹ 26.10 लाख अन्-अभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(01) प्रधान कार्यालय				
मू.	28,02.99			
अ.	4,48.52			
पु.	- 6,00.90			
		26,50.61	26,41.68	- 8.93

मार्च 2015 में लिया गया ₹ 4,48.52 लाख का अनुपूरक अनुदान शीर्षों के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 6,00.90 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) आंतरिक जांच दलों में विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत पदों के रिक्त रहने, (ii) ए.सी.टी.ओ., जे.सी.टी.ओ. और कर सहायक के रिक्त पदों के नहीं भरने तथा (iii) कम्प्यूटरीकरण तथा विज्ञापन पर कम व्यय होने को आरोपित की गई।

₹ 8.93 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 014 - (क्रमशः)

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर					
001. निदेशन तथा प्रशासन					
(02) डिजीजनल कर्मचारी वर्ग					
मू.	19,77.24				
अ.	1,33.43		17,64.94	17,64.92	- 0.02
पु.	- 3,45.73				

मार्च 2015 में लिया गया ₹ 1,33.43 लाख का अनुपूरक अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2015 को ₹ 3,45.73 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) आंतरिक जांच दलों में विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत पदों के रिक्त रहने, (ii) ए.सी.टी.ओ., जे.सी.टी.ओ. और कर सहायक के रिक्त पदों के नहीं भरने तथा (iii) कार्यालय व्यय तथा संविदा व्यय पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

101. संग्रहण प्रभार					
(02) अन्य जिला कार्यकारी कर्मचारी वर्ग					
मू.	1,18,02.38				
अ.	2,43.04		1,07,66.48	1,07,58.32	- 8.16
पु.	- 12,78.94				

मार्च 2015 में लिया गया ₹ 2,43.04 लाख का अनुपूरक अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2015 को ₹ 12,78.94 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) ए.सी.टी.ओ., जे.सी.टी.ओ. और कर सहायक के रिक्त पदों के नहीं भरने, (iii) दावेदारों को कर वापसी पर ब्याज का कम भुगतान तथा (iv) किराये पर वाहन तथा संविदा व्यय पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 8.16 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

800. अन्य व्यय					
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पालिसी					
[01] मजदूरी/रोजगार अनुदान					
मू.	49,18.00				
पु.	- 11,54.27		37,63.73	37,63.73	..

31 मार्च 2015 को ₹ 11,54.27 लाख का प्रावधान लाभान्वित ईकाइयों से अनुदान के लिये कम दावे प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

800. अन्य व्यय					
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पालिसी					
[02] ब्याज अनुदान					
मू.	1,56,22.00				
पु.	- 62,67.61		93,54.39	93,54.39	..

31 मार्च 2015 को ₹ 62,67.61 लाख का प्रावधान लाभान्वित इकाइयों से अनुदान हेतु दावे कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 12,29.82 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 50,37.79 लाख) किया गया।

अनुदान संख्या 014 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
800. अन्य व्यय			
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पालिसी			
[05] एम्प्लॉयमेन्ट जनरेशन सब्सिडि			
मू.	9,39.98		
		4,87.09	4,87.09
पु.	- 4,52.89		..

31 मार्च 2015 को ₹ 4,52.89 लाख का प्रावधान लाभान्वित इकाईयों से अनुदान हेतु कम दावे प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
800. अन्य व्यय			
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पालिसी			
[06] नवीन/नवाचार योजनायें			
मू.	0.01		
अ.	85,13.25	1,35,34.76	1,35,34.76
पु.	50,21.50		..

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50,21.50 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन पॉलिसी के अन्तर्गत विशिष्ट प्रोत्साहन पैकेज के भुगतान हेतु उपलब्ध करवायी गई।

अनुदान संख्या 015 - पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	90,36,99,99			
अनुपूरक	8,58,11,12			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)		98,95,11,11	96,28,97,11	- 2,66,14,00
प्रभारित				
मूल	1,20,04			
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)		1,20,04	11,21	- 1,08,83
टिप्पणियां तथा टीकाएं:				

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 2,66,14.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 8,58,11.12 लाख का प्रावधान पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ के भुगतान पर हुए अधिक व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो अत्यधिक था।
2. ₹ 2,66,14.00 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 14,55.22 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ				
01. सिविल				
101. अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते				
(01) राज्य कर्मचारियों को पेंशन				
मू.	49,70,00.00			
अ.	4,30,00.00			
पु.	- 4,00,00.00			
		50,00,00.00	49,84,36.43	- 15,63.57

अनुदान संख्या 015 - (क्रमशः)

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 4,30,00.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 4,15,63.57 लाख की कुल बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2015 को ₹ 4,00,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत विभाग द्वारा नयी संशोधित पेंशन प्री-2006 तथा प्री-2013 के पूर्ण प्रकरण प्रस्तुत नहीं करने तथा बैंकों द्वारा निस्तारित प्रकरणों के भुगतान में विलम्ब के कारण फरवरी 2015 तक के मासिक व्यय के रुझान को देखते हुए अभ्यर्पित (₹ 2,16,00.23 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,83,99.77 लाख) की गयी।

₹ 15,63.57 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
01. सिविल			
110. स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को पेंशन			
(01) जिला परिषदों और पंचायत समितियों के कर्मचारियों को पेंशन			
मू.	60,00.00	57,70.00	57,68.81
पु.	- 2,30.00		
			- 1.19

31 मार्च 2015 को ₹ 2,30.00 लाख का प्रावधान जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के कर्मचारियों के पेंशन दावे कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. सिविल			
111. विधायकों को पेंशन			
मू.	11,00.00	9,80.00	9,69.00
पु.	- 1,20.00		
			- 11.00

₹ 1,20.00 लाख का प्रावधान (i) तैरहवी विधानसभा के सदस्य जो चुनाव में अपनी सीट हार चुके थे, के "अदेयता प्रमाण पत्र" प्रस्तुत नहीं करने के कारण पेंशन प्रकरणों का निस्तारण नहीं होने तथा (ii) अगस्त 2014 से भूतपूर्व सदस्यों के पति/ पत्नी को परिवार पेंशन की बढ़ी हुई राशि का कोषालय द्वारा भुगतान नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 11.00 लाख के अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

01. सिविल			
200. अन्य पेंशन			
(01) नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान			
मू.	0.01	1.66	1.13
अ.	1,99.99		
पु.	- 1,98.34		
			- 0.53

31 मार्च 2015 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,99.99 लाख का प्रावधान 01.04.2004 के पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों/ अधिकारियों की मृत्यु/अशक्तता के कारण पेंशन परिलाभ के भुगतान हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2015 को ₹ 1,98.34 लाख का प्रावधान पेंशन हित लाभ के भुगतान के लिए दावे कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 015 - (क्रमशः)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित अंतिम बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ				
01. सिविल				
102. पेंशन का सांराशिकृत मूल्य				
मू.	5,90,00.00	6,66,00.00	6,64,61.97	- 1,38.03
पु.	76,00.00			

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 76,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां जुलाई 2013 से वेतन श्रृंखला में पुनरीक्षण के कारण पुराने व नये पेंशनर्स के पेंशन अधिलाभ के बढ़े हुए भुगतान की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 1,38.03 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

01. सिविल

104. उपदान

(01) राज्य कर्मचारियों को उपदान

मू.	12,25,00.00	14,45,00.00	14,44,94.98	- 5.02
अ.	1,75,00.00			
पु.	45,00.00			

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 45,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां जुलाई 2013 से वेतन श्रृंखला में पुनरीक्षण के कारण पुराने व नये पेंशनर्स के पेंशन अधिलाभ के बढ़े हुए भुगतान की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

01. सिविल

104. उपदान

(02) कर्मचारियों के ड्यूटी पर रहते हुए मृत्यु के फलस्वरूप अनुग्रह अनुदान

मू.	5,00.00	12,00.00	11,99.02	- 0.98
अ.	1,00.00			
पु.	6,00.00			

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां कर्मचारियों के ड्यूटी पर रहते हुए मृत्यु के कारण भुगतान के बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

01. सिविल

105. परिवार पेंशन

मू.	12,25,00.00	13,25,00.00	13,24,78.05	- 21.95
अ.	75,00.00			
पु.	25,00.00			

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां जुलाई 2013 से वेतनमान में पुनरीक्षण के कारण जुलाई 2006 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनर्स को बढ़े हुए पेंशन अधिलाभ के भुगतान की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 21.95 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 015 - (समाप्त)

5. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम/आधिक्य बचत को देखते हुए पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्द्धन/कमी अत्यधिक थी :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
01. सिविल			
115. छुट्टी नकदीकरण हित लाभ			
मू.	7,00,00.00		
अ.	1,00,00.00	7,70,00.00	7,73,67.39
पु.	- 30,00.00		+ 3,67.39

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,00,00.00 लाख का प्रावधान बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान तथा फरवरी 2015 तक के मासिक व्यय की प्रवृत्ति को देखते हुए लिया गया जो अत्यधिक था क्योंकि शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत थी।

31 मार्च 2015 को ₹ 30,00.00 लाख का प्रावधान (i) निर्माण विभागों द्वारा अंतिम व्यय से संबंधित सूचना प्रस्तुत नहीं करने तथा (ii) अनुपयोजित उपार्जित अवकाश के नगदीकरण का अनुमान से कम भुगतान हुआ क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी के अवकाश के शेष का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यद्यपि, व्यय ₹ 3,67.39 लाख से अधिक हुआ, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

01. सिविल				
117. निर्धारित अंशदान की पेंशन योजना में सरकार का अंशदान				
(01) निर्धारित अंशदान की पेंशन योजना में सरकार का अंशदान				
मू.	2,50,00.00			
अ.	74,95.81	3,56,90.34	3,56,11.60	- 78.74
पु.	31,94.53			

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 31,94.53 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्धारित अंशदान की पेंशन योजना में सरकार का अंशदान कर्मचारियों के अंशदान के अनुपात में करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 78.74 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

प्रभारित

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
01. सिविल			
106. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार			
मू.	1,20.00		
पु.	- 1,10.00	10.00	10.00

31 मार्च 2015 को ₹ 1,10.00 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त परिलाभों के वास्तविक भुगतान के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,08.79 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1.21 लाख) किया गया।

अनुदान संख्या 016 - पुलिस

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2055. पुलिस और
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं
पूंजी - 4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय और
6216. आवास के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहरस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	35,33,22,82	38,50,99,37	37,63,85,49	- 87,13,88
अनुपूरक	3,17,76,55			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				84,80,77
प्रभारित				
मूल	27,52	41,16	38,71	- 2,45
अनुपूरक	13,64			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				2
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	84,28,82	84,74,42	64,81,33	- 19,93,09
अनुपूरक	45,60			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				19,93,09
टिप्पणियां तथा टीकाएं:				

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 87,13.88 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 3,17,76.55 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 87,13.88 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 2,33.11 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।

अनुदान संख्या 016 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2055. पुलिस			
101. आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता			
(01) अपराधिक शाखा			
[01] विशेष शाखा			
मू.	91,22.31		
अ.	1,30.08	87,79.09	87,79.09
पु.	- 4,73.30		..

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,30.08 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2015 को ₹ 4,73.30 लाख का प्रावधान मुख्यतः पुलिस कार्मिकों के अन्य जिलों में स्थानान्तरण होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।

104. विशेष पुलिस
(01) सिपाही दल

मू.	5,49,61.35			
अ.	4,74.59	5,48,21.76	5,47,05.35	- 1,16.41
पु.	- 6,14.18			

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 4,74.59 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2015 को ₹ 6,14.18 लाख का प्रावधान मुख्यतः विभाग के कर्मचारियों द्वारा आय कर का विवरण समय पर प्रस्तुत नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप वेतन एवम् भत्तों का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 1,16.41 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

109. जिला पुलिस
(01) सामान्य पुलिस
[01] सामान्य पुलिस (निदेशन)

मू.	18,14,59.03			
अ.	2,18,49.00	19,90,78.56	19,89,96.49	- 82.07
पु.	- 42,29.47			

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 2,18,49.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 42,29.47 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पुलिस विभाग में रिक्त पदों के विरुद्ध 3489 रात्रिगश्त होम गार्ड्स की तैनातगी के परिणामस्वरूप वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिये तैनात रात्रिगश्त होम गार्ड्स के मानदेय का भुगतान निर्वाचन विभाग द्वारा करने, (iii) विभाग के कर्मचारियों द्वारा आय कर का विवरण समय पर प्रस्तुत नहीं करने के परिणामस्वरूप वेतन एवं भत्तों का भुगतान नहीं होने, (iv) शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने, (v) परीक्षा टाईमिंग टेक्नोलॉजी इण्डिया, हैदराबाद द्वारा ₹ 1,15,27,956 का बिल समय पर प्रस्तुत नहीं करने, (vi) वर्ष के दौरान आपूर्ति आदेश के विरुद्ध 17 मध्यम व 4 भारी वाहनों की प्राप्ति नहीं होना तथा (vii) आपूर्ति आदेश जारी होने के बावजूद यूपीफार्म हेतु टेरी-काट सूटिंग प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित की गई।

₹ 82.07 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 016 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2055. पुलिस			
109. जिला पुलिस			
(02) केन्द्रीय कार्यालय, बैंक आदि के लिए रक्षादल			
[01] केन्द्रीय कार्यालय			
मू.	28,50.70		
पु.	- 1,08.59	27,42.11	27,42.12
			+0.01

31 मार्च 2015 को ₹ 1,08.59 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

109. जिला पुलिस				
(10) पुलिस आयुक्त प्रणाली				
[02] यातायात पुलिस				
मू.	45,77.28			
अ.	9,45.24	53,57.53	53,57.53	..
पु.	- 1,64.99			

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 9,45.24 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2015 को ₹ 1,64.99 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृत नहीं हुआ जो ड्यूटी पर अनुपस्थित थे, (ii) समर्पित अवकाश के आवेदन कम प्राप्त होने, (iii) आयोजना सीमा में कटौती तथा (iv) यातायात होमगार्ड्स की तैनातगी पंचायत चुनावों में होने से मानदेय का भुगतान निर्वाचन विभाग द्वारा किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

111. रेल्वे पुलिस				
मू.	52,23.65			
अ.	3,06.45	53,61.72	53,61.72	..
पु.	- 1,68.38			

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 3,06.45 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2015 को ₹ 1,68.38 लाख का प्रावधान मुख्यतः (ii) कार्मिकों का स्थानान्तरण होने के कारण पद रिक्त रहने तथा (ii) वर्ष के अन्त तक वेतन निर्धारण और मंहगाई भत्ते के बकाया का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

114. बेतार तथा कम्प्यूटर				
(01) वित्तु (विशेष पुलिस)				
मू.	50,34.11			
अ.	52.64	47,07.07	47,07.07	..
पु.	- 3,79.68			

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 52.64 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2015 को ₹ 3,79.68 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) वित्तीय वर्ष के मध्य में दो निदेशकों और एक पुलिस अधीक्षक का पद उनके सेवानिवृत्त होने के पश्चात् रिक्त रहने, (ii) 20 विचाराधीन प्रकरणों का न्यायालय द्वारा निस्तारण होने के पश्चात् बकाया का भुगतान नहीं होने तथा (iii) रायल्टी तथा स्पेक्ट्रम व्यय का पुनर्विचार नहीं होने के परिणामस्वरूप मांग स्वीकृत नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 016 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2055. पुलिस			
115. पुलिस बल का आधुनिकीकरण			
(02) अपराधिक शाखा का आधुनिकीकरण			
मू .	4,18.89		
अ.	90.88	95.29	95.28
पु .	- 4,14.48		- 0.01

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 90.88 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2015 को ₹ 4,14.48 लाख का प्रावधान वित्तीय वर्ष के अन्त तक आपूर्तिकर्ता से वाहनों और उपकरणों की प्राप्ति नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

115. पुलिस बल का आधुनिकीकरण
(04) सामान्य पुलिस का आधुनिकीकरण

मू .	38,49.91			
अ.	26,12.86	51,31.70	51,31.70	..
पु .	- 13,31.07			

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 26,12.86 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 13,31.07 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वित्तीय वर्ष के अन्त तक आपूर्तिकर्ता से वाहनों और उपकरणों की प्राप्ति नहीं होने को आरोपित की गई।

115. पुलिस बल का आधुनिकीकरण
(05) सामान्य पुलिस (वितंतु) का आधुनिकीकरण

मू .	2,29.18			
पु .	- 1,10.84	1,18.34	1,18.34	..

31 मार्च 2015 को ₹ 1,10.84 लाख का प्रावधान मुख्यतः उपकरण नहीं खरीदने को आरोपित किया गया क्योंकि आपूर्तिकर्ता से निविदाएं विशिष्टता अनुसार प्राप्त नहीं हुई।

800. अन्य व्यय
(01) पुलिस डवलपमेन्ट फण्ड

मू .	13,00.00			
पु .	- 2,66.48	10,33.52	10,33.52	..

₹ 2,66.48 लाख की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष के अन्त तक आपूर्तिकर्ताओं से यातायात नियंत्रण के लिए सड़क अवरोधक प्राप्त नहीं होने को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 016 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
107. होम गार्ड			
(01) नगरीय गृह रक्षा			
मू.	42,89.51	61,08.03	61,01.43
अ.	19,17.23		
पु.	- 98.71		
			- 6.60

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 19,17.23 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2015 को ₹ 98.71 लाख का प्रावधान मुख्यतः विभिन्न संवर्गों में 128 पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 6.60 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

पूँजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय			
211. पुलिस आवास			
(01) राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड के माध्यम से			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	16,98.00	83.25	83.25
पु.	- 16,14.75		

31 मार्च 2015 को ₹ 16,14.75 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

211. पुलिस आवास

(03) आवास विकास लिमिटेड के माध्यम से

[90] निर्माण कार्य

मू.	67,30.80	63,98.08	63,98.08
अ.	45.60		
पु.	- 3,78.32		

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 45.60 लाख का प्रावधान पुलिस स्टॉफ के लिये आवासीय गृह निर्माण हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2015 को ₹ 3,78.32 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 017 - कारागार

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2056. जेल

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,24,39,78	1,47,40,48	1,42,12,27	- 5,28,21
अनुपूरक	23,00,70			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				5,31,90
प्रभारित				
मूल	2	2	..	- 2
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				2
टिप्पणियां तथा टीकाएं:				

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 5,28.21 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 23,00.70 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 5,28.21 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 5,31.90 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2056. जेल				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
मू.	8,20.57	8,88.02	8,98.87	+ 10.85
अ.	1,92.25			
पु.	- 1,24.80			
मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,92.25 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।				
₹ 1,24.80 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 10.85 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।				
101. जेल				
(01) मुख्य जेल				
मू.	60,41.91	73,38.58	73,36.05	- 2.53
अ.	21,08.45			
पु.	- 8,11.78			
मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 21,08.45 लाख का प्रावधान मुख्य जेल के लिये मशीनरी और संयंत्र, दवाईयां और अनाज की खरीद हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।				
₹ 8,11.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।				

अनुदान संख्या 017 - (समाप्त)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य + बचत -
2056. जेल			
101. जेल			
(02) जिला जेल			
मू.	31,42.86	32,33.15	- 3.41
पु.	90.29		
101. जेल			
(03) हवालार्ते			
मू.	18,52.50	22,45.37	+ 0.83
पु.	3,92.87		

उपर्युक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 4,83.16 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 018 - जन-सम्पर्क

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2220. सूचना तथा प्रचार

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	77,94,09	77,94,09	49,60,19	- 28,33,90
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				28,33,75
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				1
टिप्पणियां तथा टीकाएं:				

राजस्व

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2220. सूचना तथा प्रचार				
60. अन्य				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
मू.	66,74.19	39,64.60	39,64.59	- 0.01
पु.	- 27,09.59			
₹ 27,09.59 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वर्ष 2014-15 से पूर्व प्रिन्ट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (विज्ञापन तथा प्रचार) से सम्बन्धित बकाया दायित्वों के भुगतान के लिये वित्त विभाग का अनुमोदन नहीं होने को आरोपित की गयी।				
60. अन्य				
106. क्षेत्र प्रचार				
मू.	6,81.24	5,83.17	5,83.17	..
पु.	- 98.07			

₹ 98.07 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 188 स्वीकृत पदों में से 71 पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गई। ये पद 2011-12 से रिक्त है।

अनुदान संख्या 019 – लोक निर्माण कार्य

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2059. लोक निर्माण कार्य

- पूँजी – 4055. पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय,
 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय,
 4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय,
 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय,
 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय,
 4220. सूचना तथा प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय,
 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय,
 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय,
 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय,
 4403. पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय,
 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय,
 4700. मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय और
 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	4,11,61,14		
अनुपूरक	7,71,31	4,19,32,45	3,72,60,42 - 46,72,03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			46,73,51
प्रभारित			
मूल	2,00		
अनुपूरक	..	2,00	1,09 - 91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			91
पूँजी			
दत्तमत			
मूल	13,97,64,79		
अनुपूरक	7	13,97,64,86	7,09,61,18 - 6,88,03,68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			6,98,21,37

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 7,71.31 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन			
[01] मुख्यालय एवं संभाग			
मू.	34,95.35		
अ.	1,06.73		
पु.	- 2,21.27		
	33,80.81	33,84.41	+ 3.60
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन			
[02] अधीक्षण			
मू.	50,09.40		
अ.	4.03		
पु.	- 4,69.95		
	45,43.48	45,43.30	- 0.18
80. सामान्य			
004. योजना तथा अनुसंधान			
(01) अनुसंधान			
मू.	16,05.31		
अ.	9.50		
पु.	- 2,36.51		
	13,78.30	13,76.65	- 1.65

उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,20.26 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि समस्त तीनों शीर्षों के अन्तर्गत वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।

यद्यपि, उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 9,27.73 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन			
[03] निष्पादन			
मू.	2,02,42.30		
अ.	1,05.75		
पु.	- 16,25.15		
	1,87,22.90	1,87,22.13	- 0.77

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(01) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
विभिन्न विभागों के लिए			
[01] विशेष एवं सामान्य मरम्मत			
मू.	52,10.50		
अ.	26.27	50,66.72	50,66.10
पु.	- 1,70.05		- 0.62

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,32.02 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।

यद्यपि, उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 17,95.20 लाख की प्रत्याशित बचत रही, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

80. सामान्य			
052. मशीनरी तथा उपस्कर			
(01) मशीनों का संधारण			
[02] जीर्णोद्धार एवं ढुलाई व्यय			
मू.	14,57.01		
पु.	- 1,37.03	13,19.98	13,19.67
			- 0.31

31 मार्च 2015 को ₹ 1,37.03 लाख का प्रावधान मुख्यतः मजदूरी पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(02) शिक्षा विभाग			
[02] माध्यमिक शिक्षा			
मू.	3,75.00		
पु.	- 2,23.84	1,51.16	1,51.51
			+ 0.35

31 मार्च 2015 को ₹ 2,23.84 लाख का प्रावधान मुख्यतः रखरखाव तथा मरम्मत पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(04) पंजीयक, राजस्व मंडल			
मू.	5,00.00		
पु.	- 3,99.75	1,00.25	1,00.25
			..

₹ 5,00.00 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जिला राजस्व कार्यालय भवन की मरम्मत हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का कम उपयोग करने के कारण ₹ 3,99.75 लाख की प्रत्याशित बचत 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित की गयी।

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(10) आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग			
मू.	1,07.57		
अ.	51.98	28.30	18.64
पु.	- 1,31.25		- 9.66

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 51.98 लाख का प्रावधान भवनों के रखरखाव तथा मरम्मत के लिए मांग में वृद्धि के कारण लिया गया जो कि शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था। यद्यपि, ₹ 1,31.25 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारण कार्यों के प्रारम्भ होने में देरी के कारण 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किया गया।

₹ 9.66 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

80. सामान्य
053. रखरखाव तथा मरम्मत
(21) कार्मिक विभाग, सचिवालय

मू.	5,00.00			
अ.	4,28.00	6,16.46	6,17.45	+ 0.99
पु.	- 3,11.54			

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 4,28.00 लाख का प्रावधान भवनों के रखरखाव तथा मरम्मत के लिए मांग में वृद्धि के कारण लिया गया जो कि शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था। यद्यपि, ₹ 3,11.54 लाख का प्रावधान 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किया गया, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

80. सामान्य
053. रखरखाव तथा मरम्मत
(22) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

मू.	1,50.00			
अ.	93.73	56.27	56.27	..
पु.	- 93.73			

31 मार्च 2015 को ₹ 93.73 लाख का प्रावधान मुख्यतः रखरखाव तथा मरम्मत पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

80. सामान्य
799. उच्च
(03) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम
[01] प्रभार

मू.	1,50.00			
अ.	1,50.00
पु.	- 1,50.00			

31 मार्च 2015 को ₹ 1,50.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

3. उच्च - लघु शीर्ष "उच्च" में अंतरिम लेन-देन के रूप की वे प्राप्तियां और संवितरण सम्मिलित हैं। यद्यपि, उनको अंतिम रूप देने और लेखांकित करने के पूर्व आगे भुगतान अथवा मूल्य का समायोजन आवश्यक है। तदनुसार, "उच्च" में राशि वर्षानुवर्ष अग्रनीत की जाती है।

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

लोक निर्माण कार्यों के लेखों में उचन्त के तीन उप-भाग हैं, यथा (i) स्टॉक, (ii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम तथा (iii) वर्कशाप उचन्त, जैसा नीचे स्पष्ट किया गया है :-

(i) **स्टॉक** - इस शीर्ष में किसी विशेष निर्माण कार्य हेतु नहीं अपितु खण्ड में सामान्य उपयोग हेतु जो सामग्रियां प्राप्त की जाती हैं, का मूल्य लेखांकित किया जाता है। विशेष कार्यों पर प्रयोग के लिए जारी की गयी या बेची गयी अथवा अन्य खण्डों को स्थानान्तरित सामग्रियों का मूल्य, अन्तरण द्वारा इस उपभाग के अन्तर्गत लेखों से हटाया जाता है। प्राप्त सामग्रियों के मूल्य जिसका, उसी माह में भुगतान नहीं किया गया हो, का अभिलेख रखने के लिये अब एक ब्यौरेवार शीर्ष "खरीद" भी परिचालित किया गया है। अतः स्टॉक उप-भाग में रखी गयी सामग्रियों का पुस्तक मूल्य (बाजार मूल्यों से पृथक) और विनिर्माण से संबंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, जो इस उप भाग को प्रभारित किये गये हों, में से अभी भुगतान किये जाने वाले या समायोजित किये जाने वाले सामान का मूल्य घटाकर, रहे शेष दर्शाता है।

(ii) **विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम** - इस शीर्ष के अंतर्गत उधार बेची गयी सामग्री का मूल्य जमा निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा से अधिक किया गया व्यय, खोई गयी नकद राशि, अपलिखित न की गयी रोकड़, भण्डार सामग्रियों में हानियां तथा सरकारी कर्मचारियों आदि से वसूली योग्य राशियां लेखा बद्ध की जाती हैं। शेष वसूली योग्य राशि का द्योतक है।

(iii) **वर्कशाप उचन्त** -सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्कशापों में निष्पादित कार्यों अथवा अन्य संकायों के प्रभार, उनकी वसूली या समायोजन होने तक, इस उप शीर्ष में पुस्तांकित किये जाते हैं।

2014-15 में इस अनुदान में "उचन्त" लेन देनों का विश्लेषण "उचन्त" के विभिन्न उप-शीर्षों के अधीन प्रारम्भिक तथा अन्त शेष सहित दिया गया है :-

"उचन्त" लघु शीर्ष का उपभाग	प्रारम्भिक शेष नामे (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामे (+) जमा (-)
(₹ लाख में)				
स्टॉक	(+) 4,59.92	..	2.56	(+) 4,57.36
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 2,34.79	..	1.01	(+) 2,33.78
योग	(+) 6,94.71	..	3.57	(+) 6,91.14

पूँजी

दत्तमत

- ₹ 6,88,03.68 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए ₹ 6,98,21.37 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 22,32.95 लाख, ₹ 1,09,80.48 लाख, ₹ 1,35,71.66 लाख, ₹ 2,77,73.48 लाख तथा ₹ 6,88,03.68 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के कुल बजट की 14.50 प्रतिशत से 49.23 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः निर्माण कार्यों के मूल अनुमान से धीमी प्रगति/कम निष्पादन होने के कारण बतायी गयी।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 211. पुलिस आवास (02) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से [90] निर्माण कार्य			
मू.	25,29.34	16,40.45	+ 7.27
पु.	- 8,88.89		

31 मार्च 2015 को ₹ 8,88.89 लाख का प्रावधान मुख्यतः निर्माण कार्यों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

₹ 7.27 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रतिशतता व्यय (सामान्य क्षेत्र)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू. 34,85.71	22,35.75	22,24.27	- 11.48
पु. - 12,49.96			
₹ 12,49.96 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 11.48 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रतिशतता व्यय (सामान्य क्षेत्र)			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू. 13,07.09	8,38.41	8,34.10	- 4.31
पु. - 4,68.68			
₹ 4,68.68 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 4.31 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[01] नवीन उच्च न्यायालय भवन, जोधपुर (आर.एस.आर.डी.सी. के माध्यम से)			
मू. 75,52.00	38,50.00	38,50.00	..
पु. - 37,02.00			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[02] राजस्थान न्यायिक अकादमी भवन, जोधपुर (आर. एस. आर. डी. सी. के माध्यम से)			
मू. 4,98.87	2,00.00	2,00.00	..
पु. - 2,98.87			
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 40,00.87 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[03] अन्य न्यायिक भवन			
मू. 83,13.42	44,04.85	43,96.88	- 7.97
पु. - 39,08.57			

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[04] ग्राम न्यायालय			
मू.	3,35.08		
पु.	- 2,84.28	50.80	58.76
			+ 7.96
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(04) सामान्य भवन (जेल)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	54,88.50		
पु.	- 35,90.05	18,98.45	19,00.36
			+ 1.91
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(04) सामान्य भवन (जेल)			
[03] तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत बनने वाले भवन			
मू.	6,01.85		
पु.	- 1,25.35	4,76.50	4,76.96
			+ 0.46
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(05) सामान्य भवन (पुलिस प्रशासनिक भवन)			
[02] गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग			
मू.	5,36.71		
पु.	- 5,35.03	1.68	1.68
			..

उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 84,43.28 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

शीर्ष "4059-80-051(03) [03] तथा 4059-80-051(03) [04] " के अंतर्गत क्रमशः ₹ 7.97 लाख की अंतिम बचत तथा ₹ 7.96 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

80. सामान्य
051. निर्माण
(06) सामान्य भवन (पुलिस आधुनिकीकरण
योजना के तहत बनने वाले भवन)

मू.	51,76.99		
पु.	- 40,91.99	10,85.00	10,85.00
			..

31 मार्च 2015 को ₹ 40,91.99 लाख का प्रावधान मुख्यतः लोक निर्माण विभाग पर कार्यभार की अधिकता के कारण निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 80. सामान्य 051. निर्माण (07) सामान्य भवन (सहकारिता विभाग) [01] मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से	मू. 4,24.25 पु. - 4,24.25
31 मार्च 2015 को ₹ 4,24.25 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
80. सामान्य 051. निर्माण (13) सामान्य भवन (स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग)	मू. 9,57.50 पु. - 5,03.01	4,54.49	4,54.49 ..
80. सामान्य 051. निर्माण (31) सामान्य भवन (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)	मू. 12,03.85 पु. - 6,94.06	5,09.79	5,09.79 ..
80. सामान्य 051. निर्माण (36) कार्मिक (सचिवालय) विभाग के निर्माण कार्य	मू. 5,81.08 पु. - 2,06.12	3,74.96	3,74.96 ..
80. सामान्य 051. निर्माण (38) स्थानीय निकाय विभाग	मू. 3,00.00 पु. - 3,00.00
80. सामान्य 051. निर्माण (53) निदेशालय गौ सेवा	मू. 6,19.47 पु. - 6,19.47

उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 23,22.66 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
052. मशीनरी तथा उपस्कर			
(01) प्रतिशतता व्यय (सामान्य क्षेत्र)			
[92] औजार व संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू .	8,71.42		
पु .	- 3,12.48	5,58.94	5,56.07
			- 2.87
₹ 3,12.48 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015) ।			
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर			
पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(01) भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	14,05.03		
पु .	- 11,04.13	3,00.90	2,94.89
			- 6.01
31 मार्च 2015 को ₹ 11,04.13 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015) ।			
₹ 6.01 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015) ।			
01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(01) भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	7,92.19		
पु .	- 3,06.68	4,85.51	4,85.51
			..
31 मार्च 2015 को ₹ 3,06.68 लाख का प्रावधान नये भवन के निर्माण पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015) ।			
02. तकनीकी शिक्षा			
104. पोलिटेक्निक			
(01) भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	5,37.30		
पु .	- 1,57.90	3,79.40	3,80.55
			+ 1.15
31 मार्च 2015 को ₹ 1,57.90 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल और औषधालय			
(01) आयुर्वेदिक (इसमें फार्मसी शामिल है)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	2,44.25
पु.	- 2,44.25

31 मार्च 2015 को ₹ 2,44.25 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों के निष्पादन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल और औषधालय			
(05) एलोपैथी (निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	4,40.72	3,00.15	3,00.21
पु.	- 1,40.57		+ 0.06
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
001. निदेशन तथा प्रशासन (चिकित्सा शिक्षा)			
(01) चिकित्सा शिक्षा-भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	5,88.75	3,53.16	3,53.17
पु.	- 2,35.59		+ 0.01

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 3,76.16 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(02) चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	61,73.93	28,97.37	29,63.76
पु.	- 32,76.56		+ 66.39

31 मार्च 2015 को ₹ 32,76.56 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

₹ 66.39 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(02) चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	4,93.91		
		2,31.79	2,37.10
पु.	- 2,62.12		+ 5.31
31 मार्च 2015 को ₹ 2,62.12 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
₹ 5.31 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(02) चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	1,85.22		
		86.92	88.91
पु.	- 98.30		+ 1.99
31 मार्च 2015 को ₹ 98.30 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(03) चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	45,11.95		
		21,92.34	21,92.34
पु.	- 23,19.61		..
31 मार्च 2015 को ₹ 23,19.61 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(03) चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	3,60.95		
		1,75.39	1,75.39
पु.	- 1,85.56		..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,85.56 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(04) चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	9,04.96		
पु.	- 2,11.74		
	6,93.22	7,01.12	+ 7.90

31 मार्च 2015 को ₹ 2,11.74 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

₹ 7.90 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(06) चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	36,63.57		
पु.	- 23,92.58		
	12,70.99	12,70.99	..

31 मार्च 2015 को ₹ 23,92.58 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(06) चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	2,93.08		
पु.	- 1,91.40		
	1,01.68	1,01.68	..

31 मार्च 2015 को ₹ 1,91.40 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(11) नये चिकित्सा महाविद्यालय			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	3,68,20.00		
पु.	- 3,63,20.00		
	5,00.00	5,00.00	..

₹ 3,63,20.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य			
101. भवन			
(02) अन्य कार्य			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	2,58.75	1,43.18	1,43.18
पु.	- 1,15.57		
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(01) छात्रावास भवनों का निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	5,57.63	34.78	36.61
पु.	- 5,22.85		
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. समाज कल्याण			
102. बाल कल्याण			
(01) भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	9,95.58	6,68.48	6,68.44
पु.	- 3,27.10		
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(01) नाविक, सैनिकों तथा वैमानिकों का बोर्ड			
[01] युद्ध विधवा के लिये छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र भवन का निर्माण			
मू.	3,27.29	23.04	23.04
पु.	- 3,04.25		
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
203. रोजगार			
(02) प्रशिक्षण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	20,39.20	3,37.28	3,37.28
पु.	- 17,01.92		

उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 29,71.69 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
203. रोजगार			
(02) प्रशिक्षण			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	1,63.14		
पु.	- 1,36.16	26.98	26.98
			..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,36.16 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
4403. पशु-पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य			
(01) मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से-भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	17,69.91		
पु.	- 9,63.94	8,05.97	8,07.28
			+ 1.31
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य			
(03) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. XVI के अन्तर्गत पशु चिकित्सालय एवं डिस्पेन्सरियों हेतु भवन निर्माण (25:75)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	3,53.98		
पु.	- 1,55.01	1,98.97	1,97.69
			- 1.28
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य			
(05) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. XVI के अन्तर्गत पशु चिकित्सालय एवं डिस्पेन्सरियों का सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण (25:75)			
मू.	2,25.00		
पु.	- 1,07.74	1,17.26	1,18.48
			+ 1.22
4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
004. अनुसंधान तथा विकास			
(06) खनिज भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	10,16.66		
पु.	- 5,49.26	4,67.40	4,67.80
			+ 0.40

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(14) इण्डिया स्ट्रेंथनिंग स्टेटिस्टिकल प्रोजेक्ट			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	2,65.50		
		1,02.40	- 0.02
पु.	- 1,63.10		

उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 19,39.05 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(01) सामान्य भवन (भू-राजस्व)			
[01] मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	67,60.82		
		86,16.35	+ 29.57
पु.	18,55.53		

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18,55.53 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

₹ 29.57 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान			
105. एलोपैथीक			
(05) चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	24,52.65		
		54,06.42	- 0.01
पु.	29,53.77		

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 29,53.77 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 019 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
203. रोजगार			
(09) अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आई.टी.आई. के भवन निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	23,47.94		
पु.	6,82.04		
	30,29.98	30,29.98	..

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,82.04 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

5. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य को देखते हुए, प्रावधान की कमी अत्यधिक थी :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(02) सामान्य भवन (अन्य प्रशासनिक सेवाएं- सामान्य प्रशासनिक भवन)			
[01] मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	14,99.81		
पु.	- 2,38.36		
	12,61.45	19,74.01	+ 7,12.56

31 मार्च 2015 को ₹ 2,38.36 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 7,12.56 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 020 - आवास

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2216. आवास

पूंजी - 4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय और

6216. आवास के लिये कर्जे

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहरन्न में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	69,26,17	77,32,15	62,48,06	- 14,84,09
अनुपूरक	8,05,98			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				17,44,99
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				1
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	25,19,41	25,19,41	6,49,34	- 18,70,07
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				18,31,86
टिप्पणियां तथा टीकाएं:				

राजस्व

दत्तमत

1. मार्च 2015 को ₹ 8,05.98 लाख का अनुपूरक अनुदान मुख्यतः सरकारी रिहायशी भवनों की मरम्मत/रखरखाव तथा मजदूरी पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 14,84.09 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 17,44.99 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 020 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2216. आवास			
05. साधारण पूल आवास			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(01) सार्वजनिक निर्माण विभाग (सामान्य व्यय)			
[01] कार्य प्रभारित स्थापना			
मू.	14,54.55		
अ.	1,52.65	13,14.70	+ 0.01
पु.	- 2,92.50		

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,52.65 लाख का प्रावधान मजदूरी पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2015 को ₹ 2,92.50 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

05. साधारण पूल आवास			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(02) न्याय विभाग			
[02] अन्य रखरखाव व्यय			
मू.	4,60.00		
पु.	- 70.27	3,89.73	- 12.69

31 मार्च 2015 को ₹ 70.27 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 12.69 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

05. साधारण पूल आवास			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(03) संसदीय मामलात विभाग			
[02] अन्य रखरखाव			
मू.	2,17.36		
अ.	2,82.64	2,54.49	..
पु.	- 2,45.51		

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,82.64 लाख का प्रावधान मुख्यतः सरकारी रिहायशी भवनों की मरम्मत तथा संधारण पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2015 को ₹ 2,45.51 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा संधारण के लिये ₹ 1,50.00 लाख की स्वीकृति जारी नहीं किये जाने तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा पहले से जारी स्वीकृतियों के विरुद्ध निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

05. साधारण पूल आवास			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(07) राजस्व विभाग के रिहायशी भवन			
मू.	5,00.00		
पु.	- 4,59.47	40.53	40.53 ..

अनुदान संख्या 020 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2216. आवास			
05. साधारण पूल आवास			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(08) पुलिस विभाग के रिहायशी भवन			
मू.	16,00.00		
पु.	- 5,16.76	10,83.24	10,73.83
05. साधारण पूल आवास			- 9.41
800. अन्य व्यय			
(01) निर्माण			
[03] मुख्य मंत्री और मंत्रियों के बंगलों के लिए			
मू.	2,00.00		
अ.	2,00.00	3,11.34	3,24.03
पु.	- 88.66		+ 12.69

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 10,64.89 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने, शीर्ष "2216-05-053(08)" के अंतर्गत ₹ 9.41 लाख की अन्तिम बचत तथा शीर्ष "2216-05-800(01) [03]" के अंतर्गत ₹ 12.69 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2216. आवास			
05. साधारण पूल आवास			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(01) सार्वजनिक निर्माण विभाग (सामान्य व्यय)			
[11] मुख्य शीर्ष 2059- के स्थापना सम्बन्धी आनुपातिक व्यय			
मू.	0.01	0.01	2,60.54
			+ 2,60.53

₹ 2,60.53 लाख का अंतिम आधिक्य शीर्ष 2059 के अन्तर्गत हुए व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण था। आनुपातिक व्यय का समायोजन एक नियमित प्रक्रिया है और राज्य सरकार प्रति वर्ष इस शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधान करती है। 2014-15 के दौरान राज्य सरकार ने शीर्ष के अन्तर्गत केवल प्रतीक प्रावधान अनुमानित किया, जिसके परिणामतः अधिक व्यय प्रदर्शित हुआ।

अनुदान संख्या 020 - (समाप्त)

पूँजी

दत्तमत

1. ₹ 18,70.07 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 38.21 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4216. आवास पर पूँजीगत परिव्यय			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
106. साधारण पूल आवास			
(01) सामान्य आवासीय भवन			
[90] निर्माण कार्य (मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से)			
मू. 5,20.01	4,77.33	4,39.13	- 38.20
पु. - 42.68			
31 मार्च 2015 को ₹ 42.68 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 38.20 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
700. अन्य आवास			
(01) सामान्य आवासीय भवन (न्यायिक आवास)			
[90] निर्माण कार्य (मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से)			
मू. 14,42.66	56.99	57.00	+ 0.01
पु. - 13,85.67			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
700. अन्य आवास			
(01) सामान्य आवासीय भवन (न्यायिक आवास)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू. 1,15.42	4.56	4.56	..
पु. - 1,10.86			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
700. अन्य आवास			
(03) सामान्य आवासीय भवन (राजस्व विभाग के लिए)			
[90] निर्माण कार्य			
मू. 2,66.86	95.23	95.22	- 0.01
पु. - 1,71.63			

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 16,68.16 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015) ।

अनुदान संख्या 021 - सड़कें एवं पुल

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 3054. सड़क तथा सेतु

पूंजी - 4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,

4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर
पूंजीगत परिव्यय और

5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	17,21,39,03		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)		17,21,39,03	16,28,32,19
			- 93,06,84
प्रभारित			
मूल	1		
अनुपूरक	1,70,89		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)		1,70,90	1,69,28
			- 1,62
			1,63
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	32,81,25,28		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)		32,81,25,28	23,99,82,44
			- 8,81,42,84
			8,87,62,01
टिप्पणियां तथा टीकाएं:			

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 93,06.84 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 1,84,09.54 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
03. राजकीय राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(01) संधारण एवं जीर्णोद्धार			
[01] सड़कों का संधारण			
मू.	1,13,81.50		
पु.	- 1,24.93	1,12,56.57	1,12,56.06
			- 0.51
₹ 1,24.93 लाख की प्रत्याशित बचत रखरखाव कार्यों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
03. राजकीय राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(01) संधारण एवं जीर्णोद्धार			
[05] तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मरम्मत			
मू.	20,00.00		
पु.	- 10,13.12	9,86.88	9,86.88
			..
31 मार्च 2015 को ₹ 10,13.12 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
03. राजकीय राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(01) संधारण एवं जीर्णोद्धार			
[06] परिणाम एवं निष्पादन आधारित सड़क मरम्मत अनुबन्ध (ओ.पी.आर.सी.)			
मू.	20,00.00		
पु.	- 20,00.00
			..
31 मार्च 2015 को ₹ 20,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
03. राजकीय राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(02) संधारण एवं जीर्णोद्धार (राष्ट्रीय उच्च मार्ग)			
[01] सड़कों का संधारण			
मू.	7,02.30		
पु.	- 2,15.49	4,86.81	4,86.80
			- 0.01
₹ 2,15.49 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(02) ग्रामीण सड़कें			
[07] परिणाम एवं निष्पादन आधारित सड़क मरम्मत अनुबन्ध (ओ.पी.आर.सी.)			
मू.	60,00.00
पु.	- 60,00.00
31 मार्च 2015 को ₹ 60,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(02) ग्रामीण सड़कें			
[03] तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मरम्मत			
मू.	3,79,00.00	4,03,98.48	4,03,98.16
पु.	24,98.48	..	- 0.32
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 24,98.48 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रदर्शित आनुपातिक व्यय			
[01] स्थापना			
मू.	0.01	..	38,07.22
पु.	- 0.01	..	+ 38,07.22
₹ 38,07.22 लाख का अन्तिम आधिक्य शीर्ष 2059 के अन्तर्गत हुए व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण रहा। आनुपातिक व्यय का समायोजन एक सतत् प्रक्रिया है एवं इस शीर्ष के अन्तर्गत राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष प्रावधान करती है। 2014-15 के दौरान, राज्य सरकार ने शीर्ष के अन्तर्गत केवल प्रतीक प्रावधान अनुमानित किया जिसके परिणामस्वरूप आधिक्य व्यय प्रदर्शित हुआ।			

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(02) राज्य सड़क विकास निधि को अन्तरण			
मू.	2,40,00.00	2,80,00.00	2,80,00.00
पु.	40,00.00		..

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 40,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर प्राप्त बड़े हुए उपकरण की राशि राज्य सड़क विकास निधि को अन्तरण करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

80. सामान्य				
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण				
(03) केन्द्रीय सड़क निधि को अन्तरण				
(100% केन्द्र)				
मू.	2,28,17.00	2,46,56.20	2,86,44.40	+ 39,88.20
पु.	18,39.20			

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18,39.20 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से प्राप्त राशि को केन्द्रीय सड़क निधि को अन्तरण करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 39,88.20 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

4. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य को देखते हुए, प्रावधान में कमी अत्यधिक थी:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(01) सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से			
(100% केन्द्र)			
[01] संधारण एवं जीर्णोद्धार			
मू.	3,34,89.54	2,10,40.38	2,23,28.54
पु.	- 1,24,49.16		+ 12,88.16

₹ 3,34,89.54 लाख का प्रावधान गत वर्षों के व्यय के रूझान के अनुसार अनुमानित था क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों पर व्यय सीधे ही सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा किया गया जिसके लिए स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी की गयी। सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा बताया गया वास्तविक व्यय अनुमान से कम था जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2015 को ₹ 1,24,49.16 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 40,35.20 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 84,13.96 लाख) किया गया।

यद्यपि, वास्तविक व्यय अनुमान से अधिक हुआ जिसके परिणामस्वरूप शीर्ष के अंतर्गत ₹ 12,88.16 लाख का अधिक व्यय हुआ, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

6. **केन्द्रीय सड़क निधि से सहायता:-** मोटर स्प्रिट पर उत्पाद एवं आयात शुल्कों से प्राप्त राजस्व का एक भाग भारत सरकार द्वारा गठित 'केन्द्रीय सड़क निधि' में जमा किया जाता है। उस निधि से राज्यों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास योजनाओं पर व्यय करने के लिए कुल जमाओं का 80 प्रतिशत अर्थ सहाय्य प्रदान किया जाता है। अर्थ सहाय्य के रूप में प्राप्त राशि केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदानों के रूप में लेखों में जमा की जाती है तथा इसलिए इन अनुदानों में किये गये प्रावधान में से लोक लेखे के अंतर्गत निक्षेप शीर्ष 'केन्द्रीय सड़क निधि' में अन्तर्गत कर दी जाती है।

प्रति वर्ष इस अनुदान के अंतर्गत पुस्तांकित किया गया व्यय, सरकार द्वारा निर्णित सीमा तक, इस अनुदान के अंतर्गत व्यय में से कम करके निक्षेप शीर्ष में से राशि के अंतरण द्वारा पूरित किया जाता है। वर्ष के दौरान ₹ 2,86,44.40 लाख का अर्थ सहाय्य प्राप्त हुआ। वर्ष के दौरान अनुमोदित योजनाओं पर ₹ 1,94,42.22 लाख व्यय हुए।

31 मार्च 2015 को निक्षेप शीर्ष में ₹ 1,07,41.03 लाख का शेष था।

2014-15 के दौरान निक्षेप शीर्ष के लेन-देन का लेखा वित्त लेखे 2014-15 के विवरण संख्या 21 तथा 22 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष "8449" में दर्शाया गया है।

पूँजी

दत्तमत

- ₹ 8,81,42.84 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 8,87,62.01 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय 200. अन्य ग्राम उद्योग (03) नमक क्षेत्रों में सड़क निर्माण [90] निर्माण कार्य			
मू.	2,13.10	6.58	6.58
पु.	- 2,06.52		..
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें 337. सड़क निर्माण कार्य (03) सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से			
मू.	50,33.82	42,87.80	43,14.13
पु.	- 7,46.02		+ 26.33

₹ 2,13.10 लाख का प्रावधान नमक क्षेत्रों में सड़कों, बिजली, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, 31 मार्च 2015 को ₹ 2,06.52 लाख (i) योजनाओं की स्वीकृति देरी से प्राप्त हुई क्योंकि संसद चुनाव के कारण राज्य बजट (परिवर्तित बजट) जुलाई 2014 में पारित हुआ। इसके बाद स्टॉफ एवं मशीनरियों के नगर निगमों/स्थानीय निकायों के चुनावों में व्यस्त रहने, (ii) नगरपालिका मण्डल, नावा द्वारा योजना के विरोध के कारण जोधपुर साल्ट नक्ता साल्ट तक सड़क कार्य शुरू नहीं होने तथा (iii) आहू से अजमेर खाखाड़ी सड़क तक 6 किमी. सड़क के निर्माण के लिए स्वीकृति (दिनांक 03-02-2015) देरी से प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 50,33.82 लाख का प्रावधान गत वर्षों के व्यय के रूझान के अनुसार अनुमानित किया गया था क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों पर व्यय सीधे ही सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा किया गया जिसके लिए स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी की गयी। यद्यपि, सीमावर्ती विकास सड़क मण्डल द्वारा बताया गया वास्तविक व्यय अनुमान से कम था जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2015 को ₹ 7,46.02 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

यद्यपि, वास्तविक व्यय अनुमान से अधिक हुआ जिसके परिणामस्वरूप शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 26.33 लाख का अधिक व्यय हुआ, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(01) निर्माण			
मू.	1,74,72.57	1,16,14.43	1,16,14.43
पु.	- 58,58.14		
31 मार्च 2015 को ₹ 58,58.14 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(07) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	1,16,05.31	1,01,31.75	1,01,31.75
पु.	- 14,73.56		
31 मार्च 2015 को ₹ 14,73.56 लाख का प्रावधान कार्यों के निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(07) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	9,28.42	95.64	95.64
पु.	- 8,32.78		
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(07) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[92] औजार व संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	2,32.11	23.91	23.91
पु.	- 2,08.20		
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(07) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	3,48.16	35.87	35.87
पु.	- 3,12.29		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 13,53.27 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(10) निजी जनसहभागिता (पी.पी.पी.) से सड़कों का निर्माण			
मू.	2,21,23.89	4,60.75	4,60.75
पु.	- 2,16,63.14		
31 मार्च 2015 को ₹ 2,16,63.14 लाख का प्रावधान कार्यों के निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(06) शहरी सड़कें			
मू.	36,47.79	23,32.39	23,32.39
पु.	- 13,15.40		
31 मार्च 2015 को ₹ 13,15.40 लाख का प्रावधान कार्यों के निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[15] सड़क उन्नयन परियोजना (नवदशम्)			
मू.	2,69,73.45	2,24,19.11	2,24,19.12
पु.	- 45,54.34		
31 मार्च 2015 को ₹ 13,15.40 लाख का प्रावधान कार्यों के निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[16] सड़क उन्नयन परियोजना (विंशतित्म)			
मू.	1,25,44.25	14,20.49	14,76.97
पु.	- 1,11,23.76		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 1,56,78.10 लाख का प्रावधान कार्यों के निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
शीर्ष "5054-04-800(11) [16]" के अंतर्गत ₹ 56.48 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(14) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	29,85.84	18,32.15	18,32.15
पु.	- 11,53.69		
31 मार्च 2015 को ₹ 11,53.69 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(14) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	2,38.86		
पु.	- 1,26.05	1,12.81	1,12.81
			..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,26.05 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(18) तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान			
मू.	11,39.93		
पु.	- 2,68.44	8,71.49	8,71.49
			..
31 मार्च 2015 को ₹ 2,68.44 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(19) पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अंशदान (प्राइवेट)			
मू.	5,00.00		
पु.	- 5,00.00
			..
31 मार्च 2015 को ₹ 5,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(21) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना			
[01] ग्रामीण सम्पर्क सड़कें			
मू.	4,42,47.79		
पु.	- 55,40.53	3,87,07.26	3,90,61.20
			+ 3,53.94
31 मार्च 2015 को ₹ 55,40.53 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
₹ 3,53.94 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(21) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय			
मू.	35,45.48		
पु.	- 4,48.13	30,97.35	31,25.66
			+ 28.31

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(21) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना			
[92] औजार एवं संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय			
मू.	8,86.38	7,74.34	7,81.42
पु.	- 1,12.04		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(21) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना			
[93] सड़क एवं सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय			
मू.	13,29.55	11,61.51	11,72.12
पु.	- 1,68.04		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 7,28.21 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 46.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(22) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें			
[01] ग्रामीण सड़कें			
मू.	9,31,00.00	4,05,66.00	4,05,66.00
पु.	- 5,25,34.00		
₹ 5,25,34.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
05. सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(01) अन्तर्राज्यीय सड़कों का निर्माण			
मू.	12,00.00	9,33.50	9,33.49
पु.	- 2,66.50		
31 मार्च 2015 को ₹ 2,66.50 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रतिशतता व्यय			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	1,03,15.84	82,90.80	83,04.50
पु.	- 20,25.04		

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रतिशतता व्यय			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	38,68.45		
		31,09.05	+ 5.14
पु.	- 7,59.40	31,14.19	

उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 27,84.44 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत ₹ 18.84 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(01) मशीनें और उपकरण			
[92] औजार तथा संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय			
मू.	25,78.95		
		20,72.70	+ 3.43
पु.	- 5,06.25	20,76.13	

31 मार्च 2015 को ₹ 5,06.25 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(04) सड़कों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु प्रावधान			
मू.	63,29.65		
		1,06,90.31	+ 1,15.13
पु.	43,60.66	1,08,05.44	

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 43,60.66 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 1,15.13 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(05) केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें			
मू.	1,56,75.25	1,62,02.48	1,62,02.48
पु.	5,27.23		
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,27.23 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(09) तेरहवें वित्त आयोग के तहत सड़क निर्माण			
मू.	11,39.93	19,62.70	19,62.70
पु.	8,22.77		
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,22.77 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(02) अन्य सड़क निर्माण कार्यक्रम			
[01] ग्रामीण सड़कें			
मू.	2,43,18.58	3,58,35.71	3,58,35.69
पु.	1,15,17.13		
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,15,17.13 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[12] सड़क उन्नयन परियोजना (षष्टदशम्)			
मू.	24,98.71	30,64.40	30,64.38
पु.	5,65.69		
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,14.79 लाख की अतिरिक्त निधियां नाबार्ड से निधियां अधिक प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[14] मिसिंग लिंक परियोजना-II (अष्टदशम्)			
मू.	57,07.35	64,56.45	64,56.43
पु.	7,49.10		

अनुदान संख्या 022 - क्षेत्र का विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम और
 2705. कमान क्षेत्र विकास
 पूंजी - 4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय और
 4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	24,10,89	24,10,89	18,13,16	- 5,97,73
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				5,97,73
प्रभारित				
मूल	4	4	..	- 4
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				4
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	3,48,13,13	3,48,13,14	2,57,67,75	- 90,45,39
अनुपूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				90,32,32
प्रभारित				
मूल	1,35	1,35	1,33	- 2
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				2

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2705. कमान क्षेत्र विकास				
107. गंग नहर परियोजना				
(01) आयुक्त क्षेत्रीय विकास के माध्यम से				
[01] निदेशन एवं प्रशासन				
मू.	8,74.18	5,25.30	5,25.30	..
पु.	- 3,48.88			

₹ 3,48.88 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 022 - (क्रमशः)

पूँजी

दत्तमत

1. वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 22,69.65 लाख, ₹ 52,28.09 लाख, ₹ 20,83.90 लाख, ₹ 1,02,24.32 लाख तथा ₹ 90,45.39 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 7.88 प्रतिशत से 25.98 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत का एक कारण आयोजना सीमा में कमी था।

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
06. सीमा क्षेत्र विकास (केन्द्रीय सहायता)			
800. अन्य व्यय			
[01] जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	1,05,10.30	70,74.80	70,74.80
पु.	- 34,35.50		
31 मार्च 2015 को ₹ 34,35.50 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 34,07.49 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 28.01 लाख) किया गया।			
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय			
102. चम्बल क्षेत्र का विकास			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[01] भूमि विकास			
मू.	21,56.77	10,23.36	10,23.35
पु.	- 11,33.41		
₹ 21,56.77 लाख का प्रावधान खेतों के विकास कार्यों के लिये 9000 हेक्टेयर क्षेत्रों में नालों के निर्माण, खेतों की दीवारों को फिर से संगठित करने तथा भूमि को आकार देने/समतल करने के लिये अनुमानित किया गया था। यद्यपि, शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 11,33.41 लाख की प्रत्याशित बचत जो कि (i) भारत सरकार द्वारा जून 2014 में XII प्लान में परिवर्तन करने के कारण समय पर निर्माण कार्यों के निष्पादन नहीं होने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति देरी से प्राप्त होने तथा तदनुसार निविदायें देरी से जारी करने, (ii) कुछ कार्मिकों द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेने के बाद वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय तथा 26 कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों के रिक्त रहने तथा (iii) मशीनों के कम संचालन के परिणामस्वरूप डीजल आयल तथा संधारण पर कम व्यय के कारण थी।			
103. भाखरा और गंग क्षेत्र का विकास			
(03) अमर सिंह जस्साना डिस्ट्रीब्यूटरी			
[02] अमर सिंह जस्साना परियोजना			
मू.	1,00.03	13.43	13.43
पु.	- 86.60		
31 मार्च 2015 को ₹ 86.60 लाख का प्रावधान नवम्बर 2014 से जनवरी 2015 के दौरान विभाग में सीमेन्ट की उपलब्धता नहीं होने के परिणामतः फार्म पर विकास कार्यों के निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
106. बीसलपुर क्षेत्र का विकास			
(01) विकास आयुक्त कम क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[01] मुख्यालय			
मू.	5,75.75	4,40.24	4,40.22
पु.	- 1,35.51		
₹ 1,35.51 लाख की प्रत्याशित बचत 123 स्वीकृत पदों में से 46 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 022 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
106. बीसलपुर क्षेत्र का विकास			
(01) विकास आयुक्त कम क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[02] भूमि विकास कार्य			
मू.	13,43.43		
पु.	- 9,11.06	4,32.37	4,17.29
			- 15.08

₹ 13,43.43 लाख का प्रावधान 12000 हैक्टेयर क्षेत्र में पक्के खालों के निर्माण कार्य हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2015 को ₹ 9,11.06 लाख का प्रावधान (i) निर्माण कार्य केवल 2163 हैक्टेयर क्षेत्र में निष्पादित हुआ क्योंकि कार्य वर्ष में केवल चार महिनो में ही किया गया तथा पक्के खालों का निर्माण कार्य किसानों के साथ विवाद के कारण बाधित हुआ तथा (ii) 27 स्वीकृत पदों में से 18 कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 15.08 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

107. गंग नहर परियोजना

(01) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास
(इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर) के माध्यम से

[01] भूमि विकास कार्य (गंग नहर परियोजना क्षेत्र से)

मू.	62,41.84			
अ.	0.01	46,98.92	47,00.25	+ 1.33
पु.	- 15,42.93			

₹ 15,42.93 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

108. भाखरा सिंचाई परियोजना

(01) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा
गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर के माध्यम से

[01] भूमि विकास कार्य (भाखरा सिंचाई परियोजना)

मू.	16,82.00			
पु.	- 16,82.00

31 मार्च 2015 को ₹ 16,82.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

3. मण्डी विकास निधि - चम्बल सिंचाई परियोजना द्वारा सिंचित अथवा इससे लाभान्वित क्षेत्र की मण्डियों का तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए 1965-66 में मण्डी विकास निधि स्थापित की गयी थी।

इस निधि में जो कि एक ब्याज रहित रिजर्व है, मण्डियों में भूमि के अनुमानित विक्रय मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर राजस्व से वार्षिक अंशदानों से राशि आती है।

वर्ष 2014-15 के दौरान निधि में कोई अंशदान नहीं किया गया। वर्ष के दौरान मण्डियों के विकास पर व्यय नहीं किया गया। 31 मार्च 2015 को निधि में जमा शेष ₹ 3.12 लाख था जो कि वर्ष 2014-15 के वित्त लेखे के विवरण संख्या 22 में दिखाया गया है।

अनुदान संख्या 023 - श्रम तथा रोजगार

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2230. श्रम तथा रोजगार और
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
पूंजी - 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	4,07,67,53	4,83,19,47	- 12,60,71
अनुपूरक	75,51,94		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			12,59,40
प्रभारित			
मूल	4	4	- 4
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			4

पूंजी

दत्तमत			
मूल	4,42,01	4,42,01	- 2,87,68
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			2,87,68

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 12,60.71 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 75,51.94 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम तथा रोजगार			
01. श्रम			
101. औद्योगिक सम्बन्ध			
(02) चलिष्णु औद्योगिक न्यायालय			
मू.	5,81.53	4,94.42	..
अ.	1.00		
पु.	- 88.11		

31 मार्च 2015 को ₹ 88.11 लाख का प्रावधान मुख्यतः माननीय न्यायाधीशों के पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 023 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम तथा रोजगार			
01. श्रम			
103. सामान्य श्रम कल्याण			
(01) श्रमिक कल्याण केन्द्र			
मू.	2,42.45		
अ.	0.35	1,63.37	1,63.36
पु.	- 79.43		- 0.01
₹ 79.43 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधिकारियों / कर्मचारियों को ए.सी.पी. के बकाया का भुगतान नहीं करने को आरोपित की गई।			
02. रोजगार सेवाएं			
101. रोजगार सेवाएं			
(01) सामान्य कार्यालय			
मू.	9,53.50		
अ.	99.08	9,05.45	9,05.04
पु.	- 1,47.13		- 0.41
मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 99.08 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।			
₹ 1,47.13 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, कुछ कर्मचारियों की मृत्यु तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने, (ii) सलेक्शन ग्रेड तथा ए.सी.पी. देने के मामले विचाराधीन होने तथा (iii) रोजगार मेलों के कम आयोजन के कारण 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित की गई।			
02. रोजगार सेवाएं			
800. अन्य व्यय			
(09) राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना-2012			
[01] बेरोजगारी भत्ता			
मू.	23,87.00		
पु.	- 3,69.59	20,17.41	20,16.66
31 मार्च 2015 को ₹ 3,69.59 लाख का प्रावधान बेरोजगारी भत्ते के लिए लाभार्थियों से कम प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
03. प्रशिक्षण			
003. शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
(01) शिल्प प्रशिक्षण योजना			
मू.	83,55.30		
पु.	- 5,87.20	77,68.10	77,68.08
₹ 5,87.20 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 023 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम तथा रोजगार			
03. प्रशिक्षण			
101. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान			
(03) वॉकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट (वर्ल्ड बैंक सहायता अन्तर्गत)			
मू.	3,23.20	1,79.49	1,79.48
पु.	- 1,43.71		- 0.01
31 मार्च 2015 को ₹ 1,43.71 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा नये वोकेशनल प्रोजेक्ट के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के शुरू नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
108. शहरोन्मुखी रोजगार कार्यक्रम			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[01] प्रशासनिक व्यय			
मू.	1,89.34	1,13.77	1,13.76
पु.	- 75.57		- 0.01
31 मार्च 2015 को ₹ 75.57 लाख का प्रावधान वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
191. नगर निगम को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[01] विकास कार्य			
मू.	20,05.48	16,84.31	16,84.31
पु.	- 3,21.17		..
₹ 3,21.17 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[01] विकास कार्य			
मू.	23,92.90	19,62.48	19,62.48
पु.	- 4,30.42		..
₹ 4,30.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 023 - (क्रमशः)

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम तथा रोजगार			
01. श्रम			
103. सामान्य श्रम कल्याण			
(07) भवन एवं अन्य निर्माण श्रम कल्याण बोर्ड, राजस्थान			
मू.	1,75,00.00	2,51,95.36	2,51,95.36
अ.	74,44.05		
पु.	2,51.31		

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,51.31 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्त उपकर की वास्तविक राशि बोर्ड के खाते में हस्तांतरित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

01. श्रम
103. सामान्य श्रम कल्याण
(08) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

मू.	16,37.31	26,44.73	26,44.73
पु.	10,07.42		

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,07.42 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी क्योंकि केन्द्रीय हिस्से की राशि मूल प्रावधान में शामिल नहीं थी।

पूंजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
203. रोजगार			
(04) प्रशिक्षण			
[01] संयंत्र और उपकरण			
मू.	1,42.50	63.19	63.19
पु.	- 79.31		

31 मार्च 2015 को ₹ 79.31 लाख का प्रावधान (i) फर्मों द्वारा पूरे आदेश की आपूर्ति न करने, (ii) फर्मों द्वारा आपूर्ति किये गये उपकरणों को निरस्त किया गया क्योंकि सामग्री की विशिष्टता आपूर्ति आदेश के अनुसार नहीं थी तथा (iii) डी जी एस एण्ड डी संविदा दर पर सामग्री के उपलब्ध न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 023 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
203. रोजगार			
(07) वोकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (वर्ल्ड बैंक सहायता अंतर्गत)			
[01] संयंत्र और उपकरण			
मू.	2,99.50	91.14	91.14
पु.	- 2,08.36		..

31 मार्च 2015 को ₹ 2,08.36 लाख का प्रावधान (i) फर्मों द्वारा पूरे आर्डर की आपूर्ति न करने, (ii) फर्मों द्वारा आपूर्ति किये गये उपकरणों को निरस्त किया गया क्योंकि सामग्री की विशिष्टता आपूर्ति आदेश के अनुसार नहीं थी तथा (iii) डी जी एस एण्ड डी संविदा दरों पर सामग्री के उपलब्ध न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 024 - शिक्षा, कला एवं संस्कृति

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं,
 2202. सामान्य शिक्षा,
 2203. तकनीकी शिक्षा,
 2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं और
 2205. कला एवं संस्कृति
 पूंजी - 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय और
 6202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,93,18,57,29	1,93,18,57,38	1,65,70,32,02	- 27,48,25,36
अनुपूरक	9			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				27,45,93,07
प्रभारित				
मूल	13,31	44,81	43,89	-92
अनुपूरक	31,50			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				93
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	53,66,56	53,66,56	25,19,64	- 28,46,92
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				29,00,09

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 27,48,25.36 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 2,32.29 लाख अन्-अभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा				
01. प्रारम्भिक शिक्षा				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(01) सामान्य व्यय				
मू.	96,69.48	88,96.73	88,89.02	- 7.71
पु.	- 7,72.75			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

₹ 7,72.75 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) राज्य सरकार से खेल-कूद तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए स्वीकृति प्राप्त न होने, (iii) कम्प्यूटरीकरण के लिए स्वीकृति जारी करने में देरी तथा (iv) डी जी एस तथा डी से दर ठेका भौतिक नहीं होने को आरोपित की गई।

₹ 7.71 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(01) बालकों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय			
मू.	1,25,84.69	1,03,11.30	1,03,09.81
पु.	- 22,73.39		
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(02) बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय			
मू.	41,59.08	34,04.52	34,03.67
पु.	- 7,54.56		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को	₹ 30,27.95 लाख का प्रावधान मुख्यतः		
नहीं भरे जाने तथा पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।	तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पदों को		
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(03) बालकों के लिए प्राथमिक विद्यालय			
मू.	1,35,81.53	1,23,62.84	1,23,61.86
पु.	- 12,18.69		
₹ 12,18.69 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः	तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पदों को नहीं भरे जाने तथा पदों के रिक्त रहने को		
आरोपित की गई।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(05) प्राथमिक पाठशालायें (निदेशक, संस्कृत शिक्षा के माध्यम से)			
मू.	1,13,37.27	1,02,11.26	1,02,11.13
पु.	- 11,26.01		
₹ 11,26.01 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने के कारण	वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय तथा कर्मचारियों और		
अध्यापकों के वेतन एवम् भत्ते अन्य लेखा शीर्षों से आहरित किये जाने को आरोपित की गयी।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(06) सार्वजनिक पाठशालाएं			
मू.	11,54.09	10,50.86	10,50.86
पु.	- 1,03.23		
₹ 1,03.23 लाख की प्रत्याशित बचत वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय को	आरोपित की गई।		

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
109. छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन			
(05) अनुसूचित जाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति			
मू.	22,86.82	20,61.30	20,61.30
पु.	- 2,25.52		
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
109. छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन			
(06) अनुसूचित जनजाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति			
मू.	20,81.00	19,42.49	19,42.49
पु.	- 1,38.51		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 3,64.03 लाख का प्रावधान अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा मांग प्राप्ति के अनुरूप अभ्यर्पित की गयी।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
111. सर्व शिक्षा अभियान			
(01) शिक्षा गारन्टी स्कीम			
मू.	26,04,33.22	25,22,80.19	25,22,80.19
पु.	- 81,53.03		

₹ 81,53.03 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
196. जिला परिषद/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) निरीक्षण			
[01] स्थापना व्यय			
मू.	32,30.32	25,18.34	25,18.09
पु.	- 7,11.98		

₹ 7,11.98 लाख की प्रत्याशित बचत अधीनस्थ कार्यालयों से कम माँग प्राप्त होने तथा शिक्षण भ्रमण हेतु विद्यार्थियों से कम आवेदन पत्र प्राप्त होने को आरोपित की गई।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालक)			
[01] स्थापना व्यय			
मू.	31,31,51.84	25,38,81.90	25,38,54.86
पु.	- 5,92,69.94		

₹ 5,92,69.94 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पदों का नहीं भरे जाने, (ii) पदों के रिक्त रहने तथा (iii) दौरे तथा चिकित्सा पुर्नभरण के कम दावे प्राप्त होने के कारण 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित की गई।

₹ 27.04 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालिका)			
[01] स्थापना व्यय			
मू .	3,28,95.42	2,83,08.99	2,83,08.46
पु .	- 45,86.43		
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) प्राथमिक विद्यालय (बालक)			
[01] स्थापना व्यय			
मू .	3,96,02.33	2,56,16.42	2,56,12.00
पु .	- 1,39,85.91		
उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 1,85,72.34 लाख का प्रावधान मुख्यतः तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पदों को नहीं भरे जाने तथा पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) निरीक्षण			
[01] स्थापना व्यय			
मू .	97,77.05	78,91.43	78,89.55
पु .	- 18,85.62		
31 मार्च 2015 को ₹ 18,85.62 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने तथा किराये के वाहनों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) प्राथमिक विद्यालयों के लिए पंचायत समितियों को अनुदान			
मू .	29,60,00.00	29,56,56.49	29,56,56.00
पु .	- 3,43.51		
31 मार्च 2015 को ₹ 3,43.51 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा निधियां कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
800. अन्य व्यय			
(05) मदरसा स्कूल			
मू.	61,17.26	45,82.73	45,82.73
पु.	- 15,34.53		..

₹ 61,17.26 लाख का प्रावधान मदरसा स्कूलों के लिये पैरा टीचर्स को मानदेय हेतु, मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना तथा राजीव गाँधी विद्यार्थी डिजीटल योजना के लिए निधियां जारी करने के लिए अनुमानित किया गया था।

यद्यपि, 31 मार्च 2015 को ₹ 15,34.53 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) 3326 पदों में से उर्दू शिक्षा सहयोगी के छठे चरण के 739 पदों के रिक्त रहने के परिणामस्वरूप मानदेय का कम भुगतान होने, (ii) मैरिट सूची तथा काउन्सलिंग जारी करने की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण 2500 कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी को मानदेय का भुगतान नहीं होने, (iii) फर्नीचर, कम्प्यूटर इत्यादि की खरीद की कम स्वीकृति प्राप्त होने, (iv) राजीव गाँधी विद्यार्थी डिजीटल योजना के लागू नहीं होने तथा (v) मदरसों में गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु योजना (एस पी क्यू ई एम) के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
800. अन्य व्यय
(08) मदरसा बोर्ड

मू.	2,66.23	1,52.68	1,52.68	..
पु.	- 1,13.55			

31 मार्च 2015 को ₹ 1,13.55 लाख का प्रावधान बोर्ड में प्रतिनियुक्ति के लिए कार्मिक उपलब्ध नहीं होने के कारण विभिन्न संवर्गों में 16 पदों के रिक्त रहने तथा बोर्ड के चेयरमैन तथा सदस्यों इत्यादि के रिक्त पदों के कारण वेतन एवम् भत्तों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
800. अन्य व्यय
(14) शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों को पुर्नभरण-सामान्य व्यय

मू.	1,10,50.00	83,92.35	83,91.46	- 0.89
पु.	- 26,57.65			

31 मार्च 2015 को ₹ 26,57.65 लाख का प्रावधान शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों को योग्य विद्यार्थियों के प्रवेश पर फीस के पुनःभरण के अन्तर्गत भुगतान विद्यार्थियों के सत्यापन के आधार पर करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. माध्यमिक शिक्षा
001. निदेशन तथा प्रशासन
(01) सामान्य व्यय

मू.	43,47.28	33,16.08	33,08.99	- 7.09
पु.	- 10,31.20			

₹ 10,31.20 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 7.09 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
101. निरीक्षण			
(01) साधारण व्यय			
मू.	49,88.56	41,98.27	41,95.90
पु.	- 7,90.29		
31 मार्च 2015 को ₹ 7,90.29 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियाँ			
(02) अन्य संस्थान			
मू.	5,00.00	1,38.55	1,38.55
पु.	- 3,61.45		
31 मार्च 2015 को ₹ 3,61.45 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियाँ			
(07) अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ			
मू.	21,38.54	20,15.03	20,14.55
पु.	- 1,23.51		
31 मार्च 2015 को ₹ 1,23.51 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियाँ			
(11) अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति			
मू.	46,80.00	44,25.27	44,25.11
पु.	- 2,54.73		
31 मार्च 2015 को ₹ 2,54.73 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(01) लड़कों के विद्यालय			
मू.	48,22,63.98	42,86,71.46	42,85,46.78
पु.	- 5,35,92.52		
₹ 5,35,92.52 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 1,24.68 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा 02. माध्यमिक शिक्षा 109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय (02) बालिका विद्यालय	मू. 7,53,23.77 पु. - 1,40,97.28	6,12,26.49	6,12,18.21 - 8.28
₹ 1,40,97.28 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 8.28 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. माध्यमिक शिक्षा 109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय (05) विकलांग एकीकृत शिक्षा	मू. 4,60.27 पु. - 4,37.16	23.11	21.45 - 1.66
31 मार्च 2015 को ₹ 4,37.16 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. माध्यमिक शिक्षा 109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय (07) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान [01] माध्यमिक शिक्षा अभियान-सामान्य व्यय	मू. 9,00,52.96 अ. 0.01 पु. - 6,18,17.24	2,82,35.73	2,82,31.41 - 4.32
₹ 6,18,17.24 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. माध्यमिक शिक्षा 109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय (08) बालिका छात्रावास [01] बालिका छात्रावास-सामान्य व्यय	मू. 66,85.50 पु. - 48,15.10	18,70.40	18,70.40 ..
31 मार्च 2015 को ₹ 48,15.10 लाख का प्रावधान मुख्यतः भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा 109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय (09) मॉडल स्कूल [01] मॉडल स्कूल-सामान्य व्यय	मू. 2,06,05.60 पु. - 1,28,09.58	77,96.02	77,96.02 ..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,28,09.58 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(11) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल वितरण			
मू.	40,62.50	9,27.38	9,27.38
पु.	- 31,35.12		..
31 मार्च 2015 को ₹ 31,35.12 लाख का प्रावधान साइकिल वितरण के लिए निविदा में देरी के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(18) आई.सी.टी.			
मू.	36,25.00	13,19.61	13,19.61
पु.	- 23,05.39		..
31 मार्च 2015 को ₹ 23,05.39 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(19) माध्यमिक शिक्षा का कम्प्यूटराईजेशन			
मू.	1,91.06	4.49	4.49
पु.	- 1,86.57		..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,86.57 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(23) लैपटॉप वितरण			
मू.	49,41.68
पु.	- 49,41.68		..
31 मार्च 2015 को ₹ 49,41.68 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशालय			
मू.	12,06.44	10,77.77	10,77.76
पु.	- 1,28.67		- 0.01
₹ 1,28.67 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(01) राजस्थान विश्वविद्यालय को अनुदान			
मू.	75,00.01	67,80.00	67,80.00
पु.	- 7,20.01		
31 मार्च 2015 को ₹ 7,20.01 लाख का प्रावधान राजस्थान विश्वविद्यालय को कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(02) जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को अनुदान			
मू.	80,00.01	76,78.16	76,78.16
पु.	- 3,21.85		
31 मार्च 2015 को ₹ 3,21.85 लाख का प्रावधान जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(07) संस्कृत विश्वविद्यालय को अनुदान			
मू.	5,59.97	4,03.95	4,03.95
पु.	- 1,56.02		
31 मार्च 2015 को ₹ 1,56.02 लाख का प्रावधान मुख्यतः (ii) "पूँजीगत सम्पत्ति के सजुन हेतु अनुदानों" की सीमा में कटौति के परिणामस्वरूप सड़क तथा मंत्रणाप्रतिष्ठान भवन के निर्माण पर व्यय नहीं हुआ, (ii) विश्वविद्यालय की अधिक आय के कारण वेतन के लिए कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(09) बीकानेर विश्वविद्यालय को अनुदान			
मू.	2,39.41	1,19.65	1,19.65
पु.	- 1,19.76		
31 मार्च 2015 को ₹ 1,19.76 लाख का प्रावधान बीकानेर विश्वविद्यालय को कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालय को सहायता			
(12) मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर			
मू.	4,88.53	1,00.00	1,00.00
पु.	- 3,88.53		
31 मार्च 2015 को ₹ 3,88.53 लाख का प्रावधान मत्स्य विश्वविद्यालय को कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालय को सहायता			
(13) शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर			
मू.	4,18.00	1,75.67	1,75.67
पु.	- 2,42.33		
31 मार्च 2015 को ₹ 2,42.33 लाख का प्रावधान शेखावाटी विश्वविद्यालय को कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(15) सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर			
मू.	18,00.00	12,16.81	12,16.81
पु.	- 5,83.19		
31 मार्च 2015 को ₹ 5,83.19 लाख का प्रावधान सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय को कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालय को सहायता			
(16) डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर			
मू.	2,23.00	47.10	47.10
पु.	- 1,75.90		
31 मार्च 2015 को ₹ 1,75.90 लाख का प्रावधान डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय को कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(02) राजकीय महाविद्यालय (पुरुषों के लिए)			
मू.	5,43,72.93	5,17,71.44	5,17,79.13
पु.	- 26,01.49		
₹ 26,01.49 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) व्याख्याताओं/कार्मिकों के पदों के रिक्त रहने, (ii) पांच राजकीय कॉलेजों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति में देरी जिसके परिणामस्वरूप इन कॉलेजों में फर्नीचर का क्रय नहीं हुआ, (iii) "महिला योग्यता छात्रवृत्ति" के लिए कम आवेदन प्राप्त होना तथा (iv) राजकॉम्प द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में अंग्रेजी भाषा प्रयोगशाला तथा पुस्तकालयों का कम्प्यूटरीकरण हेतु स्वीकृति जारी नहीं करने को आरोपित की गई।			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(08) विधि महाविद्यालय			
मू.	10,19.58	5,32.79	5,32.79
पु.	- 4,86.79		
₹ 4,86.79 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(04) मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति			
मू.	27,00.00	16,43.94	16,43.94
पु.	- 10,56.06		..

31 मार्च 2015 को ₹ 10,56.06 लाख का प्रावधान *मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना* के अन्तर्गत कम आवेदन प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा

800. अन्य व्यय

(03) कॉलेज शिक्षा विभाग की नवाचार/नवीन योजनाएं

मू. 5,00.00

3,00.00

3,00.00

..

पु. - 2,00.00

₹ 2,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गई।

04. प्रौढ़ शिक्षा

200. अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

(01) निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा द्वारा

मू. 12,30.62

9,74.86

9,74.76

- 0.10

पु. - 2,55.76

₹ 2,55.76 लाख की प्रत्याशित विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 41 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

04. प्रौढ़ शिक्षा

200. अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

(02) साक्षर भारत अभियान

मू. 47,37.25

30,37.70

30,37.70

..

पु. - 16,99.55

31 मार्च 2015 को ₹ 16,99.55 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

04. प्रौढ़ शिक्षा

200. अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

(03) महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय का संचालन

मू. 8,13.50

4,70.12

4,70.12

..

पु. - 3,43.38

₹ 8,13.50 लाख का प्रावधान *लोक शिक्षा केन्द्र* जो ग्राम पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत है, में महात्मा गांधी पुस्तकालयों के संचालन के लिए प्रोत्साहनकर्ता तथा समाचार पत्रों/पत्रिकाओं को प्रोत्साहन देने हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, 31 मार्च 2015 को ₹ 3,43.38 लाख का प्रावधान *लोक शिक्षा केन्द्र* में कार्यरत प्रोत्साहनकर्ता का कार्य प्रमाण पत्र तथा ग्राम पंचायत से समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के बिल/वाउचर्स प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
05. भाषा विकास			
103. संस्कृत शिक्षा			
(03) संस्कृत विद्यालय			
मू.	1,26,32.17	1,17,09.11	1,16,94.79
पु.	- 9,23.06		
₹ 9,23.06 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्ते पर कम व्यय तथा कुछ कर्मचारियों और अध्यापकों के वेतन व भत्तों का अन्य लेखा शीर्षों से आहरण को आरोपित की गयी।			
₹ 14.32 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
80. सामान्य			
003. प्रशिक्षण			
(03) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण विद्यालय			
मू.	57,15.35	39,06.07	38,96.11
अ.	0.01		
पु.	- 18,09.29		
31 मार्च 2015 को ₹ 18,09.29 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) वैकल्पिक आठवीं बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों की कम संख्या तथा (iii) भारत सरकार से कार्यक्रम के अनुमोदन में देरी के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 9.96 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
80. सामान्य			
004. अनुसंधान			
(01) राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान			
मू.	8,27.18	7,19.33	7,19.30
पु.	- 1,07.85		
₹ 1,07.85 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
2203. तकनीकी शिक्षा			
104. अराजकीय तकनीकी कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
(04) माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाईल इन्स्टीट्यूट, भीलवाडा			
मू.	3,70.00	1,20.00	1,20.00
पु.	- 2,50.00		
104. अराजकीय तकनीकी कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
(06) अभियांत्रिकी कालेज, अजमेर			
मू.	3,21.31	79.00	79.00
पु.	- 2,42.31		

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2203. तकनीकी शिक्षा			
104. अराजकीय तकनीकी कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
(10) महिला अभियांत्रिकी कालेज, अजमेर			
मू.	2,36.00	59.00	59.00
पु.	- 1,77.00		..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 6,69.31 लाख का प्रावधान आवश्यकता के अनुसार अनुदानों के जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
105. बहुशिल्प (पॉलिटैक्निक) विद्यालय			
(02) केन्द्रीय सहायता के तहत बहुशिल्प (पॉलिटैक्निक) विद्यालय			
मू.	9,76.50	4,01.01	4,01.02 + 0.01
पु.	- 5,75.49		
31 मार्च 2015 को ₹ 5,75.49 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा भारत सरकार से प्राप्त निधियों के उपयोग हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
105. बहुशिल्प (पॉलिटैक्निक) विद्यालय			
(03) बहुशिल्प (पॉलिटैक्निक) विद्यालयों के लिए अन्य सेवाएं			
मू.	3,85.00	1,27.96	1,27.96
पु.	- 2,57.04		..
31 मार्च 2015 को ₹ 2,57.04 लाख का प्रावधान सेवानिवृत्त कार्मिकों को फेकल्टी के रूप में प्राथमिकता देने के सरकार के निर्णय के पश्चात् गेस्ट फेकल्टी की अनुमान से कम संख्या में उपलब्धता तथा 15 नये कॉलेज भवनों का निर्माण कार्य प्रगति अन्तर्गत होने के कारण पॉलिटैक्निक कॉलेजों में स्वच्छता तथा सुरक्षा पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
105. बहुशिल्प (पॉलिटैक्निक) विद्यालय			
(05) निदेशक, पॉलिटैक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास			
मू.	1,62.73	26.77	26.77
पु.	- 1,35.96		..
₹ 1,62.73 लाख का प्रावधान बेरोजगार व्यक्तियों के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराने हेतु अनुमानित किया गया था यद्यपि, आयोजना सीमा में कटौति के कारण शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 1,35.96 लाख की प्रत्याशित बचत रहीं जिसे 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किया गया।			
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
101. व्यायाम शिक्षा			
(02) खेल विभाग-विविध खेल कार्यक्रम			
मू.	16,07.69	10,20.74	10,20.74
पु.	- 5,86.95		..
31 मार्च 2015 को ₹ 5,86.95 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
101. व्यायाम शिक्षा			
(03) शारीरिक शिक्षा-विद्यालय			
मू.	6,16.58	5,03.77	5,03.78
पु.	- 1,12.81		
₹ 1,12.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम			
(01) नेशनल कैडेट कोर			
[01] बडी शाखाएं			
मू.	18,79.70	16,10.11	16,07.20
पु.	- 2,69.59		
₹ 2,69.59 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधीनस्थ कार्यालयों में पूर्व में स्वीकृत कार्यों के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों का निष्पादन नहीं होने तथा मानदेय का भुगतान नहीं होने को आरोपित की गई।			
102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम			
(02) नेशनल सर्विस स्कीम (5:7)			
[01] महाविद्यालय			
मू.	5,30.00	3,56.53	3,56.53
पु.	- 1,73.47		
31 मार्च 2015 को ₹ 1,73.47 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम			
(03) राजस्थान भारत स्काउट्स और गाइड्स को सहायतार्थ अनुदान			
मू.	13,55.10	8,05.96	8,05.96
पु.	- 5,49.14		
31 मार्च 2015 को ₹ 5,49.14 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) सत्रहवीं राष्ट्रीय स्काउट तथा गाइड जम्बूरी स्थगित होने जोकि जनवरी 2015 में जयपुर में होने वाली थी तथा (ii) संगठन में 33 प्रतिनियुक्ति पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
104. खेल-कूद			
(01) राजस्थान स्पोर्ट्स कोन्सिल को अनुदान			
मू.	23,27.92	19,43.75	19,43.75
पु.	- 3,84.17		
₹ 3,84.17 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
104. खेल-कूद			
(04) खेल विश्वविद्यालय, झुंझुनू			
मू.	1,76.85	5.00	5.00
पु.	- 1,71.85		
31 मार्च 2015 को ₹ 1,71.85 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2205. कला एवं संस्कृति			
102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(12) स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता			
मू.	2,50.00	1,50.00	1,50.00
पु.	- 1,00.00		..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,00.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(13) रविन्द्र मंच			
मू.	4,56.01	2,90.01	2,90.00
पु.	- 1,66.00		- 0.01
₹ 1,66.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
103. पुरातत्व विज्ञान			
(02) संग्रहालय एवं स्मारक			
मू.	12,19.56	6,29.66	6,29.66
अ.	0.01		..
पु.	- 5,89.91		..
₹ 5,89.91 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) स्वीकृति देरी से प्राप्त होने तथा निविदा में देरी के कारण भरतपुर (रानसांगा-पेनोरमा, बैर किला, वाटिका तथा सफेद महल) झालावाड़ (मऊबोरदा तथा दलहनपुर) तथा बूंदी (कमलेश्वर महादेव मंदिर) स्मारकों के रख-रखाव के लिए कार्यों का कम निष्पादन, (ii) पंडित दीनदयाल उपाध्याय संग्रहालय के विकास कार्य के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होना तथा (iii) राजकीय संग्रहालय, माउन्ट आबू के संरक्षण, पुनर्निर्माण तथा विकास पर कम व्यय को आरोपित की गई।			
103. पुरातत्व विज्ञान			
(03) एस.एम.एस. टाउन हॉल में अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना			
मू.	11,50.00
पु.	- 11,50.00		..
31 मार्च 2015 को ₹ 11,50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान सवाई मानसिंह टाउन हॉल में अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना के लिए पूर्व में जारी निधियों का उपयोग करने में असमर्थ होने के कारण वर्ष के दौरान आमेर विकास और प्रबन्धन प्राधिकरण को निधियां जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्राथमिक शिक्षा			
102. अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता			
(01) बालकों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय			
मू.	0.02	7,51.39	7,51.39
पु.	7,51.37		..
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 7,51.37 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा 02. माध्यमिक शिक्षा 109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय (20) गार्गी पुरस्कार	मू. 8,80.00 पु. 3,16.94	11,96.94	11,96.94 ..
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 3,16.94 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. माध्यमिक शिक्षा 110. अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता (02) अन्य विद्यालय	मू. 0.01 पु. 9,38.87	9,38.88	9,38.88 ..
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 9,38.87 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा 102. विश्वविद्यालयों को सहायता (03) सुखाड़िया विश्वविद्यालय को अनुदान	मू. 30,00.01 पु. 1,34.99	31,35.00	31,35.00 ..
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,34.99 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102. विश्वविद्यालय को सहायता (11) बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर	मू. 31.00 पु. 1,69.00	2,00.00	2,00.00 ..
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,69.00 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
03. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा 104. अराजकीय कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता (02) महाविद्यालय	मू. 50.02 पु. 8,54.83	9,04.85	9,04.85 ..
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 8,54.83 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा 05. भाषा विकास 103. संस्कृत शिक्षा (02) संस्कृत महाविद्यालय			
मू.	23,23.24	35,00.00	34,99.99
पु.	11,76.76		
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,76.76 लाख की अतिरिक्त निधियां न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में यू.जी.सी. वेतन श्रृंखला के बकायों का भुगतान तथा यू.जी.सी. वेतन श्रृंखला लागू करने के पश्चात वेतन तथा भत्तों में वृद्धि हेतु उपलब्ध कराई गई।			
2203. तकनीकी शिक्षा 105. बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) विद्यालय (01) साधारण व्यय			
मू.	91,71.95	98,17.58	98,17.57
पु.	6,45.63		
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 6,45.63 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
2205. कला एवं संस्कृति 102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन (15) राजस्थान पुरासम्पदा विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण			
मू.	13,00.00	15,72.00	15,72.00
पु.	2,72.00		
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 2,72.00 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

पूँजी

दत्तमत

- ₹ 28,46.92 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 29,00.09 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 02. तकनीकी शिक्षा 104. बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) (02) निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से			
मू.	18,12.92	4,01.87	4,01.87
पु.	- 14,11.05		

अनुदान संख्या 024 - (समाप्त)

31 मार्च 2015 को ₹ 14,11.05 लाख का प्रावधान (i) नये पॉलिटेक्निक कॉलेज के निर्माण हेतु कार्यों के कम निष्पादन, (ii) अस्तित्व में रही क्रमोन्नत पॉलिटेक्निक स्कीम के अन्तर्गत पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्तर की मशीनरी क्रय नहीं करने तथा (iii) पांच कॉलेजों में प्रारम्भ किये गये नये पाठ्यक्रमों के लिए प्रावधान अनुमानित किया गया परन्तु मात्र दो कॉलेजों के लिए ही ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदन प्राप्त हुआ परिणामस्वरूप व्यय कम होने, के कारण अभ्यर्पित किया गया।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
03. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
102. खेलकूद स्टेडिया			
(01) खेल विभाग के माध्यम से-जिला खेल कॉम्प्लेक्स			
मू.	27,98.33	14,17.92	14,29.52
पु.	- 13,80.41		+ 11.60
₹ 13,80.41 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 11.60 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

04. कला एवं संस्कृति			
105. सार्वजनिक पुस्तकालय			
(01) पुस्तकालय भवन			
[01] भवन			
मू.	2,00.44	1,16.31	1,16.31
पु.	- 84.13		..
31 मार्च 2015 को ₹ 84.13 लाख के प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(06) संस्कृत महाविद्यालय			
[01] भवन			
मू.	5,00.00	4,89.49	5,48.87
पु.	- 10.51		+ 59.38
₹ 59.38 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 025 - कोषागार व लेखा प्रशासन

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन
पूँजी - 7999. आकस्मिकता निधि को विनियोजन

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,94,94,18	1,94,94,18	1,86,59,69	- 8,34,49
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				
8,82,28				
प्रभारित				
मूल	3	3	..	- 3
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				
3				
पूँजी				
दत्तमत				
मूल	..	3,00,00,00	3,00,00,00	..
अनुपूरक	3,00,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
..				

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 8,34.49 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 8,82.28 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन			
097. खजाना स्थापना			
(02) तेहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत कोषालयों का कम्प्यूटरीकरण			
मू.	2,50.00
पु.	- 2,50.00

₹ 2,50.00 लाख का प्रावधान तेहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत एकीकृत मानव संसाधन प्रबन्धन प्रणाली परियोजना के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों/पेंशनरों के डाटाबेस तैयार करने हेतु अनुमानित किया गया था। कार्य नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेन्टर द्वारा कार्यकारी एजेन्सी के रूप में किया जाना था परन्तु उनके द्वारा वर्ष के दौरान निधियों का उपयोग नहीं किये जाने के कारण 31 मार्च 2015 को ₹ 2,50.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 26.95 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,23.05 लाख) किया गया।

अनुदान संख्या 025 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन 098. स्थानीय निधि लेखापरीक्षा (01) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा			
मू.	29,60.05	23,72.71	23,71.76
पु.	- 5,87.34		
₹ 5,87.34 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 799 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 413 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			

800. अन्य व्यय
(02) निदेशक, पेंशन तथा पेंशनर्स कल्याण

मू.	17,35.61	15,70.97	15,70.93
पु.	- 1,64.64		

₹ 1,64.64 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) नवीन पेंशन नियम, 2013 के अन्तर्गत पेंशन प्रकरणों के संशोधन हेतु स्वीकृत लेखाधिकारियों/सहायक लेखाधिकारियों के पदस्थापन नहीं/विलम्ब से होने, (ii) कर्मचारियों/अधिकारियों की कार्य के दौरान मृत्यु तथा सेवानिवृत्त होने के पश्चात् नवीन नियुक्ति/पदस्थापन नहीं होने, (iii) हाई स्पीड प्रिंटर नहीं खरीदने एवं कम्प्यूटरों की खरीद के लिए स्वीकृति कम प्राप्त होने, (iv) पद रिक्त होने के कारण 01.07.2013 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिचय पत्र नहीं बनाये जा सके तथा (v) 2006 से पूर्व/पश्चात् सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संशोधित पेंशन प्रकरण कम प्राप्त होने के कारण डाक टिकट एवं स्टेशनरी पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

800. अन्य व्यय
(03) निदेशक, निरीक्षण

मू.	9,48.04	7,67.23	7,67.17
पु.	- 1,80.81		

₹ 1,80.81 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 297 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 172 पदों के पूरे वर्ष रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन 097. खजाना स्थापना (01) खजाना स्थापना			
मू.	1,11,32.45	1,14,93.93	1,15,44.29
पु.	3,61.48		

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,61.48 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः (i) वेतन एवं भत्तों तथा (ii) सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नियत समय पर भुगतान हेतु कोषालयों पर सेवानिवृत्त कार्मिकों को संविदा प्रभागों पर किराये पर लिये जाने पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 50.36 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 026 – चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य ,
2211. परिवार कल्याण और
3606. सहायता सामग्री तथा उपस्कर

पूँजी – 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय और
6210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	62,51,68,68	62,51,68,73	50,81,44,97 - 11,70,23,76
अनुपूरक	5		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			11,69,00,09
प्रभारित			
मूल	69,56	69,56	28,45 - 41,11
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			40,80
पूँजी			
दत्तमत			
मूल	3,46,25,35	3,46,25,35	2,23,28,67 - 1,22,96,68
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			1,22,96,10

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 11,70,23.76 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 1,23.67 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रधान कार्यालय स्थापना			
मू.	82,43.22	53,45.38	53,42.18 - 3.20
अ.	0.01		
पु.	- 28,97.85		

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

₹ 28,97.85 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग से चिकित्सा शिक्षा विभाग को कॉलेज का नियंत्रण स्थानान्तरित होने के बाद झालावाड़ मेडिकल कॉलेज तथा समिति को अनुदान जारी न होने, (iii) सुराज संकल्प पत्र की क्रियान्विति हेतु चिकित्सा कर्मियों एवं नर्सिंग स्टाफ को प्रशिक्षण हेतु स्वीकृति जारी न होने तथा (iv) कम्प्यूटर सेट की खरीद न होने को आरोपित की गयी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य				
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी				
110. अस्पताल तथा औषधालय				
(01) अध्यापन अस्पताल				
[01] जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर				
मू.	41,05.78	34,31.03	34,30.77	- 0.26
पु.	- 6,74.75			

₹ 6,74.75 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 1137 स्वीकृत पदों में से 547 पदों के रिक्त रहने तथा (ii) खराब मीटर बदलने के बाद जल प्रभार पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी				
110. अस्पताल तथा औषधालय				
(01) अध्यापन अस्पताल				
[04] पी.बी.एम. मेन्स अस्पताल, बीकानेर				
मू.	44,71.72	39,86.85	39,88.47	+ 1.62
पु.	- 4,84.87			

₹ 4,84.87 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 1495 स्वीकृत पदों में से 273 पदों के रिक्त रहने, (ii) विद्युत/जल पर वास्तविक उपभोग के अनुसार कम व्यय होने तथा (iii) संविदा पर 55 वार्ड बॉय नियुक्त किये जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त न होने को आरोपित की गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी				
110. अस्पताल तथा औषधालय				
(01) अध्यापन अस्पताल				
[05] पी.बी.एम. जनाना अस्पताल, बीकानेर				
मू.	5,88.72	4,67.22	4,68.22	+ 1.00
पु.	- 1,21.50			

₹ 1,21.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी				
110. अस्पताल तथा औषधालय				
(01) अध्यापन अस्पताल				
[10] जनाना अस्पताल, जयपुर				
मू.	19,18.11	17,96.21	17,94.39	- 1.82
पु.	- 1,21.90			

₹ 1,21.90 लाख की प्रत्याशित बचत वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[17] महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर			
मू.	38,11.02	33,75.07	33,75.06
पु.	- 4,35.95		
₹ 4,35.95 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 254 पदों के रिक्त रहने तथा (ii) विद्युत् प्रभार पर उपभोग के अनुसार व्यय होने को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[18] उम्मेद अस्पताल, जोधपुर			
मू.	30,23.27	28,96.20	28,96.16
पु.	- 1,27.07		
₹ 1,27.07 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 299 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[19] क्षय एवं संक्रामक रोग अस्पताल, जोधपुर			
मू.	4,66.26	3,51.17	3,51.16
पु.	- 1,15.09		
₹ 1,15.09 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 65 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[22] मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर			
मू.	30,10.72	28,28.94	28,28.92
पु.	- 1,81.78		
₹ 1,81.78 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 475 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[31] महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा			
मू.	28,79.23	25,90.86	25,90.86
पु.	- 2,88.37		
₹ 2,88.37 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 222 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[33] नवीन चिकित्सालय, कोटा			
मू.	12,80.61		
पु.	- 1,10.10	11,70.51	11,70.51
			..
₹ 1,10.10 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 252 स्वीकृत पदों में से 163 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(02) भ्रमणशील अस्पताल			
[08] अन्य भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाइयां			
मू.	6,49.64		
पु.	- 1,08.60	5,41.04	5,40.93
			- 0.11
₹ 1,08.60 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 79 स्वीकृत पदों में से 40 पदों के रिक्त रहने तथा आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(03) अन्य अस्पताल तथा औषधालय			
[01] सामान्य अस्पताल			
मू.	5,10,28.56		
पु.	- 19,09.50	4,91,19.06	4,90,74.87
			- 44.19
₹ 19,09.50 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) मशीनरी एवं उपकरणों की कम खरीद, (iii) विद्युत् तथा जल प्रभार पर कम व्यय, (iv) वाहनों के रखरखाव तथा संचालन पर कम व्यय, (v) मरम्मत एवं रखरखाव, पोशाकों, संविदा सेवाओं तथा खाद्यान्नों पर कम व्यय तथा (vi) कम्प्यूटर सेटों की खरीद न होने को आरोपित की गयी।			
₹ 44.19 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) जिला स्तरीय संस्थापन			
[03] क्षय क्लिनिक			
मू.	24,25.20		
पु.	- 2,07.24	22,17.96	22,17.96
			..
₹ 2,07.24 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) जिला स्तरीय संस्थापन			
[05] फर्टिलिटी क्लिनिक स्थापना हेतु अनुदान			
मू.	1,00.00
पु.	- 1,00.00
31 मार्च 2015 को ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान फर्टिलिटी क्लिनिक की स्थापना हेतु स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101. आयुर्वेद			
(01) निदेशन और प्रशासन			
मू.	16,78.92	14,36.97	14,36.89
पु.	- 2,41.95		- 0.08
₹ 2,41.95 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा सुनिश्चित वृत्तिक पदोन्नति प्रकरणों के अन्तिमीकरण कम होने को आरोपित की गयी।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101. आयुर्वेद			
(03) शिक्षा			
[03] आयुर्वेद मॉडल कॉलेज			
मू.	1,70.00
पु.	- 1,70.00
31 मार्च 2015 को ₹ 1,70.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101. आयुर्वेद			
(06) सहायतार्थ अनुदान			
[01] राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर को अनुदान			
मू.	19,01.65	10,21.32	..
पु.	- 8,80.33		
₹ 8,80.33 लाख की प्रत्याशित बचत राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय को अनुदान कम जारी करने को आरोपित की गई, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
102. होम्योपैथी			
(01) अस्पताल तथा औषधालय			
मू.	16,00.97	14,13.26	14,13.29
पु.	- 1,87.71		+ 0.03
31 मार्च 2015 को ₹ 1,87.71 लाख का प्रावधान वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
103. यूनानी			
(01) अस्पताल तथा औषधालय			
मू.	10,21.73	8,82.65	8,82.63
पु.	- 1,39.08		
₹ 1,39.08 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत कुल 314 स्वीकृत पदों में से 157 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
104. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
(01) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	4,36,66.30	3,67,20.21	3,67,16.99
पु.	- 69,46.09		
₹ 69,46.09 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा मशीनों एवं उपकरणों की कम खरीद को आरोपित की गयी।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लाक स्तरीय संस्थापन			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	4,92,84.53	4,64,17.22	4,64,14.19
पु.	- 28,67.31		
₹ 28,67.31 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने तथा (ii) विद्युत् जल प्रभागों, भेषज तथा औषधियों पर कम व्यय होने के कारण 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित की गयी।			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
102. होम्योपैथी			
(01) अस्पताल और औषधालय			
मू.	6,80.16	5,51.93	5,51.91
पु.	- 1,28.23		
₹ 1,28.23 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 188 स्वीकृत पदों में से 77 पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
800. अन्य व्यय			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से			
[01] आयुर्वेद विभाग-राज्यांश राशि (15 प्रतिशत)			
मू.	3,50.00
पु.	- 3,50.00		
31 मार्च 2015 को ₹ 3,50.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से योजना के लिये स्वीकृति प्राप्त न होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) शिक्षा			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
मू.	56,26.83		
अ.	0.01	50,70.95	50,73.95
पु.	- 5,55.89		+ 3.00
₹ 5,55.89 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 592 स्वीकृत पदों में से 160 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) शिक्षा			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
मू.	45,48.77		
पु.	- 4,70.73	40,78.04	40,75.99
31 मार्च 2015 को ₹ 4,70.73 लाख का प्रावधान मुख्यतः 259 पदों के रिक्त रहने तथा वरिष्ठ रेजिडेन्ट्स के पदों के रिक्त रहने के कारण वजीफा पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) शिक्षा			
[04] चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर			
मू.	44,72.64		
पु.	- 1,64.04	43,08.60	43,07.56
₹ 1,64.04 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 513 स्वीकृत पदों में से 202 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) शिक्षा			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू.	47,58.87		
पु.	- 2,85.64	44,73.23	44,73.22
₹ 2,85.64 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 117 पदों के रिक्त रहने तथा (ii) वरिष्ठ रेजिडेन्ट्स के 25 पदों के रिक्त रहने तथा सी ए एस पी जी चिकित्सकों को अध्ययन अवकाश के स्वीकृत किये जाने के कारण वजीफा पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) शिक्षा			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
मू.	40,13.46		
पु.	- 4,01.32	36,12.14	36,11.28
₹ 4,01.32 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 138 स्वीकृत पदों में से 118 पदों के रिक्त रहने तथा (ii) स्थानान्तरण के कारण रिक्त पदों के विरुद्ध कार्य करने वाले अस्थायी चिकित्सकों की अर्वाधि के विस्तारण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलौपेथी			
(03) स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय			
[01] राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर			
मू.	1,34,91.23		
अ.	0.01	23,18.39	23,18.39
पु.	- 1,11,72.85		..

31 मार्च 2015 को ₹ 1,11,72.85 लाख का प्रावधान राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के निजी निक्षेप खाते को निधियां हस्तांतरण हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान

800. अन्य व्यय

(01) निःशुल्क जांच योजना

[05] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न
चिकित्सालय समूह, जोधपुर

मू.	8,15.22			
पु.	- 2,49.75	5,65.47	5,65.46	- 0.01

₹ 2,49.75 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 409 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान

800. अन्य व्यय

(01) निःशुल्क जांच योजना

[06] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न
चिकित्सालय समूह, कोटा

मू.	7,28.02			
पु.	- 2,89.27	4,38.75	4,38.76	+ 0.01

₹ 2,89.27 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 328 स्वीकृत पदों में से 298 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

06. लोक स्वास्थ्य

101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण

(01) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

मू.	67,37.96			
पु.	- 5,63.96	61,74.00	61,72.42	- 1.58

₹ 5,63.96 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने तथा (ii) सामग्री तथा आपूर्ति, संविदा प्रभार पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(19) निःशुल्क दवा वितरण योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से			
मू.	57,31.01		
पु.	- 19,40.32		
	37,90.69	37,89.48	- 1.21
31 मार्च 2015 को ₹ 19,40.32 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग से चिकित्सा शिक्षा विभाग को कॉलेज का नियंत्रण स्थानान्तरित होने के पश्चात् मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत झालावाड़ मेडिकल कॉलेज तथा समिति को अनुदान जारी न होने, (iii) कार्यालय वाहन के संचालन तथा रखरखाव पर कम व्यय, (iv) मशीनरी तथा उपकरणों की कम खरीद, (v) भेषज तथा औषधियों पर कम व्यय तथा (vi) कम्प्यूटर सेट की खरीद न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(20) निःशुल्क जांच योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से			
मू.	78,07.20		
पु.	- 35,82.32		
	42,24.88	41,97.13	- 27.75
31 मार्च 2015 को ₹ 35,82.32 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) अनुदान कम जारी होने, (iii) मशीनरी तथा उपकरणों की कम खरीद तथा (iv) संविदा प्रभार पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 27.75 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(21) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम			
मू.	51,46.45		
पु.	- 30,46.06		
	21,00.39	21,00.39	..
31 मार्च 2015 को ₹ 30,46.06 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. लोक स्वास्थ्य			
104. औषध नियंत्रण			
(01) औषध नियंत्रण स्थापना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	13,01.86		
पु.	- 4,04.71		
	8,97.15	8,97.12	- 0.03
₹ 4,04.71 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
107. लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं			
(01) जीवाणु सम्बन्धी प्रयोगशालाएं			
मू.	5,43.65	4,37.91	4,37.57
पु.	- 1,05.74		
₹ 1,05.74 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा संविदा प्रभार पर कम व्यय को आरोपित की गई।			
06. लोक स्वास्थ्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(01) सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
[01] राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन को सहायता			
मू.	2,11,59.99	1,28,99.93	1,28,99.93
पु.	- 82,60.06		
31 मार्च 2015 को ₹ 82,60.06 लाख का प्रावधान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से निधियां प्राप्त होने के पश्चात् निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम को निधियां कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. लोक स्वास्थ्य			
197. ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लाक स्तरीय संस्थापन			
[01] खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी			
मू.	72,92.29	70,43.86	70,43.55
पु.	- 2,48.43		
₹ 2,48.43 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
2211. परिवार कल्याण			
105. क्षतिपूर्ति			
(03) जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय			
[07] प्रथम प्रसव पर बी.पी.एल. महिलाओं को सहायता			
मू.	3,50.00	2,43.10	2,43.10
पु.	- 1,06.90		
31 मार्च 2015 को ₹ 1,06.90 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
105. क्षतिपूर्ति			
(03) जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय			
[12] शुभलक्ष्मी योजना			
मू.	1,26,02.00	1,06,36.07	1,06,36.07
पु.	- 19,65.93		
31 मार्च 2015 को ₹ 19,65.93 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) जिला स्तरीय संस्थापन			
[01] जिला परिवार कल्याण ब्यूरो			
मू.	32,58.42	29,29.84	29,23.27
पु.	- 3,28.58		
31 मार्च 2015 को ₹ 3,28.58 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
197. ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लाक स्तरीय संस्थापन			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र			
मू.	26,74.68	21,82.37	21,82.26
पु.	- 4,92.31		
31 मार्च 2015 को ₹ 4,92.31 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
197. ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लाक स्तरीय संस्थापन			
[02] ग्रामीण उपकेन्द्र			
मू.	4,04,46.42	3,97,72.37	3,97,72.13
पु.	- 6,74.05		
31 मार्च 2015 को ₹ 6,74.05 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
200. अन्य सेवाएं तथा पूर्तियां			
(01) परम्परागत गर्भ निरोधक			
मू.	14,00.00	6,38.07	6,38.06
पु.	- 7,61.93		
31 मार्च 2015 को ₹ 7,61.93 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
800. अन्य व्यय			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[01] बी.पी.एल. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष (30:70.)			
मू.	48,28.50	30,78.50	30,78.50
पु.	- 17,50.00		
31 मार्च 2015 को ₹ 17,50.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[02] स्टेट वाइज इमरजेन्सी एम्बूलेन्स सर्विस (ई.एम.आर.आई.) (50:50)			
मू.	58,59.00	51,16.90	51,16.90
पु.	- 7,42.10		

31 मार्च 2015 को ₹ 7,42.10 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनु रूप राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

800. अन्य व्यय			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (15:85)			
मू.	12,62,45.00	7,74,70.58	7,74,70.58
पु.	- 4,87,74.42		

₹ 4,87,74.42 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनु रूप राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित (₹ 3,57,18.09 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,30,56.33 लाख) किया गया।

800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.) (15:85)			
[03] राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन			
मू.	2,03,09.10	52,88.17	52,88.17
पु.	- 1,50,20.93		

31 मार्च 2015 को ₹ 1,50,20.93 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनु रूप राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[08] सवाई मान सिंह अस्पताल, जयपुर			
मू.	1,18,61.55	1,34,26.64	1,34,25.87
पु.	15,65.09		

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 15,65.09 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य				
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी				
197. ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता				
(01) ब्लाक स्तरीय संस्थापन				
[03] स्वास्थ्य उप केन्द्र				
मू.	57,07.33	69,72.49	69,71.48	- 1.01
पु.	12,65.16			
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,65.16 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गई।				
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ				
101. आयुर्वेद				
(01) अस्पताल और औषधालय				
मू.	3,48,91.20	3,56,30.09	3,56,29.54	- 0.55
पु.	7,38.89			
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,38.89 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः बढ़े हुए मंहगाई भत्ते तथा बकाया चिकित्सा दावों के भुगतान पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराया गया।				
2211. परिवार कल्याण				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(02) राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो				
मू.	9,08.34	28,04.41	28,04.38	- 0.03
अ.	0.01			
पु.	18,96.06			
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18,96.06 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गई।				

पूँजी

दत्तमत

- वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 1,19.27 लाख, ₹ 26,41.35 लाख, ₹ 67,06.86 लाख, ₹ 42,79.78 लाख तथा ₹ 1,22,96.68 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 5.39 प्रतिशत से 42.49 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय				
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं				
110. अस्पताल तथा औषधालय				
(07) निर्माण कार्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से				
[01] निर्माण कार्य				
मू.	1,44,27.00	1,19,33.79	1,19,33.20	- 0.59
पु.	- 24,93.21			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं				
110. अस्पताल तथा औषधालय				
(12) तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत कार्य (डी.एम.एच.एस.)				
[90] निर्माण कार्य				
मू.	25,76.45	19,71.15	19,71.15	..
पु.	- 6,05.30			
उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 30,98.51 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।				
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)				
800. अन्य व्यय				
(02) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं				
[01] स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण				
मू.	1,06,34.26
पु.	- 1,06,34.26			
₹ 1,06,34.26 लाख का समस्त प्रावधान 1079 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के भवनों के निर्माण के लिये स्वीकृति जारी न किये जाने तथा नाबार्ड द्वारा ऋणों के विरुद्ध कम राशि प्राप्त होने के कारण 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित (₹ 71,90.56 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 34,43.70 लाख) किया गया।				
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान				
105. एलोपैथी				
(07) अन्य व्यय				
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर				
मू.	12,50.02	10,21.34	10,21.34	..
पु.	- 2,28.68			

31 मार्च 2015 को ₹ 2,28.68 लाख का प्रावधान (i) पी.बी.एम. चिकित्सालय तथा कॉलेज में जल की आपूर्ति हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बीकानेर द्वारा तकनीकी निविदा के प्रस्ताव की स्वीकृति तथा आमंत्रण में विलम्ब तथा (ii) कुछ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति आदेश जारी किये जाने के पश्चात् भी सामग्री की आपूर्ति समय पर नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(07) अन्य व्यय			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
मू.	6,15.01	14.32	14.32
पु.	- 6,00.69		..
31 मार्च 2015 को ₹ 6,00.69 लाख का प्रावधान <i>प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना-III</i> के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(07) अन्य व्यय			
[04] चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर			
मू.	1,90.91	4.33	4.33
पु.	- 1,86.58		..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,86.58 लाख का प्रावधान मुख्यतः भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं होने के कारण केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत पेरा मेडिकल कोर्सेज हेतु मशीनरी तथा उपकरणों के क्रय नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(07) अन्य व्यय			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू.	3,35.96
पु.	- 3,35.96		..
31 मार्च 2015 को ₹ 3,35.96 लाख का समस्त प्रावधान पूर्व में जारी की गयी निधियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(07) अन्य व्यय			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
मू.	6,50.01	29.97	29.97
पु.	- 6,20.04		..
31 मार्च 2015 को ₹ 6,20.04 लाख का प्रावधान (i) <i>प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना</i> के अन्तर्गत मशीनरी तथा उपकरणों के क्रय हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने तथा (ii) लोक निर्माण विभाग, कोटा द्वारा बकाया दायित्वों के कम भुगतान के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 026 - (समाप्त)

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ)			
800. अन्य व्यय			
(02) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[02] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	15,40.44	34,36.14	34,36.14
पु.	18,95.70		
			..

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18,95.70 लाख की अतिरिक्त निधियां 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी।

02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ)			
800. अन्य व्यय			
(02) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[03] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	12,79.21	28,27.21	28,27.21
पु.	15,48.00		
			..

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,48.00 लाख की अतिरिक्त निधियां 25 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 027 - पेय जल योजना

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2215. जलपूर्ति तथा सफाई
पूंजी - 4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	23,78,79,33			
अनुपूरक	1,22,97,78			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)		25,01,77,11	24,03,27,33	- 98,49,78
प्रभारित				
मूल	5,00			
अनुपूरक	43,09			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)		48,09	46,69	- 1,40
				92,48,32
				1,39
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	32,99,94,85			
अनुपूरक	2,73,76,11			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)		35,73,70,96	33,08,01,73	- 2,65,69,23
				2,07,19,95

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 98,49.78 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2015 में लिया गया ₹ 1,22,97.78 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
2. ₹ 98,49.78 लाख की अंतिम बचत में से, ₹ 6,01.46 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
शीर्ष				
2215. जलपूर्ति तथा सफाई				
01. जलपूर्ति				
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम				
(01) जलपूर्ति योजना, अजमेर				
मू.	1,11,13.46			
अ.	5,16.40			
पु.	- 3,09.89			
		1,13,19.97	1,13,05.49	- 14.48

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(03) जलपूर्ति योजना, बाड़मेर			
मू.	5,42.71		
अ.	16.00	4,23.37	4,19.38
पु.	- 1,35.34		- 3.99
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(07) जलपूर्ति योजना, जयपुर			
मू.	1,89,11.46		
अ.	2,50.24	1,86,15.95	1,86,04.93
पु.	- 5,45.75		- 11.02
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(08) जलपूर्ति योजना, जोधपुर			
मू.	59,78.00		
अ.	50.00	57,72.65	56,90.89
पु.	- 2,55.35		- 81.76
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(09) जोधपुर लिफ्ट कैनाल, जोधपुर			
मू.	97,18.72		
अ.	73.45	95,19.03	94,79.03
पु.	- 2,73.14		- 40.00
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(10) जलपूर्ति योजना, कोटा			
मू.	46,89.80		
अ.	33.00	45,64.11	45,50.93
पु.	- 1,58.69		- 13.18
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(11) जलपूर्ति योजना, उदयपुर			
मू.	46,16.50		
अ.	11.00	44,46.10	42,77.12
पु.	- 1,81.40		- 1,68.98

उपरोक्त सात शीर्षों के अंतर्गत मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 9,50.09 लाख का प्रावधान जलपूर्ति योजनाओं के संचालन हेतु लिया गया जो शीर्षों के अंतर्गत प्रत्याशित तथा अंतिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

उपरोक्त सात शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 18,59.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

उपरोक्त सात शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 3,33.41 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(04) जलपूर्ति योजना, भरतपुर			
मू.	16,35.80		
अ.	34.00	15,04.70	14,69.97
पु.	- 1,65.10		- 34.73
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(05) जलपूर्ति योजना, भीलवाड़ा			
मू.	15,21.76		
अ.	1,01.50	15,13.46	15,05.89
पु.	- 1,09.80		- 7.57
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(06) जलपूर्ति योजना, बीकानेर			
मू.	41,32.00		
अ.	27.00	38,15.85	37,78.28
पु.	- 3,43.15		- 37.57
उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 1,62.50 लाख का प्रावधान जलपूर्ति योजनाओं के संचालन हेतु लिया गया जो शीर्षों के अंतर्गत प्रत्याशित तथा अंतिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 6,18.05 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 79.87 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(12) अन्य नगरीय जलपूर्ति योजनाएं			
मू.	4,06,85.62		
अ.	39,34.57	4,33,49.33	4,33,53.45
पु.	- 12,70.86		+ 4.12
मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 39,34.57 लाख का प्रावधान जलपूर्ति योजनाओं के संचालन हेतु लिया गया जो शीर्षों के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
₹ 12,70.86 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 4.12 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रूलाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
(01) अन्य ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
मू.	9,00,28.17		
अ.	71,19.12	9,56,03.25	9,55,21.76
पु.	- 15,44.04		- 81.49

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 71,19.12 लाख का प्रावधान मुख्यतः जल वितरण व्यवस्था में सुधार पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित तथा अंतिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 15,44.04 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 81.49 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

- 01. जलपूर्ति
- 102. ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम
- (07) जल प्रदाय योजनाओं का निरीक्षण करने हेतु किराये पर वाहन रखना (ग्रामीण)
- [36] वाहनों का किराया

मू.	8,05.60			
पु.	- 5,17.60	2,88.00	2,87.23	- 0.77

31 मार्च 2015 को ₹ 5,17.60 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

- 02. मल जल तथा सफाई
- 001. निदेशन तथा प्रशासन
- (03) निष्पादन

मू.	2,22,20.80			
पु.	- 20,57.82	2,01,62.98	2,01,59.13	- 3.85

₹ 20,57.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

- 02. मल जल तथा सफाई
- 001. निदेशन तथा प्रशासन
- (04) शिल्पशाला

मू.	51,34.21			
पु.	- 11,02.36	40,31.85	40,22.98	- 8.87

₹ 11,02.36 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 8.87 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

- 02. मल जल तथा सफाई
- 192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता
- (01) मल निकासी योजनाओं का संधारण
- [01] नगर पालिकाओं को सहायता

मू.	6,60.00			
पु.	- 3,37.00	3,23.00	3,22.28	- 0.72

31 मार्च 2015 को ₹ 3,37.00 लाख का प्रावधान मल निकासी कर के पेटे राशि कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
(04) जलपूर्ति योजना, साहबा गंधेली			
मू.	41,43.75	44,72.49	44,44.48
पु.	3,28.74		
			- 28.01

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,28.74 लाख की अतिरिक्त निधियां जलपूर्ति योजना के संचालन पर व्यय की पूर्ति तथा विद्युत् प्रभार एवं जल प्रभार के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 28.01 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

पूँजी

दत्तमत

- ₹ 2,65,69.23 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2015 में लिया गया ₹ 2,73,76.11 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
- ₹ 2,65,69.23 लाख की अंतिम बचत में से, ₹ 58,49.28 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।
- वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 7,05,24.69 लाख, ₹ 5,93,18.06 लाख, ₹ 1,78,04.63 लाख, ₹ 2,00,41.29 लाख तथा ₹ 2,65,69.23 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो कि अनुदान के कुल बजट की 7.43 प्रतिशत से 40.25 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः कार्यों का अनुमान से कम निष्पादन होने के कारण बतायी गयी।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[02] अन्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
मू.	2,14,36.61	1,55,81.00	1,55,80.81
पु.	- 58,55.61		
			- 0.19

31 मार्च 2015 को ₹ 58,55.61 लाख का प्रावधान योजनाओं में देरी तथा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[12] बीसलपुर परियोजना से जयपुर जलपूर्ति (जे बी आई सी)			
मू.	3,40.00		
अ.	85.00		
		4,25.00	- 17,35.00
			- 21,60.00
<p>ऋण व्यय राज्य सरकार और सेना के मध्य हुए समझौते के अनुसार बीसलपुर-जयपुर जलपूर्ति परियोजना से छावनी क्षेत्र, जयपुर में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सेना की एम ई एस यूनिट से प्राप्त हिस्सा राशि ₹ 17,35.00 लाख जमा कराने के कारण था।</p> <p>₹ 4,25.00 लाख के समस्त प्रावधान के उपयोग न करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।</p>			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[17] पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाइप लाइनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू.	35,14.00		
अ.	9,86.00		
पु.	- 9,31.00		
		35,69.00	35,68.95
			- 0.05
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[18] जलपूर्ति योजनाओं का आधुनिकीकरण, उन्नयन एवं सुदृढीकरण			
मू.	2,00.00		
अ.	1,50.00		
पु.	- 1,13.00		
		2,37.00	2,36.68
			- 0.32
<p>उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत मार्च 2015 में ₹ 11,36.00 लाख का अनुपूरक अनुदान जलपूर्ति योजनाओं पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्षों के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।</p> <p>उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 10,44.00 लाख का प्रावधान पाइप लाइनों को बदलने में देरी के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[19] फिल्टर प्लान्ट का पुनर्जीवीकरण एवं क्रमोन्नयन			
मू.	4,00.00		
अ.	1,33.00		
पु.	- 2,67.00		
		1,33.00	1,32.89
			- 0.11

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[49] टोंक-देवली-उनियारा जलपूर्ति परियोजना			
मू.	10,20.00	8,92.50	8,92.50
पु.	- 1,27.50		..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[71] जवाई-पाली-जोधपुर पाइप लाईन परियोजना फेज- II (क्लस्टर परियोजना)			
मू.	11,56.00	6,58.51	6,58.50
पु.	- 4,97.49		- 0.01
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[85] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) से सहायता प्राप्त जलप्रदाय योजनाएं			
मू.	2,04.00
पु.	- 2,04.00		..
उपरोक्त चार शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 10,95.99 लाख का प्रावधान योजनाओं में देरी तथा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[22] प्रशासनिक कार्यालयों का विस्तार, सुदृढीकरण एवं पुनर्जीवीकरण			
मू.	10,00.00	3,58.00	3,57.09
पु.	- 6,42.00		- 0.91
31 मार्च 2015 को ₹ 6,42.00 लाख का प्रावधान कार्यों के लिये स्वीकृति देरी से जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[31] चम्बल-बालेर-सवाईमाधोपुर जलप्रदाय योजना			
मू.	10,20.00
पु.	- 10,20.00		..
31 मार्च 2015 को ₹ 10,20.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[45] पोकरण-फलसूंड (फलौदी) जल प्रदाय योजना			
मू .	37,50.00		
अ.	7,72.00	32,68.23	32,68.22
पु .	- 12,53.77		- 0.01
मार्च 2015 में ₹ 7,72.00 लाख का अनुपूरक अनुदान जलपूर्ति योजनाओं पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
31 मार्च 2015 को ₹ 12,53.77 लाख का प्रावधान योजनाओं में देरी तथा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[46] नर्मदा परियोजना			
मू .	7,99.00		
पु .	- 1,29.87	6,69.13	6,69.13
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[68] बीकानेर के शोभासर खंड में 40 एम एल डी जल शोधन यंत्र का निर्माण एवं चालू करना तथा अन्य सहायक कार्य			
मू	4,52.00		
पु .	- 2,22.68	2,29.32	2,29.32
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[73] फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना			
मू	23,80.00		
पु .	- 4,26.42	19,53.58	19,53.58

उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 7,78.97 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[53] जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूअल मिशन आधारित योजनाएं (जे एन एन यू आर एम)			
मू.	68.00		
अ.	6,80.00	3,72.00	3,71.95
पु.	- 3,76.00		- 0.05

मार्च 2015 में ₹ 6,80.00 लाख का अनुपूरक अनुदान जलपूर्ति योजनाओं पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2015 को ₹ 3,76.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[61] शहरी जलपूर्ति योजना, जोधपुर (ई ए पी)			
मू.	1,03,05.00		
पु.	- 47,58.34	55,46.66	55,46.66

31 मार्च 2015 को ₹ 47,58.34 लाख का प्रावधान जल संसाधन विभाग द्वारा निधियों का उपयोग न किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[64] नागौर लिफ्ट जलपूर्ति योजना, फेज-II			
मू.	21,00.00		
पु.	- 19,94.08	1,05.92	1,05.92

31 मार्च 2015 को ₹ 19,94.08 लाख का प्रावधान टेण्डर प्रक्रिया में देरी के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[65] बल्क मीटर एवं उपभोक्ता मीटर की सप्लाई/स्थापना/संचालन तथा संधारण			
मू.	5,62.24		
पु.	- 5,52.97	9.27	9.27

01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[66] डीग जल प्रदाय परियोजना			
मू.	10,20.00		
पु.	- 10,08.51	11.49	11.49

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 15,61.48 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[69] नागदा- अन्ता- बलदेवपुरा जल प्रदाय योजना			
मू.	17,00.00		
पु.	- 13,34.50	3,65.50	3,65.49
			- 0.01
31 मार्च 2015 को ₹ 13,34.50 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[75] 200 एम एल डी जल शोधन यंत्र, सूरजपुरा (शहरी)			
मू.	16,00.00		
अ.	29,19.04	43,62.62	43,62.62
पु.	- 1,56.42		..
मार्च 2015 में ₹ 29,19.04 लाख का अनुपूरक अनुदान जलपूर्ति योजनाओं पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
31 मार्च 2015 को ₹ 1,56.42 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[86] ईसरदा बांध का निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	3,40.00		
पु.	- 2,87.00	53.00	53.04
			+ 0.04
31 मार्च 2015 को ₹ 2,87.00 लाख का प्रावधान जल संसाधन विभाग द्वारा निधियों का उपयोग न किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया (अगस्त 2015)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[87] चम्बल, धोलपुर, भरतपुर परियोजना फेज-प्रथम, पार्ट-द्वितीय (शहरी)			
मू.	10,20.00		
पु.	- 10,20.00
			..
31 मार्च 2015 को ₹ 10,20.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(05) देवास परियोजना			
[01] जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से			
मू.	27,20.00	10,01.23	10,08.23
पु.	- 17,18.77		
			+ 7.00
31 मार्च 2015 को ₹ 17,18.77 लाख का प्रावधान योजनाओं में देरी तथा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
₹ 7.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(07) ग्रीष्मकालीन आकस्मिकता			
मू.	20,00.00	17,00.00	16,99.66
पु.	- 3,00.00		
			- 0.34
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(09) तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्य			
मू.	39,80.00	32,86.00	32,85.33
पु.	- 6,94.00		
			- 0.67
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 9,94.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(08) मूल्यहास आरक्षित निधि के विरुद्ध जल पूर्ति योजनाओं का पुनरुद्धार			
मू.	0.01	15,43.18	15,43.16
अ.	29,99.99		
पु.	- 14,56.82		
			- 0.02
मार्च 2015 में ₹ 29,99.99 लाख का अनुपूरक अनुदान जलपूर्ति योजनाओं पर बढे हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
31 मार्च 2015 को ₹ 14,56.82 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[23] बीसलपुर बांध से टोंक-उनियारा एवं देवली जलपूर्ति योजना			
मू.	21,46.60	15,63.03	15,63.03
अ.	21.21		
पु.	- 6,04.78		
			..

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[24] इन्द्रोका-माणकलाव-दांतीवाडा जल पूर्ति योजना (नाबार्ड)			
मू.	14,43.28	14,90.01	14,90.01
अ.	3,52.00		
पु.	- 3,05.27		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[43] रेवा जल पूर्ति योजना			
मू.	3,95.32	2,87.40	2,87.40
अ.	1,23.36		
पु.	- 2,31.28		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत मार्च 2015 में ₹ 4,96.57 लाख का अनुपूरक अनुदान जलपूर्ति योजनाओं पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्षों के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 11,41.33 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[30] कोलायत (नोखा) जल पूर्ति योजना			
मू.	3,13.93	12,68.61	12,68.61
अ.	12,45.71		
पु.	- 2,91.03		
मार्च 2015 में ₹ 12,45.71 लाख का अनुपूरक अनुदान जलपूर्ति योजनाओं पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्षों के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
31 मार्च 2015 को ₹ 2,91.03 लाख का प्रावधान योजनाओं में देरी तथा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[36] फ्लोराइड कन्ट्रोल प्रोजेक्ट अजमेर-पीसांगन			
मू.	62,88.38	53,75.54	53,75.54
पु.	- 9,12.84		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[45] इन्द्रोका-माणकलाव-खांगटा जलपूर्ति योजना (नाबार्ड)			
मू.	2,00.01	1,00.00	1,00.00
पु.	- 1,00.01		

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(06) विभाग के आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन			
मू.	3,50.00		
पु.	- 1,15.00	2,35.00	2,33.46
			- 1.54
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(19) चम्बल-बालेर-सवाई माधोपुर जल प्रदाय योजना			
मू.	2,98.31		
पु.	- 2,98.31
			..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(40) डीग जलपूर्ति योजना			
मू.	4,68.30		
पु.	- 2,96.54	1,71.76	1,71.73
			- 0.03
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(48) ग्रामीण पेयजल योजनाओं के विभिन्न कम्पोनेन्ट्स का सुदृढीकरण, रिजूविनेशन			
मू.	6,00.00		
पु.	- 1,08.00	4,92.00	4,90.28
			- 1.72
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(51) ग्रामीण जल प्रदाय योजना-भीमनी			
मू.	6,43.30		
पु.	- 3,23.36	3,19.94	3,19.94
			..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(52) ग्रामीण जल प्रदाय योजना-माधवी			
मू.	7,12.30		
पु.	- 2,66.84	4,45.46	4,45.46
			..

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(58) नांवा के 72 गांवों की जलप्रदाय परियोजना			
मू.	32,59.58	27,64.79	27,64.79
पु.	- 4,94.79		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(63) जवाई-पाली-जोधपुर पाईप लाइन परियोजना			
फेज-2 (क्लस्टर परियोजना)			
मू.	25,97.60	22,04.38	22,04.38
पु.	- 3,93.22		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(65) गागरिन जलपूर्ति योजना			
मू.	25,09.80	20,71.15	20,71.14
पु.	- 4,38.65		
उपरोक्त ग्यारह शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 37,47.56 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[37] देवनीया-शेरगढ़-छाबा जलपूर्ति योजना			
मू.	63,50.00	50,02.89	50,02.89
पु.	- 13,47.11		
31 मार्च 2015 को ₹ 13,47.11 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[41] तीवरी-मथानिया-ओसिया-बावड़ी-भोपालगढ़ जल पूर्ति योजना (नाबार्ड)			
मू.	18,81.52	31,10.00	31,09.61
अ.	13,92.68		
पु.	- 1,64.20		
मार्च 2015 में ₹ 13,92.68 लाख का अनुपूरक अनुदान जलपूर्ति योजनाओं पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
31 मार्च 2015 को ₹ 1,64.20 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[49] ग्रामीण क्षेत्र की स्कूलों में वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम कार्यक्रम			
मू.	5,89.63
पु.	- 5,89.63
31 मार्च 2015 को ₹ 5,89.63 लाख का समस्त प्रावधान योजनाओं में देरी तथा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(11) चूरु-बिसारु जल पूर्ति योजना (मुख्य अभियन्ता, परियोजना प्रबन्धन सैल, चूरु के माध्यम से)			
मू.	2,49.21
पु.	- 2,49.21
31 मार्च 2015 को ₹ 2,49.21 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(21) जनता जल योजना			
मू.	5,00.00	1,38.23	1,38.22 - 0.01
पु.	- 3,61.77		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(47) नागदा-अन्ता-बलदेवपुरा जल प्रदाय परियोजना			
मू.	7,78.88	1,82.81	1,82.80 - 0.01
पु.	- 5,96.07		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 9,57.84 लाख का प्रावधान योजनाओं में देरी तथा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(36) नर्मदा परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	19,76.60	10,08.89	10,08.89 ..
पु.	- 9,67.71		
31 मार्च 2015 को ₹ 9,67.71 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(43) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम			
मू.	10,78.58	..	+ 23.06
पु.	- 10,78.58		
₹ 10,78.58 लाख की प्रत्याशित बचत योजनाओं में देरी तथा कार्यों की धीमी प्रगति को आरोपित की गयी।			
₹ 23.06 लाख के बिना प्रावधान के व्यय होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(45) नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज- II (ई ए पी)			
मू.	1,78,46.60	10,42.36	10,42.36
पु.	- 1,68,04.24		..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,68,04.24 लाख का प्रावधान योजनाओं में देरी तथा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(46) बोरवास-मंडाना जल प्रदाय परियोजना			
मू.	21,72.44	4,26.12	4,26.12
पु.	- 17,46.32		..
31 मार्च 2015 को ₹ 17,46.32 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(70) बारां क्लस्टर परियोजना			
मू.	6,38.30	..	- 1,30.53
पु.	- 6,38.30		- 1,30.53
31 मार्च 2015 को ₹ 6,38.30 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 1,30.53 लाख के ऋण व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(72) नर्मदा एफ. आर. क्लस्टर परियोजना			
मू.	22,96.60	2,76.59	2,76.58
पु.	- 20,20.01		- 0.01
31 मार्च 2015 को ₹ 20,20.01 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(76) बांसवाडा-प्रतापगढ़ जल पूर्ति परियोजना			
मू.	25,53.88	20,36.61	20,36.61
पु.	- 5,17.27		
31 मार्च 2015 को ₹ 5,17.27 लाख का प्रावधान योजनाओं में देरी तथा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(78) नर्मदा परियोजना-क्लस्टर (डी.आर.)			
मू.	15,16.60	2,10.65	2,10.65
पु.	- 13,05.95		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(81) नर्मदा से शिव तहसील जिला बाड़मेर जल पूर्ति परियोजना (205 गांव)			
मू.	23,94.90	4,00.00	4,00.00
पु.	- 19,94.90		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 33,00.85 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(86) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जल गुणवत्ता के लिए 5 प्रतिशत निश्चित राशि			
मू.	28,15.48	13,45.28	13,45.28
पु.	- 14,70.20		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(87) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सहायता राशि			
मू.	38,62.70	11,65.64	11,65.63
पु.	- 26,97.06		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 41,67.26 लाख का प्रावधान योजनाओं में देरी तथा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
799. उचंत			
(01) स्टॉक			
मू.	1,50,00.00		
पु.	- 22,75.09	1,27,24.91	1,27,33.95
			+ 9.04
31 मार्च 2015 को ₹ 22,75.09 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने तथा ₹ 9.04 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

01. जलपूर्ति			
799. उचंत			
(02) विविध सार्वजनिक निर्माण कार्य अग्रिम			
मू.	5,00.00		
पु.	- 2,34.24	2,65.76	2,58.22
			- 7.54
31 मार्च 2015 को ₹ 2,34.24 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 7.54 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[63] चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति योजना			
मू.	20,40.00		
अ.	6,80.00	28,79.11	28,79.09
पु.	1,59.11		- 0.02
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[76] शहरी जलप्रदाय योजना, जालौर (शहरी)			
मू.	3,40.00		
पु.	9,65.79	13,05.79	13,05.78
			- 0.01

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[81] चम्बल-भीलवाड़ा जलप्रदाय परियोजना - क्लस्टर			
मू.	45,40.00		
अ.	9,00.00	62,72.71	62,70.99
पु.	8,32.71		- 1.72
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[83] कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के अंतर्गत सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी एकीकृत जलपूर्ति परियोजना			
मू.	47,56.33		
अ.	27,57.94	78,83.91	78,83.91
पु.	3,69.64		..
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 23,27.25 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[08] चम्बल परियोजना, भरतपुर (नाबार्ड)			
मू.	10,76.60		
अ.	2,21.00	14,26.78	14,26.78
पु.	1,29.18		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[13] राजसमन्द जल प्रदाय परियोजना (बागेरी का नाका) (नाबार्ड)			
मू.	2,00.00		
अ.	1,00.00	4,00.00	3,99.58
पु.	1,00.00		- 0.42
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[25] उम्मेद सागर जलपूर्ति योजना			
मू.	15,00.01		
पु.	8,65.21	23,65.22	23,65.21
			- 0.01

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[46] पांचला-देवरा-चिराई जलपूर्ति योजना			
मू .	16,16.60		
अ.	24.50	18,68.76	18,68.76
पु .	2,27.66		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(02) पाइपों द्वारा ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[03] मु.शी. 2215-जलपूर्ति और सफाई			
02-001(09) से स्थानान्तरित प्रतिशतता			
व्यय (प्रोरेटा)			
मू .	54,25.15		
अ.	6,43.45	70,74.00	70,74.00
पु .	10,05.40		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(03) अन्य ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
[01] अन्य ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
मू .	4,68,65.30		
अ.	57,42.56	5,69,00.00	5,68,13.49
पु .	42,92.14		- 86.51
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(08) ग्रीष्मकालीन आकस्मिकता			
मू .	47,00.00		
पु .	6,79.00	53,79.00	53,72.68
			- 6.32
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(20) चुरु-झुन्झुनू जल प्रदाय योजना			
(आपणी योजना फेज-II)			
मू .	39,43.20		
पु .	47,09.56	86,52.76	86,52.75
			- 0.01
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(25) नहरों का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत			
मू .	6,00.00		
पु .	1,96.00	7,96.00	7,95.74
			- 0.26

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय				
01. जलपूर्ति				
102. ग्रामीण जलपूर्ति				
(38) नागौर लिफ्ट कैनाल				
मू.	39,99.40	48,09.74	48,09.74	..
पु.	8,10.34			
01. जलपूर्ति				
102. ग्रामीण जलपूर्ति				
(39) पोकरण-फलसूण्ड जलपूर्ति योजना				
मू.	23,22.98	93,99.56	93,99.55	- 0.01
पु.	70,76.58			
01. जलपूर्ति				
102. ग्रामीण जलपूर्ति				
(44) चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति योजना (ई. ए. पी.)				
मू.	49,63.20	82,75.92	82,75.92	..
पु.	33,12.72			
01. जलपूर्ति				
102. ग्रामीण जलपूर्ति				
(54) फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना				
मू.	60,54.47	80,77.51	80,77.51	..
पु.	20,23.04			
01. जलपूर्ति				
102. ग्रामीण जलपूर्ति				
(55) राजगढ़-बूंगी जलप्रदाय परियोजना				
मू.	23,53.20	47,46.36	47,46.36	..
पु.	23,93.16			
01. जलपूर्ति				
102. ग्रामीण जलपूर्ति				
(56) स्वजल धारा स्कीम के अन्तर्गत किसी जल उपयोजना का एक वर्ष तक सफल संधारण पूर्ण होने पर बी.डब्ल्यू.एस.सी. को एक मुश्त अनुदान				
मू.	0.01	1,43.99	1,43.99	..
पु.	1,43.98			

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(60) नर्मदा परियोजना (डी.आर.)			
मू.	9,36.60	18,60.75	18,60.75
पु.	9,24.15		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(61) बाड़मेर लिफ्ट केनाल जलप्रदाय परियोजना			
फेज-2 पार्ट-बी (68 गाँवों की क्लस्टर योजना)			
मू.	10,14.23	22,08.16	22,08.15
पु.	11,93.93		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(64) ब्यावर जवाजा क्लस्टर योजना			
मू.	19,56.60	22,42.45	22,42.44
पु.	2,85.85		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(67) जवाई क्लस्टर परियोजना- II			
मू.	12,34.90	27,01.62	27,01.62
पु.	14,66.72		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(68) बीसलपुर -दूदू परियोजना-चाकसू-फागी एवं बस्सी			
मू.	36,91.50	42,29.91	42,29.91
पु.	5,38.41		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(71) चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति योजना- क्लस्टर			
मू.	46,55.78	57,67.24	57,67.23
पु.	11,11.46		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(74) चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना			
फेज- I पार्ट- II			
मू.	21,01.73	23,14.61	23,14.61
पु.	2,12.88		

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(80) कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के अन्तर्गत सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी एकीकृत जल पूर्ति परियोजना			
मू.	35,40.37	85,93.98	85,93.98
पु.	50,53.61		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(83) राजीव गांधी लिफ्ट केनाल योजना से घटोर, कानासर एवं बाप जल पूर्ति परियोजना			
मू.	3,19.14	10,61.23	10,61.23
पु.	7,42.09		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(85) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (डी.डी.पी.)			
मू.	70,87.52	79,82.00	79,80.45
पु.	8,94.48		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(88) ग्रामीण जलपूर्ति परियोजना कानसिंह सिद्ध-किदर्थ मण्डोर फलौदी (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 100 प्रतिशत केन्द्र)			
मू.	2,98.30	4,27.62	4,27.62
पु.	1,29.32		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(89) ग्रामीण जलपूर्ति परियोजना मलार-जोड-हिंगाडोल फलौदी (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 100 प्रतिशत केन्द्र)			
मू.	2,58.33	3,86.51	3,86.51
पु.	1,28.18		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(91) सुदृढीकरण शहरी जलप्रदाय योजना, जालौर के अन्तर्गत आने वाले 14 ग्रामीण गांव (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 100 प्रतिशत केन्द्र)			
मू.	4,17.62	5,49.52	5,49.52
पु.	1,31.90		

अनुदान संख्या 027 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(95) नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना			
फेज- II (डी डी पी) ग्रामीण			
अ.	0.01	5,42.53	5,42.53
पु .	5,42.52		..

उपरोक्त उन्तीस शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,13,19.47 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा शीर्ष "4215-01-102(03)[01] और 01-102(08) " के अंतर्गत ₹ 92.83 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

6. निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, प्रावधान का आवर्द्धन अत्यधिक था :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(03) अन्य ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
[05] मु.शी. 2215-जलपूर्ति और सफाई -01-102 से			
स्थानान्तरित ग्रामीण योजनाओं के लिए संधारण			
प्रतिशतता व्यय (ओ. एण्ड एम.)			
मू .	1,41,98.88	1,99,17.37	1,64,40.61
पु .	57,18.49		- 34,76.76

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 57,18.49 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 34,76.76 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

7. **उच्चत लेन-देन**: 2014-15 में पूंजी अनुभाग में लेखांकित "उच्चत" लेन-देनों का विभाजन विभिन्न उच्चत उप शीर्षों में आदि शेष और अन्त शेष के साथ नीचे दिया गया है:-

लघु शीर्ष "उच्चत" के उपखण्ड	आदि शेष नामे (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामे (+) जमा (-)
<i>(₹ लाख में)</i>				
स्टॉक	(+) 30,25.15	1,27,33.95	1,30,93.64	(+) 26,65.46
विविध सार्वजनिक निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 31,06.22	2,58.23	88.82	(+) 32,75.63
योग	(+) 61,31.37	1,29,92.18	1,31,82.46	(+) 59,41.09

अनुदान संख्या 028 – ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम और
2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा

पूंजी – 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहरस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	4,77,18,43	5,94,70,37	3,10,29,94	- 2,84,40,43
अनुपूरक	1,17,51,94			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	2,74,80,01	2,74,80,01	2,74,80,00	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1 मार्च 2015 में लिया गया ₹ 1,17,51.94 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल अनुमानों से कम था।

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) समन्वित जल ग्रहण विकास हेतु			
[01] कार्यकलाप संबंधी			
मू.	3,43,50.00	2,94,13.20	..
अ.	1,16,99.99		
पु.	- 1,66,36.79		

अनुदान संख्या 028 - (समाप्त)

मार्च 2015 में ₹ 1,16,99.99 लाख का अनुपूरक अनुदान समन्वित जल ग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने की प्रत्याशा में लिया गया परन्तु भारत सरकार से सम्भावित द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2015 को ₹ 1,66,36.79 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 1,66,36.06 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 0.73 लाख) किया गया।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) ग्रामीण हाट			
[01] अनुदान			
मू.	1,00.00
पु.	- 1,00.00
31 मार्च 2015 को ₹ 1,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			
[01] अनुदान			
मू.	1,00,00.00
अ.	50.00
पु.	- 1,00,50.00
मार्च 2015 में ₹ 50.00 लाख का अनुपूरक अनुदान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने की प्रत्याशा में लिया गया परन्तु भारत सरकार से निधियां के प्राप्त नहीं होने के कारण 31 मार्च 2015 को ₹ 1,00,50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को संस्थापन व्यय हेतु (राज्यांश)			
[01] कार्यकलाप संबंधी			
मू.	21,96.98	7,40.73	7,40.73
पु.	- 14,56.25
31 मार्च 2015 को ₹ 14,56.25 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां मानदण्ड की तुलना में कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 029 – नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2216. आवास,
 2217. शहरी विकास और
 3055. सड़क परिवहन
 पूंजी – 4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय ,
 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय,
 6217. शहरी विकास के लिए कर्ज और
 7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	28,63,76,07	28,63,76,09	22,98,24,16	- 5,65,51,93
अनुपूरक	2			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				
प्रभारित				
मूल	3	3	..	- 3
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	12,80,91,12	12,80,91,12	7,07,48,58	- 5,73,42,54
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 5,65,51.93 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 98.26 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(01) मेट्रो रेल परियोजना			
[01] जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड			
मू. 2,00,00.02	1,00,00.00	1,00,00.00	..
पु. - 1,00,00.02			
31 मार्च 2015 को ₹ 1,00,00.02 लाख का प्रावधान भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

05. अन्य शहरी विकास योजनाएं
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता
- (02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि
- [02] जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड

मू. 46,20.02	21,15.00	21,15.00	..
पु. - 25,05.02			
31 मार्च 2015 को ₹ 25,05.02 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

80. सामान्य
191. नगर निगम को सहायता
- (01) सामान्य अनुदान
- [01] निर्बन्ध अनुदान

मू. 9,38.00
पु. - 9,38.00			
31 मार्च 2015 को ₹ 9,38.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

80. सामान्य
191. नगर निगम को सहायता
- (05) जयपुर विकास प्राधिकरण को अनुदान

मू. 3,00.01
पु. - 3,00.01			
31 मार्च 2015 को ₹ 3,00.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(09) आर्थिक दृष्टि से कमजोर नगर निगमों को चुनाव हेतु विशेष अनुदान			
मू.	9,12.00	5,82.38	5,58.44
पु.	- 3,29.62		- 23.94

₹ 9,12.00 लाख का प्रावधान 2014 में निकायों के मेयर/अध्यक्ष/सभापति/निकाय सदस्यों हेतु प्रत्यक्ष मतदान द्वारा स्थानीय निकायों के चुनावों पर सम्भावित व्यय हेतु अनुमानित किया गया परन्तु राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई 2014 द्वारा मेयर/अध्यक्ष/ शहरी स्थानीय निकायों के सभापति के चुनावों को अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा कराने का निर्णय लिये जाने के कारण 31 मार्च 2015 को ₹ 3,29.62 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

₹ 23.94 लाख की अंतिम बचत स्थानीय निकायों के चुनावों हेतु ए.सी. बिल के द्वारा आहरित अवशेष राशि जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा जमा कराये जाने के कारण थी।

80. सामान्य
191. नगर निगम को सहायता
(27) तेरहवें वित्त आयोग के तहत सामान्य बुनियादी अनुदान

मू.	61,10.57	51,32.78	51,32.78	..
पु.	- 9,77.79			

80. सामान्य
191. नगर निगम को सहायता
(28) तेरहवें वित्त आयोग के तहत सामान्य निष्पादन अनुदान

मू.	41,58.87
पु.	- 41,58.87			

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 51,36.66 लाख का प्रावधान तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत नगर निगमों को कम अनुदान जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

80. सामान्य
191. नगर निगम को सहायता
(29) सार्वजनिक रोशनी
[01] विद्युत् बिलों का भुगतान

मू.	1,03,25.00	88,34.71	88,34.71	..
पु.	- 14,90.29			

31 मार्च 2015 को ₹ 14,90.29 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(30) पर्यावरण एवं स्वास्थ्य निधि से व्यय			
[01] सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट			
मू.	4,08.75
पु.	- 4,08.75
31 मार्च 2015 को ₹ 4,08.75 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(01) सामान्य अनुदान			
[01] निर्बन्ध अनुदान			
मू.	22,74.00	..	+ 25.00
पु.	- 22,74.00	..	25.00
31 मार्च 2015 को ₹ 22,74.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने तथा बिना प्रावधान हुए ₹ 25.00 लाख के व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। (अगस्त 2015)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(03) विशेष अनुदान			
मू.	6,08,10.81	5,91,10.95	..
पु.	- 16,99.86	5,91,10.95	..
31 मार्च 2015 को ₹ 16,99.86 लाख का प्रावधान नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को विशेष अनुदान कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(09) आर्थिक दृष्टि से कमजोर नगरपालिकाओं/ नगर परिषदों को चुनाव हेतु विशेष अनुदान			
मू.	7,03.00	3,78.98	- 9.52
पु.	- 3,24.02	3,69.46	..
₹ 7,03.00 लाख का प्रावधान 2014 में निकायों के मेयर/अध्यक्ष/सभापति/निकाय सदस्यों हेतु प्रत्यक्ष मतदान द्वारा स्थानीय निकायों के चुनावों पर सम्भावित व्ययों हेतु अनुमानित किया गया। परन्तु राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई 2014 द्वारा मेयर/अध्यक्ष/शहरी स्थानीय निकायों के सभापति के चुनावों को अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा कराने का निर्णय लिये जाने के कारण 31 मार्च 2015 को ₹ 3,24.02 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 9.52 लाख की अंतिम बचत स्थानीय निकायों के चुनावों हेतु ए.सी. बिल के द्वारा आहरित अवशेष राशि जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा जमा कराये जाने के कारण थी।			

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[01] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	3,41,50.58		
		3,40,02.82	3,40,02.82
पु.	- 1,47.76		..

31 मार्च 2015 को ₹ 1,47.76 लाख का प्रावधान नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कम अनुदान जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

80. सामान्य
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता
(22) छोटे एवं मध्यम कस्बों की शहरी आधारभूत विकास योजना (यू. आई. डी. एस. एस. एम. टी.)
(10:10:80)
[01] विकास कार्य

मू.	3,17,42.55			
		90,85.86	89,97.97	- 87.89
पु.	- 2,26,56.69			

31 मार्च 2015 को ₹ 2,26,56.69 लाख का प्रावधान राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को कम अनुदान जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,88,48.40 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 38,08.29 लाख) किया गया, जिसके तथा ₹ 87.89 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

80. सामान्य
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता
(28) तेरहवें वित्त आयोग के तहत सामान्य बुनियादी अनुदान

मू.	1,50,32.43			
		1,48,31.20	1,48,31.20	..
पु.	- 2,01.23			

31 मार्च 2015 को ₹ 2,01.23 लाख का प्रावधान नगरपालिकाओं/नगर परिषदों के लिये तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार से सामान्य बुनियादी अनुदानों की कम प्राप्ति के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

80. सामान्य
192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता
(29) तेरहवें वित्त आयोग के तहत सामान्य निष्पादन अनुदान

मू.	1,02,31.13			
	
पु.	- 1,02,31.13			

31 मार्च 2015 को ₹ 1,02,31.13 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(33) सार्वजनिक रोशनी			
[01] विद्युत् बिलों का भुगतान			
मू.	64,01.37	57,29.73	57,29.73
पु.	- 6,71.64		
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(33) सार्वजनिक रोशनी			
[02] राजस्थान शहरी विकास कोष (आर. यू. डी. एफ.) को हस्तान्तरण			
मू.	5,00.00
पु.	- 5,00.00		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 11,71.64 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(36) विभिन्न शहरी निकायों की जलप्रदाय योजनाओं का संचालन एवं संधारण			
[05] बल्क वाटर सप्लाई के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को भुगतान करने हेतु			
मू.	2,20.00	79.20	79.20
पु.	- 1,40.80		
31 मार्च 2015 को ₹ 1,40.80 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(01) नगर तथा देशी आयोजन संगठन (0:100)			
मू.	13,03.29	11,91.85	11,90.06
पु.	- 1,11.44		

₹ 1,11.44 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 19 अधिकारियों तथा कर्मचारियों का स्थानान्तरण अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण वेतन एवम् भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[03] अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड			
मू.	0.04	10,00.00	10,00.00
पु.	9,99.96		
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,99.96 लाख की अतिरिक्त निधियां अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के लिए उपलब्ध करायी गयी, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(03) विशेष अनुदान			
मू.	5,60,26.43	5,76,33.14	5,76,33.14
पु.	16,06.71		
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16,06.71 लाख की अतिरिक्त निधियां नगर निगमों को विशेष अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
80. सामान्य			
191. नगर निगमों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[01] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	1,44,94.42	1,48,73.97	1,48,73.97
पु.	3,79.55		
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,79.55 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत नगर निगमों को अधिक अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(32) जल एवं सीवरेज परियोजना			
[01] जल एवं सीवरेज परियोजना			
मू.	4,08.76	8,17.50	8,17.50
पु.	4,08.74		
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,08.74 लाख की अतिरिक्त निधियां जल एवं सीवरेज परियोजना को अधिक अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3055. सड़क परिवहन			
800. अन्य व्यय			
(07) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[04] परिवहन विभाग के माध्यम से			
मू.	12,49.73		
		16,28.90	..
पु.	3,79.17		

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,79.17 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि को अधिक अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 5,73,42.54 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 12,49.17 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(01) स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
[02] शहरी जनसहभागी योजना			
मू.	17,16.00		
		2,22.01	- 0.14
पु.	- 14,93.99		

31 मार्च 2015 को ₹ 14,93.99 लाख का प्रावधान शहरी जनसहभागी योजना के लिये निधियां कम जारी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
- अन्य व्यय
- स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता
- अग्नि शमन सेवाएँ

मू.	6,87.01		
	
पु.	- 6,87.01		

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(02) शहरी सड़कें एवं नालियां आदि (आर.ओ.बी.)			
[07] विभिन्न शहरी निकायों के लिये			
मू.	58,39.50	51,03.40	51,03.40
पु.	- 7,36.10		
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(03) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जे. एन. एन. यू. आर. एम.)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से विकास कार्य			
मू.	2,07,84.98	40,17.11	40,17.11
पु.	- 1,67,67.87		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 1,81,90.98 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
04. गंदी बस्तियों का विकास			
800. अन्य व्यय			
(01) एकीकृत आवास एवं गंदी बस्ती विकास योजना (आई. एच. एस. डी. पी.)			
मू.	78,56.12	14,39.93	14,39.93
पु.	- 64,16.19		
31 मार्च 2015 को ₹ 64,16.19 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
04. गंदी बस्तियों का विकास			
800. अन्य व्यय			
(02) प्रशासनिक व्यय			
मू.	1,71.80	35.15	35.15
पु.	- 1,36.65		
31 मार्च 2015 को ₹ 1,36.65 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(02) राजस्थान शहरी ढांचागत विकास परियोजना के माध्यम से (आर.यू.आई.डी.पी.) छः प्रमुख शहरों का विकास (ई.ए.पी.) निर्माण कार्य			
मू.	5,00.00	1,16.02	1,16.02
पु.	- 3,83.98		
₹ 3,83.98 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यों के अन्तिम समयावधि बढ़ोतरी में विलम्ब के परिणामस्वरूप ठेकेदारों के अंतिम बिल का अंतिमीकरण नहीं होने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 029 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(03) राजस्थान अरबन सेक्टर डवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (आर. यू. एस. डी. आई. पी.) आर. यू. आई. डी. पी. द्वितीय चरण (ई. ए. पी.) निर्माण कार्य			
मू.	4,64,99.82	1,96,54.18	1,84,05.17
पु.	- 2,68,45.64		- 12,49.01

₹ 2,68,45.64 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) निविदा फर्मों द्वारा कार्य नहीं करने के कारण चुरु मे जलापूर्ति कार्य तथा सीकर, नागौर, बूंदी, बाड़मेर, राजसमन्द के सीवरेज क्षेत्र की निविदाएं निरस्त करने, (ii) राजनैतिक विरोध, भूमि अधिग्रहण में देरी, कोर्ट स्टे, स्थानीय विरोध के कारण सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट/पम्पिंग स्टेशन हेतु भूमि उपलब्धता में देरी, (iii) संकड़ी गलियों/ पानी से तृप्त भूमि में गहरी खुदाई की विपरीत परिस्थितियों के कारण कई कस्बों में सीवरेज परियोजना के क्रियान्वयन में कठिनाई, (iv) बाजार में सीवरेज ठेकेदारों की कमी के कारण सीवरेज कार्यों में कम निविदा तथा घटिया कार्य किये जाने, (v) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा रेलवे कासिंग की क्लीयरेंस में देरी, (vi) निर्माण स्थान की भूमि में बदलाव तथा कुछ कस्बे में उच्च जलाशय के प्रकरण में कोर्ट स्टे के कारण कार्यों में देरी होने, (vii) सुपरवाइजरी तकनीकी फील्ड स्टाफ के पदों के रिक्त रहने, (viii) लाईन एजेन्सियों जैसे जलापूर्ति, बिजली लाइन, द्वारा भूमिगत उपयोगिताओं के स्थानान्तरण के लिये जमा कार्यों को पूर्ण करने में देरी, (ix) विभिन्न संवर्गों में 44 पदों के रिक्त रहने, (x) आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा सृजित सम्पत्तियों को पी.एच.ई.डी. द्वारा अधिगृहित करने में देरी तथा (xi) आयोजना सीमा में कमी के कारण कार्यों की धीमी प्रगति को आरोपित की गई।

₹ 12,49.01 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(04) राजस्थान अरबन सेक्टर डवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (आर. यू. एस. डी. आई. पी.) आर. यू. आई. डी. पी. तृतीय चरण (ई. ए. पी.) निर्माण कार्य			
मू.	10,00.00	75.34	75.33
पु.	- 9,24.66		- 0.01

आर.यू.आई.डी.पी. चरण तृतीय के अन्तर्गत पाली व टोंक में आवश्यकताओं के स्थान परिवर्तन तथा परियोजना के कस्बों की उपग्रहीय तस्वीरों को बचाये रखने हेतु प्रावधान अनुमानित था जिसके लिये राशि एशियन डवलपमेंट बैंक (ए.डी.बी.) द्वारा जारी की जानी थी। यद्यपि, 31 मार्च 2015 को ₹ 9,24.66 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) 21 पदों के रिक्त रहने तथा (ii) ए.डी.बी. द्वारा राशि जारी नहीं किये जाने क्योंकि ए.डी.बी. की स्टैण्डर्ड प्रक्रिया अनुसार, ठेके के आदेश जारी किये जाने से पूर्व व्यय के भुगतान की अनुमति नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 029 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(03) जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को उधार (फेज- I-बी)			
[01] एशियन विकास बैंक ऋण			
मू.	1,50,00.00		
पु.	- 82,65.88	67,34.12	67,34.12 ..
31 मार्च 2015 को ₹ 82,65.88 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(02) राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि			
[02] जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड			
मू.	10,00.00		
पु.	40,65.00	50,65.00	50,65.00 ..
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध कराई गई ₹ 40,65.00 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(01) राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि			
[01] राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड			
मू.	0.01		
पु.	24,99.99	25,00.00	25,00.00 ..
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध कराई गई ₹ 24,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 030 - जनजाति क्षेत्रीय विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व -	2014.	न्याय प्रशासन,
	2029.	भू-राजस्व,
	2055.	पुलिस,
	2059.	लोक निर्माण कार्य,
	2202.	सामान्य शिक्षा,
	2203.	तकनीकी शिक्षा,
	2204.	खेलकूद तथा युवा सेवाएं ,
	2205.	कला एवं संस्कृति,
	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,
	2211.	परिवार कल्याण,
	2216.	आवास,
	2217.	शहरी विकास,
	2220.	सूचना तथा प्रचार,
	2225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण,
	2230.	श्रम तथा रोजगार,
	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,
	2236.	पोषण,
	2401.	फसल कृषि-कर्म,
	2402.	मृदा तथा जल संरक्षण,
	2403.	पशु-पालन,
	2405.	मछली-पालन,
	2406.	वानिकी तथा वन्य प्राणी,
	2415.	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा,
	2425.	सहकारिता,
	2501.	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,
	2505.	ग्राम रोजगार,
	2515.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,
	2700.	मुख्य सिंचाई,
	2702.	लघु सिंचाई,
	2705.	सिंचित क्षेत्र विकास,
	2801.	बिजली,
	2810.	नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा,
	2851.	ग्राम तथा लघु उद्योग,
	2852.	उद्योग,
	2853.	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग,
	3055.	सड़क परिवहन,
	3425.	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान,
	3435.	परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण,
	3451.	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं,
	3452.	पर्यटन,
	3454.	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी,
	3456.	सिविल पूर्ति,
	3475.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं और
	3604.	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन
पूँजी -	4055.	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय,
	4058.	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय,
	4059.	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय,
	4202.	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय,

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय,
 4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
 4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय,
 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,
 अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर
 पूंजीगत परिव्यय,
 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,
 4402. मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4405. मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय,
 4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय,
 4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,
 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,
 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय,
 5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय,
 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 6216. आवास के लिए कर्ज,
 6408. खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिए कर्ज,
 6425. सहकारिता के लिए कर्ज,
 6885. उद्योग और खनिज के लिए अन्य कर्ज और
 7055. सड़क परिवहन के लिए अन्य कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	63,52,64,11	63,52,64,28	51,30,07,65	- 12,22,56,63
अनुपूरक	17			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				
प्रभारित				
मूल	1,77	1,77	1,39	- 38
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				
				38

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
पूँजी				
दत्तमत				
मूल	23,06,92,91	27,32,47,60	21,16,63,04	- 6,15,84,56
अनुपूरक	4,25,54,69			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				6,14,92,97

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 12,22,56.63 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 5,52.75 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा				
01. प्रारम्भिक शिक्षा				
111. सर्व शिक्षा अभियान				
(03) जन जाति क्षेत्र के लिए उपयोजना (शिक्षा गारन्टी स्कीम)				
मू.	5,65,36.27	5,38,63.02	5,38,63.02	..
पु.	- 26,73.25			

31 मार्च 2015 को ₹ 26,73.25 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्य सरकार द्वारा निधियां कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
- (08) जनजाति क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालक)
- [01] स्थापना व्यय

मू.	2,30,57.47	2,16,46.78	2,16,38.62	- 8.16
पु.	- 14,10.69			

31 मार्च 2015 को ₹ 14,10.69 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) विगत वर्षों के अध्यापकों के 99 पद रिक्त रहने और वर्ष के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा की गई उद्घोषणा की अनुपालना में स्वीकृत नये पदों पर भर्ती नहीं किये जाने तथा (ii) बकायों के भुगतान नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 8.16 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(09) जनजाति क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालिका)			
[01] स्थापना व्यय			
मू.	21,16.82		
पु.	- 4,62.39		
	16,54.43	16,52.87	- 1.56

31 मार्च 2015 को ₹ 4,62.39 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) विगत वर्षों के अध्यापकों के 4 पद रिक्त रहने और वर्ष के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा की गई उद्घोषणा की अनुपालना में स्वीकृत नये पदों पर भर्ती नहीं किये जाने तथा (ii) बकायों के भुगतान नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(02) प्राथमिक विद्यालय बालकों के लिए

मू.	14,91.52		
पु.	- 11,11.63		
	3,79.89	3,79.89	..

31 मार्च 2015 को ₹ 11,11.63 लाख का प्रावधान मुख्यतः प्राथमिक विद्यालयों में नयी योजना के लिए मुख्यमंत्री द्वारा की गई उद्घोषणा की अनुपालना में स्वीकृत पदों पर भर्ती नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(11) शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों की
फीस का पुनर्भरण

मू.	22,75.00		
पु.	- 7,04.55		
	15,70.45	15,70.45	..

31 मार्च 2015 को ₹ 7,04.55 लाख का प्रावधान शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों को योग्य विद्यार्थियों के प्रवेश पर फीस के पुनर्भरण के अन्तर्गत भुगतान विद्यार्थियों के सत्यापन के आधार पर करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. माध्यमिक शिक्षा
107. छात्रवृत्तियां
(06) अनुसूचित जन जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां
[02] पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां

मू.	76,72.00		
पु.	- 24,14.42		
	52,57.58	52,57.58	..

31 मार्च 2015 को ₹ 24,14.42 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(07) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान			
[03] माध्यमिक शिक्षा अभियान-अनुसूचित जन जातियों के लिए			
मू.	1,09,29.01		
अ.	0.01	59,17.78	59,17.49
पु.	- 50,11.24		- 0.29
₹ 50,11.24 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(08) बालिका छात्रावास			
[03] बालिका छात्रावास-अनुसूचित जन जातियों के लिए			
मू.	11,14.22		
पु.	- 7,33.64	3,80.58	3,80.58
₹ 7,33.64 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(09) मॉडल स्कूल			
[03] मॉडल स्कूल -अनुसूचित जन जातियों के लिए			
मू.	47,60.80		
पु.	- 32,35.47	15,25.33	15,25.33
31 मार्च 2015 को ₹ 32,35.47 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
[01] लड़कों के विद्यालय			
मू.	3,76,31.39		
पु.	- 51,15.05	3,25,16.34	3,25,10.21
- 6.13			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
[02] बालिका विद्यालय			
मू.	35,15.65		
पु.	- 3,19.65	31,96.00	31,96.01
+ 0.01			

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 54,34.70 लाख की प्रत्याशित बचत वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, इसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(10) अनुसूचित जन जाति क्षेत्र के विद्यालयों में संचार सूचना एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा			
मू.	5,95.00	4,06.89	4,06.89
पु.	- 1,88.11		
31 मार्च 2015 को ₹ 1,88.11 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(11) अनुसूचित जन जाति क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को साइकिल का वितरण			
मू.	8,43.75	3,51.84	3,51.84
पु.	- 4,91.91		
31 मार्च 2015 को ₹ 4,91.91 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(18) लेपटॉप वितरण			
मू.	9,67.80
पु.	- 9,67.80
31 मार्च 2015 को ₹ 9,67.80 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सरकारी महाविद्यालय (पुरुषों के लिये)			
मू.	43,91.84	37,28.85	37,28.84
पु.	- 6,62.99		
31 मार्च 2015 को ₹ 6,62.99 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा राजकॉम्प द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में अंग्रेजी भाषा प्रयोगशाला तथा पुस्तकालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु स्वीकृति जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. प्रौढ़ शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) साक्षर भारत			
मू.	12,64.56	3,33.84	3,33.84
पु.	- 9,30.72		
31 मार्च 2015 को ₹ 9,30.72 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण			
मू.	8,34.03	4,32.67	4,32.68
पु.	- 4,01.36		
31 मार्च 2015 को ₹ 4,01.36 लाख का प्रावधान 158 स्वीकृत पदों में से 99 पदों के रिक्त रहने तथा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2203. तकनीकी शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बांसवाडा			
मू.	1,00.02	25.00	..
पु.	- 75.02		
31 मार्च 2015 को ₹ 75.02 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा निधियां जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 25.00 लाख का समस्त प्रावधान नवम्बर 2014 में स्वीकृति जारी किये जाने के बाद भी महाविद्यालय के निजी निक्षेप खाते में निधि प्रत्यावर्तित नहीं किये जाने के कारण अनुपयोजित रहा।			
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) राजस्थान स्पोर्ट्स कौन्सिल को अनुदान			
मू.	4,50.02	1,20.75	1,20.75
पु.	- 3,29.27		
₹ 3,29.27 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(07) भारत स्काउट व गाइड			
मू.	2,16.57	50.54	50.54
पु.	- 1,66.03		
31 मार्च 2015 को ₹ 1,66.03 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) जनजातीय क्षेत्र उप योजना-ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	51,77.34	42,38.37	42,36.67
पु.	- 9,38.97		
31 मार्च 2015 को ₹ 9,38.97 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) जनजातीय क्षेत्र उप योजना-ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[03] स्वास्थ्य उप केन्द्र			
मू.	14,19.04	5,25.45	5,25.45
पु.	- 8,93.59		..
31 मार्च 2015 को ₹ 8,93.59 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) अन्य अस्पताल			
मू.	61,96.01	57,35.33	57,34.52
पु.	- 4,60.68		- 0.81
₹ 4,60.68 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों तथा संविदा पर कार्यरत ए.एन.एम. को मानदेय पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(05) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	17,83.03	3,72.70	3,72.70
पु.	- 14,10.33		..
31 मार्च 2015 को ₹ 14,10.33 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) वाहनों के संचालन एवं अनुरक्षण पर कम व्यय, (iii) कम्प्यूटर सैट्स की खरीद नहीं होने तथा (iv) शीर्ष मुफ्त दवा योजना के अन्तर्गत दवा की प्राप्ति के कारण दवा की आपूर्ति के अन्तर्गत कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(06) राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय को अनुदान			
मू.	3,73.90	85.00	85.00
पु.	- 2,88.90		..
31 मार्च 2015 को ₹ 2,88.90 लाख का प्रावधान राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं -अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) आयुर्वेद			
[02] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-राज्यांश राशि			
मू.	8,30.00
पु.	- 8,30.00		..
31 मार्च 2015 को ₹ 8,30.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (01) अस्पताल एवं औषधालय [01] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर	मू. 10,01.01 पु. - 2,71.63	7,29.38	7,29.38 ..
₹ 2,71.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (01) अस्पताल एवं औषधालय [02] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, बीकानेर	मू. 11,17.25 पु. - 1,41.35	9,75.90	9,75.89 - 0.01
₹ 1,41.35 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः स्नातकोत्तर अध्ययनरत डॉक्टर की कम संख्या होने के परिणामतः वेतन एवं वजीफे पर कम व्यय होने के कारण 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित की गयी।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (01) अस्पताल एवं औषधालय [03] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, उदयपुर	मू. 8,00.00 पु. - 1,15.16	6,84.84	6,84.84 ..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,15.16 लाख का प्रावधान मुख्यतः 75 पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (01) अस्पताल एवं औषधालय [04] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, अजमेर	मू. 15,08.37 पु. - 5,21.39	9,86.98	9,86.99 + 0.01

31 मार्च 2015 को ₹ 5,21.39 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) 160 स्वीकृत पदों में से 145 पदों के रिक्त रहने, (ii) फर्मों द्वारा शल्य एवं नाक, कान एवं गला विभाग हेतु एल.ई.डी. तथा ऑपरेशन थियेटर लाइटों की आपूर्ति नहीं किये जाने, (iii) राज्यांश से पैरा मेडिकल कोर्स के लिए उपकरणों की खरीद की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा (iv) एम. आर. आई. मशीन स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्णय लेने के बाद कि इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड द्वारा स्थापित किया जावे, के कारण निधियों का उपयोग नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर			
मू.	19,73.75	17,97.16	17,97.16
पु.	- 1,76.59		..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,76.59 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) वरिष्ठ रेजिडेंट चिकित्सकों के पद रिक्त रहने तथा (ii) निविदायें प्राप्त नहीं होने के कारण मशीन एवं उपकरणों की खरीद नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा			
मू.	10,48.59	5,53.62	5,53.62
पु.	- 4,94.97		..
31 मार्च 2015 को ₹ 4,94.97 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) 100 स्वीकृत पदों में से 59 पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों, (ii) स्नातकोत्तर रेजिडेंटों की शिक्षा अवकाश स्वीकृत नहीं होने से वजीफे का भुगतान नहीं होने, (iii) कनिष्ठ/वरिष्ठ रेजिडेंटों के पद रिक्त रहने के कारण तथा (iv) राज्य सरकार से दिशा-निर्देशों के अभाव में कम्प्यूटरीकरण पर व्यय नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(03) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण)			
मू.	5,89.31	4,38.63	4,38.57
पु.	- 1,50.68		- 0.06
31 मार्च 2015 को ₹ 1,50.68 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(06) निःशुल्क दवा वितरण योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से			
मू.	14,20.00	10,01.96	10,01.61
पु.	- 4,18.04		- 0.35
₹ 4,18.04 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(06) निःशुल्क दवा वितरण योजना			
[02] राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को सहायता			
मू.	30,00.00	24,00.00	24,00.00
पु.	- 6,00.00		..
मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से निधियां प्राप्त होने से प्रत्याशित बचत आरोपित की गयी, जिसके परिणामतः 31 मार्च 2015 को ₹ 6,00.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) निःशुल्क जाँच योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	17,34.02	16,05.96	15,88.95
पु.	- 1,28.06		- 17.01
₹ 1,28.06 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
₹ 17.01 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
2211. परिवार कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[01] बी.पी.एल. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष (30:70)			
मू.	9,47.50	6,22.50	6,22.50
पु.	- 3,25.00		..
31 मार्च 2015 को ₹ 3,25.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से योजनान्तर्गत निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[02] स्टेट वाइड इमरजेन्सी एम्बुलेंस सेवा योजना (50:50)			
मू.	11,40.00	10,02.11	10,02.11
पु.	- 1,37.89		..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,37.89 लाख का प्रावधान भारत सरकार से योजनान्तर्गत निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (15:85)			
मू.	2,37,05.00	1,49,01.04	1,49,01.04
पु.	- 88,03.96		..
31 मार्च 2015 को ₹ 88,03.96 लाख का प्रावधान भारत सरकार से योजनान्तर्गत निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन			
मू.	37,71.69	9,82.15	9,82.15
पु.	- 27,89.54		..
31 मार्च 2015 को ₹ 27,89.54 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[04] जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	8,58.00	5,10.00	5,10.00
पु.	- 3,48.00		..
31 मार्च 2015 को ₹ 3,48.00 लाख का प्रावधान अनुसूचित जनजातियों के लिए जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को अनुदान कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(01) सामान्य अनुदान			
[03] निर्बंध अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	2,45.00
पु.	- 2,45.00		..
31 मार्च 2015 को ₹ 2,45.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(30) पर्यावरण और स्वास्थ्य निधि से व्यय			
[03] सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट			
मू.	1,01.25
पु.	- 1,01.25		
31 मार्च 2015 को ₹ 1,01.25 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(01) सामान्य अनुदान			
[03] निर्बंध अनुदान (अनुसूचित जन जातियों के लिए)			
मू.	5,26.00	..	4.22 + 4.22
पु.	- 5,26.00		
31 मार्च 2015 को ₹ 5,26.00 लाख के समस्त प्रावधान को अभ्यर्पित किये जाने तथा प्रावधान बिना हुए ₹ 4.22 लाख के व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(22) छोटे एवं मध्यम कस्बों की शहरी आधारभूत विकास योजना (10:10:80)			
[03] विकास कार्य			
मू.	62,44.00	17,82.71	17,82.71 ..
पु.	- 44,61.29		
31 मार्च 2015 को ₹ 44,61.29 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[44] अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पौधारोपण हेतु सहायता (वि.के.स.)			
मू.	8,00.00
पु.	- 8,00.00		
31 मार्च 2015 को ₹ 8,00.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से योजनांतर्गत निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[54] कृषि विकास परियोजना एवं उपकरण (वि.के.स.)			
मू.	33,93.00	24,10.00	24,10.00
पु.	- 9,83.00		..
31 मार्च 2015 को ₹ 9,83.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से योजनांतर्गत निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[09] अनुप्रति योजनांतर्गत सहायता			
मू.	2,00.00	98.93	98.93
पु.	- 1,01.07		..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,01.07 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(10) माडा व बिखरी के आश्रम छात्रावास			
मू.	3,60.94	2,40.79	2,40.79
पु.	- 1,20.15		..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,20.15 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) बिखरी जनजाति क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनांतर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[01] आश्रम छात्रावासों का संचालन			
मू.	2,40.57	80.00	80.00
पु.	- 1,60.57		..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,60.57 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) सहरिया विकास (जनजाति कल्याण निधि)			
[08] माँ-बाड़ी केन्द्रों का संचालन			
मू.	8,26.56	4,00.00	4,00.00
पु.	- 4,26.56		..
31 मार्च 2015 को ₹ 4,26.56 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) सहरिया विकास (जनजाति कल्याण निधि)			
[18] सहरियाओं के लिए एकीकृत विकास परियोजना			
मू.	32,28.91	6,18.85	6,18.85
पु.	- 26,10.06		..
31 मार्च 2015 को ₹ 26,10.06 लाख का प्रावधान योजना की आयोजना सीमा में कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(19) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत संचालित योजनाएं			
[02] सहरिया विकास की सी.सी.डी. योजनांतर्गत नवाचार योजनाएं			
मू.	3,25.23	10.00	10.00
पु.	- 3,15.23		..
31 मार्च 2015 को ₹ 3,15.23 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(19) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत संचालित योजनाएं			
[03] सहरिया विकास की सी.सी.डी. योजनांतर्गत सोलर लाइट हेतु सहायतार्थ अनुदान			
मू.	2,00.00
पु.	- 2,00.00		..
31 मार्च 2015 को ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(19) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत संचालित योजनाएं			
[06] सहरिया विकास की सी.सी.डी. योजनांतर्गत सहरिया के माँ-बाडी केन्द्रों का संचालन			
मू.	15,51.26	9,44.50	9,44.50
पु.	- 6,06.76		..
31 मार्च 2015 को ₹ 6,06.76 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(21) माडा क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनांतर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[01] आश्रम छात्रावासों का संचालन			
मू.	8,49.78	2,15.00	2,15.00
पु.	- 6,34.78		
31 मार्च 2015 को ₹ 6,34.78 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
2230. श्रम तथा रोजगार			
02. रोजगार सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(05) राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना-2012			
[01] बेरोजगारी भत्ता			
मू.	5,89.40	3,39.52	3,39.33
पु.	- 2,49.88		
31 मार्च 2015 को ₹ 2,49.88 लाख का प्रावधान लाभार्थियों से कम आवेदन प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. प्रशिक्षण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) शिल्प प्रशिक्षण योजना			
मू.	4,95.20	3,90.90	3,90.89
पु.	- 1,04.30		
₹ 1,04.30 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
03. प्रशिक्षण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(05) जनजाति क्षेत्रों में युवकों के लिए पाठ्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
मू.	1,42.30	15.96	15.95
पु.	- 1,26.34		
₹ 1,26.34 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अन्य कार्यक्रम			
[10] अनुसूचित जनजाति के बी.पी.एल. परिवारों को जनश्री बीमा योजना हेतु सहायता			
मू.	6,41.00	4,85.46	4,85.46
पु.	- 1,55.54		..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,55.54 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

02. समाज कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(13) महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[06] महिलाओं के लिए बेसिक कम्प्यूटर कोर्स			
मू.	2,70.00	73.99	73.99
पु.	- 1,96.01		..
₹ 2,70.00 लाख का प्रावधान राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में महिलाओं के लिए बेसिक कम्प्यूटर कोर्स हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, आयोजना सीमा में कमी के कारण 31 मार्च 2015 को ₹ 1,96.01 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			

02. समाज कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(13) महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[07] मिशन ग्राम्य शक्ति			
मू.	2,50.01
पु.	- 2,50.01		..
31 मार्च 2015 को ₹ 2,50.01 लाख का समस्त प्रावधान मिशन ग्राम्य शक्ति योजना लागू नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[11] अनुसूचित जनजातियों के लिए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन			
मू.	78,46.30	56,49.85	55,30.30
पु.	- 21,96.45		- 1,19.55
31 मार्च 2015 को ₹ 21,96.45 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने तथा ₹ 1,19.55 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[12] अनुसूचित जनजातियों के लिए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन			
मू.	12,32.84	7,51.90	7,41.75
पु.	- 4,80.94		
			- 10.15
31 मार्च 2015 को ₹ 4,80.94 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने तथा ₹ 10.15 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[13] अनुसूचित जनजातियों के लिए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन			
मू.	2,61.47	1,35.61	1,33.61
पु.	- 1,25.86		
			- 2.00
31 मार्च 2015 को ₹ 1,25.86 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[02] ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायत स्तरीय संस्थापन व्यय- जन जाति क्षेत्र उपयोजना			
मू.	75,74.69	73,58.18	73,56.56
पु.	- 2,16.51		
			- 1.62
₹ 2,16.51 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[02] एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम			
मू.	8,60.98	4,63.70	4,63.49
पु.	- 3,97.28		
			- 0.21
31 मार्च 2015 को ₹ 3,97.28 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय			
संस्थापन व्यय हेतु			
[18] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन			
मू.	10,51.76	9,01.73	9,01.73
पु.	- 1,50.03		
31 मार्च 2015 को ₹ 1,50.03 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय			
संस्थापन व्यय हेतु			
[20] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटे अनाज			
मू.	4,47.65	95.39	95.39
पु.	- 3,52.26		
31 मार्च 2015 को ₹ 3,52.26 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय			
संस्थापन व्यय हेतु			
[21] राष्ट्रीय तिलहन मिशन-तिलहन			
मू.	2,39.11	91.39	91.39
अ.	0.01		
पु.	- 1,47.73		
31 मार्च 2015 को ₹ 1,47.73 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय			
संस्थापन व्यय हेतु			
[23] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि विस्तार			
मू.	4,67.48	1,87.49	1,87.49
पु.	- 2,79.99		
31 मार्च 2015 को ₹ 2,79.99 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय			
संस्थापन व्यय हेतु			
[26] टिकाउ खेती मिशन-बारानी क्षेत्र विकास			
मू.	5,53.22	14.43	14.43
पु.	- 5,38.79		
31 मार्च 2015 को ₹ 5,38.79 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[03] राष्ट्रीय बागवानी मिशन (15% राज्यांश : 85% केन्द्रीयंश)			
मू.	8,40.00	3,34.14	3,34.14
पु.	- 5,05.86		
31 मार्च 2015 को ₹ 5,05.86 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[04] प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु (20% राज्यांश : 80% केन्द्रीयंश)			
मू.	18,01.59	5,44.36	5,44.36
पु.	- 12,57.23		
₹ 18,01.59 लाख का प्रावधान जल बचत एवं अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए बूंद-बूंद सिंचाई तथा स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, 31 मार्च 2015 को ₹ 12,57.23 लाख के प्रावधान मुख्यतः (i) भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने तथा (ii) खेत पर जल प्रबन्धन योजना के लिए कृषकों द्वारा कम रुचि दिखायी गयी क्योंकि जनजातीय कृषकों के लिए अनुदान की विशिष्ट श्रेणी निर्धारित नहीं होने के परिणामतः कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[05] बूंद-बूंद सिंचाई राज्य योजना			
मू.	11,70.00	3,86.41	3,86.41
पु.	- 7,83.59		
₹ 11,70.00 लाख का प्रावधान बूंद-बूंद सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु अनुमानित किया गया था जिससे कि पानी के उचित उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके। यद्यपि, 31 मार्च 2015 को ₹ 7,83.59 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने तथा (ii) खेत पर जल प्रबन्धन योजना के लिए कृषकों द्वारा कम रुचि दिखायी गयी क्योंकि जनजातीय कृषकों के लिए अनुदान की विशिष्ट श्रेणी निर्धारित नहीं होने के परिणामतः कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[11] सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त अनुदान			
मू.	14,30.41
पु.	- 14,30.41		
31 मार्च 2015 को ₹ 14,30.41 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(57) मिशन फॉर लिवलिहुड			
मू.	14,99.98	6,88.50	6,88.50
पु.	- 8,11.48		
31 मार्च 2015 को ₹ 8,11.48 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(63) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
मू.	5,20.00
पु.	- 5,20.00
31 मार्च 2015 को ₹ 5,20.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
2012-13 तथा 2013-14 के दौरान भी शीर्ष के अन्तर्गत समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[05] मत्स्य विभाग के माध्यम से			
मू.	2,00.00	20.94	20.94
पु.	- 1,79.06
31 मार्च 2015 को ₹ 1,79.06 लाख का प्रावधान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(72) राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पाम मिशन			
[01] राष्ट्रीय तिलहन मिशन-तिलहन			
मू.	9,01.65	1,98.41	1,98.41
अ.	0.01
पु.	- 7,03.25
31 मार्च 2015 को ₹ 7,03.25 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(74) राष्ट्रीय टिकाउ खेती मिशन			
[02] टिकाउ खेती मिशन-मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन			
मू.	2,76.45
पु.	- 2,76.45
31 मार्च 2015 को ₹ 2,76.45 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
2402. मृदा तथा जल संरक्षण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(03) पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन परियोजना			
(आई फैंड फण्डेड) (एम पावर)			
मू.	5,30.09	4,20.70	3,30.07
पु.	- 1,09.39	..	- 90.63
₹ 1,09.39 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 56 स्वीकृत पदों में से 29 पदों के रिक्त रहने, (ii) चुनाव की आचार संहिता के कारण कार्य पूर्ण नहीं होने तथा (iii) कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निधि (आई फैंड) की पर्यवेक्षण मिशन द्वारा स्वयं सहायता गुप को बीज पूंजी जारी करने हेतु मापदण्डों में बदलाव किये जाने के कारण स्वयं सहायता गुप को निधियां जारी नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।			
₹ 90.63 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु पालन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पशु पालन विभाग के अभिकरण से			
[26] मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना			
मू.	30,49.30	11,99.01	11,98.60
पु.	- 18,50.29		- 0.41
₹ 18,50.29 लाख की प्रत्याशित बचत "दवाइयों तथा औषधियों" पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी क्योंकि जो दवाइयां पशुधन के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत क्रय की जानी थी वे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में उपलब्ध होने तथा आपूर्तिकर्ता द्वारा समस्त दवाइयों की आपूर्ति नहीं किये जाने के कारण रही।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) गौ सेवा निदेशालय			
[01] गौ शालाओं को अनुदान			
मू.	14,51.45
पु.	- 14,51.45		
31 मार्च 2015 को ₹ 14,51.45 लाख का समस्त प्रावधान गौ शालाओं को अनुदान जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) वन संरक्षण			
मू.	10,74.03	9,52.56	9,52.31
पु.	- 1,21.47		- 0.25
₹ 1,21.47 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
01. फसल कृषि कर्म			
004. अनुसंधान			
(04) कृषि विश्वविद्यालय, कोटा			
मू.	1,79.00
अ.	0.01		
पु.	-1,79.01		
31 मार्च 2015 को ₹ 1,79.01 लाख का समस्त प्रावधान विश्वविद्यालय को अनुदान जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
2425. सहकारिता			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(33) सहकारी संस्थाओं को ब्याज अनुदान			
मू.	25,12.00	19,19.00	19,19.00
पु.	- 5,93.00		..
₹ 25,12.00 लाख का प्रावधान केन्द्रीय बैंकों एवं राजस्थान सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से दीर्घावधि कृषि ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना को लागू किये जाने हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, 31 मार्च 2015 को ₹ 5,93.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया क्योंकि योजना के पुनरीक्षण के बाद योजना की क्रियान्विति केवल सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा की गयी।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) समन्वित जलग्रहण विकास हेतु			
[02] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	67,50.00	53,48.32	53,48.32
पु.	- 14,01.68		..

31 मार्च 2015 को ₹ 14,01.68 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के परिणामतः राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

06. स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			
[02] अनुदान			

मू. 40,00.00

पु. - 40,00.00

31 मार्च 2015 को ₹ 40,00.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के परिणामतः राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2505. ग्राम रोजगार			
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) इंदिरा आवास योजना			
[02] अनुदान (राज्यांश)			

मू. 3,99,53.93

पु. - 57,50.44

3,42,03.49

3,42,03.49

..

₹ 3,99,53.93 लाख का प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों में नये मकानों के निर्माण/मकानों के उन्नयन के लिए चयनित आश्रय रहित बी.पी.एल. परिवारों को एक मुश्त वित्तीय सहायता हेतु अनुमानित किया गया था।

यद्यपि, 31 मार्च 2015 को ₹ 57,50.44 लाख का प्रावधान भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए 4 जिलों को बकाया किश्तें, वर्ष 2013-14 के लिए 9 जिलों को किश्तें तथा वर्ष 2014-15 के लिए 9 जिलों को द्वितीय किश्त जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (राज्यांश)			
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[02] कार्यकलाप सम्बन्धी			

मू. 6,02,87.99

पु. - 1,87,28.65

4,15,59.34

4,15,59.34

..

₹ 1,87,28.65 लाख का प्रावधान 31 मार्च 2015 को भारत सरकार से मांग के अनुसार निधियों की प्राप्ति तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 30,82.28 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,56,46.37 लाख) किया गया।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
102. सामुदायिक विकास			
(01) वित्तीय सशक्तिकरण योजना			
[05] अनुसूचित जनजाति के परिवार को प्रोत्साहन			
मू.	7,43.00
पु.	- 7,43.00

₹ 7,43.00 लाख का प्रावधान *भामाशाह योजना-2008* के अन्तर्गत यदि, उचित दावे प्राप्त होते हैं तो नियमानुसार सेवा प्रदाताओं के दावों के भुगतान हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, राज्य सरकार स्तर के अन्तर्गत दावों की योग्यता के निर्णय अटके होने के परिणामतः 31 मार्च 2015 को ₹ 7,43.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(06) पिछड़ा जिला विकास कोष (केन्द्रीय सहायता)
[02] कार्यकलाप सम्बन्धी गतिविधियां

मू.	82,33.14	54,69.00	54,69.00	..
पु.	- 27,64.14			

₹ 82,33.14 लाख का प्रावधान क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाने, पंचायतों को जिम्मेदार तथा जवाबदेह बनाने तथा गरीबी उन्मूलन की तरफ योगदान के लिये अनुमानित किया गया था। यद्यपि, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 13-02-2015 द्वारा प्रावधान में 52 प्रतिशत तक की कमी के कारण 31 मार्च 2015 को ₹ 27,64.14 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(22) जिला नवाचार कोष
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां

मू.	11,59.60
पु.	- 11,59.60			

₹ 11,59.60 लाख का प्रावधान राज्य के 33 जिलों में पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों की क्षमता में वृद्धि हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण 31 मार्च 2015 को ₹ 11,59.60 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(25) ग्रामीण बी.पी.एल. आवास
[03] जन जाति क्षेत्रीय उपयोजना में कार्यकलाप/गतिविधियां

मू.	92,43.18	82,17.20	82,17.20	..
पु.	- 10,25.98			

₹ 92,43.18 लाख का प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों में बी.पी.एल. परिवारों को मकानों के निर्माण के लिए निधियां उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, हुडको द्वारा रखी गयी मांग के अनुसार अनुदान जारी किये जाने के परिणामतः 31 मार्च 2015 को ₹ 10,25.98 लाख अभ्यर्पित किये गये।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(26) सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	53,70.67		
पु.	- 31,40.16	22,30.51	22,30.51
			..
₹ 53,70.67 लाख का प्रावधान विद्यालयों एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालयों के निर्माण के द्वारा स्वच्छ एवं स्वस्थ राज्य साधित करने हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, हुड़को द्वारा रखी गयी मांग के अनुसार अनुदान जारी किये जाने के परिणामतः 31 मार्च 2015 को ₹ 31,40.16 लाख अभ्यर्पित किये गये।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(29) राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	9,72.00		
पु.	- 6,49.14	3,22.86	3,22.86
			..
₹ 9,72.00 लाख का प्रावधान पंचायती राज संस्थानों की क्षमता संवर्धन एवं जवाबदेही बढ़ाये जाने हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, भारत सरकार से द्वितीय किश्त जारी नहीं किये जाने के कारण 31 मार्च 2015 को ₹ 6,49.14 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(06) राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (ग्राम पंचायतों के प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये)			
मिड डे मील योजनान्तर्गत सहायता			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	1,30,00.00		
पु.	- 43,85.80	86,14.20	86,14.19
			- 0.01
₹ 1,30,00.00 लाख का प्रावधान सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए प्रति शैक्षणिक दिवस हेतु बनाये गये मिड-डे मील उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, भारत सरकार से निधियां कम जारी किये जाने के कारण 31 मार्च 2015 को ₹ 43,85.80 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
2700. मुख्य सिंचाई			
27. माही परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) यूनिट-II (नहर)			
मू.	18,54.01		
पु.	- 4,10.32	14,43.69	14,43.96
			+ 0.27
31 मार्च 2015 को ₹ 4,10.32 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने तथा सामग्रियों के अनुरक्षण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2702. लघु सिंचाई			
01. सतही जल			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम			
[01] मुख्य अभियंता, एस.डब्ल्यू.आर.पी.डी. के माध्यम से			
मू.	14,90.00	8,37.03	8,37.03
पु.	- 6,52.97		..
31 मार्च 2015 को ₹ 6,52.97 लाख का प्रावधान विभाग की वित्तीय एजेंसी, यूरोपियन संघ द्वारा किशत प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि निर्धारित माइलस्टोन प्राप्त नहीं किये गये।			
2801. बिजली			
06. ग्रामीण विद्युतीकरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) राजस्थान अक्षय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से			
[01] ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु			
मू.	8,08.39
पु.	- 8,08.39		..
31 मार्च 2015 को ₹ 8,08.39 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(03) ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा विद्युतीकरण			
[01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से			
मू.	12,00.00
पु.	- 12,00.00		..
31 मार्च 2015 को ₹ 12,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
2853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
02. खानों का विनियमन तथा विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) संचालन एवं अधीक्षण			
मू.	2,26.10	1,19.32	1,19.32
पु.	- 1,06.78		..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,06.78 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण			
03. पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरुद् भवन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना			
मू.	1,75.00
पु.	- 1,75.00		
₹ 1,75.00 लाख का प्रावधान राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अन्तर्गत जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में नक्की झील परियोजना हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, 31 मार्च 2015 को ₹ 1,75.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना			
मू.	37,50.00	33,00.00	..
पु.	- 4,50.00		
31 मार्च 2015 को ₹ 4,50.00 लाख का प्रावधान परियोजना के कार्य की शुरुआत में देरी एवं स्वयं सहायता ग्रुप कम बनाये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[02] तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत यू.आई.डी. परियोजना			
मू.	16,39.00
पु.	- 16,39.00		
31 मार्च 2015 को ₹ 16,39.00 लाख का समस्त प्रावधान तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2012-13 तथा 2013-14 के दौरान भी शीर्ष के अन्तर्गत समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
[01] निदेशन और प्रशासन			
मू.	2,16.41	86.96	86.86
पु.	- 1,29.45		- 0.10
31 मार्च 2015 को ₹ 1,29.45 लाख का प्रावधान 185 स्वीकृत पदों में से 145 पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (05) भामाशाह योजना-2014 [01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
मू.	65,58.10	30,00.00	30,00.00
पु.	- 35,58.10		..

₹ 65,58.10 लाख का प्रावधान भामाशाह योजना के क्रियान्वयन हेतु सरकारी योजनाओं के वित्तीय तथा गैर वित्तीय लाभों को पारदर्शी तरीके से बी.पी.एल., अन्त्योदय तथा अन्नपूर्णा परिवारों के प्रत्येक परिवार की महिला प्रमुख को सीधे हस्तान्तरण हेतु अनुमानित किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार परिवार की महिला प्रमुख के भामाशाह योजना में नामांकन के समय ₹ 1,000 जारी करेगी तथा ₹ 1,000 की द्वितीय किश्त छः माह बाद उनके बैंक खाते में हस्तांतरित करना होगा। सरकारी योजनाओं के समस्त वित्तीय तथा गैर वित्तीय लाभों को जैसे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा मजदूरी, छात्रवृत्तियां, जननी सुरक्षा योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि, भामाशाह प्लेटफार्म के तहत बैंक खाते में हस्तांतरित किये जायेंगे।

31 मार्च 2015 को ₹ 35,58.10 लाख का प्रावधान चुनाव आचार संहिता के कारण योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के कम नामांकन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

3456. सिविल पूर्ति 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (01) सिविल पूर्ति योजना [03] राशन कार्डों का कम्प्यूटराईजेशन			
मू.	3,36.00	45.52	45.52
पु.	- 2,90.48		..

31 मार्च 2015 को ₹ 2,90.48 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना
[02] अन्त्योदय परिवार अन्न योजना

मू.	8,15.05	6,97.07	6,97.07
पु.	- 1,17.98		..

31 मार्च 2015 को ₹ 1,17.98 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा 01. प्रारम्भिक शिक्षा 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (08) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से छात्रावासों/विद्यालय का संचालन/ संस्थापन [01] छात्रावासों/विद्यालयों का संस्थापन			
मू.	22,89.20	24,12.23	24,11.46
पु.	1,23.03		- 0.77

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,23.03 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से छात्रावासों/विद्यालय का संचालन/ संस्थापन			
[02] आश्रम छात्रावासों का संचालन			
मू.	34,43.10	37,03.13	37,03.14
पु.	2,60.03		
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 2,60.03 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से छात्रावासों/विद्यालय का संचालन/ संस्थापन			
[03] माँ बाड़ी केन्द्रों का संचालन			
मू.	35,28.05	37,18.41	..
पु.	1,90.36		
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,90.36 लाख की अतिरिक्त निधियाँ माँ बाड़ी केन्द्रों के संचालन हेतु आयोजना सीमा में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जनजाति कल्याण निधि अंतर्गत संचालित योजनाएं (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से)			
[02] महाविद्यालय स्तर के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण			
मू.	11,08.50	17,55.93	..
पु.	6,47.43		
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,47.43 लाख की अतिरिक्त निधियाँ आयोजना सीमा में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(32) जल एवं सीवरेज परियोजना			
[03] जल एवं सीवरेज परियोजना (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	1,01.25	2,02.50	..
पु.	1,01.25		
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,01.25 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण 02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण 196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (12) अनुसूचित जनजाति के निराश्रित बच्चों हेतु पालनहार योजनान्तर्गत सहायता	मू. 20,65.30 पु. 2,63.15	23,28.45	23,28.39 - 0.06
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,63.15 लाख की अतिरिक्त निधियां लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (02) जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान [51] पशु पालन परियोजना (वि.के.स.)	मू. 3,00.00 पु. 5,37.14	8,37.14	8,37.14 ..
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (02) जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान [53] स्वरोजगार हेतु सहायता (वि.के.स.)	मू. 1,00.00 पु. 1,00.00	2,00.00	2,00.00 ..
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (02) जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान [55] कौशल विकास परियोजना	मू. 1,00.00 पु. 5,41.25	6,41.25	6,41.25 ..
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (02) जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान [56] विद्युत/डीजल पम्प सेट वितरण, कुओं का विद्युतिकरण, पी.वी.सी. पाइप लाइन तथा ड्रिप/स्प्रिंकलर सेट हेतु सहायता	मू. 3,00.00 पु. 1,15.01	4,15.01	4,15.01 ..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[57] विभागीय योजनाओं का सर्वे एवं मूल्यांकन			
अ . 0.01	1,50.00	1,50.00	..
पु . 1,49.99			
उपरोक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,43.39 लाख की अतिरिक्त निधियां इन योजनाओं की आयोजना सीमा में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जन जाति उपयोजना, माडा एवं सहरिया के अलावा क्षेत्र के जन जाति समुदाय के विकास हेतु सहायता (वि.के.स.)			
[10] कौशल विकास परियोजना			
मू . 0.01	2,52.75	2,52.75	..
पु . 2,52.74			
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,52.74 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(18) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संचालित योजनाएं			
[02] बेस लाइन सर्वे			
मू . 0.01	3,00.00	3,00.00	..
पु . 2,99.99			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(18) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संचालित योजनाएं			
[05] परियोजना निर्माण			
मू . 0.01	1,50.00	1,50.00	..
अ . 0.01			
पु . 1,49.98			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(18) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संचालित योजनाएं			
[08] छात्रावासों में सौर विद्युतीकरण			
मू.	1,00.00	2,50.00	2,50.00
पु.	1,50.00		..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,99.97 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(19) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत संचालित योजनाएं			
[10] वनबन्धु कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वन			
अ.	0.01	6,00.00	6,00.00
पु.	5,99.99		..

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

2230. श्रम तथा रोजगार			
01. श्रम			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(04) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना			
मू.	3,19.37	6,40.66	6,40.66
पु.	3,21.29		..

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,21.29 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीयों के विरुद्ध किये गये व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी क्योंकि मूल अनुमानों में केन्द्रीय हिस्सा सम्मिलित नहीं था।

2401. फसल कृषि-कर्म			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(28) फसल बीमा (50% राज्यांश : 50% केन्द्रीयों)			
मू.	41,83.01	45,96.43	45,96.43
पु.	4,13.42		..

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 4,13.42 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	53,00.00	65,39.08	65,37.50
पु.	12,39.08		
			- 1.58

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 12,39.08 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[02] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू.	10,00.00	22,06.92	22,03.56
पु.	12,06.92		
			- 3.36

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 12,06.92 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

2425. सहकारिता			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(35) सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान			
मू.	16,32.79	46,47.00	46,47.00
पु.	30,14.21		
			..

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30,14.21 लाख की अतिरिक्त निधियां अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान के लिए अधिक दावे प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

2505. ग्राम रोजगार			
02. ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम (राज्यांश)			
800. अन्य व्यय			
(02) ग्रामीण विकास विभाग की नवाचार/नवीन योजनाएं			
[03] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	6,28.01	7,60.65	7,60.65
पु.	1,32.64		
			..

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,32.64 लाख की अतिरिक्त निधियां 2013-14 के बजट भाषण में की गई उद्घोषणा की अनुपालना में बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सिविल पूर्ति योजना			
[06] सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन			
मू.	24.63	8,11.83	..
पु.	7,87.20	8,11.83	..

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 7,87.20 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

4. निम्न शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत को देखते हुए प्रावधान का आवर्द्धन अत्यधिक था :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
27. माही परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) अन्य व्यय			
मू.	81,13.32	81,79.53	- 2,37.74
पु.	3,03.95	84,17.27	- 2,37.74

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 3,03.95 लाख की अतिरिक्त निधियों एवं ₹ 2,37.74 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

पूंजी

दत्तमत

1. मार्च 2015 में लिया गया ₹ 4,25,54.69 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) प्रतिशतता व्यय (जनजातीय क्षेत्र)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	2,57.05	1,71.85	- 46.34
पु.	- 38.86	2,18.19	- 46.34

31 मार्च 2015 को ₹ 38.86 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 46.34 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 80. सामान्य 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (05) न्यायिक भवन (जनजाति क्षेत्र उपयोजना)	मू. 12,38.62 पु. - 10,03.66	2,34.96	2,34.96 ..
80. सामान्य 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (06) सामान्य भवन (आबकारी विभाग)	मू. 6,20.27 पु. - 1,46.51	4,73.76	4,82.86 + 9.10
उपर्युक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 11,50.17 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
शीर्ष "4059-80-796(06)" के अन्तर्गत ₹ 9.10 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01. सामान्य शिक्षा 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (02) कॉलेज शिक्षा [90] निर्माण कार्य	मू. 4,42.48 पु. - 4,23.66	18.82	18.82 ..
31 मार्च 2015 को ₹ 4,23.66 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
01. सामान्य शिक्षा 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (11) शिक्षक शिक्षा के लिए ब्लॉक संस्थान [90] निर्माण कार्य	मू. 1,58.00 पु. - 1,58.00
31 मार्च 2015 को ₹ 1,58.00 लाख का समस्त प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. तकनीकी शिक्षा 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (01) निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से	मू. 6,80.77 पु. - 2,53.57	4,27.20	4,27.50 + 0.30

31 मार्च 2015 को ₹ 2,53.57 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों के कम निष्पादन, (ii) विगत वर्षों की अवशेष राशि की उपलब्धता के कारण 2014-15 के दौरान आर.एस.आर.डी.सी. को निधियां जारी नहीं करने तथा (iii) उदयपुर एवं केलवाडा नये पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के लिए मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद नहीं होने क्योंकि इन महाविद्यालय भवनों के निर्माण कार्य चालू थे।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
03. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) खेल विभाग के माध्यम से जिला संकुल			
मू.	9,24.76		
पु.	- 5,93.01	3,31.75	3,31.75
			..
31 मार्च 2015 को ₹ 5,93.01 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) विभाग के आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	2,99.21		
पु.	- 2,01.95	97.26	94.31
			- 2.95
31 मार्च 2015 को ₹ 2,01.95 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[01] स्वास्थ्य उप केन्द्रों का निर्माण			
मू.	19,74.36		
पु.	- 19,74.36
			..
31 मार्च 2015 को ₹ 19,74.36 लाख का समस्त प्रावधान नाबार्ड योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य उप-केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए स्वीकृति जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[02] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	2,86.09		
अ.	7,98.91	6,46.09	6,46.09
पु.	- 4,38.91		..

मार्च 2015 में ₹ 7,98.91 लाख का अनुपूरक अनुदान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था। यद्यपि, 31 मार्च 2015 को ₹ 4,38.91 लाख का प्रावधान नाबार्ड योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए निधियां कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[03] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू .	2,37.58		
अ.	4,37.90	5,73.58	5,73.58
पु .	- 1,01.90		..
मार्च 2015 में ₹ 4,37.90 लाख का अनुपूरक अनुदान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु लिया गया था जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था। यद्यपि, 31 मार्च 2015 को ₹ 1,01.90 लाख का प्रावधान नाबार्ड योजना के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु स्वीकृति जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर			
मू .	7,00.01		
पु .	- 4,05.63	2,94.38	2,94.38
31 मार्च 2015 को ₹ 4,05.63 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[02] 2215-जलपूर्ति और सफाई -01-102 से स्थानान्तरित ग्रामीण योजनाओं के लिए संधारण- प्रतिशतता व्यय (ओ. एण्ड एम.)			
मू .	51,18.90		
अ .	4,64.83	55,83.73	51,96.00
			- 3,87.73
₹ 3,87.73 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[01] ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
मू .	79,82.63		
अ.	5,08.37	75,57.00	75,56.06
पु .	- 9,34.00		- 0.94

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[04] बीसलपुर-दूदू जलप्रदाय योजना (नाबार्ड)			
मू.	10,36.80		
अ.	98.08	8,32.24	8,32.24
पु.	- 3,02.64		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[05] चुरु-झुन्झुनू जलप्रदाय परियोजना फेज- II (ई.ए.पी.)			
मू.	11,60.60		
अ.	17,11.80	24,54.85	24,54.85
पु.	- 4,17.55		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[07] इन्द्रोका-माणकलाव-दांतीवाडा जलप्रदाय योजना			
मू.	3,06.24		
अ.	82.96	1,46.34	1,46.34
पु.	- 2,42.86		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं			
[12] ग्रामीण फेज- II परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	91.00		
अ.	2,59.00	81.50	81.50
पु.	- 2,68.50		..
उपरोक्त पाँच शीर्षों के अन्तर्गत मार्च 2015 में ₹ 26,60.21 लाख का अनुपूरक अनुदान कार्यों के निष्पादन पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो इन शीर्षों के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक/अत्यधिक था।			
उपरोक्त पाँच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 21,65.55 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[16] नागौर लिफ्ट कैनाल फेज- II			
मू.	34,05.30		
पु.	- 34,00.30	5.00	5.01 + 0.01
31 मार्च 2015 को ₹ 34,00.30 लाख का प्रावधान कार्यों के निष्पादन कम होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[10] नर्मदा जलप्रदाय योजना (एफ.आर.) (नाबार्ड)			
मू .	4,15.30	2,04.92	2,04.92
पु .	- 2,10.38		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[18] बोरावास-मंडाना जलप्रदाय परियोजना			
मू .	4,41.48	1,11.84	1,11.84
पु .	- 3,29.64		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[19] नागदा-अंता-बलदेवपुरा जलप्रदाय परियोजना			
मू .	1,81.06	38.83	38.83
पु .	- 1,42.23		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 6,82.25 लाख का प्रावधान कार्यों के निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[22] फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना			
मू .	12,22.94	13,91.32	13,91.32
अ .	4,65.44		
पु .	- 2,97.06		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[25] फ्लोराइड कंट्रोल प्रोजेक्ट अजमेर-पीसांगन			
मू .	12,92.01	8,13.03	8,13.03
अ .	28.14		
पु .	- 5,07.12		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[28] राजगढ़-बूंगी जलप्रदाय परियोजना			
मू .	5,90.60	10,40.84	10,40.84
अ .	9,17.55		
पु .	- 4,67.31		

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[29] तेरहवां वित्त आयोग			
मू.	16,31.00		
अ.	4,97.01	18,48.49	18,48.49
पु.	- 2,79.52		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[40] जवाई क्लस्टर परियोजना-II			
मू.	3,02.95		
अ.	3,29.10	5,23.79	5,23.79
पु.	- 1,08.26		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[49] बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ जलपूर्ति परियोजना			
मू.	13,69.54		
अ.	3,99.83	15,49.04	15,49.04
पु.	- 2,20.33		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[60] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जल गुणवत्ता के लिए 5 प्रतिशत निश्चित राशि			
मू.	6,63.05		
अ.	2,76.13	3,05.14	3,05.14
पु.	- 6,34.04		..
उपरोक्त सात शीर्षों के अन्तर्गत मार्च 2015 में ₹ 29,13.20 लाख का अनुपूरक अनुदान कार्यों के निष्पादन पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो इन शीर्षों के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक/अनावश्यक था।			
उपरोक्त सात शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 25,13.64 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[41] बीसलपुर-दूदू परियोजना-चाकसू, फागी एवं बस्सी			
मू.	14,38.25		
पु.	- 1,68.41	12,69.84	12,69.84
			..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[43] बारां क्लस्टर परियोजना			
मू.	1,47.65		
पु.	- 1,47.65	..	- 30.87
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[45] नर्मदा एफ.आर. क्लस्टर परियोजना			
मू.	4,55.30		
पु.	- 4,54.57	0.73	0.72
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[54] नर्मदा से शिव तहसील जिला बाड़मेर जलपूर्ति परियोजना (205 गांव)			
मू.	6,82.95		
पु.	- 1,83.62	4,99.33	4,99.33
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[57] भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांव हेतु जलपूर्ति परियोजना			
मू.	5,35.30		
पु.	- 1,34.40	4,00.90	4,00.90
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[59] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (डी.डी.पी.)			
मू.	18,46.18		
पु.	- 3,13.18	15,33.00	15,32.73

उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 14,01.83 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन नहीं/कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

शीर्ष "4215-01-796(01)[43]" के अंतर्गत ₹ 30.87 लाख के ऋण व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[02] अन्य शहरी पेयजल योजनाएं			
मू.	20,98.00	7,20.71	7,20.56
पु.	- 13,77.29		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[06] चम्बल-बालेर-सवाई माधोपुर जलप्रदाय परियोजना			
मू.	2,10.00
पु.	- 2,10.00		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[13] शहरी जलप्रदाय योजना, जोधपुर के पुनर्गठन का कार्य			
मू.	20,25.00	13,30.97	13,30.97
पु.	- 6,94.03		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[16] डीग जलप्रदाय योजना			
मू.	2,10.00	2.36	2.36
पु.	- 2,07.64		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[19] नागदा-अंता-बलदेवपुरा जलप्रदाय योजना			
मू.	3,50.00	75.25	75.25
पु.	- 2,74.75		
उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 27,63.71 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम/नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[29] पोकरण-फलसूंड जलप्रदाय परियोजना (शहरी)			
मू.	12,00.00	9,31.00	9,31.00
पु.	- 2,69.00		

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[34] पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाइप लाइनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू.	8,28.00	3,42.02	3,42.02
पु.	- 4,85.98		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[35] तेरहवां वित्त आयोग			
मू.	8,90.00	3,48.78	3,48.77
पु.	- 5,41.22		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[46] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना फेज- I, भाग-II (शहरी)			
मू.	2,10.00
पु.	- 2,10.00		
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 15,06.20 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम/नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रेन्यूवल मिशन			
मू.	40,88.55	7,17.91	7,17.91
पु.	- 33,70.64		
31 मार्च 2015 को ₹ 33,70.64 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) शहरी जन सहभागी योजना			
मू.	3,37.50	43.22	43.19
पु.	- 2,94.28		
31 मार्च 2015 को ₹ 2,94.28 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(06) अग्नि शमन सेवाएं			
मू.	1,35.01
पु.	- 1,35.01
31 मार्च 2015 को ₹ 1,35.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(07) शहरी सड़कें एवं नालियाँ आदि (आर.ओ.बी.)			
[01] विभिन्न शहरी निकायों के लिए			
मू.	11,47.50	10,02.85	10,02.85
पु.	- 1,44.65		..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,44.65 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
04. गन्दी बस्तियों का विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) एकीकृत आवास एवं गन्दी बस्ती विकास योजना			
मू.	15,79.15	2,41.89	2,41.89
पु.	- 13,37.26		..
31 मार्च 2015 को ₹ 13,37.26 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(09) उपयोगना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य (वि.के.स.)			
[01] जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण			
मू.	3,80.00
पु.	- 3,80.00
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(09) उपयोगना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य (वि.के.स.)			
[02] नहरों का सुदृढीकरण			
मू.	2,00.00
पु.	- 2,00.00

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[04] एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू .	6,00.00
पु .	- 6,00.00
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[08] जनजाति भवन का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू .	9,00.00
पु .	- 9,00.00
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[12] जनजाति बस्तियों का विद्युतीकरण			
मू .	3,00.00
पु .	- 3,00.00
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[16] बाउण्ड्रीवॉल निर्माण तथा मरम्मत			
मू .	1,50.00
पु .	- 1,50.00
उपर्युक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 25,30.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[05] हेण्ड पम्प स्थापना सहित पेयजल योजनाएं			
मू .	8,00.00	2,96.61	2,96.61
पु .	- 5,03.39
31 मार्च 2015 को ₹ 5,03.39 लाख का प्रावधान भारत सरकार से योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[07] सामुदायिक भवनों का निर्माण			
मू .	8,00.00	53.39	53.39
पु .	- 7,46.61		
31 मार्च 2015 को ₹ 7,46.61 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[06] धनुर्विद्या अकादमी की स्थापना			
मू .	2,15.80	65.80	65.80
पु .	- 1,50.00		
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[15] चिकित्सालय भवनों का निर्माण विस्तार एवं नवीनीकरण			
मू .	3,65.00	2,10.62	2,10.62
पु .	- 1,54.38		
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) बिखरी जनजाति क्षेत्र में पूंजीगत कार्य (वि.के.स.)			
[04] बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोड़ना			
मू .	5,00.00	3,50.00	3,50.00
पु .	- 1,50.00		
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) माडा क्षेत्र में पूंजीगत कार्य (वि.के.स.)			
[03] जन जाति बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोड़ना			
मू .	3,50.00	2,50.00	2,50.00
पु .	- 1,00.00		

उपर्युक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 5,54.38 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[03] एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू. 19,00.00	8,00.00	8,00.00	..
पु. - 11,00.00			
31 मार्च 2015 को ₹ 11,00.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[10] सड़क एवं पुलिया का निर्माण			
मू. 29,00.00	4,00.00	4,00.00	..
पु. - 25,00.00			
₹ 25,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने को आरोपित की गयी।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजातीय कल्याण निधि)			
[13] स्मारकों का निर्माण			
मू. 3,53.31	30.04	65.32	+ 35.28
पु. - 3,23.27			
31 मार्च 2015 को ₹ 3,23.27 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 35.28 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजातीय कल्याण निधि)			
[22] आश्रम विद्यालयों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू. 1,40.00
पु. - 1,40.00			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजातीय कल्याण निधि)			
[30] सामुदायिक भवनों का निर्माण			
मू. 4,00.00	
पु. - 4,00.00	
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजातीय कल्याण निधि)			
[31] चिकित्सा भवनों का निर्माण			
मू. 2,00.00	
पु. - 2,00.00	
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(21) माडा क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[02] छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू. 1,00.00	
पु. - 1,00.00	
उपर्युक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 8,40.00 लाख का समस्त प्रावधान विभागीय योजनाओं की समीक्षा के बाद इन योजनाओं की आयोजना सीमा में कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[28] धार्मिक स्थलों पर आधारभूत निर्माण कार्य			
मू. 8,07.00	
पु. - 8,07.00	
31 मार्च 2015 को ₹ 8,07.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(26) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अंतर्गत पूंजीगत निर्माण कार्य			
[01] सहरिया विकास की सी.सी.डी. योजनान्तर्गत सहरिया बंगला का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू. 5,80.80	
पु. - 5,80.80	
31 मार्च 2015 को ₹ 5,80.80 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से योजनान्तर्गत निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजातीय कल्याण निधि)			
[29] छात्रावासों में क्षमता वृद्धि हेतु निर्माण कार्य			
मू.	25,98.43		
पु.	- 13,55.65	12,42.78	12,25.16
			- 17.62

31 मार्च 2015 को ₹13,55.65 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 17.62 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(26) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अंतर्गत पूंजीगत निर्माण कार्य			
[02] सहरिया विकास की सी.सी.डी. योजनान्तर्गत सहरिया आवास का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	19,96.50		
पु.	- 12,96.50	7,00.00	7,00.00
			..

31 मार्च 2015 को ₹ 12,96.50 लाख का प्रावधान भारत सरकार से योजनांतर्गत निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(26) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अंतर्गत पूंजीगत निर्माण कार्य			
[04] आश्रम विद्यालयों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	10,68.18		
पु.	- 10,68.18
			..

31 मार्च 2015 को ₹ 10,68.18 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से योजनांतर्गत निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(27) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[01] छात्रों के छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	2,41.01		
पु.	- 2,41.01
			..

31 मार्च 2015 को ₹ 2,41.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(27) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[02] कन्या छात्रावास भवन निर्माण			
मू. 3,11.76	0.99	1.00	+ 0.01
पु. - 3,10.77			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(27) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[03] महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास भवन निर्माण			
मू. 2,77.46	40.88	40.89	+ 0.01
पु. - 2,36.58			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(27) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[04] नाबार्ड सहायतांतर्गत अनुसूचित जनजाति छात्रावास भवन निर्माण			
मू. 2,93.15	41.02	41.02	..
पु. - 2,52.13			
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 7,99.48 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) आंगनबाडी केन्द्र निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत			
मू. 35,35.88
पु. - 35,35.88			
31 मार्च 2015 को ₹ 35,35.88 लाख का समस्त प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) आंगनबाडी केन्द्र अपग्रेडेशन एवं रख रखाव मय क्रेच निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत			
मू.	1,95.71
पु.	- 1,95.71
31 मार्च 2015 को ₹ 1,95.71 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) नवीन आई.टी.आई. के भवन निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	11,20.86	1,84.31	1,84.31
पु.	- 9,36.55		..
₹ 11,20.86 लाख का प्रावधान जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में 3 नये आई.टी.आई. भवनों के निर्माण हेतु अनुमानित किया गया था, परन्तु वर्ष के दौरान केवल शाहबाद आई.टी.आई. भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया तथा बाकी आई.टी.आई. भवनों की भूमि आवंटन प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2015 को ₹ 9,36.55 लाख की प्रत्याशित बचत अभ्यर्पित की गयी।			
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[06] कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से			
मू.	3,30.00	2,00.00	2,00.00
पु.	- 1,30.00		..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) किसान सेवा केन्द्र एवं ग्राम ज्ञान केन्द्रों हेतु भवन निर्माण			
मू.	41,86.00	28,56.23	28,83.89
पु.	- 13,29.77		+ 27.66
उपर्युक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 14,59.77 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा शीर्ष "4401-796(08)" के अन्तर्गत ₹ 27.66 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) नाबार्ड के सहयोग से वनीकरण कार्य			
मू.	29,12.71	20,96.80	20,96.27
पु.	- 8,15.91		- 0.53
31 मार्च 2015 को ₹ 8,15.91 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(12) ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना			
[01] जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	6,75.00
पु.	- 6,75.00
31 मार्च 2015 को ₹ 6,75.00 लाख का समस्त प्रावधान वर्तमान योजना को नये नाम <i>गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना</i> से बदलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
06. सीमा क्षेत्र विकास (केन्द्रीय सहायता)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	20,71.05	13,91.60	13,91.60
पु.	- 6,79.45
31 मार्च 2015 को ₹ 6,79.45 लाख का प्रावधान <i>सीमा क्षेत्र विकास परियोजना</i> के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से			
[01] दाईं मुख्य नहर			
मू.	5,63.25	3,86.88	3,86.88
पु.	- 1,76.37
31 मार्च 2015 को ₹ 1,76.37 लाख का प्रावधान वर्षा एवं रबी फसल के लिए जल की आपूर्ति के कारण इटावा शाखा नहर 40 किमी. से 48 किमी. के मध्य पक्के निर्माण के लिए जीर्णोद्धार, लाइनिंग एवं पुनरुद्धार कार्य के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
24. नर्मदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	29,45.50	11,01.31	11,01.31
पु.	- 18,44.19
31 मार्च 2015 को ₹ 18,44.19 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
27. माही परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण			
[01] नहरों के सुदृढीकरण			
मू.	11,62.01	5,12.48	5,12.48
पु.	- 6,49.53		..
31 मार्च 2015 को ₹ 6,49.53 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
37. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/ उन्नयन / आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	1,24.14
पु.	- 1,24.14		..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,24.14 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
63. गरदडा परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	2,00.00	16.50	16.50
पु.	- 1,83.50		..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,83.50 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से)			
[01] निष्पादन			
मू.	3,65.50	2,25.61	2,25.60
अ.	0.50		- 0.01
पु.	- 1,40.39		
31 मार्च 2015 को ₹ 1,40.39 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से)			
[03] राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम			
मू.	23,10.00	12,74.20	13,40.52
पु.	- 10,35.80		+ 66.32
31 मार्च 2015 को ₹ 10,35.80 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 66.32 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	20,00.00	4,38.13	3,99.95
पु.	- 15,61.87		
31 मार्च 2015 को ₹ 15,61.87 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 38.18 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) लघु सिंचाई परियोजनाओं का पुनर्वास (मुख्य अभियन्ता, गुण नियंत्रण एवं बाह्य सहायता के माध्यम से)			
मू.	14,80.00	9,73.57	9,73.57
पु.	- 5,06.43		
31 मार्च 2015 को ₹ 5,06.43 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) तेरहवें वित्त आयोग के तहत अनुदान (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन के माध्यम से)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	8,00.00	2,16.29	1,64.45
पु.	- 5,83.71		
31 मार्च 2015 को ₹ 5,83.71 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 51.84 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) परियोजनाओं का पुनर्जीवन/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण			
मू.	1,35.00	10.40	10.40
पु.	- 1,24.60		
31 मार्च 2015 को ₹ 1,24.60 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) विकास आयुक्त कम क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य (बीसलपुर, अजमेर)			
मू.	1,96.57	52.42	48.99
पु.	- 1,44.15		
31 मार्च 2015 को ₹ 1,44.15 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू .	1,57,41.00	1,19,00.25	1,19,00.25
पु .	- 38,40.75		
31 मार्च 2015 को ₹ 38,40.75 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू .	66,15.00	49,95.00	49,95.00
पु .	- 16,20.00		
31 मार्च 2015 को ₹ 16,20.00 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) उपागमन सड़क			
मू .	3,34.86	1,89.03	2,00.99
पु .	- 1,45.83		
31 मार्च 2015 को ₹ 1,45.83 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया। ₹ 11.96 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राज्य राजमार्गों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण व जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू .	36,71.68	11,31.92	11,31.92
पु .	- 25,39.76		
31 मार्च 2015 को ₹ 25,39.76 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) लघु जिला सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण व जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	8,96.02		
अ.	5,86.28	4,58.47	4,58.47
पु.	- 10,23.83		..

मार्च 2015 में ₹ 5,86.28 लाख का अनुपूरक अनुदान कार्यों के निष्पादन पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया था जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2015 को ₹ 10,23.83 लाख के प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

03. राज्य राजमार्ग
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(04) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एस.एच.)
[90] निर्माण कार्य

मू.	26,28.32		
अ.	26.55	20,26.64	20,26.64
पु.	- 6,28.23		..

31 मार्च 2015 को ₹ 6,28.23 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

03. राज्य राजमार्ग
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(04) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एस.एच.)
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)

मू.	2,10.26		
अ.	2.12	26.13	26.13
पु.	- 1,86.25		..

31 मार्च 2015 को ₹ 1,86.25 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

03. राज्य राजमार्ग
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(06) तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान (एस.एच.)

मू.	2,24.01		
पु.	- 2,24.01

31 मार्च 2015 को ₹ 2,24.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

03. राज्य राजमार्ग
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(07) केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें

मू.	30,80.30		
अ.	5,10.08	11,62.07	11,62.07
पु.	- 24,28.31		..

मार्च 2015 में ₹ 5,10.08 लाख का अनुपूरक अनुदान कार्यों के निष्पादन पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया था जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 24,28.31 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) शहरी सड़कें			
मू .	7,16.81
पु .	- 7,16.81
31 मार्च 2015 को ₹ 7,16.81 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[05] सड़क उन्नयन परियोजना (षष्ठदशम्)			
मू .	56.19		
अ.	1,20.80	59.22	59.20
पु .	- 1,17.77		- 0.02
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[06] मिसिंग लिंक परियोजना (सप्तदशम्)			
मू .	71.68		
अ.	1,49.56	72.87	72.86
पु .	- 1,48.37		- 0.01
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत मार्च 2015 में ₹ 2,70.36 लाख का अनुपूरक अनुदान कार्यों के निष्पादन पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो इन शीर्षों के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 2,66.14 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[07] मिसिंग लिंक परियोजना- II (अष्टदशम्)			
मू .	16,60.62		
अ.	5,16.26	18,00.20	18,00.19
पु .	- 3,76.68		- 0.01
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[08] सड़क उन्नयन परियोजना (नवदशम्)			
मू .	56,63.72		
अ.	17,79.86	56,87.58	56,87.57
पु .	- 17,56.00		- 0.01

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	2,38.94		
अ.	4,77.87
पु.	- 7,16.81		

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत मार्च 2015 में ₹ 27,73.99 लाख का अनुपूरक अनुदान कार्यों के निष्पादन पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो इन शीर्षों के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक/अनावश्यक था।

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 28,49.49 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें
[09] सड़क उन्नयन परियोजना (विंशतित्म)

मू.	21,01.77			
पु.	- 20,10.40	91.37	91.37	..

31 मार्च 2015 को ₹ 20,10.40 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(07) ग्रामीण सड़कें

मू.	47,78.76			
अ.	49,84.25	64,54.63	64,55.05	+ 0.42
पु.	- 33,08.38			

मार्च 2015 में ₹ 49,84.25 लाख का अनुपूरक अनुदान कार्यों के निष्पादन पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्षों के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2015 को ₹ 33,08.38 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(11) तेरहवें वित्त आयोग के तहत सड़क निर्माण (एम.डी.आर.)

मू.	2,24.01			
पु.	- 2,00.10	23.91	23.91	..

31 मार्च 2015 को ₹ 2,00.10 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(15) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना			
[01] ग्रामीण सम्पर्क सड़कें			
मू.	35,39.82		
अ.	8,84.96	32,82.89	32,82.89
पु.	- 11,41.89		..

मार्च 2015 में ₹ 8,84.96 लाख का अनुपूरक अनुदान कार्यों के निष्पादन पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2015 को ₹ 11,41.89 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(16) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें
[01] ग्रामीण सड़कें

मू.	19,00.00			
अ.	1,39,09.93
पु.	- 1,58,09.93			

मार्च 2015 में ₹ 1,39,09.93 लाख का अनुपूरक अनुदान कार्यों के निष्पादन पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि 31 मार्च 2015 को ₹ 1,58,09.93 लाख का समस्त प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

05. सड़कें
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(01) अन्तर्राज्यीय सड़कों का निर्माण

मू.	5,00.00			
पु.	- 4,37.29	62.71	62.71	..

31 मार्च 2015 को ₹ 4,37.29 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

80. सामान्य
001. निदेशन तथा प्रशासन
(02) प्रतिशतता व्यय (जन जातीय क्षेत्र की सड़कें)
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)

मू.	16,72.38			
पु.	- 2,47.70	14,24.68	14,24.71	+ 0.03

31 मार्च 2015 को ₹ 2,47.70 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) पर्यटन स्थलों का विकास			
मू.	2,26.94	1,03.90	- 0.01
पु.	- 1,23.04		

31 मार्च 2015 को ₹ 1,23.04 लाख का प्रावधान उदयपुर में जगत मन्दिर एवं हैरिटेज वॉक में विकास कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(07) सामान्य भवन (भू-राजस्व)			
मू.	10,48.81	12,97.67	..
पु.	2,48.86		

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 2,48.86 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[34] बाड़मेर लिफ्ट कैनाल जल प्रदाय परियोजना			
फेज-2 पार्ट-बी (68 गांवों की क्लस्टर योजना)			
मू.	2,64.02	5,60.58	..
अ.	1,04.28		
पु.	1,92.28		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[44] चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति योजना-क्लस्टर			
मू.	10,90.21	14,61.44	..
अ.	92.39		
पु.	2,78.84		

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[53] कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के अंतर्गत सीकर, झुंझुनू, खेतडी एकीकृत जलपूर्ति परियोजना			
मू.	6,51.48		
अ.	1,83.18	19,20.35	19,20.35
पु.	10,85.69		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[56] राजीव गाँधी लिफ्ट केनाल योजना से घटोर, कानासर एवं बाप जलपूर्ति परियोजना			
मू.	73.83		
अ.	2.17	1,90.85	1,90.85
पु.	1,14.85		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[31] शहरी जलप्रदाय योजना, जालौर (शहरी)			
मू.	70.00		
पु.	1,39.99	2,09.99	2,09.99
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[40] चम्बल-भीलवाड़ा जल पूर्ति योजना-क्लस्टर			
मू.	14,20.00		
पु.	1,53.56	15,73.56	15,73.56
उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19,65.21 लाख की अतिरिक्त निधियां ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में इन योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[01] आश्रम छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	0.01		
पु.	19,49.99	19,50.00	19,50.00
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19,49.99 लाख की अतिरिक्त निधियां आयोजना सीमा में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[09] अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए बहुउद्देशीय छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू .	1,50.00	2,92.00	2,92.00
पु .	1,42.00		
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[13] एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों की मरम्मत एवं रखरखाव			
मू .	3,00.00	4,50.00	4,50.00
पु .	1,50.00		
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[14] राजकीय शैक्षणिक संस्थाओं में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण			
मू .	3,00.00	4,46.00	4,46.00
पु .	1,46.00		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,38.00 लाख की अतिरिक्त निधियां इन योजनाओं की आयोजना सीमा में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[18] टी.ए.डी. भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण			
अ .	0.01	1,33.36	1,33.36
पु .	1,33.35		

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[19] टी.ए.डी. के अतिरिक्त भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण			
अ .	0.01	2,00.00	2,00.00
पु .	1,99.99		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,33.34 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत आ रही इन योजनाओं के लिये भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजातीय कल्याण निधि)			
[02] जनजाति के छात्रों/छात्राओं के छात्रावास भवन निर्माण			
मू .	13,06.27	15,58.83	16,09.78
पु .	2,52.56		+ 50.95
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,52.56 लाख की अतिरिक्त निधियां आयोजना सीमा में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 50.95 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(24) जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास हेतु पूंजीगत निर्माण कार्य (वि.के.स.)			
[02] टी.ए.डी. भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण			
अ .	0.01	6,00.00	6,00.00
पु .	5,99.99		..
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां जनजातीय भवन के निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(26) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत पूंजीगत निर्माण कार्य			
[06] वनबन्धु कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन			
अ .	0.01	1,50.00	1,50.00
पु .	1,49.99		..
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,49.99 लाख की अतिरिक्त निधियां वनबन्धु कल्याण योजना को लागू करने हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (07) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.) [01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	26.00	3,26.80	3,26.80
पु.	3,00.80		
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,00.80 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (07) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.) [07] वन विभाग के माध्यम से			
मू.	1,30.00	3,93.29	3,93.29
पु.	2,63.29		
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,63.29 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (13) गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना [01] जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
अ.	0.01	6,75.00	6,75.00
पु.	6,74.99		
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,74.99 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण में की गई उद्घोषणा की अनुपालना में वर्तमान योजना ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना को नये नाम <i>गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना</i> में बदलने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 22. जाखम परियोजना (वाणिज्यिक) 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (02) पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण [01] निर्माण कार्य			
मू.	1,00.00	13,20.62	13,20.62
अ.	9,20.62		
पु.	3,00.00		
27. माही परियोजना (वाणिज्यिक) 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (03) माही नहरी तंत्र का उन्नयन/पुनर्जीवीकरण/आधुनिकीकरण [01] निर्माण कार्य			
मू.	6,26.00	18,94.44	18,94.44
अ.	10,74.00		
पु.	1,94.44		

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
27. माही परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) पाटन माइनर निर्माण कार्य			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	50.00		
अ.	4,50.00	6,25.00	6,24.99
पु.	1,25.00		- 0.01
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,19.44 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	61,49.00		
पु.	79,05.04	1,40,54.04	1,40,54.85
			+ 0.81
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	37,70.00		
पु.	93,00.21	1,30,70.21	1,30,69.94
			- 0.27
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	25,09.00		
पु.	1,08,35.75	1,33,44.75	1,33,44.21
			- 0.54
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,80,41.00 लाख की अतिरिक्त निधियां पूंजी अनुपात में बदलाव के बाद जनजातीय उपयोगना क्षेत्र में आयोजना सीमा में वृद्धि किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(13) विशेष प्राथमिकता प्राप्त सड़कें			
मू.	8,08.41		
अ.	6,29.15	19,80.12	19,80.11
पु.	5,42.56		- 0.01
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,42.56 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 030 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[07] स्टेट डाटा सेन्टर			
मू.	2,03.03	4,06.17	4,06.17
पु.	2,03.14		
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[22] बैकएण्ड एवं नवीन परियोजनाएं			
मू.	49.80	2,94.80	2,94.79
पु.	2,45.00		
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[23] जी. आई. एस.			
मू.	84.00	5,74.61	5,74.61
पु.	4,90.61		
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[29] राजनेट			
मू.	0.01	4,62.00	4,62.00
पु.	4,61.99		

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,00.74 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

5. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य को देखते हुए, प्रावधान की कटौती अत्यधिक थी:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[15] नागौर लिफ्ट केनाल परियोजना फेज- II			
मू.	3,60.00	3,53.88	+ 3,53.88
पु.	- 3,60.00		

31 मार्च 2015 को ₹ 3,60.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 3,53.88 लाख का व्यय बिना किसी प्रावधान के किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 031 - पुनर्वास एवं सहायता

इस अनुदान के अंतर्गत प्रावधान नहीं किया गया।

अनुदान संख्या 032 - नागरिक आपूर्ति

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 3456. सिविल पूर्ति

पूंजी - 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर
पूंजीगत परिव्यय और

7475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज

			कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व					
दत्तमत					
मूल	5,34,89,83				
अनुपूरक	42,22,57		5,77,12,40	5,61,06,91	- 16,05,49
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)					15,20,80
प्रभारित					
मूल	2				
अनुपूरक	..		2	..	- 2
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)					2
पूंजी					
दत्तमत					
मूल	6				
अनुपूरक	..		6	..	- 6
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)					6

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 16,05.49 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2015 में लिया गया ₹ 42,22.57 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
2. ₹ 16,05.49 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 84.69 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।

अनुदान संख्या 032 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रूलाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) खाद्य आयुक्त के माध्यम से			
[02] जिला कर्मचारी वर्ग			
मू.	19,60.70	18,28.33	18,28.22
अ.	8.00		
पु.	- 1,40.37		
			- 0.11

31 मार्च 2015 को ₹ 1,40.37 लाख का प्रावधान मुख्यतः 749 स्वीकृत पदों में से 353 पदों के सम्पूर्ण वर्ष के दौरान रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[02] जिला शिकायत निवारण केन्द्र (एन. एफ. एस. एक्ट)			
मू.	2,64.82	15.58	15.58
पु.	- 2,49.24		

31 मार्च 2015 को ₹ 2,49.24 लाख का प्रावधान मुख्यतः 28 स्वीकृत पदों में से 25 पदों के रिक्त रहने तथा अधीनस्थ कार्यालयों में *कम्प्यूटर मशीन मय मैन* के अधिकतर पद रिक्त रहे, यद्यपि, सितम्बर 2014 में 360 पदों की स्वीकृति जारी की गयी थी, के कारण अभ्यर्पित किया गया।

102. सिविल पूर्ति योजना			
(01) खाद्यान्न संभरण			
[07] राशन टिकट योजना			
मू.	2,72.00	31.31	31.31
पु.	- 2,40.69		

31 मार्च 2015 को ₹ 2,40.69 लाख का प्रावधान योजना का विलय *राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना* में होने के परिणामतः योजना के अन्तर्गत कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

102. सिविल पूर्ति योजना			
(01) खाद्यान्न संभरण			
[08] राशन कार्डों का कम्प्यूटराईजेशन			
मू.	16,32.00	4,81.23	4,81.23
पु.	- 11,50.77		

31 मार्च 2015 को ₹ 11,50.77 लाख का प्रावधान राशन कार्ड के कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत राशन कार्डों में गलतियों के परिणामतः वर्ष के दौरान कम भुगतान के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

अनुदान संख्या 032 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति			
102. सिविल पूर्ति योजना			
(02) खाद्यान्न वितरण			
[09] केरोसिन परिवहन समानीकरण			
मू.	1,50.00	24.29	24.29
पु.	- 1,25.71		..

31 मार्च 2015 को ₹ 1,25.71 लाख का प्रावधान केरोसीन के परिवहन पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

102. सिविल पूर्ति योजना			
(06) सीधी नकद सहायता हस्तान्तरण			
[01] केरोसीन की सीधी नकद सहायता हस्तान्तरण योजना			

मू.	5,00.00
पु.	- 5,00.00		..

31 मार्च 2015 को ₹ 5,00.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से केरोसीन की सीधी नकद सहायता हस्तांतरण योजना के तहत निधियां प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 4,95.93 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 4.07 लाख) किया गया।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति			
102. सिविल पूर्ति योजना			
(07) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[02] अंत्योदय परिवार अन्न योजना के अतिरिक्त परिवारों हेतु			
मू.	1,31,08.05	1,41,13.85	1,41,06.20
पु.	10,05.80		- 7.65

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,05.80 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 2013-14 के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 7.65 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 033 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

- मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2202. सामान्य शिक्षा,
 2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,
 अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण,
 2230. श्रम तथा रोजगार,
 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण और
 2236. पोषण
 पूंजी - 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े
 वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,
 6225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े
 वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज और
 6235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	53,55,35,39	55,92,12,83	53,58,85,78
अनुपूरक	2,36,77,44		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			1,63,92,62
प्रभारित			
मूल	1,04	2,59	1,98
अनुपूरक	1,55		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			61
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	3,01,81,61	3,01,81,62	45,83,96
अनुपूरक	1		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			2,46,71,89

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 2,33,27.05 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2015 में लिया गया ₹ 2,36,77.44 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
- ₹ 2,33,27.05 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 69,34.43 लाख अन्-अभ्यर्पित रहे।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

3. वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 1,62,88.43 लाख, ₹ 90,59.83 लाख, ₹ 1,74,38.54 लाख, ₹ 2,00,06.06 लाख तथा ₹ 2,33,27.05 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 3.89 प्रतिशत से 9.28 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण बतायी गयी।

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	9,44.73		
अ.	5.29	8,20.68	8,20.66
पु.	- 1,29.34		- 0.02

₹1,29.34 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

01. अनुसूचित जातियों का कल्याण
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(02) अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां

मू.	43,75.64		
अ.	75.68	38,90.33	38,90.30
पु.	- 5,60.99		- 0.03

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 75.68 लाख का प्रावधान शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था। ₹ 5,60.99 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों, खाद्य सामग्री तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा छात्रावासों की मरम्मत पर कम व्यय को आरोपित की गयी।

01. अनुसूचित जातियों का कल्याण
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(06) जिला स्तरीय संस्थापना

मू.	13,06.11		
अ.	68.84	11,95.36	11,95.36
पु.	- 1,79.59		..

मार्च 2015 में लिया गया ₹ 68.84 लाख का अनुपूरक अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था। 31 मार्च 2015 को ₹ 1,79.59 लाख का प्रावधान मुख्यतः वेतन तथा भत्तों और संविदा व्ययों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(01) अनुसूचित जनजाति छात्रावासों का संचालन
[02] कार्यक्रम तथा गतिविधियां

मू.	19,51.35		
अ.	1,62.70	19,95.75	19,95.76
पु.	- 1,18.30		+ 0.01

मार्च 2015 में लिया गया ₹ 1,62.70 लाख का अनुपूरक अनुदान शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 1,18.30 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर गाड़िया लुहार			
मू. 3,00.00	1,42.78	1,42.78	..
पु. - 1,57.22			
31 मार्च 2015 को ₹ 1,57.22 लाख का प्रावधान गाड़िया लुहार के मकानों के निर्माण की किश्त का भुगतान नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[04] देवनारायण आदर्श छात्रावास योजना के अन्तर्गत छात्रावासों का संचालन			
मू. 6,67.20	4,65.54	4,65.55	+ 0.01
पु. - 2,01.66			
₹ 2,01.66 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आयोजना सीमा में कटौती को आरोपित की गयी।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) देवनारायण योजना (शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[03] उच्च प्राथमिक विद्यालयों से माध्यमिक विद्यालयों का संचालन (माध्यमिक शिक्षा विद्यालय)			
मू. 2,02.51	64.13	64.13	..
पु. - 1,38.38			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) देवनारायण योजना (शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[04] माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन (माध्यमिक शिक्षा विद्यालय)			
मू. 3,46.80	1,59.41	1,59.41	..
पु. - 1,87.39			

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 3,25.77 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) देवनारायण योजनान्तर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से)			
[02] देवनारायण मोबाईल हॉस्पिटल का संचालन			
मू.	2,10.02
पु.	- 2,10.02
31 मार्च 2015 को ₹ 2,10.02 लाख का समस्त प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(02) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्तियां तथा वजीफा			
मू.	90,00.00	64,24.46	64,22.91
पु.	- 25,75.54		- 1.55
₹ 25,75.54 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण 31 मार्च 2015 को अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(04) अनुप्रति योजना			
[01] अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बी.पी.एल. के अभ्यर्थियों को अनुप्रति योजनान्तर्गत सहायता			
मू.	1,75.00	6.70	6.70
पु.	- 1,68.30		..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,68.30 लाख का प्रावधान आवेदन कम प्राप्त होने तथा राज्य तथा अधीनस्थ सेवाओं की परीक्षाओं में देरी के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशालय			
मू.	8,80.91	7,31.96	7,31.94
पु.	- 1,48.95		- 0.02
₹ 1,48.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[06] व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति			
मू.	8,84.40	80.32	80.32
पु.	- 8,04.08		..
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[08] अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति			
मू.	20,93.52	8,19.98	8,19.98
पु.	- 12,73.54		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 20,77.62 लाख का प्रावधान छात्रवृत्तियों तथा वजीफे पर कम व्यय होने के कारण 31 मार्च 2015 को अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) उप सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[01] राजस्थान वक्फ बोर्ड को अनुदान			
मू.	1,79.00
पु.	- 1,79.00		..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,79.00 लाख का समस्त प्रावधान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान वक्फ बोर्ड को अनुदान जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(38) निदेशालय विशेष योग्यजन			
[01] निदेशन एवं प्रशासन			
मू.	2,70.45	1,30.56	1,30.58
पु.	- 1,39.89		+ 0.02

₹ 1,39.89 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत पदों के रिक्त रहने तथा चुनाव आचार संहिता तथा अन्य विभिन्न कारणों के कारण विभागीय योजनाओं के प्रचार पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(38) निदेशालय विशेष योग्यजन			
[02] विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना हेतु अनुदान (अनुसूचित जाति/जनजाति निगम के माध्यम से)			
मू.	8,00.01	5,66.01	5,66.01
पु.	- 2,34.00		
31 मार्च 2015 को ₹ 2,34.00 लाख का प्रावधान लाभार्थियों से प्रार्थना पत्रों के अपूर्ण/कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

02. समाज कल्याण			
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(38) निदेशालय विशेष योग्यजन			
[03] विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजनांतर्गत ब्याज अनुदान			
मू.	1,00.00
पु.	- 1,00.00		
₹ 1,00.00 लाख का प्रावधान ऋणों पर ब्याज के भुगतान पर विशेष योग्यजन को अनुदान हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, 31 मार्च 2015 को ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के दिशानिर्देशों के अनुमोदन न होने तथा लाभार्थियों से प्रार्थना पत्र प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

02. समाज कल्याण			
102. बाल कल्याण			
(11) निदेशालय बाल अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[01] निदेशन एवं प्रशासन			
मू.	1,75.53	49.83	49.83
पु.	- 1,25.70		
₹ 1,25.70 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			

02. समाज कल्याण			
102. बाल कल्याण			
(11) निदेशालय बाल अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[02] जिला स्तरीय बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई			
मू.	2,25.30	42.63	42.62
पु.	- 1,82.67		
31 मार्च 2015 को ₹ 1,82.67 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित किया गया।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(05) महिला विकास कार्यक्रम			
[01] महिला विकास कार्यक्रम			
मू.	4,90.57		
अ.	44.70	4,80.15	4,58.31
पु.	- 55.12		- 21.84

मार्च 2015 में लिया गया ₹ 44.70 लाख का अनुपूरक अनुदान शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित तथा अंतिम बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 55.12 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

₹ 21.84 लाख की अंतिम बचत वित्त विभाग को प्रेषित व्यय विवरण में ₹ 21,81,514 की राशि के चार वेतन बिलों के भूलवश शामिल किये जाने, जिसका भुगतान अप्रैल 2015 (वित्तीय वर्ष 2015-16) किया जाना था, के कारण थी परिणामतः व्यय वित्त विभाग में अधिक दर्शाये गये तथा यह राशि अन्-अभ्यर्पित रही।

- 02. समाज कल्याण
- 103. महिला कल्याण
- (05) महिला विकास कार्यक्रम
- [14] महिलाओं के लिए बेसिक कम्प्यूटर कोर्स

मू.	8,55.00			
पु.	- 3,65.04	4,89.96	4,89.96	..

31 मार्च 2015 को ₹ 3,65.04 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

- 02. समाज कल्याण
- 103. महिला कल्याण
- (12) महिला स्वयं सहायता गुप संस्थान

मू.	5,08.13			
अ.	10.53	3,70.91	3,65.80	- 5.11
पु.	- 1,47.75			

₹ 1,47.75 लाख की प्रत्याशित बचत आयोजना सीमा में कटौती को अरोपित की गयी।

₹ 5.11 लाख की अन्तिम बचत वित्त विभाग को प्रेषित व्यय विवरण में ₹ 5,11,205 की राशि के दो वेतन बिलों के भूलवश शामिल किये जाने, जिनका भुगतान अप्रैल 2015 (वित्तीय वर्ष 2015-16) किया जाना था, के कारण थी परिणामतः व्यय वित्त विभाग में अधिक दर्शाये गये तथा यह राशि अन्-अभ्यर्पित रही।

- 02. समाज कल्याण
- 103. महिला कल्याण
- (20) मिशन ग्राम्य शक्ति
- [01] महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से

मू.	10,60.01			
पु.	-10,60.01

₹ 10,60.01 लाख का प्रावधान मिशन ग्राम्य शक्ति योजना के लिये अनुमानित किया गया था। यद्यपि, ₹ 10,60.01 लाख का समस्त प्रावधान मिशन ग्राम्य शक्ति योजना के क्रियान्वयन न होने के कारण 31 मार्च 2015 को अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण				
02. समाज कल्याण				
104. वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण				
(03) गरीबों को कानूनी सलाह शुल्क तथा सहायता				
मू.	6,63.06	6,79.84	6,79.76	- 0.08
अ.	2,11.00			
पु.	- 1,94.22			

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 2,11.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था

31 मार्च 2015 को ₹ 1,94.22 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) 501 स्वीकृत पदों में से 217 अधिकारियों/ कार्मिकों के पदों के रिक्त रहने, (ii) संविदा पर कार्मिकों का कम संख्या में संलिप्त होने तथा (iii) कनिष्ठ लिपिकों की नियमित भर्तियों के पश्चात् *कम्प्यूटर मशीन मय मैन* की सेवाएं नहीं लिये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता
(02) राज्य मानवाधिकार आयोग

मू.	4,17.01	3,00.00	3,00.00	..
पु.	- 1,17.01			

31 मार्च 2015 को ₹ 1,17.01 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु
[01] संस्थापन व्यय हेतु

मू.	24,38.19	22,08.93	22,08.66	- 0.27
अ.	39.03			
पु.	- 2,68.29			

मार्च 2015 में लिया गया ₹ 39.03 लाख का अनुपूरक अनुदान शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2015 को ₹ 2,68.29 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) आयोजना सीमा में कटौती, (ii) परीक्षा पर कार्मिकों के वेतन का नियमित वेतन श्रृंखला में निर्धारण न करने तथा बकाया का आहरण न करने तथा (iii) *जाजम बैठक* तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न करने के कारण अभ्यर्पित की गयी।

02. समाज कल्याण
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु
[07] किशोरी शक्ति योजना

मू.	1,83.00	37.39	37.39	..
पु.	- 1,45.61			

₹ 1,83.00 लाख का प्रावधान *किशोरी शक्ति योजना* के संचालन के लिए भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनुमानित किया गया था परन्तु वर्ष के दौरान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं हुईं। यद्यपि, वर्ष 2013-14 से संबंधित ₹ 82.86 लाख की राशि अप्रैल 2014 में प्राप्त हुई। राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृति की पुनः वैधता हेतु भारत सरकार को उल्लेख किया गया, यह 07.11.2014 को प्राप्त हुई। चूंकि दिसम्बर 2014 में चुनाव आचार संहिता लगाये जाने से, राज्य सरकार द्वारा अनुमानित बजट में से मात्र ₹ 37.39 लाख उपयोजित किये गये परिणामतः ₹ 1,45.61 लाख 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित हुए।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[11] धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र			
मू.	1,05.00
पु.	-1,05.00

₹ 1,05.00 लाख का प्रावधान संविदा कार्मिकों के प्रशिक्षण, सम्मेलन तथा दौरों पर व्यय की पूर्ति हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, ₹ 1,05.00 लाख का समस्त प्रावधान धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्रों के संचालन होने के कारण 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किया गया।

वर्ष 2013-14 के दौरान भी समस्त प्रावधान इसी कारण से अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) संयुक्त सहायता के लिए अनुदान			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू.	5,00.00	84.74	84.74
पु.	- 4,15.26

₹ 5,00.00 लाख का प्रावधान विशेष योग्यजनों को सहायता एवं कृत्रिम अंगों को लगाने के लिए अनुदान उपलब्ध कराने हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, ₹ 4,15.26 लाख का प्रावधान लाभार्थियों से पर्याप्त संख्या में प्रार्थना पत्र प्राप्त न होने तथा चुनाव आचार संहिता के कारण विशेष योग्यजनों की पहचान के पश्चात् कृत्रिम अंगों के वितरण हेतु केम्प आयोजित नहीं किये जाने के कारण 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(15) निःशक्त कल्याण			
[02] शारीरिक तथा मानसिक पीड़ितों के क्षेत्र में कार्यकारी स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता			
मू.	9,00.00	6,89.15	6,89.15
पु.	- 2,10.85

₹ 2,10.85 लाख का प्रावधान स्वैच्छिक संस्थाओं से प्रार्थना पत्र प्राप्त न होने/ अपूर्ण प्राप्त होने के कारण 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अन्य कार्यक्रम			
[03] पशुपालकों के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालयों का संचालन			
मू.	3,03.95	1,69.59	1,69.58
अ.	5.41	..	- 0.01
पु.	- 1,39.77

₹ 1,39.77 लाख की प्रत्याशित बचत पशुपालकों के बच्चों के लिए निर्मित आवासीय विद्यालय, सागवाड़ा (डूंगरपुर) के संचालित नहीं करने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अन्य कार्यक्रम			
[04] बी. पी. एल. परिवारों को जनश्री बीमा योजना हेतु सहायता			
मू.	11,19.00	8,33.87	8,33.87
पु.	- 2,85.13		

₹ 2,85.13 लाख का प्रावधान गत वर्ष के लाभांश के समायोजन के पश्चात् वर्ष 2014-15 के दौरान जनश्री बीमा योजना में किश्त राशि के कम भुगतान के कारण 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अन्य कार्यक्रम			
[08] सहयोग योजनान्तर्गत सहायता			
मू.	12,00.00	7,90.75	7,90.55
पु.	- 4,09.25		

₹ 4,09.25 लाख का प्रावधान सामान्य/ अन्य पिछड़े वर्गों के बी.पी.एल. परिवारों की लड़कियों के विवाह अनुदान हेतु प्रार्थना पत्र कम प्राप्त होने के कारण 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अन्य कार्यक्रम			
[13] निराश्रित संबल योजना			
मू.	1,65.00	53.00	53.00
पु.	- 1,12.00		

₹ 1,12.00 लाख का प्रावधान जिलों द्वारा निराश्रित संबल ग्राम योजना के अंतर्गत कम मांग किये जाने के कारण 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(20) नवजीवन योजना			
[01] नवजीवन योजना के तहत छात्रावासों का संचालन			
मू.	4,20.77	2,39.34	2,39.34
पु.	- 1,81.43		

31 मार्च 2015 को ₹ 1,81.43 लाख का प्रावधान योजना के अन्तर्गत जिलों द्वारा कम व्यय करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
200. अन्य कार्यक्रम			
(04) जन चेतना शोध प्रकाशन एवं प्रचार, नशा मुक्ति तथा अन्य कुरीतियों की रोकथाम			
मू.	1,50.01	45.18	45.18
पु.	- 1,04.83		..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,04.83 लाख का प्रावधान विज्ञापन के बिलों का देरी से प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
105. सरकारी कर्मचारी बीमा योजना			
(01) राज्य बीमा विभाग			
मू.	53,78.84	49,74.85	49,74.80
पु.	- 4,03.99		- 0.05
₹ 4,03.99 लाख की प्रत्याशित बचत (i) वर्ष के दौरान मंहगाई भत्तों की दरों में अनुमान से कम बढ़ोत्तरी होने, (ii) कुछ कर्मचारियों के वेतन का नियमितकरण न होने के कारण वेतन तथा भत्तों के अन्तर राशि का भुगतान न होने, (iii) चुनाव आचार संहिता के कारण नये कार्यों पर रोक लगाये जाने से विभिन्न स्थानों पर विभाग के नये भवनों के निर्माण कार्यों का कम निष्पादन होने तथा (iv) स्थानीय निकायों के चुनावों के कारण आचार संहिता लगाये जाने से मुख्यालय पर सभागार के निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया पर रोक को आरोपित की गयी।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
107. स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना			
(01) स्वतन्त्रता सैनानियों तथा उनके आश्रितों आदि को पेंशन-सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से			
मू.	21,31.21	15,56.01	15,55.91
पु.	- 5,75.20		- 0.10
31 मार्च 2015 को ₹ 5,75.20 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान लाभार्थियों की कम संख्या द्वारा पेंशन आहरित करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 2,92.82 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,82.38 लाख) किया गया।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[05] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन			
मू.	1,64,84.24	1,41,22.62	1,37,94.22
पु.	- 23,61.62		- 3,28.40
₹ 23,61.62 लाख की की प्रत्याशित बचत वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान मांग के अनुसार करने परिणामतः पेंशन वितरण पर हुए कम विविध व्यय को आरोपित की गयी।			
₹ 3,28.40 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[06] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन			
मू.	29,65.14	24,15.07	23,80.95
पु.	- 5,50.07		

31 मार्च 2015 को ₹ 5,50.07 लाख का प्रावधान विधवा पेंशन का भुगतान मांग के अनुसार करने के कारण अभ्यर्पित किया तथा तदनुसार पेंशन के वितरण पर हुए कम विविध व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 34.12 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[07] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन			
मू.	6,41.92	4,64.69	4,55.77
पु.	- 1,77.23		

31 मार्च 2015 को ₹ 1,77.23 लाख का प्रावधान विशेष योग्यजनों को पेंशन का भुगतान मांग के अनुसार करने तथा तदनुसार पेंशन के वितरण पर हुए कम विविध व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 8.92 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(01) नाविकों, सैनिकों और वैमानिकों का बोर्ड			
[05] द्वितीय विश्व युद्ध में मृत सैनिकों की विधवाओं को पेंशन			
मू.	19,00.00	16,57.91	16,57.91
पु.	- 2,42.09		

31 मार्च 2015 को ₹ 2,42.09 लाख का प्रावधान द्वितीय विश्व युद्ध में मृत सैनिकों की विधवाओं को पेंशन का कम भुगतान करने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(03) सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से			
[01] मीसा/डी.आई.आर. बंदियों को पेंशन			
मू.	13,00.00	9,84.14	9,84.02
पु.	- 3,15.86		

31 मार्च 2015 को ₹ 3,15.86 लाख का प्रावधान जिला कलेक्टरों द्वारा सभी योग्य लाभार्थियों को पेंशन हेतु स्वीकृति जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि पेंशन की स्वीकृति से संबंधित प्रक्रिया का दिसम्बर 2014 में अंतिमीकरण हुआ।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[01] पोषाहार क्रेश प्रोग्राम			
मू.	3,96,96.99	2,89,40.97	2,88,86.89
पु.	- 1,07,56.02		
			- 54.08
₹ 1,07,56.02 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 54.08 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[02] एकीकृत बाल विकास योजना			
मू.	1,48,16.78	96,43.75	96,44.11
पु.	- 51,73.03		
			+ 0.36
₹ 51,73.03 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[09] महिला कल्याण कोष			
मू.	3,15.66	12.52	12.52
पु.	- 3,03.14		
			..
31 मार्च 2015 को ₹ 3,03.14 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[10] आई.सी.डी.एस. - IV (विश्व बैंक)			
मू.	10,61.76	1,25.14	1,25.07
पु.	- 9,36.62		
			- 0.07
31 मार्च 2015 को ₹ 9,36.62 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[12] राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण एवं पोषाहार योजना			
मू.	1,36,33.21	1,09,99.43	1,09,99.42
पु.	- 26,33.78		
			- 0.01
₹ 26,33.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[13] सशर्त मातृत्व लाभ योजना			
मू.	27,00.00	21,56.69	21,56.31
पु.	- 5,43.31		
31 मार्च 2015 को ₹ 5,43.31 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[14] मल्टी सेक्टोरियल न्यूट्रिशन प्रोग्राम			
मू.	7,08.50
पु.	- 7,08.50
31 मार्च 2015 को ₹ 7,08.50 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[02] ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायत स्तरीय संस्थापन व्यय			
मू.	4,57,70.11	4,34,05.15	4,34,05.04
पु.	- 23,64.96		
₹ 23,64.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[04] सहयोगिनी को मानदेय			
मू.	71,04.00	65,73.49	65,73.48
पु.	- 5,30.51		
31 मार्च 2015 को ₹ 5,30.51 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[05] महिला कल्याण कोष			
मू .	8,20.00		
		98.10	98.14
पु .	- 7,21.90		+ 0.04
₹ 7,21.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित की गयी जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[02] विशेष पिछड़े वर्ग के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना			
मू .	50,00.00		
		59,64.30	59,63.85
पु .	9,64.30		- 0.45

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,64.30 लाख की अतिरिक्त निधियां गत वर्ष की बकाया छात्रवृत्ति के भुगतान तथा वर्ष के दौरान लाभार्थियों से अधिक प्रार्थना पत्रों की प्राप्ति के कारण उपलब्ध करायी गयी।

2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
102. बाल कल्याण			
(10) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[01] समेकित बाल संरक्षण योजना			
मू .	36,10.00		
		47,37.69	47,37.69
पु .	11,27.69		..

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,27.69 लाख की अतिरिक्त निधियां लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अन्य कार्यक्रम			
[07] निराश्रित बच्चों हेतु पालनहार योजनान्तर्गत सहायता			
मू.	77,57.15	80,01.97	79,98.04
पु.	2,44.82		
			- 3.93

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,44.82 लाख की अतिरिक्त निधियां लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।

02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(22) आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए योजना			
[06] उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना			
मू.	0.01	11,78.27	11,78.27
पु.	11,78.26		
			..

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,78.26 लाख की अतिरिक्त निधियां उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्राप्त दावों के अनुसार छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

02. समाज कल्याण			
200. अन्य कार्यक्रम			
(19) सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक दुर्घटना/ आपदा पशु दुर्घटना इत्यादि हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष के मार्फत सहायता			
अ.	0.01	9,00.00	9,00.00
पु.	8,99.99		
			..

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक दुर्घटना/ आपदा पशु दुर्घटना इत्यादि हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष के मार्फत सहायता के लिए उपलब्ध करायी गयी।

5. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, प्रावधान का आवर्धन अत्यधिक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[01] मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना			
मू.	24,00,00.00	28,33,08.10	27,76,95.96
अ.	2,27,86.42		
पु.	2,05,21.68		
			- 56,12.14

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,05,21.68 लाख की अतिरिक्त निधियां पेंशनर्स की संख्या में वृद्धि के कारण पेंशन के अधिक भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 56,12.14 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[02] मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना			
मू.	2,00,00.00		
		2,07,93.66	2,05,51.14
पु.	7,93.66		- 2,42.52

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,93.66 लाख की अतिरिक्त निधियां पेंशनर्स की संख्या में वृद्धि के कारण पेंशन के अधिक भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 2,42.52 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[03] मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना			
मू.	4,00,00.00		
		4,15,95.02	4,09,55.03
पु.	15,95.02		- 6,39.99

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,95.02 लाख की अतिरिक्त निधियां पेंशनर्स की संख्या में वृद्धि के कारण पेंशन के अधिक भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 6,39.99 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

पूँजी

दत्तमत

- ₹ 2,55,97.66 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 9,25.77 लाख अनुभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(01) राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम को अंश पूँजी (आर.ओ.बी.सी.एफ.डी.सी.सी.)			
मू.	2,00.00		
	
पु.	-2,00.00		..

31 मार्च 2015 को ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम, नई दिल्ली से कर्ज के रूप में पेशगी राशि प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[03] देवनारायण आवासीय विद्यालयों का निर्माण			
मू. 57,86.20	16,56.73	16,56.71	- 0.02
पु. - 41,29.47			
31 मार्च 2015 को ₹ 41,29.47 लाख का प्रावधान दो आवासीय विद्यालयों के लिए भूमि आवंटन में देरी तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा शेष सात आवासीय विद्यालयों हेतु निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(09) देवनारायण योजना (उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[01] छात्राओं हेतु महाविद्यालय मय छात्रावास भवन का निर्माण			
मू. 7,50.00
पु. - 7,50.00			
31 मार्च 2015 को ₹ 7,50.00 लाख का समस्त प्रावधान महिला महाविद्यालय, बयाना हेतु भूमि का आवंटन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(09) देवनारायण योजना (उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[02] छात्रों हेतु महाविद्यालय भवन का निर्माण			
मू. 4,50.00	2,93.68	2,93.68	..
पु. - 1,56.32			
31 मार्च 2015 को ₹ 1,56.32 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नादोती महाविद्यालय हेतु निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(13) राजस्थान पुनर्वास संस्थान भवन का निर्माण			
मू. 2,50.00
पु. - 2,50.00			
31 मार्च 2015 को ₹ 2,50.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(15) धन लक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र निर्माण			
[01] महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
मू.	12,34.00	11,05.36	11,05.36
पु.	- 1,28.64		..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,28.64 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. समाज कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(04) ओल्डएज होम भवन का निर्माण			
मू.	3,50.00	1,16.65	1,16.65
पु.	- 2,33.35		..
31 मार्च 2015 को ₹ 2,33.35 लाख का प्रावधान ओल्डएज होम भवन के निर्माण के लिए आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(10) विकलांगता अधिनियम के अन्तर्गत व्यक्तियों के लिए योजना			
[01] रेम्प एवं लिफ्ट आदि का निर्माण			
मू.	2,43.27	44.16	44.16
पु.	- 1,99.11		..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,99.11 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
800. अन्य व्यय			
(03) भवन निर्माण			
मू.	2,18.37
पु.	- 2,18.37		..
31 मार्च 2015 को ₹ 2,18.37 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4236. पोषण पर पूँजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
800. अन्य व्यय			
(08) नाबार्ड पोषित आंगन बाड़ी भवन निर्माण			
मू.	0.01		
पु.	- 0.01	..	- 9,25.52
₹ 9,25.52 लाख के ऋण व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
800. अन्य व्यय			
(09) आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड के अन्तर्गत			
मू.	1,80,17.10
पु.	- 1,80,17.10
31 मार्च 2015 को ₹ 1,80,17.10 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 1,70,76.16 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 9,40.94 लाख) किया गया, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
800. अन्य व्यय			
(10) आंगनबाड़ी केन्द्र अपग्रेडेशन एवं रख रखाव मय क्रेच निर्माण आई.सी.डी.एम. मिशन मोड के अन्तर्गत			
मू.	9,97.35
पु.	- 9,97.35
31 मार्च 2015 को ₹ 9,97.35 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
6225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
800. अन्य कर्ज			
(01) राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम को उधार			
मू.	1,43.80
पु.	- 1,43.80
31 मार्च 2015 को ₹ 1,43.80 लाख का समस्त प्रावधान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम, नई दिल्ली से कर्ज के रूप में पेशगी राशि प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 033 - (समाप्त)

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[02] आदर्श छात्रावास योजनान्तर्गत देवनारायण छात्रावास भवनों का निर्माण			
मू.	4,63.50		
पु .	1,88.26		
		6,51.76	6,51.77
			+ 0.01
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,88.26 लाख की अतिरिक्त निधियां देवनारायण योजना के तहत छात्रावास भवनों के निर्माण में कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
102. आर्थिक विकास			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[01] बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम			
अ.	0.01		
पु .	7,31.79		
		7,31.80	7,31.80
			..
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,31.79 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 034 - प्राकृतिक आपदाओं से राहत

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

पूंजी - 6245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	21,66,51,64	24,38,91,99	23,11,90,96	- 1,27,01,03
अनुपूरक	2,72,40,35			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				1,26,01,94
प्रभारित				
मूल	84	84	82	- 2
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				2
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	3	57,03	..	- 57,03
अनुपूरक	57,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				57,03

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 1,27,01.03 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2015 में सूखा राहत कार्य हेतु लिया गया ₹ 2,72,40.35 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
- ₹ 1,27,01.03 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 99.09 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।
- वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 3,60,36.98 लाख, ₹ 5,43,85.52 लाख, ₹ 4,08,26.84 लाख, ₹ 87,46.94 लाख तथा ₹ 1,27,01.03 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो कि अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 5.12 प्रतिशत से 34.57 प्रतिशत के बीच थी। बचत का कारण मुख्यतः राहत कार्यो पर कम व्यय को बताया गया।

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
101. आनुग्रहिक राहत			
(11) वृद्ध-असक्त एवं निस्सहाय बच्चों के लिए राहत			
मू. 5,00.00	1,71.66	1,61.77	- 9.89
पु. - 3,28.34			
01. सूखा			
102. पीने के पानी की पूर्ति			
(08) नगरीय क्षेत्रों में पीने के पानी की आपातकालीन आपूर्ति			
मू. 1,00.00
पु. - 1,00.00			
01. सूखा			
105. पशु चिकित्सा			
(02) औषधियों एवं टीका दवाइयों पर अतिरिक्त लागत			
मू. 9,50.00
पु. - 9,50.00			
01. सूखा			
282. लोक स्वास्थ्य			
(02) दवाइयों की पूर्ति			
मू. 5,00.00
पु. - 5,00.00			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(01) राहत कार्यों पर व्यय			
[13] सर्च रेस्क्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय			
मू. 17,00.00	5,76.86	5,76.86	..
पु. - 11,23.14			

उपरोक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 30,01.48 लाख का प्रावधान सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में कम राहत कार्यों के कारण अभ्यर्पित किया गया।

शीर्ष "2245-01-101(11) " के अंतर्गत ₹ 9.89 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत				
01. सूखा				
102. पीने के पानी की पूर्ति				
(10) जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से जल पूर्ति				
मू.	70,00.00	5,26.30	5,26.04	
पु.	- 64,73.70			- 0.26
01. सूखा				
104. चारे की पूर्ति				
(02) परिवहन				
मू.	51,63.47	52.38	52.38	
पु.	- 51,11.09			..
01. सूखा				
104. चारे की पूर्ति				
(03) पशु पोषण केन्द्र				
मू.	26,00.00	..	- 0.10	
पु.	- 26,00.00			- 0.10
उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 1,41,84.79 लाख की प्रत्याशित बचत सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में कम राहत कार्यों को आरोपित की गयी।				
01. सूखा				
104. चारे की पूर्ति				
(06) पशु शिविर/गौशाला				
मू.	91,00.00	1,46,63.81	1,46,56.90	
अ.	1,60,00.00			- 6.91
पु.	- 1,04,36.19			
मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों हेतु लिया गया ₹ 1,60,00.00 लाख प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।				
₹ 1,04,36.19 लाख की प्रत्याशित बचत सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में कम राहत कार्यों को आरोपित की गयी।				
₹ 6.91 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (2015)।				
02. बाढ़, चक्रवात आदि				
101. आनुग्रहिक राहत				
(08) अन्य मद				
मू.	1,00.00	4.19	4.19	
पु.	- 95.81			..

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
105. पशु चिकित्सा			
(02) औषधियों एवं टीका दवाइयों पर अतिरिक्त लागत			
मू.	5,15.00
पु.	- 5,15.00
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
109. खराब जल पूर्ति, जल निकास तथा मल-जल निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना			
मू.	2,50.00	44.62	44.62
पु.	- 2,05.38		..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
111. शोकार्त परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी			
मू.	1,75.00	79.90	79.90
पु.	- 95.10		..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनःनिर्माण के लिए सहायता			
(02) पूर्ण क्षतिग्रस्त पक्का घर			
मू.	5,00.00	31.43	31.42
पु.	- 4,68.57		- 0.01
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/ पुनःनिर्माण के लिए सहायता			
(04) पूर्ण क्षतिग्रस्त झोपड़ी			
मू.	3,00.00	7.80	7.80
पु.	- 2,92.20		..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनःनिर्माण के लिए सहायता			
(05) गंभीर क्षतिग्रस्त पक्का घर			
मू.	3,00.00	1,02.32	1,02.31
पु.	- 1,97.68		- 0.01
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुनःनिर्माण के लिए सहायता			
(07) गंभीर क्षतिग्रस्त झोपड़ी			
मू.	2,00.00	2.43	2.43
पु.	- 1,97.57		..

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(02) लघु सीमान्त कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[01] बाढ़			
मू.	14,00.00
पु.	- 14,00.00
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(02) लघु एवं सीमान्त कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[03] बादल फटना			
मू.	1,00.00
पु.	- 1,00.00
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(02) लघु एवं सीमान्त कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[04] पाला			
मू.	4,00.00
पु.	- 4,00.00
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(02) लघु एवं सीमान्त कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[05] शीतलहर			
मू.	4,00.00
पु.	- 4,00.00
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(05) लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों का कृषि अनुदान			
[01] बाढ़			
मू.	10,00.00
पु.	- 10,00.00

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(05) लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों का कृषि अनुदान			
[04] पाला			
मू.	3,00.00
पु.	- 3,00.00
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(05) लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों का कृषि अनुदान			
[05] शीतलहर			
मू.	2,80.00
पु.	- 2,80.00
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
122. खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना			
मू.	18,00.00	15,89.12	..
पु.	- 2,10.88	15,89.12	..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
191. नगर निगम को सहायता			
मू.	1,00.00
पु.	- 1,00.00
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
192. नगर पालिकाओं/ नगर परिषदों को सहायता			
मू.	2,00.00
पु.	- 2,00.00
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
193. नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समान को सहायता			
मू.	1,20.00
पु.	- 1,20.00

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(06) तेरहवें वित्त आयोग के तहत आपदा कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पॉस			
[01] सर्च रेस्क्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरण का क्रय			
मू.	6,00.00		
पु.	- 2,96.12		
		3,03.88	3,01.74
			- 2.14

₹ 6,00.00 लाख का प्रावधान तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत आपदा कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पॉस के लिये भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने की प्रत्याशा में अनुमानित था।

31 मार्च 2015 को ₹ 2,96.12 लाख का प्रावधान सुखा तथा बाढ़ पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

5 उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(01) राहत कार्यों पर व्यय			
[18] लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न के लिए कृषि आदान अनुदान			
मू.	1,57,07.19		
पु.	61,26.13		
		2,18,33.32	2,18,33.31
			- 0.01
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(02) लघु एवं सीमान्त कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[02] ओलावृष्टि			
मू.	3,01,03.52		
पु.	1,19,69.74		
		4,20,73.26	4,20,71.93
			- 1.33

अनुदान संख्या 034 - (समाप्त)

आधिक्य +	शीर्ष	कुल अनुदान व्यय (₹ लाख में)	वास्तविक बचत -	
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत				
02. बाढ़, चक्रवात आदि				
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता				
(05) लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों का				
कृषि अनुदान				
[02] ओलावृष्टि				
मू.	2,06,62.66	3,24,68.67	3,24,67.87	- 0.80
पु.	1,18,06.01			

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,99,01.88 लाख की अतिरिक्त निधियां राहत कार्यों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

6. **राज्य आपदा मोचन निधि:**—तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वर्तमान में रही आपदा राहत निधि को 2010-11 से 5 वर्षों के लिये नयी योजना राज्य आपदा मोचन निधि से बदला गया। सम्पूर्ण वर्ष के आवंटन का 75 प्रतिशत अंशदान आयोजना भिन्न अनुदान के रूप में भारत सरकार करेगी और शेष राशि का अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। निधि ब्याज वाली आरक्षित निधि होगी। निधि से निवेश पर अर्जित आय के साथ निधि में वृद्धि की जायेगी जो एक अथवा अधिक किशतों में विभक्त की जाये जब तक कि भारत सरकार विपरीत निर्देश जारी न करें।

2014-15 के दौरान ₹ 7,30.10 करोड़ निधि को जमा करते हुए शीर्ष "2245-05-101-आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों में अन्तरण-राज्य आपदा मोचन निधि" के नामे की गई तथा प्राकृतिक आपदाओं पर हुए व्यय की राशि ₹ 15,70.57 करोड़ को वर्ष के दौरान निधि से पूरित किया गया।

तेरहवें वित्त आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि की अवशेष राशि पर छमाही ब्याज का भुगतान किया जाएगा, यदि राज्य सरकार द्वारा निवेश नहीं किया जाता है। तदनुसार, राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि पर ₹ 31.10 करोड़ की ब्याज राशि का भुगतान मुख्य शीर्ष 2049 को नामे करते हुए निधि मद 8121 को जमा किया गया। राज्य सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि की आंशिक अनुपयोजित राशि को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर ₹ 28.57 करोड़ ब्याज के रूप में भी अर्जित किये। 31 मार्च 2015 को ₹ 2,88.02 करोड़ का शेष (ब्याज सहित) राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत अवशेष रहा।

उपरोक्त निधि के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 2014-15 के विवरण संख्या 15, 21 तथा 22 में दर्शाया गया है।

पूँजी

दत्तमत

1. ₹ 57.03 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2015 में ₹ 57.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अन्य संस्थाओं को उधार दुर्भिक्ष अग्रिम हेतु लिया गया जो अनावश्यक था।

अनुदान संख्या 035 - विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2047. अन्य राजकोषीय सेवाएं ,

3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी और

3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

पूंजी - 4047. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,

5465. सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश और

5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	8,47,72,06	8,47,72,06	3,98,20,44	- 4,49,51,62
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				4,49,46,25
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	54,55,28	1,12,48,21	1,06,60,33	- 5,87,88
अनुपूरक	57,92,93			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				4,58,13

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 95,99.81 लाख, ₹ 28,24.83 लाख, ₹ 35,25.48 लाख, ₹ 22,43.96 लाख तथा ₹ 4,49,51.62 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के कुल बजट की 19.80 प्रतिशत से 68.54 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत रहने के विभिन्न कारण बताये गये।

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी				
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी				
201. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन				
(01) आर्थिक और सांख्यिकी विभाग				
[02] आर्थिक गणना				
मू.	11,63.26	8,50.47	8,46.73	- 3.74
पु.	- 3,12.79			

अनुदान संख्या 035 - (क्रमशः)

₹ 11,63.26 लाख का प्रावधान छठी आर्थिक गणना हेतु अनुमानित किया गया। उसके अनुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक गणना खण्ड के लिए मानदेय क्रमशः @ ₹ 2,100 एवं ₹ 1,500 निश्चित किया गया तथा 3 गणना खण्डों पर एक गणक पदस्थापित करने का निर्णय लिया गया।

₹ 3,12.79 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) भारत सरकार के निर्देशानुसार बिना जनसंख्या वाले गणना खण्ड के लिए मानदेय का भुगतान नहीं करने, (ii) स्टाफ की कमी के कारण 4-5 गणना खण्डों के लिए केवल एक गणक का पदस्थापित होना तथा (iii) सहायक निदेशक जैसलमेर द्वारा कुछ राशि के बिल कोषालय से पारित करवा लिए गये लेकिन उनका भुगतान मार्च 2015 में नहीं किया जा सका, को आरोपित की गई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[01] मुख्यालय			
मू.	9,48.13	8,10.88	8,10.88
पु.	- 1,37.25		
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[03] यू.आई.डी. परियोजना			
मू.	1,01,84.54	2,88.30	2,88.31
पु.	- 98,96.24		

उपर्युक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 1,00,33.49 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
203. कम्प्यूटर सेवाएं
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
[04] तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत
यू.आई.डी. परियोजना

मू.	83,41.00		
पु.	- 83,41.00		

31 मार्च 2015 को ₹ 83,41.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान भी वित्तीय वर्ष के अन्त में सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित/अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया था।

अनुदान संख्या 035 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[07] स्टेट डाटा सेन्टर			
मू.	5,24.30	1,38.27	1,38.27
पु.	- 3,86.03		..

31 मार्च 2015 को ₹ 3,86.03 लाख का प्रावधान कम्प्यूटराईजेशन पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
203. कम्प्यूटर सेवाएं
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
[29] नेशनल ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान (केपेसिटी बिल्डिंग)

मू.	1,74.25
पु.	- 1,74.25		..

31 मार्च 2015 को ₹ 1,74.25 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
203. कम्प्यूटर सेवाएं
(02) भामाशाह योजना, 2014
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मू.	5,31,04.32	2,89,38.13	2,89,37.99	- 0.14
पु.	- 2,41,66.19			

₹ 5,31,04.32 लाख का प्रावधान भामाशाह योजना के क्रियान्वयन हेतु सरकारी योजनाओं के वित्तीय तथा गैर वित्तीय लाभों को पारदर्शी तरीके से बी.पी.एल., अन्त्योदय तथा अन्नपूर्णा परिवारों के प्रत्येक परिवार की महिला प्रमुख को सीधे हस्तान्तरण हेतु अनुमानित किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार परिवार की महिला प्रमुख के भामाशाह योजना में नामांकन के समय ₹ 1,000 जारी करेगी तथा ₹ 1,000 की द्वितीय किश्त छः माह बाद उनके बैंक खाते में हस्तांतरित करना होगा। सरकारी योजनाओं के समस्त वित्तीय तथा गैर वित्तीय लाभों को जैसे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा मजदूरी, छात्रवृत्तियां, जननी सुरक्षा योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि, भामाशाह प्लेटफार्म के तहत बैंक खाते में हस्तांतरित किये जायेंगे।

₹ 2,41,66.19 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) भामाशाह कार्ड बनाने तथा भामाशाह पंजीकरण पर कम व्यय हुआ क्योंकि भामाशाह पंजीकरण कार्य चुनाव (स्थानीय निकाय) आचार संहिता के कारण निर्धारित संख्या में पूरा नहीं हो सका, (ii) बैंकों को लेने देन शुल्क का कम भुगतान हुआ क्योंकि बैंक खाते निर्धारित मात्रा में नहीं खुल सके और डेटा मैपिंग का कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ, (iii) योजना के अन्तर्गत कम लाभार्थियों का पंजीकरण होने के कारण योजना का वित्तीय लाभ जारी नहीं हो सका तथा (iv) चुनाव आचार संहिता के कारण भामाशाह शिविरों का कम आयोजन होने को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 035 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
204. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	23,75.24	20,67.12	20,67.10
पु.	- 3,08.12		- 0.02

₹ 3,08.12 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 248 नव स्थापित ब्लाक सांख्यिकी कार्यालय में कुल 898 पदों में से 633 रिक्त रहे पदों को आरोपित की गई।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
204. केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन
(02) ई-ग्राम योजना

मू.	2,47.54	1,24.62	1,24.59	- 0.03
पु.	- 1,22.92			

₹ 2,47.54 लाख का प्रावधान 248 ब्लाक्स में ई-ग्राम योजना के अन्तर्गत डाटा फीडिंग का कार्य पूर्ण करने हेतु 12 महिनों के लिये कम्प्यूटर मशीन विद मैन किराये पर लेने हेतु अनुमानित किया गया। यद्यपि निविदा में देरी के कारण डाटा फीडिंग का कार्य का निष्पादन अनुमान से कम होने के परिणामस्वरूप शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 1,22.92 लाख की प्रत्याशित बचत रही।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
204. केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन
(03) तैरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत सांख्यिकी प्रणाली को बेहतर बनाने हेतु

मू.	9,97.15	3,11.54	3,11.47	- 0.07
पु.	- 6,85.61			

31 मार्च 2015 को ₹ 6,85.61 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया क्योंकि भारत सरकार से तीसरी किस्त 16 मार्च 2015 को प्राप्त हुई परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष के अन्तिम 15 दिनों में निधियाँ खर्च नहीं हुई।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
800. अन्य व्यय
(02) आयोजना (जनशक्ति) विभाग

मू.	2,57.48	1,59.33	1,59.33	..
पु.	- 98.15			

₹ 98.15 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः प्रशिक्षण एवम् सेमीनार कम आयोजित होने को आरोपित की गई।

3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
106. भार और माप का विनियमन

मू.	3,66.47	2,72.16	2,71.14	- 1.02
पु.	- 94.31			

₹ 94.31 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 81 पदों के रिक्त रहने तथा मानक तुलाएं नहीं खरीदी गयी क्योंकि निविदाओं के साथ कोई फर्म आगे नहीं आने को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 035 - (क्रमशः)

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[24] जी.आई.एस.			
मू .	72.00	2,42.10	2,42.10
पु .	1,70.10		..

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,70.10 लाख की अतिरिक्त निधियां कम्प्यूटराईजेशन पर बढे हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[25] राज सम्पर्क			
मू .	21.60	1,29.13	1,29.13
पु .	1,07.53		..

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,07.53 लाख की अतिरिक्त निधियां कम्प्यूटराईजेशन पर बढे हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 5,87.88 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2015 में अनुपुरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 57,92.93 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4047. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(03) राजस्व आसूचना विभाग			
मू .	2,69.98
पु .	- 2,69.98		

31 मार्च 2015 को ₹ 2,69.98 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान आई.टी. परियोजना का मसौदा परियोजना प्रतिवेदन अनुमोदित नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

अनुदान संख्या 035 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय (05) राजकीय विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी			
मू.	0.01		
पु.	- 0.01	..	- 1,31.57
		- 1,31.57	- 1,31.57

₹ 1,31.57 लाख का ऋण व्यय (i) राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड से डीजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र से संबंधित प्राप्त राशि ₹ 50.00 लाख, (ii) सुगम परियोजना से संबंधित ₹ 40.36 लाख की अनुपयोजित राशि *नेशनल इन्फारमैटिक्स सेन्टर इन्कोरपोरेटेड* (एन.आई.सी.एस.आई.) द्वारा जमा करायी गयी तथा (iii) ₹ 41.21 लाख ए.टी.एस. की परियोजना शेष राशि वसूली जमा कराने के कारण रहा।

800. अन्य व्यय (06) भार एवं माप			
मू.	2,49.92		
पु.	- 2,01.88	48.04	49.84
			+ 1.80

31 मार्च 2015 को ₹ 2,01.88 लाख की प्रत्याशित बचत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पाली, सीकर, बांसवाडा, दौसा, बूंदी, भरतपुर, उदयपुर और जयपुर में माप-तौल की मानक प्रयोगशालाओं के निर्माण का कार्य कम सम्पादित करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 0.01 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,01.87 लाख) की गई।

800. अन्य व्यय (08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग [08] सेकलेन			
मू.	2,03.00		
अ.	68.00	1,63.51	
पु.	- 1,07.49		1,63.51
			..

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 68.00 लाख का प्रावधान बैण्डविड्थ के अधिक उपभोग और यूनिफाईड थ्रेट मैनेजमेन्ट (यूटीएम) उपकरणों की स्थापना के व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2015 को ₹ 1,07.49 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

800. अन्य व्यय (08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग [10] आरोग्य ऑनलाईन			
मू.	2,74.43		
पु.	- 1,14.20	1,60.23	1,60.23
			..

₹ 2,74.43 लाख का प्रावधान राज्य के सभी छः चिकित्सा महाविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध अस्पतालों में हैल्थ इन्फॉर्मेशन मैनेजमेन्ट सिस्टम लागू करने हेतु अनुमानित किया गया था।

31 मार्च 2015 को ₹ 1,14.20 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 035 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[26] बैकएण्ड एवं नवीन परियोजनाएं			
मू .	2,98.80		
अ.	27.65	1,98.97	1,99.00
पु .	- 1,27.48		+ 0.03

मार्च 2015 में कम्प्यूटराइजेशन पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 27.65 लाख का अनुपूरक अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 1,27.48 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[25] वाई-फाई हॉट स्पॉट			
मू .	1,85.76		
पु .	1,70.49	3,56.25	3,56.25
			..

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,70.49 लाख की अतिरिक्त निधियां जयपुर में वाई-फाई सुविधा जोड़ने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[33] राजनेट			
मू .	0.01		
अ.	16,34.14	19,36.00	19,36.00
पु .	3,01.85		..

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,01.85 लाख की अतिरिक्त निधियां राज-नेट योजना लागू करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 036 – सहकारिता

- मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार और
 2425. सहकारिता
 पूंजी – 4408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय,
 4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,
 6408. खाद्य भण्डारण तथा भांडागार के लिए कर्ज,
 6425. सहकारिता के लिए कर्ज और
 7475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	3,19,36,17	4,62,33,45	4,53,34,86	- 8,98,59
अनुपूरक	1,42,97,28			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				8,96,63
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				1
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	54,85,93	65,85,81	59,77,84	- 6,07,97
अनुपूरक	10,99,88			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				6,07,97

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 8,98.59 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2015 में लिया गया ₹ 1,42,97.28 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 036 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2425. सहकारिता			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) अधीक्षण			
मू .	27,20.50		
अ.	2.57	25,86.67	25,86.19
पु .	- 1,36.40		- 0.48

31 मार्च 2015 को ₹ 1,36.40 लाख का प्रावधान मुख्यतः 263 पदों के रिक्त रहने तथा कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों के वैदेशिक विभागों में प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

101. सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा

मू .	19,96.61		
अ.	9.93	18,33.11	18,33.04
पु .	- 1,73.43		- 0.07

31 मार्च 2015 को ₹ 1,73.43 लाख का प्रावधान मुख्यतः 261 पदों के रिक्त रहने तथा कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों के वैदेशिक विभागों में प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

107. क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता

(20) सहकारी संस्थाओं को ब्याज भुगतान हेतु सहायता

मू .	1,40,56.00		
अ.		1,08,04.50	1,08,04.50
पु .	- 32,51.50		..

31 मार्च 2015 को ₹ 32,51.50 लाख का प्रावधान केन्द्रीय सहकारी बैंको से कम दावे प्राप्त होने तथा कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 4,47.66 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 28,03.84 लाख) किया गया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा योजना की पुनः समीक्षा के पश्चात् केन्द्रीय बैंक के स्थान पर सहकारी भूमि विकास बैंक के माध्यम से ब्याज अनुदान स्वीकृत किया गया।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2425. सहकारिता			
800. अन्य व्यय			
(02) सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान			
मू .	91,36.42		
अ.	1,40,63.74	2,60,04.00	2,60,04.00
पु .	28,03.84		..

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 28,03.84 लाख की अतिरिक्त निधियां गत वर्ष के दावों के निपटान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 037 - कृषि

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2401. फसल कृषि-कर्म,
 2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा और
 2435. अन्य कृषि कार्यक्रम
 पूंजी - 4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,
 6401. फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज और
 6408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	19,56,79,68	19,56,79,88	- 4,09,89,31
अनुपूरक	20		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			4,06,24,60
प्रभारित			
मूल	1,02	13,28	- 2
अनुपूरक	12,26		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			2
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	4,29,96,08	4,29,96,10	- 1,20,30,20
अनुपूरक	2		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			1,20,01,65

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 4,09,89.31 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 3,64.71 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) संचालन			
मू.	19,35.64	16,59.41	- 0.21
पु.	- 2,76.23		

₹ 2,76.23 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 335 स्वीकृत पदों में से 90 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2401. फसल कृषि-कर्म				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(03) जिला संगठन				
मू.	10,47.76	8,14.33	8,14.33	
पु.	- 2,33.43			..
₹ 2,33.43 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 170 स्वीकृत पदों में से 53 पदों के रिक्त रहने तथा विज्ञापन पर कम व्यय को आरोपित की गई।				
102. खाद्यान्न फसलें				
(01) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन				
[01] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन -गेहू				
मू.	2,36.02	30.75	30.75	
पु.	- 2,05.27			..
102. खाद्यान्न फसलें				
(01) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन				
[02] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन -दलहन				
मू.	5,16.86	2,65.33	2,65.14	
अ.	0.01			- 0.19
पु.	- 2,51.54			
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 4,56.81 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।				
107. वनस्पति रक्षण				
(06) नॉन-इन्डोमिक क्षेत्रों में कीट एवं बीमारियों का उन्मूलन				
मू.	10,84.21	6,00.19	6,00.19	
पु.	- 4,84.02			..
₹ 10,84.21 लाख का प्रावधान कीट, पैस्ट और बीमारियों के विरुद्ध जमीनी फसलों की सुरक्षा हेतु वनस्पति सुरक्षा केमिकल देने के लिए अनुमानित किया गया था।				
31 मार्च 2015 को ₹ 4,84.02 लाख का प्रावधान मुख्यतः 126 स्वीकृत पदों में से 50 पदों के रिक्त रहने तथा कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।				
108. वाणिज्यिक फसलें				
(17) तिलहन, दलहन, आइलपाम तथा मक्का की एकीकृत योजना (25% राज्यांश : 75% केन्द्रीयंश)				
मू.	1,60.10	
पु.	- 1,60.10	
31 मार्च 2015 को ₹ 1,60.10 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।				

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(01) कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना			
[05] अनुसंधान			
मू.	8,72.85	6,84.43	6,84.44
पु.	- 1,88.42		
₹ 1,88.42 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 192 स्वीकृत पदों में से 91 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(13) नवाचार कार्यक्रम/मिनी किट वितरण			
मू.	25,12.85	21,47.79	21,47.86
पु.	- 3,65.06		
₹ 25,12.85 लाख का प्रावधान ऐसी गतिविधियों को सम्मिलित करना जो कृषि क्षेत्र के विकास के लिये आवश्यक है तथा जिसके लिये निधियां उपलब्ध नहीं हैं जैसे, आधारभूत विकास, जल बचत की उच्च तकनीकी प्रदर्शन, सरकारी फार्मों पर बीज उत्पादन तथा आर्गेनिक खेती के लिये विकास के पैकेज के अभ्यास हेतु अनुमानित किया गया था।			
31 मार्च 2015 को ₹ 3,65.06 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(16) राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन			
[01] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन			
मू.	25,70.80	6,10.46	6,10.45
पु.	- 19,60.34		
₹ 25,70.80 लाख का प्रावधान किसानों को उचित तकनीक और उन्नत खेतीहर अभ्यास का हस्तान्तरण किया जाना संभव किये जाने हेतु अनुमानित किया गया था।			
31 मार्च 2015 को ₹ 19,60.34 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
114. तिलहन विकास			
(01) राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पॉम मिशन			
[01] राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पॉम मिशन-तिलहन			
मू.	49,05.08	19,14.32	15,71.57
पु.	- 29,90.76		
₹ 49,05.08 लाख का प्रावधान वृक्षजनित तिलहन तथा तिलहन का उत्पादन बढ़ाने हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, ₹ 29,90.76 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 3,42.75 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(02) बागवानी का विकास			
मू.	32,58.66	24,92.62	24,91.60
अ.	0.01		
पु.	- 7,66.05		
₹ 7,66.05 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(25) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (15% राज्यांश : 85% केन्द्रीयंश)			
मू.	45,70.00	36,75.26	36,75.15
पु.	- 8,94.74		
₹ 45,70.00 लाख का प्रावधान राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत परियोजना आधारित तथा क्षेत्र आधारित कार्यक्रमों हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, ₹ 8,94.74 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(26) प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु (20% राज्यांश: 80% केन्द्रीयंश)			
मू.	1,49,79.60	61,99.37	61,98.50
पु.	- 87,80.23		
₹ 1,49,79.60 लाख का प्रावधान जल बचाने तथा अधिक उत्पादन हेतु बूंद-बूंद एवम् फव्वारा सिंचाई योजना को उन्नत करने हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, ₹ 87,80.23 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने तथा (ii) सामान्य कृषकों को अनुदानों की सीमा में कटौती के पश्चात् ऑन फार्म वाटर मैनेजमेन्ट योजना के प्रति कृषकों द्वारा रुचि कम दिखाये जाने के परिणामस्वरूप व्यय कम होने को आरोपित की गयी।			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(28) बूंद बूंद सिंचाई राज्य योजना			
मू.	62,17.26	31,99.04	31,99.04
पु.	- 30,18.22		
31 मार्च 2015 को ₹ 30,18.22 लाख के प्रावधान मुख्यतः (i) भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने तथा (ii) सामान्य कृषकों को अनुदानों की सीमा में कटौती के पश्चात् ऑन फार्म वाटर मैनेजमेन्ट योजना के प्रति कृषकों द्वारा रुचि कम दिखाये जाने के परिणामस्वरूप व्यय कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(36) सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त अनुदान			
मू.	85,82.49
पु.	- 85,82.49
31 मार्च 2015 को ₹ 85,82.49 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 0.08 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 85,82.41 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(37) आटोमेशन पर सहायता			
मू.	1,40.00
पु.	- 1,40.00
31 मार्च 2015 को ₹ 1,40.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म 119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें (38) राष्ट्रीय बम्बू मिशन			
मू.	1,94.47	19.06	19.06
पु.	- 1,75.41		
31 मार्च 2015 को ₹ 1,75.41 लाख का प्रावधान राष्ट्रीय बम्बू मिशन योजनान्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (04) जिला स्तरीय संस्थापन व्यय			
मू.	48,53.27	39,65.64	39,64.40
पु.	- 8,87.63		
₹ 8,87.63 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 994 स्वीकृत पदों में से 335 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं [09] कृषि विस्तार सेवाएं			
मू.	6,23.00	2,47.61	2,47.55
पु.	- 3,75.39		
31 मार्च 2015 को ₹ 3,75.39 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं [19] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- गेहूँ			
मू.	31,97.29	17,01.08	17,01.08
पु.	- 14,96.21		
31 मार्च 2015 को ₹ 14,96.21 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं [20] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन			
मू.	99,91.71	76,66.39	76,54.23
अ.	0.03		
पु.	- 23,25.35		
₹ 23,25.35 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 12.16 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं [22] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटे अनाज			
मू.	42,52.66	12,99.05	12,99.05
पु.	- 29,53.61		

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[23] राष्ट्रीय तिलहन मिशन -तिलहन			
मू.	13,37.89	7,85.27	7,85.21
पु.	- 5,52.62		
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[25] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि विस्तार			
मू.	25,17.20	7,10.54	7,10.34
पु.	- 18,06.66		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 53,12.89 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[28] टिकाउ खेती मिशन-बारानी क्षेत्र विकास			
मू.	32,27.84	86.03	86.03
पु.	- 31,41.81		
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[29] टिकाउ खेती मिशन- मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन			
मू.	99.75
पु.	- 99.75
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 32,41.56 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) पंचायत समिति स्तरीय संस्थापन व्यय			
मू.	2,19,65.01	1,96,38.14	1,96,38.14
पु.	- 23,26.87		
₹ 23,26.87 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 4,978 स्वीकृत पदों में से 1,285 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गई।			
800. अन्य व्यय			
(23) मिशन फॉर लाइवलिहुड			
मू.	86,29.00	35,04.48	35,04.48
पु.	- 51,24.52		

31 मार्च 2015 को ₹ 51,24.52 लाख का प्रावधान बजट अन्तिमीकरण समिति द्वारा निधियों में कटौती के कारण अभ्यर्पित (₹ 24,55.85 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 26,68.67 लाख) किया गया।

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	2,51,71.98		
अ.	0.01	2,34,39.15	2,34,34.28
पु.	- 17,32.84		- 4.87
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[04] डेयरी विभाग के माध्यम से			
मू.	4,10.00		
पु.	- 2,70.50	1,39.50	1,39.50
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[15] वन विभाग के माध्यम से			
मू.	3,28.00		
पु.	- 1,91.03	1,36.97	1,36.96
			- 0.01
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 21,94.37 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
800. अन्य व्यय			
(31) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	27,60.00		
पु.	- 25,60.00	2,00.00	2,00.00
			..
31 मार्च 2015 को ₹ 25,60.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
800. अन्य व्यय			
(35) राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन			
[01] बारानी क्षेत्र विकास			
मू.	4,63.72		
अ.	0.01	15.25	15.25
पु.	- 4,48.48		..
800. अन्य व्यय			
(35) राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन			
[02] मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन			
मू.	15,89.20		
अ.	0.03
पु.	- 15,89.23		..

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
800. अन्य व्यय			
(35) राष्ट्रीय टिकाउ खेती मिशन			
[03] वायुमण्डल परिवर्तन एवं टिकाउ खेती			
मू.	1,41.26		
अ.	
पु.	- 1,41.26		

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 21,78.97 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[01] स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर			
मू.	70,04.39	64,94.00	64,94.00
पु.	- 5,10.39		..

₹ 5,10.39 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[03] श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर			
मू.	15,67.40	10,49.28	10,49.28
पु.	- 5,18.12		..

31 मार्च 2015 को ₹ 5,18.12 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने के परिणामस्वरूप वेतन के लिए सहायतार्थ अनुदान कम जारी करने तथा (ii) भवनों का निर्माण और अन्य कार्य प्रगति पर होने के परिणामस्वरूप पूंजीगत सम्पत्ति के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[04] कृषि विश्वविद्यालय, कोटा			
मू.	3,86.00	2,82.00	2,82.00
पु.	- 1,04.00		..

31 मार्च 2015 को ₹ 1,04.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
105. खाद तथा उर्वरक			
(11) खाद तथा उर्वरक योजना			
मू.	1,78.33	5,39.19	5,39.19
अ.	0.01		
पु.	3,60.85		

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 3,60.85 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(16) राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन			
[03] कृषि अभियांत्रिकी			
मू.	53.52	2,75.60	2,75.60
अ.	0.01		
पु.	2,22.07		

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 2,22.07 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

110. फसल बीमा (50% राज्यांश: 50% केन्द्रीयंश)			
(02) कृषि विभाग के अभिकरण से			
मू.	1,97,70.01	2,44,13.42	2,44,13.40
पु.	46,43.41		

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 46,43.41 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(32) ग्रीन हाउस पर अतिरिक्त अनुदान			
मू.	3,60.00	11,12.90	11,12.90
पु.	7,52.90		

₹ 3,60.00 लाख का प्रावधान किसानों की आय में वृद्धि के लिए उच्च तकनीकी बागवानी की ग्रीन हाउस/शेड्स-नेट्स की स्थापना को उन्नत करने हेतु अनुमानित किया गया था। 31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 7,52.90 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[18] छात्राओं को कृषि शिक्षा हेतु प्रोत्साहन			
मू.	2,74.80	4,37.36	4,37.36
पु.	1,62.56		

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,62.56 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[02] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू.	48,00.00	1,44,63.76	1,44,63.76
पु.	96,63.76		
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[03] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	6,90.00	19,04.77	19,03.91
पु.	12,14.77		
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[08] स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर			
मू.	4,10.00	7,60.00	7,60.00
पु.	3,50.00		
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[12] राजफैड को सहायता (सहकारी विभाग के माध्यम से)			
मू.	8,20.00	13,20.00	13,20.00
पु.	5,00.00		
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[16] राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के माध्यम से			
मू.	10,00.00	19,37.92	19,37.92
पु.	9,37.92		

उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,26,66.45 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

पूँजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(04) राष्ट्रीय बागवानी मिशन			
मू.	4,00.00	1,87.70	1,87.70
पु.	- 2,12.30		..
31 मार्च 2015 को ₹ 2,12.30 लाख का प्रावधान भारत सरकार से (i) सेन्टर फार एक्सीलेन्स का निर्माण कार्य तथा (ii) सेन्टर फार एक्सीलेन्स के लिए मशीनरी, अन्य संयंत्र तथा औजार हेतु कम निधियां प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(02) कृषि विभाग के अभिकरण से			
[05] किसान सेवा केन्द्र एवं ग्राम ज्ञान केन्द्रों हेतु भवन निर्माण			
मू.	2,22,18.00	1,41,86.57	1,41,58.91
पु.	- 80,31.43		- 27.66
₹ 80,31.43 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 27.66 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[03] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	4,10.00	1,45.25	1,45.26
पु.	- 2,64.75		+ 0.01
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[05] सहकारी विभाग के माध्यम से ग्रामीण गोदारमों का निर्माण			
मू.	4,10.00	84.50	84.50
पु.	- 3,25.50		..
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[07] कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से			
मू.	15,00.00	10,00.00	10,00.00
पु.	- 5,00.00		..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 10,90.25 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 037 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज			
02. भंडारण तथा भांडागार			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(01) गोदामों का निर्माण			
[01] राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम को उधार			
मू.	1,50,00.00	90,00.00	90,00.00
पु.	- 60,00.00		..

31 मार्च 2015 को ₹ 60,00.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	3,45.00	15,54.35	15,54.35
पु.	12,09.35		..
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[06] विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से			
मू.	1,00.00	2,00.00	2,00.00
पु.	1,00.00		..
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[09] वन विभाग के माध्यम से			
मू.	8,30.00	21,68.47	21,67.57
पु.	13,38.47		- 0.90

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 26,47.82 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

6401. फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज
800. अन्य कर्ज
(06) कृषि विश्वविद्यालयों को उधार
[02] स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय,
बीकानेर को उधार

मू.	0.01	8,00.00	8,00.00
पु.	7,99.99		..

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां पेंशन तथा सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान हेतु स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय को ऋण जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 038 - लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2402. मृदा तथा जल संरक्षण और
 2702. लघु सिंचाई
 पूंजी - 4402. मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय और
 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,24,48,22	1,24,48,22	1,12,10,97	- 12,37,25
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				11,77,77
प्रभारित				
मूल	3,66	3,69	3,65	- 4
अनुपूरक	3			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				4
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	1,67,30	1,67,30	78,86	- 88,44
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				86,73

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 12,37.25 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 59.48 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।

अनुदान संख्या 038 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2402. मृदा तथा जल संरक्षण			
102. मृदा संरक्षण			
(03) पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन परियोजना (आई फैंड फण्डेड)(एम पॉवर)			
मू.	26,96.97	15,09.77	14,50.57
पु.	- 11,87.20		
			- 59.20

₹ 11,87.20 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 56 स्वीकृत पदों में से 29 पदों के रिक्त रहने, (ii) चुनाव आचार संहिता के कारण निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने, (iii) कृषि विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय निधि (आई एफ ए डी) के पर्यवेक्षक मिशन द्वारा स्वयं सहायता समूह को सीड कैपिटल जारी करने हेतु मानदण्डों में परिवर्तन के कारण स्वयं सहायता समूह को निधियां जारी नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।

₹ 59.20 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता

(01) कार्य योजना के भू-संरक्षण कार्य हेतु अनुदान

[01] संस्थापन व्यय

मू.	28,99.59	27,73.64	27,73.45
पु.	- 1,25.95		
			-0.19

₹ 1,25.95 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 579 स्वीकृत पदों के विपरीत 309 पदों के रिक्त रहने तथा कार्मिकों की पदोन्नति/स्थानान्तरण के बाद उनके मूल विभाग (कृषि विभाग) में पद ग्रहण करने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2702. लघु सिंचाई			
03. रखरखाव			
103. नलकूप (ट्यूब वेल)			
(01) कुओं और तालाबों का निर्माण और उन्हें गहरा करना			
[02] कार्यकारी			
मू.	39,49.94	41,53.39	41,53.38
पु.	2,03.45		
			- 0.01

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,03.45 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) बकाया दायित्वों के भुगतान, (ii) स्पेयर पार्ट्स की दरों में निरन्तर वृद्धि, (iii) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा विभाग में प्रयुक्त एम.एस. पाइपों हेतु संविदा दरों में वृद्धि पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 038 - (समाप्त)

पूंजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लुघ सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
102. भू-जल			
(01) भू-जल विभाग द्वारा संचालित कार्य			
[02] भवन निर्माण			
मू .	1,30.77	51.26	51.26
पु .	- 79.51		..

31 मार्च 2015 को ₹ 79.51 लाख का प्रावधान कम कार्यों की सम्भावना के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि नवम्बर 2014 में कार्य की वित्तीय तथा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के परिणामतः फरवरी 2015 में संविदा प्रक्रिया के पश्चात् आदेश जारी किया गया।

अनुदान संख्या 039 - पशुपालन एवं चिकित्सा

- मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2403. पशु-पालन,
 2404. डेरी विकास,
 2405. मछली-पालन और
 2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
 पूंजी - 4403. पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय,
 4404. डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
 4405. मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय,
 6403. पशु-पालन के लिए कर्ज और
 6404. डेयरी विकास के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	6,32,05,73			
अनुपूरक	..	6,32,05,73	5,11,34,79	- 1,20,70,94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				
				1,20,41,89
प्रभारित				
मूल	1,01			
अनुपूरक	..	1,01	62	- 39
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				
				38
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	1,95,07			
अनुपूरक	35,30	2,30,37	77,45	- 1,52,92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				
				1,52,92

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 1,20,70.94 लाख की अंतिम बचत में से, ₹ 29.05 लाख अन्-अभ्यर्पित रहे।

अनुदान संख्या 039 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) पशुपालन			
[01] प्रधान कार्यालय कर्मचारी वर्ग			
मू.	51,21.92	47,93.93	47,85.65
पु.	- 3,27.99		
₹ 3,27.99 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधिकारियों/कर्मचारियों के हस्तांतरण होने तथा सुनिश्चित वृत्तिक पदोन्नति (ए.सी.पी.) के अंतिमीकरण नहीं किये जाने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
₹ 8.28 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) पशुपालन			
[13] मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना			
मू.	16,96.20	5,70.44	5,65.93
पु.	- 11,25.76		
31 मार्च 2015 को ₹ 11,25.76 लाख का प्रावधान पशुधन के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत खरीदी जाने वाली दवाइयां राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत उपलब्ध होने के कारण "दवाइयों तथा औषधियों" पर कम व्यय होने तथा आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 4.51 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
101. पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(05) अस्पताल और चिकित्सालय			
मू.	3,58,72.11	3,32,84.26	3,32,65.00
पु.	- 25,87.85		
₹ 25,87.85 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) अधिकारियों/कर्मचारियों के हस्तांतरण तथा सुनिश्चित वृत्तिक पदोन्नति (ए.सी.पी.) का अंतिमीकरण नहीं किये जाने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) फर्नीचर की खरीद के लिए स्वीकृति प्राप्त न होने तथा (iii) हिंगोनिया गोशाला को उपलब्ध कराये जाने वाले उपकरणों हेतु दरों का अनुमोदन न होने को आरोपित की गयी।			
₹ 19.26 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
101. पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(17) पशु रोग नियंत्रण योजना (एस्केड)(1:3)			
मू.	3,24.04	1,58.94	1,58.83
पु.	- 1,65.10		
₹ 1,65.10 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से स्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण कार्यों का निष्पादन न होने तथा योजना के अन्तर्गत टीकों की बोतल की खरीद न होने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 039 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
101. पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(21) मुख्यमंत्री मोबाइल वेटेनरी यूनिट			
मू.	17,39.80	14,46.13	14,45.73
पु.	- 2,93.67		
31 मार्च 2015 को ₹ 2,93.67 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) अधिकारियों/कर्मचारियों के हस्तांतरण तथा सुनिश्चित वृत्तिक पदोन्नति (ए.सी.पी.) का अंतिमीकरण नहीं किये जाने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) आयोजना सीमा में कटौती तथा (iii) तहसील मुख्यालय पर वाहनों का किराये पर उपलब्ध न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
102. पशु तथा भैंस विकास			
(01) पशु अभिजनन प्रक्षेत्र			
मू.	8,88.35	7,70.51	7,75.69
पु.	- 1,17.84		
₹ 1,17.84 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः चारे की दरों का अनुमोदन न होने के कारण फार्मस से चारा खरीदने तथा मांग के अनुसार पशुओं की उपलब्धता नहीं होने को आरोपित की गयी।			
₹ 5.18 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
102. पशु तथा भैंस विकास			
(16) पशुधन नस्ल सुधार योजना			
[01] स्वयंसेवी सस्थाओं के माध्यम से			
मू.	5,00.00	1,52.41	1,52.41
पु.	- 3,47.59		
31 मार्च 2015 को ₹ 3,47.59 लाख का प्रावधान एकीकृत पशुधन विकास केन्द्रों की स्थापना हेतु टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
106. अन्य पशुधन विकास			
(02) गौ सेवा निदेशालय			
[01] गोशालाओं को अनुदान			
मू.	58,64.61
पु.	- 58,64.61
31 मार्च 2015 को ₹ 58,64.61 लाख का समस्त प्रावधान राज्य सरकार द्वारा गोशालाओं को अनुदान जारी करने हेतु नीतिगत फैसला न लेने के कारण अभ्यर्पित (₹ 40,62.44 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 18,02.17 लाख) किया गया।			
108. पशुधन तथा मुर्गी बीमा			
(01) निदेशालय, पशुपालन विभाग			
[01] पशु बीमा			
मू.	1,02.49
पु.	- 1,02.49
31 मार्च 2015 को ₹ 1,02.49 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से राष्ट्रीय पशुधन मिशन हेतु निधियां प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 039 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
113. प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी			
(01) मवेशियों की गणना			
[02] राजस्व विभाग के माध्यम से			
मू.	6,77.18		
पु.	- 2,88.64	3,88.54	3,88.49
			- 0.05

₹ 2,88.64 लाख की प्रत्याशित बचत 19 पशुधन गणना, 2012 से संबंधित गणकों तथा पर्यवेक्षकों को मानदेय के भुगतान हेतु भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति को आरोपित की गयी।

2404. डेरी विकास			
195. सहकारी समितियों को सहायता			
(01) राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी संघ को सहायता			
मू.	16,53.90		
पु.	- 15,38.90	1,15.00	1,15.00
			..

31 मार्च 2015 को ₹ 15,38.90 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) पशुपालन			
[11] पशुपालन विश्वविद्यालय को सहायता			
मू.	32,26.56		
पु.	2,20.93	34,47.49	34,47.49
			..
101. पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य			
(22) खुरपका मुँहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम			
मू.	0.13		
पु.	6,48.58	6,48.71	6,48.54
			- 0.17

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,20.93 लाख की अतिरिक्त निधियां पशुपालन विश्वविद्यालय को भवनों के निर्माण हेतु अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,48.58 लाख की अतिरिक्त निधियां खुरपका मुँहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 039 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
102. पशु तथा भैंस विकास			
(18) राष्ट्रीय गाय एवं भैंस प्रजनन परियोजना			
मू.	0.01	3,45.00	3,45.00
पु.	3,44.99		
			..

31 मार्च 2015 का पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,44.99 लाख की अतिरिक्त निधियां सांड के प्रजनन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की नई परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध करायी गयी।

पूंजी

दत्तमत

1. मार्च 2015 में लिया गया ₹ 35.30 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4405. मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
101. अन्तर्देशीय मछली पालन			
(02) मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग के माध्यम से			
[07] मत्स्य फार्म विकास			
मू.	1,95.01	77.45	77.45
अ.	35.30		
पु.	- 1,52.86		
			..

₹ 1,52.86 लाख की प्रत्याशित बचत चुनाव आचार संहिता के कारण कार्यकारी एजेन्सी द्वारा मत्स्य फार्मों के निर्माण कार्यों के लिए टेण्डर प्रक्रिया शुरू न होने तथा रंगीन मछली परियोजना के तहत निधियां मार्च 2015 में प्राप्त होने से निधियों के उपयोग न होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 040 - राजकीय उपक्रम

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2852. उद्योग और
 2875. अन्य उद्योग
 पूंजी - 4860. उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय और
 6860. उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,42,67	1,42,67	1,32,35	- 10,32
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				10,30
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				1
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	47,57,02	54,53,68	54,53,68	..
अनुपूरक	6,96,66			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

अनुदान संख्या 041 - सामुदायिक विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

पूंजी - 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	50,65,56,06	50,93,59,07	- 6,36,44,93
अनुपूरक	28,03,01		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			6,36,30,24
प्रभारित			
मूल	9,52	18,57	..
अनुपूरक	9,05		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

पूंजी

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
दत्तमत			
मूल	1,65,06	1,65,06	- 45,58
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			45,57

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. मार्च 2015 में ₹ 28,03.01 लाख का अनुपूरक अनुदान मुख्यतः भामाशाह योजना के तहत बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु तथा पंचायत समितियों को वेतन के भुगतान के लिए अधिक अनुदान जारी करने हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(07) जिला योजना समिति कर्मचारी वर्ग			
मू.	9,96.90	8,98.64	- 0.10
अ.	3.30		
पु.	- 1,01.56		

31 मार्च 2015 को ₹ 1,01.56 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 041 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
102. सामुदायिक विकास			
(01) वित्तीय सशक्तिकरण योजना			
[04] सामान्य परिवार को प्रोत्साहन			
मू.	7,43.00
पु.	- 7,43.00
₹ 7,43.00 लाख का प्रावधान भामाशाह योजना-2008 में सेवा प्रदाताओं के दावों का भुगतान, यदि दावे उचित तथा नियमानुसार प्राप्त होते हैं के लिए अनुमानित किया गया था। यद्यपि, 31 मार्च 2015 को ₹ 7,43.00 लाख का समस्त प्रावधान दावों का भुगतान किया जाना देय है या नहीं, का निर्णय नहीं लिये जा सकने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
102. सामुदायिक विकास			
(01) वित्तीय सशक्तिकरण योजना			
[07] सामान्य सेवा प्रदाता को भुगतान			
मू.	86.50
अ.	24,13.50
पु.	- 25,00.00
मार्च 2015 में ₹ 24,13.50 लाख का अनुपूरक अनुदान भामाशाह योजना के अन्तर्गत बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु लिया गया जो प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था। यद्यपि, 31 मार्च 2015 को ₹ 25,00.00 लाख का समस्त प्रावधान दावों का भुगतान किया जाना देय है या नहीं, का निर्णय नहीं लिये जा सकने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) तदर्थ सहायता			
[01] संस्थापन			
मू.	24,59.10	21,75.00	..
पु.	- 2,84.10	21,75.00	..
31 मार्च 2015 को ₹ 2,84.10 लाख की प्रत्याशित बचत में से ₹ 1,59.10 लाख वर्तमान ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना के बंद होने के पश्चात् मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण पर हुए व्यय की पूर्ति इंदिरा आवास योजना से करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। 31 मार्च 2015 को ₹ 1,25.00 लाख की शेष राशि अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(13) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	20,91.90	19,75.22	..
पु.	- 1,16.68	19,75.22	..

अनुदान संख्या 041 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(14) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिए सामान्य निष्पादन अनुदान			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	19,21.96	11,15.07	11,15.07
पु.	- 8,06.89		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 9,23.57 लाख का प्रावधान योजनाओं के तहत तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुदान में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(18) ग्रामों के मास्टर प्लान हेतु राशि			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	2,74.80
पु.	- 2,74.80		
₹ 2,74.80 लाख का प्रावधान ग्राम मास्टर प्लान के कार्य पूर्ण करने के लिए अनुमानित किया गया था। यद्यपि, राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार ग्राम मास्टर प्लान का शेष कार्य दूसरी योजनाओं से पूरा किया गया परिणामतः ₹ 2,74.80 लाख का समस्त प्रावधान 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) पिछड़ा जिला विकास निधि			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	2,06,13.39	1,31,41.00	1,31,41.00
पु.	- 74,72.39		
₹ 2,06,13.39 लाख का प्रावधान क्षेत्रीय अंसतुलन समाप्त करने, गरीबी उन्मूलन में सहयोग तथा जवाबदेह व उत्तरदायी पंचायतों को प्रोत्साहित करने हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र दिनांक 13.02.2015 के द्वारा प्रावधान में 52 प्रतिशत तक की कटौती करने के कारण ₹ 74,72.39 लाख की प्रत्याशित बचत 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित की गयी।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(21) जिला नवाचार कोष			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	2,07.25
पु.	- 2,07.25		
₹ 2,07.25 लाख का प्रावधान राज्य के 33 जिलों में पूर्व में निर्मित सम्पत्तियों की क्षमता में वृद्धि हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के बावजूद भारत सरकार द्वारा द्वितीय किश्त के जारी नहीं किये जाने के कारण ₹ 2,07.25 लाख का समस्त प्रावधान 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 041 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (24) सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान [02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	1,78,98.67	1,18,16.05	1,18,16.05
पु.	- 60,82.62		
₹ 1,78,98.67 लाख का प्रावधान स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में शोचालयों के निर्माण द्वारा स्वच्छ तथा स्वस्थ राज्य बनाने हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, भारत सरकार से वर्ष के अंत में द्वितीय किशत की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण 31 मार्च 2015 को ₹ 60,82.62 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (25) ग्रामीण बी.पी.एल. आवास [01] सामान्य कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	3,34,82.46	2,97,22.49	2,97,22.49
पु.	- 37,59.97		
₹ 3,34,82.46 लाख का प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिए बी.पी.एल. परिवारों को निधियां उपलब्ध कराने हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, 31 मार्च 2015 को ₹ 37,59.97 लाख की प्रत्याशित बचत हुड़को द्वारा की गयी मांग के अनुसार अनुदान जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित की गयी।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (28) राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान [02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	49,46.40	3,11.30	3,11.28
पु.	- 46,35.10		
₹ 49,46.40 लाख का प्रावधान पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण और उत्तरदायित्वों में वृद्धि हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, भारत सरकार द्वारा द्वितीय किशत जारी न करने के कारण ₹ 46,35.10 लाख की प्रत्याशित बचत 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित की गयी।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता (02) प्रधानों को मानदेय भत्ते			
मू.	1,78.56	59.52	59.52
पु.	- 1,19.04		
31 मार्च 2015 को ₹ 1,19.04 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार प्रमुखों को प्रथम 4 माह के मानदेय का भुगतान इसी शीर्ष से करने तथा शेष मानदेय को चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता (07) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिये सामान्य बुनियादी अनुदान [02] कार्यकलाप/ गतिविधियां			
मू.	83,67.60	79,00.90	79,00.90
पु.	- 4,66.70		

अनुदान संख्या 041 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिये सामान्य निष्पादन अनुदान			
[01] कार्यकलाप/ गतिविधियां			
मू.	76,87.86	44,60.32	44,60.32
पु.	- 32,27.54		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 36,94.24 लाख का प्रावधान योजनाओं के तहत तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुदानों में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(09) तदर्थ सहायता			
[03] जनता जल योजनान्तर्गत संधारण			
मू.	34,00.01	4,72.66	4,72.66
पु.	- 29,27.35		..
31 मार्च 2015 को ₹ 29,27.35 लाख का प्रावधान जनता जल योजना के संचालन पर मजदूरी का शेष भुगतान इस शीर्ष के स्थान पर शीर्ष राज्य वित्त आयोग के द्वारा करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(06) राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (ग्राम पंचायतों के प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये) मिड डे मील योजनान्तर्गत सहायता			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	4,61,09.50	3,68,25.25	3,68,25.25
पु.	- 92,84.25		..
₹ 4,61,09.50 लाख का प्रावधान सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों हेतु प्रत्येक शिक्षण दिवस पर दोपहर का तैयार भोजन उपलब्ध कराने हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, भारत सरकार द्वारा निधियां कम जारी करने के कारण ₹ 92,84.25 लाख की प्रत्याशित बचत 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित की गयी।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(16) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिये सामान्य बुनियादी अनुदान			
[02] कार्यकलाप/ गतिविधियां			
मू.	5,92,70.50	5,59,64.70	5,59,64.70
पु.	- 33,05.80		..
31 मार्च 2015 को ₹ 33,05.80 लाख का प्रावधान योजना के तहत तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निधियों में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 041 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(17) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिये सामान्य निष्पादन अनुदान			
[02] कार्यकलाप/ गतिविधियां			
मू.	5,44,55.65		
पु.	- 2,28,61.76	3,15,93.89	3,15,93.89

₹ 2,28,61.76 लाख की प्रत्याशित बचत योजना के तहत तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निधियों में कटौती को आरोपित की गयी।

198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(27) राजीव गांधी सेवा केन्द्रों की सुरक्षा हेतु अनुबन्ध कार्मिकों के मानदेय हेतु			
[01] संस्थापन			
मू.	20,00.00		
पु.	- 20,00.00

₹ 20,00.00 लाख का प्रावधान अटल सेवा केन्द्र के सुरक्षा गार्ड्स को मानदेय के भुगतान हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, सुरक्षा गार्ड्स को मानदेय का भुगतान निर्बन्ध कोष से करने के कारण ₹ 20,00.00 लाख का समस्त प्रावधान 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किया गया।

800. अन्य व्यय			
(04) राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम			
[01] मुख्यालय			
मू.	3,90.50		
पु.	- 2,60.25	1,30.25	1,27.99

₹ 2,60.25 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) तदर्थ सहायता			
[01] संस्थापन			
मू.	4,20,83.57		
अ.	2,97.04	5,04,93.65	5,04,86.29
पु.	81,13.04		- 7.36

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 81,13.04 लाख की अतिरिक्त निधियां पंचायत समितियों के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 7.36 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 042 - उद्योग

- मुख्य शीर्ष : राजस्व -2040. बिक्री , व्यापार आदि पर कर,
 2851. ग्राम तथा लघु उद्योग और
 2852. उद्योग
 पूंजी - 4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4885. उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,
 6851. ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज,
 6860. उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज और
 6885. उद्योगों और खनिजों के लिए अन्य कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,43,88,79	1,43,88,81	1,34,24,43	- 9,64,38
अनुपूरक	2			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				9,63,27
प्रभारित				
मूल	2	2	..	-2
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				2

पूंजी

दत्तमत				
मूल	20,12,04	20,21,58	- 81,64,25	- 1,01,85,83
अनुपूरक	9,54			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				20,10,89

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग				
105. खादी ग्रामोद्योग				
(01) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड				
मू.	36,83.20	32,56.55	32,56.55	..
पु.	- 4,26.65			

अनुदान संख्या 042 - (क्रमशः)

₹ 4,26.65 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 86 ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारियों को उनकी प्रतिनियुक्ति पर तीन महीनों का वेतन तथा भत्तों का भुगतान ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज द्वारा किया जाने, (ii) 75 पदों के रिक्त रहने तथा (iii) महिला सशक्तिकरण योजना का क्रियान्वयन नहीं होने को आपोषित की गई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
111. बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार योजना			
(03) उद्यम स्थापना विस्तार विविधीकरण एवं आधुनीकीकरण			
[01] मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना			
मू.	5,00.06	3,36.36	3,36.32
पु.	- 1,63.70		
₹ 5,00.06 लाख का प्रावधान उन व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत अपने व्यवसाय को स्थापित करने के लिए बैंक से ऋण लिया, के ब्याज के भुगतान पर 8 प्रतिशत ब्याज सहाय्य उपलब्ध कराने हेतु अनुमानित किया गया था।			
₹ 1,63.70 लाख की प्रत्याशित बचत वर्ष के दौरान बैंक द्वारा लाभार्थी इकाइयों को ऋण कम वितरित करने के परिणामस्वरूप ब्याज अनुदान के कम दावे निस्तारित करने को आरोषित की गई।			
2852. उद्योग			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन और अधीक्षण			
मू.	10,45.82	9,34.77	9,34.72
पु.	- 1,11.05		
₹ 1,11.05 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 67 पदों के रिक्त रहने को आरोषित की गयी।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) जिला उद्योग केन्द्र			
मू.	28,06.73	26,50.60	26,50.57
पु.	- 1,56.13		
₹ 1,56.13 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 359 पदों के रिक्त रहने को आरोषित की गयी।			
80. सामान्य			
102. औद्योगिक उत्पादकता			
(17) ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेन्सी (रूड़ा)			
मू.	2,57.55	1,69.00	1,69.00
पु.	- 88.55		
₹ 88.55 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 042 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2852. उद्योग			
80. सामान्य			
102. औद्योगिक उत्पादकता			
(25) राजस्थान वित्त निगम			
[01] युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना			
मू.	1,00.01	10.50	10.50
पु.	- 89.51

31 मार्च 2015 को ₹ 89.51 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(01) माइक्रो स्माल एन्टरप्राइजेज क्लस्टर डवलपमेंट प्रोग्राम (एम.एस.ई-सी.डी.पी.)			
[01] रीको को सहायता			

मू.	2,00.01
पु.	- 2,00.01

31 मार्च 2015 को ₹ 2,00.01 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान एम एस ई- सी डी पी के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा रीको खाते से सम्बन्धित परियोजनाओं को निधियों के प्रत्यक्ष हस्तान्तरण के कारण अभ्यर्पित (₹ 0.01 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,00.00 लाख) किया गया।

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2852. उद्योग			
80. सामान्य			
102. औद्योगिक उत्पादकता			
(02) ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (बी.आई.पी.)			
मू.	5,15.00	9,72.00	9,72.00
पु.	4,57.00

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,57.00 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) रिसर्जेंट राजस्थान-2015 के गठन, (ii) नये वाहनों तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर की खरीद तथा (iii) संवर्द्धन गतिविधियों से सम्बन्धित गत वर्ष की बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु बी.आई.पी. को निधियां जारी करने के कारण उपलब्ध कराई गई।

अनुदान संख्या 042 - (समाप्त)

पूँजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य			
800. अन्य व्यय			
(16) सिकन्दरा स्टोन पार्क की स्थापना			
मू.	0.01	..	- 1,74.94
पु.	- 0.01		- 1,74.94

₹ 1,74.94 लाख का ऋण व्यय रीको द्वारा सिकन्दरा स्टोन पार्क 2007-08 से सम्बन्धित अवशेष राशि जमा कराये जाने के कारण था।

60. अन्य

800. अन्य व्यय

(23) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड

[01] दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कोरिडोर

मू.	20,00.01	..	- 80,00.00	- 80,00.00
पु.	- 20,00.01			

31 मार्च 2015 को ₹ 20,00.01 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान राज्य सरकार द्वारा दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कोरिडोर के लिए पृथक विभाग बनाये जाने के पश्चात् रीको द्वारा निधियां जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 19,98.86 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1.15 लाख) किया गया।

₹ 80,00.00 लाख के ऋण व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 043 - खनिज

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2802. पेट्रोलियम और
 2853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग
 पूंजी - 4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय,
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर
 पूंजीगत परिव्यय और
 6802. पेट्रोलियम के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,09,13,24	1,96,98,01	1,02,46,85	- 94,51,16
अनुपूरक	87,84,77			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				87,03,02
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				1
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	1,03,55,97	1,03,55,97	- 4,64,52	- 1,08,20,49
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				1,03,20,01

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- 1 मार्च 2015 में लिया गया ₹ 87,84.77 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 94,51.16 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 7,48.14 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।
3. वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 3,95.99 लाख, ₹ 58,20.29 लाख, ₹ 82,11.10 लाख, ₹ 25,29.51 लाख तथा ₹ 94,51.66 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो कि अनुदान के कुल बजट की 6 प्रतिशत से 48 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 043 - (क्रमशः)

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग			
02. खानों का विनियमन तथा विकास			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) संचालन एवं अधीक्षण			
मू.	71,46.34		
अ.	4,93.09	67,21.42	66,99.41
पु.	- 9,18.01		- 22.01

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 4,93.09 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) वेतन तथा भत्ते, (ii) मजदूरी तथा (iii) खानों के आवंटन की निविदाओं हेतु विज्ञापन तथा गैर कानूनी खनन की रोकथाम पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 9,18.01 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) सरकारी मुद्रणालय द्वारा रॉयल्टी प्राप्ति बुक, रचना बुक का मुद्रण समय पर न होने, (iii) सामग्री की खरीद की निविदा निरस्त किये जाने तथा (iv) गैर कानूनी खनन को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा कम्पनियों की नियुक्ति पर कम व्यय को आरोपित की गयी।

₹ 22.01 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

02. खानों का विनियमन तथा विकास			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) विभाग द्वारा शुल्क वसूली पर व्यय			
मू.	16,08.25		
अ.	2,00.00	16,19.56	16,19.40
पु.	- 1,88.69		- 0.16

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,00.00 लाख का प्रावधान मजदूरी पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2015 को ₹ 1,88.69 लाख का प्रावधान मुख्यतः नियमित अधिवर्षिता सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. खानों का विनियमन तथा विकास			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) सघन पूर्वक्षण तथा खनिज सर्वेक्षण			
मू.	5,97.56		
पु.	- 3,43.46	2,54.10	2,54.10

31 मार्च 2015 को ₹ 3,43.46 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) नियमित अधिवर्षिता सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने तथा (ii) कम्प्यूटर मशीन मय मैन हेतु बहुत कम दरें होने के कारण ठेका नहीं दिये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. खानों का विनियमन तथा विकास			
102. खनिज खोज (समन्वेषण)			
(01) पूर्वक्षण और व्यधन			
मू.	10,14.84		
अ.	51.80	7,95.89	7,95.89
पु.	- 2,70.75		..

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 51.80 लाख का प्रावधान मुख्यतः मजदूरी पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2015 को ₹ 2,70.75 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) कुछ कानूनी मामलों के कारण पदों का नहीं भरा जाना जिन पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की जा चुकी है, (ii) परीवीक्षा कार्यकाल के तहत पदेन कार्मिकों के वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय तथा (iii) नियमित अधिवर्षिता सेवानिवृत्ति के पश्चात् पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 043 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग			
02. खानों का विनियमन तथा विकास			
797. आरक्षित निधियों/जमा लेखाओं को अन्तरण			
(01) लेखा मद 8229-200(07) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार			
मू .	1,50.04		
अ.	43,43.99	7,11.98	..
पु .	- 37,82.05		- 7,11.98

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 43,43.99 लाख का प्रावधान पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य के लिए खनन क्षेत्र निधि में हस्तांतरण हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत तथा अंतिम बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2015 को ₹ 37,82.05 लाख का प्रावधान निधि को कम हस्तांतरित करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 37,12.41 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 69.64 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

₹ 7,11.98 लाख के समस्त प्रावधान के अनुपयोगी रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

02. खानों का विनियमन तथा विकास
800. अन्य व्यय
- (01) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य
से संबंधित व्यय
- [01] खनन एवं भू-विज्ञान विभाग

मू .	0.01			
अ.	3,83.99	1,09.98	1,09.98	..
पु .	- 2,74.02			

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 3,83.99 लाख का प्रावधान खनन के आवंटन में पारदर्शिता के लिए ऑन लाइन प्रक्रिया प्रबन्धन हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था। यद्यपि, ₹ 2,74.02 लाख का प्रावधान निविदा प्रक्रिया में देरी के कारण 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किया गया।

02. खानों का विनियमन तथा विकास
800. अन्य व्यय
- (01) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य
से संबंधित व्यय
- [02] चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

मू .	1,50.00			
अ.	33,10.52	6,02.00	6,02.00	..
पु .	- 28,58.52			

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 33,10.52 लाख का प्रावधान खनन क्षेत्रों में सिलिकोसिस रोग के उपचार के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद हेतु लिया गया जो शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2015 को ₹ 28,58.52 लाख का प्रावधान चिकित्सा उपकरणों की खरीद वित्त विभाग की स्वीकृति के अनुसार नहीं किये जा सकने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 043 - (समाप्त)

पूंजी

दत्तमत

1. ₹ 4,64.52 लाख का ऋण व्यय, ₹ 5,00.00 लाख सरकारी लेखे में जमा कराये जाने के कारण था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तेल तथा गैस का परिष्करण तथा विपणन			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(02) राजस्थान स्टेट रिफायनरी लिमिटेड			
मू. 0.01	..	- 5,00.00	- 5,00.00
पु. - 0.01			
₹ 5,00.00 लाख के ऋण व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. तेल तथा गैस का परिष्करण तथा विपणन			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(03) एच. पी. सी. एल.-राजस्थान रिफायनरी लिमिटेड			
मू. 1,02,10.00
पु. - 1,02,10.00			
₹ 1,02,10.00 लाख का प्रावधान राज्य में रिफायनरी की स्थापना हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, 31 मार्च 2015 को ₹ 1,02,10.00 लाख का समस्त प्रावधान राज्य में रिफायनरी की स्थापना हेतु एच.पी.सी.एल. के साथ एम.ओ.यू. की स्टेडी तथा समीक्षा के लिए गठित समिति द्वारा निर्णय लेने में देरी के कारण अभ्यर्पित किया गया परिणामतः मूल बजट में आवंटित निधि के विपरीत अंश पूंजी जारी नहीं की गयी।			
4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
004. अनुसंधान तथा विकास			
(05) खनिज भवनों का निर्माण			
मू. 1,15.93	13.21	12.73	- 0.48
पु. - 1,02.72			
31 मार्च 2015 को ₹ 1,02.72 लाख का प्रावधान निविदा प्रक्रिया में देरी के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 044 - लेखन सामग्री एवं मुद्रण

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण

पूँजी - 4058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	31,45,70	31,45,70	30,05,97	- 1,39,73
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				1,39,73
प्रभारित				
मूल	1,72	1,72	1,71	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				1

पूँजी

दत्तमत				
मूल	1,34,01	1,34,01	1,28,65	- 5,36
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				5,36

टिप्पणी तथा टीका:

राजस्व

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण				
103. सरकारी मुद्रणालय				
मू.	29,95.57	28,61.92	28,61.92	..
पु.	- 1,33.65			

₹ 1,33.65 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 35 पदों के रिक्त रहने तथा वर्ष के दौरान अधिसमय राशि के भुगतान की स्वीकृति जारी नहीं होने को आरोपित की गई।

**अनुदान संख्या 045 - राज्य कर्मचारियों को ऋण
(समस्त दत्तमत)**

मुख्य शीर्ष : पूंजी - 7610. सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
पूंजी				
मूल	9	9	..	- 9
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				9

अनुदान संख्या 046 - सिंचाई

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2700. मुख्य सिंचाई,
 2701. मध्यम सिंचाई और
 2702. लघु सिंचाई
 पूंजी - 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय और
 4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	18,14,74,07	18,14,74,09	17,02,88,28	- 1,11,85,81
अनुपूरक	2			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				1,09,42,58
प्रभारित				
मूल	3,36	5,87	5,60	- 27
अनुपूरक	2,51			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				27
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	11,65,59,18	11,65,59,22	9,53,90,88	- 2,11,68,34
अनुपूरक	4			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				2,06,97,38
प्रभारित				
मूल	2	2	..	-2
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				2

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 1,11,85.81 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 2,43.23 लाख अन्अभ्यर्पित रहे।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) राजस्व कर्मचारी वर्ग			
मू.	3,59.00	2,45.24	2,45.23
पु.	- 1,13.76		
₹ 1,13.76 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।			
01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रख रखाव एवं मरम्मत			
(06) भाखरा व्यास प्रबंधन मण्डल को अग्रिम			
[01] अन्य रखरखाव व्यय			
मू.	18,72.27	9,36.14	9,36.14
पु.	- 9,36.13		
31 मार्च 2015 को ₹ 9,36.13 लाख का प्रावधान मरम्मत व रखरखाव पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित (₹ 2,14.29 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 7,21.84 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) पूंजी लेखों पर ब्याज			
मू.	4,75.08	3,72.28	3,72.30
पु.	- 1,02.80		
31 मार्च 2015 को ₹ 1,02.80 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) दाहिनी मुख्य नहर			
[01] मुख्य नहर एवं शाखाएं (सिंचित क्षेत्र विकास कोटा के माध्यम से)			
मू.	4,53.01	3,38.05	3,38.05
पु.	- 1,14.96		
₹ 1,14.96 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा कर्मचारियों के स्थानान्तरण के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(05) मुख्य अभियंता, जल संसाधन, जयपुर के माध्यम से (कोटा बैराज)			
[01] दाहिनी मुख्य नहर से स्थानान्तरित प्रोरेटा			
मू.	1,17.72		
पु.	- 19.00	98.72	.. - 98.72
31 मार्च 2015 को ₹ 19.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 98.72 लाख के समस्त प्रावधान अनुपयोगी रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
03. व्यास परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) सिंचाई योजनाएं (भाखरा व्यास प्रबंधन मण्डल द्वारा व्यय)			
[01] सिंचाई सामान्य निर्माण कार्य			
मू.	67,99.85		
पु.	- 6,94.79	61,05.06	61,05.06 ..
31 मार्च 2015 को ₹ 6,94.79 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
03. व्यास परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(01) भाखरा व्यास प्रबंधन मण्डल को अग्रिम			
[01] अन्य रखरखाव व्यय			
मू.	67,99.85		
पु.	- 6,94.79	61,05.06	61,46.10 + 41.04
31 मार्च 2015 को ₹ 6,94.79 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 41.04 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) इंदिरा गाँधी नहर कि.मी. 0 से कि.मी. 74 तक मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से			
[01] राजस्व कर्मचारी वर्ग			
मू.	4,35.06		
पु.	- 1,04.51	3,30.55	3,30.52 - 0.03
₹ 1,04.51 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) इंदिरा गाँधी नहर कि.मी. 0 से कि.मी. 74 तक मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से			
[02] अनुरक्षण व्यय			
मू.	11,38.43	9,96.45	9,96.47
पु.	- 1,41.98		
₹ 1,41.98 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।			+ 0.02
04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) लुणकरणसर लिफ्ट (कंवरसेन लिफ्ट) योजना का प्रवर्तन व अनुरक्षण व्यय (मुख्य अभियंता, इ.गा.न.परियोजना के माध्यम से)			
[02] प्रवर्तन व अनुरक्षण व्यय			
मू.	32,92.51	31,10.04	31,10.05
पु.	- 1,82.47		
₹ 1,82.47 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः रबी की फसलों के दौरान जल की कम उपलब्धता के परिणामतः नहरों से तीन समूहों के स्थान पर एक समूह में जल की पूर्ति होने के कारण विद्युत् का कम उपभोग को आरोपित की गयी।			+ 0.01
04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) द्वितीय चरण			
[01] मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के माध्यम से			
मू.	20,42.28	17,46.71	17,46.63
पु.	- 2,95.57		
₹ 2,95.57 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों के स्थानान्तरण तथा सुनिश्चित वृत्तिक पदोन्नति (ए सी पी) योजना के देय के भुगतान नहीं होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।			- 0.08
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(02) अन्य व्यय			
[01] मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) के माध्यम से			
मू.	3,01.27	1,43.91	..
पु.	- 1,57.36		
31 मार्च 2015 को ₹ 1,57.36 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 1,43.91 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			- 1,43.91

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई 28. बीसलपुर परियोजना (वाणिज्यिक) 001. निदेशन तथा प्रशासन (01) निष्पादन (यूनिट- 1)			
मू.	7,06.93	5,86.34	5,84.92
पु.	- 1,20.59		
₹ 1,20.59 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			- 1.42
31. गंग नहर (वाणिज्यिक) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से			
800. अन्य व्यय (01) अन्य व्यय			
मू.	56,52.58	52,69.26	52,69.01
पु.	- 3,83.32		
31 मार्च 2015 को ₹ 3,83.32 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			- 0.25
2701. मध्यम सिंचाई 80. सामान्य 001. निदेशन तथा प्रशासन (01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर [01] निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	24,18.31	21,61.17	21,58.38
पु.	- 2,57.14		
₹ 2,57.14 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।			- 2.79
80. सामान्य 001. निदेशन तथा प्रशासन (01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर [02] अधीक्षण			
मू.	13,73.64	11,83.74	11,83.97
पु.	- 1,89.90		
80. सामान्य 001. निदेशन तथा प्रशासन (01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर [03] निष्पादन			
मू.	91,77.22	63,70.38	63,58.50
पु.	- 28,06.84		
उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत ₹ 29,96.74 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।			+ 0.23
शीर्ष "2701-80-001(01) [03] " के अन्तर्गत ₹ 11.88 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			- 11.88

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2701. मध्यम सिंचाई			
80. सामान्य			
003. प्रशिक्षण			
(01) सिंचाई प्रबन्धन और प्रशिक्षण केन्द्र			
मू.	1,22.16	20.32	14.00
पु.	- 1,01.84		
₹ 1,01.84 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 6.32 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
80. सामान्य			
003. प्रशिक्षण			
(02) सिंचाई प्रबन्धन और प्रशिक्षण केन्द्र, बीकानेर			
मू.	6,44.99	0.51	0.50
पु.	- 6,44.48		
31 मार्च 2015 को ₹ 6,44.48 लाख का प्रावधान केन्द्र को अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
80. सामान्य			
005. सर्वेक्षण			
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर			
[02] निष्पादन			
मू.	22,75.27	16,87.33	16,90.76
अ.	0.01		
पु.	- 5,87.95		
₹ 5,87.95 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(01) उपनिवेशन योजनाएँ			
मू.	16,93.70	15,14.49	15,14.09
पु.	- 1,79.21		
₹ 1,79.21 लाख की प्रत्याशित बचत 571 स्वीकृत पदों में से सम्पूर्ण वर्ष के दौरान 223 पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।			
2702. लघु सिंचाई			
01. सतही जल			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य सिंचाई निर्माण कार्य			
[01] निदेशन			
मू.	59,13.18	54,09.05	54,02.59
पु.	- 5,04.13		
₹ 5,04.13 लाख की प्रत्याशित बचत मजदूरी पर कम व्यय को आरोपित की गयी, जिसके विस्तृत तथा ₹ 6.46 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2702. लघु सिंचाई			
01. सतही जल			
800. अन्य व्यय			
(05) राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम			
[01] मुख्य अभियंता, राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग के माध्यम से			
मू.	22,82.00		
पु.	- 8,59.14	14,22.86	14,49.93 + 27.07

₹ 8,59.14 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 27.07 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)			
799. उचन्त			
(02) भाखरा व्यास प्रबंधक मण्डल			
मू.	0.02		
पु.	1,21.11	1,21.13	2,00.76 + 79.63

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,21.11 लाख की अतिरिक्त निधियों तथा ₹ 79.63 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(01) इंदिरा गांधी नहर फीडर (पंजाब हिस्सा)			
मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से			
मू.	3,60.00		
पु.	5,73.56	9,33.56	9,33.56 ..

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 5,73.56 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(03) हरिके बैरेज			
[01] अन्य रखरखाव व्यय			
मू.	1,50.00		
पु.	1,26.27	2,76.27	2,76.27 ..

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,26.27 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
26. सिद्धमुख परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(01) रखरखाव और मरम्मत (राजस्थान भाग)			
[01] अन्य रखरखाव व्यय			
मू.	30.00	2,11.05	2,11.05
पु.	1,81.05		..
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,81.05 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
28. बीसलपुर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) बजट शीर्ष 2701-80 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	42.01	24.72	1,56.01 + 1,31.29
पु.	- 17.29		
31 मार्च 2015 को ₹ 17.29 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 1,31.29 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
31. गंग नहर (वाणिज्यिक) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(02) पंजाब सरकार को देय अंशदान			
[01] अन्य रखरखाव व्यय			
मू.	4,43.70	5,45.00	5,45.00
पु.	1,01.30		..
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,01.30 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
34. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय			
मू.	37.41	1,51.52	1,56.37 + 4.85
पु.	1,14.11		
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,14.11 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 4.85 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2701. मध्यम सिंचाई			
80. सामान्य			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) जिला परिषदों को अनुदान			
[01] संस्थापन व्यय			
मू.	2,95.00	2,95.00	4,40.38
			+ 1,45.38

₹ 1,45.38 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

80. सामान्य				
197. ब्लॉक पंचायतों/ मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता				
(01) पंचायत समितियों को अनुदान				
[01] संस्थापन व्यय				
मू.	2,60.00	5,10.00	4,91.43	- 18.57
पु.	2,50.00			

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,50.00 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन तथा भत्तों के भुगतान हेतु पंचायत समितियों को अनुदान जारी करने के लिये उपलब्ध करायी गयी।

₹ 18.57 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

4. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य/बचत को देखते हुए, प्रावधान की कटौती/आवर्द्धन, अत्यधिक/अनावश्यक थी :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2700. मुख्य सिंचाई				
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)				
800. अन्य व्यय				
(03) अन्य व्यय				
मू.	35,00.38	30,56.37	38,76.40	+ 8,20.03
पु.	- 4,44.01			

31 मार्च 2015 को ₹ 4,44.01 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, पूंजी लेखे पर ब्याज का वास्तविक समायोजन अनुमान से अधिक हुआ जिसके परिणामतः शीर्ष के अंतर्गत ₹ 8,20.03 लाख का अंतिम आधिक्य हुआ।

04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)				
800. अन्य व्यय				
(01) अन्य व्यय				
मू.	4,41,61.34	4,39,00.98	4,40,30.53	+ 1,29.55
पु.	- 2,60.36			

31 मार्च 2015 को ₹ 2,60.36 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, पूंजी लेखे पर ब्याज का वास्तविक समायोजन अनुमान से अधिक हुआ जिसके परिणामतः शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,29.55 लाख का अंतिम आधिक्य हुआ।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) अनुरक्षण व्यय			
[01] इंदिरा गांधी नहर फीडर			
मू.	9,34.00		
पु.	2,01.23		
	11,35.23	9,09.26	- 2,25.97

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,01.23 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन तथा भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी थी जो ₹ 2,25.97 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए अनावश्यक थी।

₹ 2,25.97 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

22. जाखम परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(02) अन्य व्यय			
मू.	11,40.28		
पु.	1,25.53		
	12,65.81	12,01.31	- 64.50

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,25.53 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, पूंजी लेखे पर ब्याज का वास्तविक समायोजन अनुमान से कम हुआ जिसके परिणामतः शीर्ष के अंतर्गत ₹ 64.50 लाख की अंतिम बचत रही।

24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय			
मू.	2,16,78.48		
पु.	3,68.51		
	2,20,46.99	2,10,81.14	- 9,65.85

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,68.51 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, पूंजी लेखे पर ब्याज का वास्तविक समायोजन अनुमान से कम हुआ जिसके परिणामतः शीर्ष के अंतर्गत ₹ 9,65.85 लाख की अंतिम बचत रही।

2701. मध्यम सिंचाई			
62. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय			
मू.	10,39.34		
पु.	41.85		
	10,81.19	9,95.82	- 85.37

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 41.85 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, पूंजी लेखे पर ब्याज का वास्तविक समायोजन अनुमान से कम हुआ जिसके परिणामतः शीर्ष के अंतर्गत ₹ 85.37 लाख का अंतिम बचत रही।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2701. मध्यम सिंचाई			
69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय			
मू.	3,19.54	4,01.39	3,08.75
पु.	81.85		
72. गागरिन परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय			
मू.	9,18.82	10,06.11	9,34.47
पु.	87.29		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,69.14 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन हेतु उपलब्ध करायीं गयी। यद्यपि, पूंजी लेखे पर ब्याज का वास्तविक समायोजन अनुमान से कम हुआ जिसके परिणामतः उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 1,64.28 लाख की अंतिम बचत रही।

2702. लघु सिंचाई			
01. सतही जल			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य सिंचाई निर्माण कार्य			
[02] शीर्ष 2701-80-सामान्य से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	14,74.13	8,73.26	10,72.85
पु.	- 6,00.87		

31 मार्च 2015 को ₹ 6,00.87 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन की प्रत्याशा में अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, वास्तविक समायोजन अनुमान से अधिक हुआ जिसके परिणामतः शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 1,99.59 लाख का अंतिम आधिक्य रहा।

5. **उचन्त लेन-देन:** "उचन्त" लेन-देनों की प्रकृति विनियोग लेखे के अनुदान संख्या "019- लोक निर्माण कार्य" के राजस्व अनुभाग के नीचे टिप्पणी (3) में स्पष्ट की गयी है।

2014-15 में अनुदान के राजस्व अनुभाग में "उचन्त" लेन-देनों का वर्गीकरण विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक और अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

"उचन्त" के अंतर्गत उप शीर्ष	प्रारम्भिक शेष नामें (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामें	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामें (+) जमा (-)
(₹ लाख में)				
राजस्व *				
स्टॉक	(+) 5,11.82	97.98	1,01.47	(+) 5,08.33
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 2,98.33	1,04.09	1,13.39	(+) 2,89.03
योग	(+) 8,10.15	2,02.07	2,14.86	(+) 7,97.36

* इसमें मुख्य शीर्ष 2700 तथा 2701 के उचन्त लेन-देन सम्मिलित हैं।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[10] जल निकास			
मू.	6,89.00	2,94.61	2,94.61
पु.	- 3,94.39		..

31 मार्च 2015 को ₹ 3,94.39 लाख का प्रावधान नहरों में जल का प्रवाह होने से नहरों से जुड़ी नालियों की सफाई तथा मरम्मत के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[14] पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनीकीकरण			
मू.	69,92.00	58,24.39	58,24.39
पु.	- 11,67.61		..

31 मार्च 2015 को ₹ 11,67.61 लाख का प्रावधान नहरों में जल का प्रवाह होने से ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[01] मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के माध्यम से			
मू.	75,13.74	58,58.82	58,45.14
पु.	- 16,54.92		- 13.68

₹ 16,54.92 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों को सम्बन्धित निर्माण कार्य शीर्ष को हस्तान्तरित करने, (ii) अनुसंधान के लिये निविदा प्रक्रिया की स्वीकृति न मिलने, (iii) कम्प्यूटराइजेशन के लिये निरीक्षण नियंत्रण तथा आंकड़े अधिग्रहण प्रणाली के लिए निविदा प्रक्रिया की स्वीकृति नहीं मिलने तथा (iv) इस मद के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों का निष्पादन विभाग के वार्षिक निर्माण कार्य योजना के माध्यम से करने को आरोपित की गयी।

₹ 13.68 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[13] चौधरी कुम्भाराम आर्य जलोत्थान योजना (नोहर सावा लिफ्ट योजना)			
मू.	25,36.60	24,04.71	24,04.02
पु.	- 1,31.89		- 0.69

₹ 1,31.89 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः इस मद के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों का निष्पादन विभाग के वार्षिक निर्माण कार्य योजना के माध्यम से करने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[14] आनुपातिक व्यय का स्थानान्तरण (02) स्टेज II [06] से			
मू.	3,87.92
पु.	- 3,87.92
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[16] आनुपातिक व्यय का स्थानान्तरण (02) स्टेज II [07] से			
मू.	2,74.88
पु.	- 2,74.88
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[18] आनुपातिक व्यय का स्थानान्तरण (02) स्टेज II [08] से			
मू.	2,84.49
पु.	- 2,84.49
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 9,47.29 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वर्ष 2014-15 से आनुपातिक व्यय के समायोजन की प्रणाली बंद किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[19] गुरु जम्भेश्वर जलोत्थान योजना (फलौदी लिफ्ट योजना)			
मू.	6,79.58	5,13.33	5,13.31 - 0.02
पु.	- 1,66.25		
₹ 1,66.25 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः इस मद के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों का निष्पादन विभाग के वार्षिक निर्माण कार्य योजना के माध्यम से करने को आरोपित की गयी।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[25] मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के माध्यम से			
मू.	57,86.82		
अ.	0.01	54,69.30	54,48.97 - 20.33
पु.	- 3,17.53		
₹ 3,17.53 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों को सम्बन्धित निर्माण कार्य शीर्ष को हस्तांतरित करने को आरोपित की गयी।			
₹ 20.33 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि			
[01] चौधरी कुम्भाराम आर्य जल उत्थान योजना (नोहर सावा लिफ्ट योजना)			
मू.	1,50.03
पु.	- 1,50.03
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि			
[03] डा. करणीसिंह जल उत्थान योजना (कोलायत लिफ्ट योजना)			
मू.	1,50.01
पु.	- 1,50.01
उपर्युक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 3,00.04 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(06) बीकानेर लुणकरणसर लिफ्ट (कवसेन लिफ्ट) योजना (मुख्य अभियन्ता, इ.गा.न. परियोजना के माध्यम से)			
[01] विस्तार			
मू.	4,18.00	2,44.62	- 0.38
पु.	- 1,73.38		
31 मार्च 2015 को ₹ 1,73.38 लाख का प्रावधान इस मद के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों का निष्पादन विभाग के वार्षिक निर्माण कार्य योजना के माध्यम से करने को अभ्यर्पित किया गया।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(07) मुख्य नहर (कि.मी. 0 से कि.मी. 74 तक) (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
[01] विस्तार, नवीनीकरण व आधुनिकीकरण			
मू.	17,06.42	14,89.01	- 0.83
पु.	- 2,17.41	14,88.18	

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(07) मुख्य नहर (कि.मी. 0 से कि.मी. 74 तक) (मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
[03] तैरहवे वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि			
मू.	11,70.92	9,01.39	9,01.39
पु.	- 2,69.53		..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 4,86.94 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(07) मुख्य नहर (कि.मी. 0 से कि.मी. 74 तक) (मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
[05] सोलर पावर प्लांट			
मू.	26,00.00
पु.	- 26,00.00		..

31 मार्च 2015 को ₹ 26,00.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
799. उंचत			
(02) द्वितीय चरण			
[05] मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के माध्यम से			
मू.	3,57.65	2,56.73	2,78.71
पु.	- 1,00.92		+ 21.98

31 मार्च 2015 को ₹ 1,00.92 लाख का प्रावधान कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धित निर्माण कार्य शीर्ष को हस्तान्तरित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 21.98 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निष्पादन			
मू.	12,28.71	7,32.84	7,26.20
पु.	- 4,95.87		- 6.64

₹ 4,95.87 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 6.64 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक) 001. निदेशन तथा प्रशासन (03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम [01] राजस्थान में निर्माण कार्य			
मू.	1,42,50.07		
पु.	- 64,89.94		
	77,60.13	76,52.64	- 1,07.49
₹ 64,89.94 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण निर्माण कार्यों के कम निष्पादन को आरोपित की गयी।			
₹ 1,07.49 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
31. गंग नहर (वाणिज्यिक) (मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
001. निदेशन तथा प्रशासन (01) राजस्थान में निर्माण कार्य [01] आधुनिकीकरण			
मू.	42,59.38		
पु.	- 10,61.06		
	31,98.32	31,98.32	..
31 मार्च 2015 को ₹ 10,61.06 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
31. गंग नहर (वाणिज्यिक) (मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
001. निदेशन तथा प्रशासन (01) राजस्थान में निर्माण कार्य [02] आनुपातिक व्यय मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित (स्थापना)			
मू.	5,29.00		
पु.	- 1,64.00		
	3,65.00	3,59.92	- 5.08
31 मार्च 2015 को ₹ 1,64.00 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर वास्तविक व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 5.08 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन (01) निदेशन तथा प्रशासन [01] निर्माण कार्य			
मू.	5,56.95		
पु.	- 4,81.43		
	75.52	73.06	- 2.46
31 मार्च 2015 को ₹ 4,81.43 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक) 001. निदेशन तथा प्रशासन (02) मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय (स्थापना)			
मू .	4,72.86		
पु .	- 4,52.77	20.09	19.15
			- 0.94
31 मार्च 2015 को ₹ 4,52.77 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर वास्तविक व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 24. सोमकमला अम्बा परियोजना (वाणिज्यिक) 001. निदेशन तथा प्रशासन (02) पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण [01] निर्माण कार्य			
अ .	2,41.22		
पु .	- 1,39.33	1,01.89	1,05.51
			+ 3.62
31 मार्च 2015 को ₹ 1,39.33 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
62. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक) 001. निदेशन तथा प्रशासन (01) निर्माण कार्य			
मू .	11,84.76		
पु .	- 5,19.77	6,64.99	6,64.99
			..
31 मार्च 2015 को ₹ 5,19.77 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
62. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक) 001. निदेशन तथा प्रशासन (02) शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय-स्थापना			
मू .	5,79.25		
पु .	- 3,16.28	2,62.97	2,73.72
			+ 10.75
31 मार्च 2015 को ₹ 3,16.28 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर वास्तविक व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 10.75 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
63. गरदडा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
[01] निर्माण कार्य (कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वेतन भत्ते)			
मू.	1,48.57		
पु.	- 1,23.09	25.48	25.48
			..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,23.09 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	4,72.86		
पु.	- 1,74.34	2,98.52	3,07.81
			+ 9.29
31 मार्च 2015 को ₹ 1,74.34 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर वास्तविक व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 9.29 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
71. पीपलाद परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) तेरहवें वित्त आयोग के तहत अनुदान			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	3,28.47		
पु.	- 2,83.15	45.32	45.32
			..
31 मार्च 2015 को ₹ 2,83.15 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
71. पीपलाद परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) तेरहवें वित्त आयोग के तहत अनुदान			
[02] मुख्य शीर्ष 2701-80 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	2,36.43		
पु.	- 2,20.96	15.47	15.95
			+ 0.48
31 मार्च 2015 को ₹ 2,20.96 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर वास्तविक व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(03) पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
[02] मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	4,72.86	3,84.92	3,29.26
पु.	- 87.94		
31 मार्च 2015 को ₹ 87.94 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर वास्तविक व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 55.66 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
101. सतही जल			
(04) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण कार्य (मरुस्थल प्रदेश में)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	5,98.81	3,43.31	3,43.31
पु.	- 2,55.50		
31 मार्च 2015 को ₹ 2,55.50 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
101. सतही जल			
(04) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण कार्य (मरुस्थल प्रदेश में)			
[02] मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	1,94.35	1,25.57	68.17
पु.	- 68.78		
31 मार्च 2015 को ₹ 68.78 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर वास्तविक व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 57.40 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
101. सतही जल			
(06) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से			
[01] पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
मू.	4,15.48	32.92	32.92
पु.	- 3,82.56		
31 मार्च 2015 को ₹ 3,82.56 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(06) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से			
[02] मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	2,36.43		
पु.	- 2,24.83	11.60	6.54
			- 5.06
31 मार्च 2015 को ₹ 2,24.83 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर वास्तविक व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 5.06 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
101. सतही जल			
(07) जल संग्रहण संरचना			
[02] मुख्य लेखा शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	22,39.48		
पु.	- 1,94.06	20,45.42	18,67.36
			- 1,78.06
31 मार्च 2015 को ₹ 1,94.06 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर वास्तविक व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 1,78.06 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
101. सतही जल			
(08) लघु सिंचाई योजनाओं का पुनर्वास (जे.आई.सी.ए.)			
[01] मुख्य शीर्ष 2701 से हस्तांतरित आनुपातिक व्यय			
मू.	21,25.69		
पु.	- 10,45.38	10,80.31	8,29.03
			- 2,51.28
31 मार्च 2015 को ₹ 10,45.38 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर वास्तविक व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 2,51.28 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
101. सतही जल			
(08) लघु सिंचाई योजनाओं का पुनर्वास (जे.आई.सी.ए.)			
[02] निष्पादन मुख्य अभियंता जल संसाधन (गुण नियंत्रण के माध्यम से)			
मू.	45,29.66		
पु.	- 3,92.97	41,36.69	41,74.75
			+ 38.06
₹ 3,92.97 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 38.06 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(09) राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम (यूरोपियन कमीशन) (मुख्य अभियन्ता, एस.डब्ल्यू.आर.पी.डी. के माध्यम से)			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	39,08.00		
		18,74.01	19,09.36
पु .	- 20,33.99		+ 35.35
₹ 20,33.99 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय को आरोपित की गयी।			
₹ 35.35 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित की गयी जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से (कोटा बैराज)			
[04] पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
मू .	7,55.98		
		10,96.10	10,96.10
पु .	3,40.12		..
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,40.12 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(05) क्षेत्रीय आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (बाईं मुख्य नहर)			
[05] पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
मू .	46,08.25		
		50,88.24	50,88.24
पु .	4,79.99		..
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,79.99 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
07. यमुना परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	34.95		
पु.	2,92.50	3,27.45	3,27.45

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,92.50 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम			
[03] नर्बदा प्राधिकरण की हिस्सा राशि			
मू.	1,75.00		
पु.	1,07.07	2,82.07	2,82.07

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,07.07 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

37. परियोजनाओं को पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	1,03.71		
पु.	2,88.90	3,92.61	3,93.40

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,88.90 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।

4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
03. पार्वती परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	96.49		
पु.	3,98.21	4,94.70	4,81.69

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,98.21 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 13.01 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 29. सोमकागदर परियोजना (वाणिज्यिक) 001. निदेशन तथा प्रशासन (02) पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण [01] निर्माण कार्य	मू. 2,89.47 पु. 3,40.33	6,29.80	6,29.85 + 0.05
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,40.33 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
66. तकली परियोजना (वाणिज्यिक) 001. निदेशन तथा प्रशासन (03) तेरहवें वित्त आयोग के तहत अनुदान	मू. 6,92.71 पु. 1,12.70	8,05.41	8,05.57 + 0.16
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,12.70 लाख की अतिरिक्त निधियां तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार से अतिरिक्त निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक) 001. निदेशन तथा प्रशासन (01) निदेशन तथा प्रशासन	मू. 4,56.01 पु. 5,18.30	9,74.31	9,74.31 ..
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,18.30 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
72. गागरिन परियोजना (वाणिज्यिक) 001. निदेशन तथा प्रशासन (02) तेरहवें वित्त आयोग के तहत अनुदान [01] निर्माण कार्य	मू. 2,97.51 पु. 2,43.00	5,40.51	5,40.51 ..
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,43.00 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 101. सतही जल (02) लघु सिंचाई निर्माण कार्य [02] निर्माण कार्य	मू. 26,32.84 पु. 7,53.01	33,85.85	33,85.85 ..
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,53.01 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(03) पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	8,30.96	10,98.46	10,98.46
पु.	2,67.50		..

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,67.50 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयीं।

101. सतही जल			
(07) जल संग्रहण संरचना			
[01] निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	60,07.56	94,03.48	94,03.48
पु.	33,95.92		..

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 33,95.92 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयीं।

5. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य/बचत को देखते हुए, प्रावधान की कटौती/आवर्द्धन अनावश्यक/अत्यधिक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) निर्माण कार्य			
[01] राजस्थान में निर्माण कार्य			
मू.	15,21.29	13,48.10	14,55.86
पु.	- 1,73.19		+ 1,07.76

₹ 1,73.19 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 1,07.76 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
66. तकली परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) मुख्य शीर्ष 2701-80 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	3,54.65	1,89.87	2,81.58
पु.	- 1,64.78		+ 91.71

31 मार्च 2015 को ₹ 1,64.78 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर वास्तविक व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, आनुपातिक व्यय का वास्तविक समायोजन अनुमान से अधिक हुआ जिसके परिणामतः शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 91.71 लाख का अंतिम आधिक्य रहा।

अनुदान संख्या 046 - (समाप्त)

6. उचन्त लेन-देन : 2014-15 में अनुदान के पूंजी अनुभाग में "उचन्त" लेन-देनों का वर्गीकरण विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक और अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

"उचन्त" के अंतर्गत उप शीर्ष	प्रारम्भिक शेष नामें (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामें	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामें (+) जमा (-)
<i>(₹ लाख में)</i>				
पूंजी *				
स्टॉक	(-) 30,70.25	25,23.65	34,86.72	(-) 40,33.32
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 2,36.46	32,58.64	39,26.38	(-) 4,31.28
योग	(-) 28,33.79	57,82.29	74,13.10	(-) 44,64.60

* इसमें मुख्य शीर्ष 4700, 4701 तथा 4711 के उचन्त संव्यवहार सम्मिलित हैं ।

अनुदान संख्या 047 - पर्यटन

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 3452. पर्यटन
 पूंजी - 5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय और
 7452. पर्यटन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	24,91,80	24,91,80	20,78,38	- 4,13,42
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				4,13,13
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				1
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	37,38,00	37,38,00	24,50,86	- 12,87,14
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				12,63,36

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3452. पर्यटन				
80. सामान्य				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
मू.	11,36.71	10,43.69	10,43.71	+ 0.02
पु.	- 93.02			

₹ 93.02 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पुलिस कार्मिकों की तैनाती नहीं होने के परिणामतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 047 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3452. पर्यटन			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(02) पर्यटन सूचना और प्रचार			
मू.	11,44.03	9,05.39	9,05.09
पु.	- 2,38.64		- 0.30

₹ 2,38.64 लाख की प्रत्याशित बचत राजस्थान दिवस समारोह-2015 पर कम व्यय को आरोपित की गयी क्योंकि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण समारोह लघु स्तर पर मनाया गया।

80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(07) राजस्थान मेला आयोजना प्राधिकरण			
मू.	1,20.00	57.25	57.25
पु.	- 62.75		..

31 मार्च 2015 को ₹ 62.75 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

पूँजी

दत्तमत

- ₹ 12,87.14 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 23.78 लाख अन्व्यर्पित रहे।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5452. पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(01) पर्यटन स्थलों का विकास			
मू.	19,09.01	15,43.50	15,19.72
पु.	- 3,65.51		- 23.78

₹ 3,65.51 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) रात्रि पर्यटन तथा भरतपुर में "बारह दरवाजे" की मरम्मत के लिए स्वीकृति प्राप्त न होने तथा (ii) विभिन्न पर्यटन स्थलों पर निर्माण कार्यों के कम निष्पादन को आरोपित की गयी।

₹ 23.78 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 047-(समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(05) ग्रामीण पर्यटन का विकास			
मू.	13,28.95	1,31.14	..
पु.	- 11,97.81		

₹ 11,97.81 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) सांभर नमक परियोजना पर कम व्यय होने तथा (ii) निर्माणाधीन कार्यों की धीमी प्रगति को आरोपित की गयी।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य + बचत -
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(06) पर्यटन भवन का निर्माण			
मू.	5,00.00	8,00.00	..
पु.	3,00.00		

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां पर्यटन भवन के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 048 - विद्युत् (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2801. बिजली और
 2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा
 पूंजी - 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय और
 6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहरस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	1,03,84,95,49	1,03,84,95,56	91,14,40,02	- 12,70,55,54
अनुपूरक	7			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				12,70,55,54
पूंजी				
मूल	36,00,00,07	36,00,00,10	30,67,12,80	- 5,32,87,30
अनुपूरक	3			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				5,32,87,30

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
06. ग्रामीण विद्युतीकरण			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(01) राजस्थान अक्षय ऊर्जा कॉर्पोरेशन के माध्यम से			
[01] ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु			
मू .	11,07.79
पु .	- 11,07.79
06. ग्रामीण विद्युतीकरण			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(01) राजस्थान अक्षय ऊर्जा कॉर्पोरेशन के माध्यम से			
[02] राजस्थान ऊर्जा संरक्षण कोष			
मू .	2,00.00
पु .	- 2,00.00

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 13,07.79 लाख का समस्त प्रावधान व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 048- (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(31) विद्युत् चोरी अपराध के कम्पाउन्डिंग की जमा राशि के विरुद्ध अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान			
मू.	11,50.00		
पु .	- 8,92.64	2,57.36	2,57.36
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(31) विद्युत् चोरी अपराध के कम्पाउन्डिंग की जमा राशि के विरुद्ध अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान			
मू.	6,47.86		
पु .	- 3,14.14	3,33.72	3,33.72
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 12,06.78 लाख का प्रावधान विद्युत् वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत् चोरी अपराध के कम्पाउन्डिंग की जमा राशि की वसूली के अनुसार अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(33) विद्युत् वितरण कम्पनियों को राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान			
मू.	3,08,80.00		
पु .	- 91,22.00	2,17,58.00	2,17,58.00
31 मार्च 2015 को ₹ 91,22.00 लाख का प्रावधान राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान जारी करने के अनुपात में परिवर्तन के कारण जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(34) विद्युत् कर हेतु अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान			
मू.	3,90,00.00		
पु .	- 70,00.00	3,20,00.00	3,20,00.00
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(34) विद्युत् कर हेतु अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान			
मू.	3,80,00.00		
पु .	- 25,55.00	3,54,45.00	3,54,45.00

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 95,55.00 लाख का प्रावधान विद्युत् वितरण कम्पनियों को विद्युत् कर की वसूली के अनुसार अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 048- (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(35) बॉण्ड्स के ब्याज हेतु अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान			
मू.	5,00,73.00	2,47,34.00	2,47,34.00
पु.	- 2,53,39.00		..
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(35) बॉण्ड्स के ब्याज हेतु अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान			
मू.	4,90,49.00	2,28,74.00	2,28,74.00
पु.	- 2,61,75.00		..
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(35) बॉण्ड्स के ब्याज हेतु अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान			
मू.	5,88,72.00	2,84,65.00	2,84,65.00
पु.	- 3,04,07.00		..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 8,19,21.00 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 3,40,00.00 लाख के अतिरिक्त विद्युत् बॉण्ड्स का अधिग्रहण करने के कारण विद्युत् बॉण्ड्स पर ब्याज का कम भुगतान करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(36) विद्युत् दरें न बढ़ाने हेतु अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान			
मू.	19,84,29.00	16,60,36.00	16,60,36.00
पु.	- 3,23,93.00		..
31 मार्च 2015 को ₹ 3,23,93.00 लाख का प्रावधान जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् आपूर्ति के अनुसार अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित (₹1,18,57.86 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,05,35.14 लाख) किया गया।			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(36) विद्युत् दरें न बढ़ाने हेतु अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान			
मू.	16,25,94.00	16,02,12.00	16,02,12.00
पु.	- 23,82.00		..
31 मार्च 2015 को ₹ 23,82.00 लाख का प्रावधान अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् आपूर्ति के अनुसार अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 048- (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा			
102. ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए अक्षय ऊर्जा			
(01) ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा विद्युतीकरण			
[01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से			
मू.	71,00.00
पु.	- 71,00.00
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(01) राजस्थान अक्षय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सहायता			
[01] सोलर रूफ टॉप पावर जनरेशन योजना			
मू.	21,00.01
पु.	- 21,00.01
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(01) राजस्थान अक्षय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सहायता			
[02] पवन स्रोतों का निर्धारण कार्यक्रम			
मू.	4,20.00
पु.	- 4,20.00

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 96,20.01 लाख का समस्त प्रावधान व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(33) विद्युत् वितरण कम्पनियों को राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान			
मू.	2,31,53.00	2,58,99.00	..
पु.	27,46.00		

अनुदान संख्या 048- (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(33) विद्युत् वितरण कम्पनियों को राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान			
मू.	2,31,53.00	2,95,18.00	2,95,18.00
पु .	63,65.00		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 91,11.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान जारी करने के अनुपात में परिवर्तन किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(34) विद्युत् कर हेतु अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान			
मू.	4,80,00.00	5,00,55.40	5,00,55.40
पु .	20,55.40		
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20,55.40 लाख की अतिरिक्त निधियां विद्युत् वितरण कम्पनियों को विद्युत् कर के संग्रहण के अनुसार अनुदान जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(36) विद्युत् दरें न बढ़ाने हेतु अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान			
मू.	25,64,39.00	26,33,17.00	26,33,17.00
पु .	68,78.00		
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 68,78.00 लाख की अतिरिक्त निधियां विद्युत् वितरण कम्पनियों को कृषि क्षेत्रों में विद्युत् वितरण हेतु अधिक अनुदान जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(38) स्टाम्प शुल्क की राशि के लिए अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
अ.	0.01	5,92.00	5,92.00
पु .	5,91.99		
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(38) स्टाम्प शुल्क की राशि के लिए अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
अ.	0.01	7,36.28	7,36.28
पु .	7,36.27		

अनुदान संख्या 048- (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(38) स्टाम्प शुल्क की राशि के लिए अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
अ.	0.01		
		6,56.88	6,56.88
पु .	6,56.87		..
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(38) स्टाम्प शुल्क की राशि के लिए अनुदान			
[05] राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड			
अ.	0.01		
		4,95.93	4,95.93
पु .	4,95.92		..

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 24,81.05 लाख की अतिरिक्त निधियां विद्युत् कम्पनियों को उनके द्वारा संग्रहित स्टाम्प शुल्क के अनुसार अनुदान जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

पूँजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	7,98,71.00		
		5,86,19.75	5,86,19.75
पु .	- 2,12,51.25		..

31 मार्च 2015 को ₹ 2,12,51.25 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	8,98,67.13		
		6,92,28.96	6,92,32.95
पु .	- 2,06,38.17		+ 3.99

31 मार्च 2015 को ₹ 2,06,38.17 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,77,49.42 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 28,88.75 लाख) किया गया परिणामतः विद्युत् कम्पनियों में कम निवेश हुआ।

अनुदान संख्या 048- (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	3,35,65.00	2,46,05.00	2,46,05.00
पु .	- 89,60.00		..
80. सामान्य			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	7,60,76.27	6,43,83.29	6,43,81.96
पु .	- 1,16,92.98		- 1.33
80. सामान्य			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	8,06,20.60	6,57,35.75	6,57,33.09
पु .	- 1,48,84.85		- 2.66

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 3,55,37.83 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया परिणामतः विद्युत् कम्पनियों में कम निवेश हुआ।

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार			
[01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम (ए.डी.बी.)			
अ.	0.01	4,25.26	4,25.26
पु .	4,25.25		..

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,25.25 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को ऋण देने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 048- (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
800 विद्युत् बोर्डों के लिए अन्य कर्ज			
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार			
[03] अतिरिक्त विद्युत् आपूर्ति हेतु उधार			
मू.	0.01		
पु .	94,49.99	94,50.00	..
800 विद्युत् बोर्डों के लिए अन्य कर्ज			
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार			
[03] अतिरिक्त विद्युत् आपूर्ति हेतु उधार			
मू.	0.01	70,87.00	..
पु .	70,86.99	70,87.00	..
800 विद्युत् बोर्डों के लिए अन्य कर्ज			
(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार			
[03] अतिरिक्त विद्युत् आपूर्ति हेतु उधार			
मू.	0.01	70,88.00	..
पु .	70,87.99	70,88.00	..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,36,24.97 लाख की अतिरिक्त निधियां विद्युत् कम्पनियों को अतिरिक्त विद्युत् आपूर्ति के वितरण हेतु ऋण जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

**अनुदान संख्या 049 – स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को
मुआवजा और समनुदेशन (समस्त दत्तमत)**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व – 3604. स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं
को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	80,53,41	80,53,41	8,62	- 80,44,79
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				
				80,40,37

टिप्पणी तथा टीका:

राजस्व

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3604. स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन				
198. ग्राम पंचायतों को सहायता				
(01) राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर रॉयल्टी में पंचायतों का हिस्सा				
मू.	80,00.00
पु.	- 80,00.00			

₹ 80,00.00 लाख का प्रावधान खानों तथा भूगर्भ की रॉयल्टी की कुल आय का 3 प्रतिशत संबंधित पंचायतों के निजी निक्षेप खाते में हस्तांतरण के लिए अनुमानित किया गया था। यद्यपि, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी न करने के कारण 31 मार्च 2015 को ₹ 80,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 79,99.81 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 0.19 लाख) किया गया।

अनुदान संख्या 050 – ग्रामीण रोजगार (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2505. ग्राम रोजगार और

2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

पूँजी – 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहरस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	36,11,45,41	36,11,45,41	23,89,85,50	-12,21,59,91
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				12,21,59,90
पूँजी				
मूल	37,09,80	37,09,81	37,09,80	- 1
अनुपूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				1

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

- वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 26,75.93 लाख, ₹ 76,14.94 लाख, ₹ 60,69.06 लाख, ₹ 57,43.06 लाख तथा ₹ 12,21,59.91 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 9.08 प्रतिशत से 33.83 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः भारत सरकार से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कम निधियां प्राप्त होने के कारण बतायी गयी।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2505. ग्राम रोजगार				
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम				
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता				
(01) इंदिरा आवास योजना				
[03] अनुदान (राज्यांश)				
मू.	2,10,16.42	1,07,47.13	1,07,47.13	..
पु.	- 1,02,69.29			

₹ 2,10,16.42 लाख का प्रावधान चयनित आश्रय रहित ग्रामीण परिवारों को नये मकान बनाने/मकानों के उन्नयन के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता हेतु अनुमानित किया गया था।

यद्यपि, 31 मार्च 2015 को ₹ 1,02,69.29 लाख का प्रावधान भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 के 4 जिलों, वर्ष 2013-14 के 9 जिलों को बकाया किशतों तथा वर्ष 2014-15 के 9 जिलों को द्वितीय किशत जारी न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 050 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2505. ग्राम रोजगार			
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (राज्यांश)			
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[03] कार्यकलाप संबंधी			
मू.	33,66,08.78	22,39,80.72	22,39,80.72
पु.	- 11,26,28.06		..

31 मार्च 2015 को ₹ 11,26,28.06 लाख का प्रावधान मांग के अनुसार भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा इसी अनुरूप राज्यांश कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 11,18,87.52 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 7,40.54 लाख) किया गया।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2505. ग्राम रोजगार			
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (राज्यांश)			
800. अन्य व्यय			
(02) ग्रामीण विकास विभाग की नवाचार/नवीन योजनाएं			
[01] कार्यकलाप संबंधी			
मू.	35,06.51	42,46.36	42,46.36
पु.	7,39.85		..

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,39.85 लाख की अतिरिक्त निधियां 2013-14 के बजट भाषण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत की गई उद्घोषणा की अनुपालना में बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 051 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

- मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2014. न्याय प्रशासन,
 2029. भू-राजस्व,
 2055. पुलिस,
 2056. जेल,
 2059. लोक निर्माण कार्य,
 2202. सामान्य शिक्षा,
 2203. तकनीकी शिक्षा,
 2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं,
 2205. कला एवं संस्कृति,
 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,
 2211. परिवार कल्याण,
 2216. आवास,
 2217. शहरी विकास,
 2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,
 अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण,
 2230. श्रम तथा रोजगार,
 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,
 2236. पोषण,
 2401. फसल कृषि-कर्म,
 2402. मृदा तथा जल संरक्षण,
 2403. पशु-पालन,
 2405. मछली-पालन,
 2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी,
 2425. सहकारिता,
 2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,
 2505. ग्राम रोजगार,
 2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,
 2701. मध्यम सिंचाई,
 2702. लघु सिंचाई,
 2705. कमान क्षेत्र विकास,
 2801. बिजली,
 2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा,
 2851. ग्राम तथा लघु उद्योग,
 2852. उद्योग,
 2853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग,
 3055. सड़क परिवहन,
 3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान,
 3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं,
 3452. पर्यटन,
 3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी,
 3456. सिविल पूर्ति,
 3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं और
 3604. स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को
 क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन
- पूँजी - 4055. पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय,
 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय,
 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय,
 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय,
 4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय,
 4217. शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय,
 4220. सूचना तथा प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय,

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,
 4402. मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय,
 4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,
 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
 4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,
 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय,
 5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय,
 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 6215. आवास के लिए कर्ज और
 7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	61,64,26,70	61,64,26,83	45,09,85,34	- 16,54,41,49
अनुपूरक	13			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				
प्रभारित				
मूल	2	2	..	- 2
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	27,12,86,57	30,49,44,20	25,51,98,10	- 4,97,46,10
अनुपूरक	3,36,57,63			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				
				4,87,73,85

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 16,54,41.49 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 2,86.40 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।
2. वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 16,58.51 लाख, ₹ 2,02,87.95 लाख, ₹ 1,95,65.11 लाख, ₹ 2,62,25.90 लाख तथा ₹ 16,54,41.49 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो कि अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 2.18 प्रतिशत से 26.84 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत का एक कारण भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होना तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किया जाना रहा।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
111. सर्व शिक्षा अभियान			
(02) अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (शिक्षा गारन्टी स्कीम)			
मू. 7,62,87.28	6,49,21.93	6,49,21.93	..
पु. - 1,13,65.35			
31 मार्च 2015 को ₹ 1,13,65.35 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा परिणामतः राज्य सरकार द्वारा निधियां कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों की फीस का पुनःभरण			
मू. 29,25.00	27,92.23	27,92.23	..
पु. - 1,32.77			
31 मार्च 2015 को ₹ 1,32.77 लाख का प्रावधान शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों को योग्य विद्यार्थियों के प्रवेश पर फीस के पुनःभरण के अन्तर्गत भुगतान विद्यार्थियों के सत्यापन के आधार पर करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(05) अनुसूचित जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
[02] पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
मू. 72,00.00	62,15.37	62,14.68	- 0.69
पु. - 9,84.63			
31 मार्च 2015 को ₹ 9,84.63 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(14) अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
मू. 33,42.30	12,10.06	12,08.51	- 1.55
पु. - 21,32.24			
31 मार्च 2015 को ₹ 21,32.24 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(07) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान			
[02] माध्यमिक शिक्षा अभियान-अनुसूचित जातियों के लिए			
मू.	1,45,71.98	72,01.74	72,01.22
अ.	0.01		
पु.	- 73,70.25		
₹ 73,70.25 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(08) बालिका छात्रावास			
[02] बालिका छात्रावास-अनुसूचित जातियों के लिए			
मू.	14,85.80	5,18.58	5,18.58
पु.	- 9,67.22		
₹ 9,67.22 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(09) मॉडल स्कूल			
[02] मॉडल स्कूल-अनुसूचित जातियों के लिए			
मू.	81,75.68	19,77.31	19,77.31
पु.	- 61,98.37		
31 मार्च 2015 को ₹ 61,98.37 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) विशिष्ट संघटक योजना (अनुसूचित जातियों के लिए)			
[01] लड़कों के विद्यालय (आवासीय विद्यालय)			
मू.	1,00,23.00	88,21.82	88,21.66
पु.	- 12,01.18		
31 मार्च 2015 को ₹ 12,01.18 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) अनुसूचित जाति क्षेत्र के विद्यालयों में संचार सूचना एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा			
मू.	7,80.00	5,82.65	5,82.65
पु.	- 1,97.35		
31 मार्च 2015 को ₹ 1,97.35 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) अनुसूचित जाति क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को साइकिल का वितरण			
मू.	10,93.75		
पु.	- 3,28.49	7,65.26	7,65.26
			..
31 मार्च 2015 को ₹ 3,28.49 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(14) लेपटोप वितरण			
मू.	12,53.52		
पु.	- 12,53.52
			..
31 मार्च 2015 को ₹ 12,53.52 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) विशिष्ट संघटक योजना (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	5,93.26		
पु.	- 2,88.55	3,04.71	3,04.73
			+ 0.02
31 मार्च 2015 को ₹ 2,88.55 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा कम्प्यूटराईजेशन सम्बन्धी कार्य पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
04. प्रौढ़ शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) साक्षर भारत			
मू.	19,98.20		
पु.	- 13,74.20	6,24.00	6,24.00
			..
31 मार्च 2015 को ₹ 13,74.20 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. प्रौढ़ शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय का संचालन			
मू.	2,12.22		
पु.	- 1,10.79	1,01.43	1,01.43
			..
₹ 2,12.22 लाख का प्रावधान लोक शिक्षा केन्द्र में महात्मा गांधी पुस्तकालय जो कि ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन थे, के संचालन हेतु प्रवर्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अनुमानित किया गया था। यद्यपि, 31 मार्च 2015 को ₹ 1,10.79 लाख का प्रावधान लोक शिक्षा केन्द्र में कार्यरत प्रवर्तकों के कर्तव्य प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने तथा ग्राम पंचायतों से पत्र एवं पत्रिकाओं के बिल/वाउचर्स प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण विद्यालय			
मू.	9,98.85	7,59.24	7,59.21
पु.	- 2,39.61		
31 मार्च 2015 को ₹ 2,39.61 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने तथा (ii) प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु भारत सरकार से स्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2203. तकनीकी शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) महिला बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) विद्यालय			
मू.	1,38.00	3.70	3.69
पु.	- 1,34.30		
31 मार्च 2015 को ₹ 1,34.30 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल को अनुदान			
मू.	4,19.97	1,05.00	1,05.00
पु.	- 3,14.97		
31 मार्च 2015 को ₹ 3,14.97 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) भारत स्काउट्स तथा गाइड			
मू.	2,91.00	75.67	75.67
पु.	- 2,15.33		
31 मार्च 2015 को ₹ 2,15.33 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
(निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
मू.	7,31.06	11.28	11.28
पु.	- 7,19.78		
31 मार्च 2015 को ₹ 7,19.78 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) जिला स्तरीय संस्थापन			
[01] फर्टीलिटी क्लिनिक स्थापना हेतु अनुदान			
मू.	1,00.00
पु.	- 1,00.00		
31 मार्च 2015 को ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान फर्टीलिटी क्लिनिक की स्थापना हेतु अनुदान की स्वीकृति जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) शिक्षा			
[01] राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय को अनुदान			
मू.	5,14.50	90.00	90.00
पु.	- 4,24.50		..
31 मार्च 2015 को ₹ 4,24.50 लाख का प्रावधान राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) अनुसूचित जातियों के लिए ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	25,12.54	3,42.09	3,42.10
पु.	- 21,70.45		+ 0.01
31 मार्च 2015 को ₹ 21,70.45 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) अनुसूचित जातियों के लिए ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[03] स्वास्थ्य उप केन्द्र			
मू.	6,32.03	1,96.35	1,96.35
पु.	- 4,35.68		..
31 मार्च 2015 को ₹ 4,35.68 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	21,66.53		
पु.	- 13,99.99	7,66.54	7,66.55 + 0.01
31 मार्च 2015 को ₹ 13,99.99 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) वाहनों के संचालन तथा संधारण पर कम व्यय होने तथा (iii) कम्प्यूटर संबंधी कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन [01] आयुर्वेद विभाग-राज्यांश राशि			
मू.	8,20.00		
पु.	- 8,20.00
31 मार्च 2015 को ₹ 8,20.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) अस्पताल एवं औषधालय [02] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, बीकानेर			
मू.	12,04.10		
पु.	- 4,52.20	7,51.90	7,51.04 - 0.86
31 मार्च 2015 को ₹ 4,52.20 लाख का प्रावधान मुख्यतः 526 नर्सों की चयन प्रक्रिया में देरी, जिसके लिए प्रावधान किया गया था परिणामतः वेतन तथा भत्तों के अन्तर्गत बचत रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) अस्पताल एवं औषधालय [03] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, उदयपुर			
मू.	11,39.01		
पु.	- 4,97.18	6,41.83	6,41.83 ..
31 मार्च 2015 को ₹ 4,97.18 लाख का प्रावधान मुख्यतः 832 स्वीकृत पदों में से 302 पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[04] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, अजमेर			
मू.	14,05.19		
		3,87.70	3,87.71
			+ 0.01
पु.	- 10,17.49		

31 मार्च 2015 को ₹ 10,17.49 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) 809 स्वीकृत पदों में से 636 पदों के वर्ष भर रिक्त रहने, (ii) कार्डियोलाजी विभाग के लिए सेन्ट्रल मॉनिटर मय 16 बेड साइड मॉनीटर की निविदा में अधिक दरों के कारण खरीद न होने तथा (iii) कुछ उपकरणों के लिए निविदा न होने/कम प्राप्त होने तथा कुछ उपकरणों की आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर			
मू.	24,59.35		
		11,78.73	11,78.72
			- 0.01
पु.	- 12,80.62		

₹ 12,80.62 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) अस्थायी नर्सिंग कर्मियों के वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय हुआ क्योंकि दिसम्बर 2014 तक 850 में से मात्र 460 नर्सिंग कर्मियों द्वारा कार्य ग्रहण किया गया तथा (ii) मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद नहीं होने क्योंकि टेंडर प्राप्त न होने या टेंडर जो प्राप्त हुए वे अधिक दरों या तकनीकी अयोग्यता के कारण अन्तिम रूप न देने को आरोपित की गयी।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा			
मू.	13,18.17		
		8,04.96	8,04.96
			..
पु.	- 5,13.21		

31 मार्च 2015 को ₹ 5,13.21 लाख का प्रावधान (i) 156 पदों में से 152 पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) वरिष्ठ/कनिष्ठ रेजिडेन्ट्स के पद रिक्त रहने तथा उच्च स्नातक विद्यार्थियों का शिक्षा अवकाश स्वीकृत न होने के कारण वजीफा पर कम व्यय होने, (iii) न्यूरो इन्वेंशन लेब हेतु उपकरणों की खरीद की स्वीकृति न होने तथा (iv) एम सी आई/विश्वविद्यालय शुल्क हेतु मांग प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

06. लोक स्वास्थ्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) निःशुल्क दवा वितरण योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	16,45.02		
		12,13.60	12,13.41
			- 0.19
पु.	- 4,31.42		

31 मार्च 2015 को ₹ 4,31.42 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) निःशुल्क दवा वितरण योजना			
[02] राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को सहायता			
मू.	53,40.00	32,00.00	32,00.00
पु.	- 21,40.00		..
प्रत्याशित बचत मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से निधियां प्राप्त होने को आरोपित की गयी जिसके परिणामतः ₹ 21,40.00 लाख का प्रावधान 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किया गया।			
06. लोक स्वास्थ्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) निःशुल्क जांच योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	23,96.00	13,91.26	13,89.95
पु.	- 10,04.74		- 1.31
31 मार्च 2015 को ₹ 10,04.74 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, मशीनरी एवं उपकरणों तथा संविदा प्रभागों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2211. परिवार कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[01] बी.पी.एल. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष (30:70)			
मू.	12,24.00	7,99.00	7,99.00
पु.	- 4,25.00		..
31 मार्च 2015 को ₹ 4,25.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[02] स्टेट वाइड इमरजेन्सी एम्बुलेंस सेवा योजना (50:50)			
मू.	15,01.00	13,20.91	13,20.91
पु.	- 1,80.09		..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,80.09 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा परिणामतः राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) (15:85)			
मू.	3,10,50.00	2,05,36.50	2,05,36.50
पु.	- 1,05,13.50		..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,05,13.50 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा परिणामतः राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
मू.	49,32.20	12,84.35	12,84.35
पु.	- 36,47.85		..
31 मार्च 2015 को ₹ 36,47.85 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा परिणामतः राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[06] जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (अनुसूचित जातियों के लिये)			
मू.	11,22.00	6,55.00	6,55.00
पु.	- 4,67.00		..
31 मार्च 2015 को ₹ 4,67.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(01) सामान्य अनुदान			
[02] निर्बन्ध अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिये)			
मू.	2,70.00
पु.	- 2,70.00		..
31 मार्च 2015 को ₹ 2,70.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(30) पर्यावरण और स्वास्थ्य निधि से व्यय			
[02] सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट			
मू.	2,40.00
पु.	- 2,40.00
31 मार्च 2015 को ₹ 2,40.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(01) सामान्य अनुदान			
[02] निर्बन्ध अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	7,47.00	..	+ 4.00
पु.	- 7,47.00
31 मार्च 2015 को ₹ 7,47.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा बिना प्रावधान के ₹ 4.00 लाख का व्यय होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(22) छोटे एवं मध्यम कस्बों की शहरी आधारभूत विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.)			
(10:10:80)			
[02] विकास कार्य			
मू.	82,65.17	23,59.55	..
पु.	- 59,05.62	23,59.55	..
31 मार्च 2015 को ₹ 59,05.62 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) आवासीय विद्यालयों का संचालन			
मू.	19,39.03	17,56.57	- 0.01
पु.	- 1,82.46	17,56.56	..
₹ 1,82.46 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(12) संबल ग्रामों का विकास			
मू.	39,70.00	7,17.20	7,17.20
पु.	- 32,52.80		..

31 मार्च 2015 को ₹ 32,52.80 लाख का प्रावधान जिला परिषदों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने तथा *संबल ग्राम योजना* के अंतर्गत उनके खाते में अवशेष राशि की उपलब्धता के कारण वित्त विभाग द्वारा जिला परिषदों के निजी निक्षेप खाते में निधियों के हस्तांतरण की स्वीकृति जारी न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. अनुसूचित जातियों का कल्याण
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(01) अनुसूचित जाति के लिए छात्रवृत्ति एवं वजीफा

मू.	2,11,84.41	1,45,69.93	1,45,69.67	- 0.26
पु.	- 66,14.48			

31 मार्च 2015 को ₹ 66,14.48 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. अनुसूचित जातियों का कल्याण
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(19) अनुप्रति योजनान्तर्गत सहायता

मू.	1,75.00	42.40	42.40	..
पु.	- 1,32.60			

31 मार्च 2015 को ₹ 1,32.60 लाख का प्रावधान आवेदन कम प्राप्त होने एवं राज्य तथा अधीनस्थ सेवाओं की परीक्षाओं में देरी के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2230. श्रम तथा रोजगार
02. रोजगार सेवाएं
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(05) राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना-2012
[01] बेरोजगारी भत्ता

मू.	10,19.00	5,22.05	5,21.65	- 0.40
पु.	- 4,96.95			

31 मार्च 2015 को ₹ 4,96.95 लाख का प्रावधान लाभार्थियों से कम आवेदन प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता विभाग के जिला			
स्तरीय कार्यालय हेतु			
[05] अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
अन्तर्गत संस्थापन व्यय हेतु			
मू.	4,07.21		
		2,79.06	2,79.06
पु.	- 1,28.15		..
₹ 4,07.21 लाख का प्रावधान अनुसूचित जाति-उप योजना श्रेणी की साधनों पर व्यय हेतु अनुमानित किया गया था।			
यद्यपि, ₹ 1,28.15 लाख की प्रत्याशित बचत (i) आयोजना सीमा में कटौती, (ii) प्रशिक्षण आयोजित नहीं किये जाने, (iii) साधनों द्वारा कार्य छोड़े जाने के कारण मानदेय पर कम व्यय होने, (iv) ग्राम सभा द्वारा समय पर साधनों का चयन न करने तथा (v) ब्लॉक स्तर से साधनों के बिल समय पर प्रस्तुत न करने को आरोपित की गई।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अन्य कार्यक्रम			
[09] अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. परिवारों को			
जनश्री बीमा योजना हेतु सहायता			
मू.	5,80.00		
		4,33.23	4,33.23
पु.	- 1,46.77		..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,46.77 लाख का प्रावधान 2014-15 के दौरान जनश्री बीमा योजना में गत वर्षों के लाभांश के समायोजन के पश्चात् किश्त राशि का कम भुगतान करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[04] महिलाओं के लिए बेसिक कम्प्यूटर कोर्स			
मू.	3,75.00		
		1,07.00	1,07.00
पु.	- 2,68.00		..
31 मार्च 2015 को ₹ 2,68.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. समाज कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[06] मिशन ग्राम्य शक्ति			
मू.	3,50.01		
	
पु.	- 3,50.01		..
31 मार्च 2015 को ₹ 3,50.01 लाख का समस्त प्रावधान मिशन ग्राम्य शक्ति योजना के क्रियान्वयन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
वर्ष 2013-14 के दौरान भी ₹ 3,50.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[08] अनुसूचित जातियों के लिए इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन			
मू.	56,17.34	36,66.86	36,16.72
पु.	- 19,50.48		

31 मार्च 2015 को ₹ 19,50.48 लाख का प्रावधान वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान मांग के अनुसार किये जाने तथा परिणामतः पेंशन के वितरण पर विविध व्यय कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 50.14 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[09] अनुसूचित जातियों के लिए इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन			
मू.	11,07.20	8,28.22	8,20.66
पु.	- 2,78.98		

31 मार्च 2015 को ₹ 2,78.98 लाख का प्रावधान विधवा पेंशन का भुगतान मांग के अनुसार किये जाने तथा परिणामतः पेंशन के वितरण पर विविध व्यय कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 7.56 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[10] अनुसूचित जातियों के लिए इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विशेष योग्यजन पेंशन			
मू.	2,71.48	1,31.89	1,29.59
पु.	- 1,39.59		

31 मार्च 2015 को ₹ 1,39.59 लाख का प्रावधान विशेष योग्यजन पेंशन का भुगतान मांग के अनुसार किये जाने तथा परिणामतः पेंशन के वितरण पर विविध व्यय कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[01] पोषाहार क्रेष कार्यक्रम			

मू. 2,18,83.15

पु. - 3,07.70

2,15,75.45

2,15,75.45

..

31 मार्च 2015 को ₹ 3,07.70 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2401. फसल कृषि-कर्म				
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता				
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं				
[14] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूँ				
मू.	6,73.11	2,62.56	2,62.56	
पु.	- 4,10.55			..
31 मार्च 2015 को ₹ 4,10.55 लाख का प्रावधान भारत सरकार द्वारा योजना स्वीकृत न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।				
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता				
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं				
[15] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन				
मू.	21,03.52	15,15.11	15,15.88	
पु.	- 5,88.41			+ 0.77
31 मार्च 2015 को ₹ 5,88.41 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।				
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता				
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं				
[17] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटे अनाज				
मू.	8,95.30	2,62.41	2,61.65	
पु.	- 6,32.89			- 0.76
31 मार्च 2015 को ₹ 6,32.89 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।				
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता				
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं				
[18] राष्ट्रीय तिलहन मिशन-तिलहन				
मू.	3,26.67	75.64	75.64	
अ.	0.02			..
पु.	- 2,51.05			
31 मार्च 2015 को ₹ 2,51.05 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।				
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता				
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं				
[20] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि विस्तार				
मू.	6,11.32	2,35.61	2,35.61	
पु.	- 3,75.71			..
31 मार्च 2015 को ₹ 3,75.71 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।				

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[23] टिकाऊ खेती मिशन-बारानी क्षेत्र विकास			
मू.	8,27.33	2.17	2.17
पु.	- 8,25.16		..
31 मार्च 2015 को ₹ 8,25.16 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) कृषि विभाग के द्वारा			
[23] मिशन फॉर लिवलिहुड			
मू.	19,71.00	9,07.00	9,07.00
पु.	- 10,64.00		..
31 मार्च 2015 को ₹ 10,64.00 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा निधियां कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) कृषि विभाग के द्वारा			
[28] राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
मू.	7,20.00
पु.	- 7,20.00		..
31 मार्च 2015 को ₹ 7,20.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) उद्यान विभाग के द्वारा			
[04] राष्ट्रीय बागवानी मिशन			
(15% राज्यांश : 85 % केन्द्रीयंश)			
मू.	11,90.00	3,06.88	3,06.88
पु.	- 8,83.12		..
31 मार्च 2015 को ₹ 8,83.12 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) उद्यान विभाग के द्वारा			
[05] प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु			
(20% राज्यांश : 80 % केन्द्रीयंश)			
मू.	32,32.12	5,68.27	5,68.27
पु.	- 26,63.85		..
31 मार्च 2015 को ₹ 26,63.85 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[06] बूंद-बूंद सिंचाई राज्य योजना			
मू.	16,12.74	2,83.08	2,83.06
पु.	- 13,29.66		
31 मार्च 2015 को ₹ 13,29.66 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[12] सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त अनुदान			
मू.	19,07.21
पु.	- 19,07.21
31 मार्च 2015 को ₹ 19,07.21 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	55,00.00	35,57.45	35,57.56
पु.	- 19,42.55		
31 मार्च 2015 को ₹ 19,42.55 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पॉम मिशन			
[02] राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पॉम मिशन-वृक्ष जनित तिलहन			
मू.	12,32.64	17.03	17.03
पु.	- 12,15.61		
31 मार्च 2015 को ₹ 12,15.61 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) राष्ट्रीय टिकाउ खेती मिशन			
[02] टिकाउ खेती मिशन-मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन			
मू.	3,82.85
पु.	- 3,82.85
31 मार्च 2015 को ₹ 3,82.85 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पशुपालन विभाग के अधिकरण से			
[04] मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना			
मू.	33,00.00		
पु.	- 13,11.10	19,88.90	19,88.86
			- 0.04
<p>31 मार्च 2015 को ₹ 13,11.10 लाख का प्रावधान पशुधन के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना अन्तर्गत खरीदी जाने वाली दवाइयां राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत उपलब्ध होने के कारण "दवाइयों तथा औषधियों" पर कम व्यय होने से अभ्यर्पित किया गया।</p>			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) गौ सेवा निदेशालय			
[01] गौशालाओं को अनुदान			
मू.	18,14.51		
पु.	- 18,14.51
<p>31 मार्च 2015 को ₹ 18,14.51 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।</p>			
2425. सहकारिता			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सहकारी संस्थाओं को ब्याज भुगतान हेतु सहायता			
मू.	34,32.00		
पु.	- 8,05.50	26,26.50	26,26.50
			..
<p>₹ 34,32.00 लाख का प्रावधान केन्द्रीय बैंक तथा राजस्थान के सहकारी भूमि विकास बैंक के माध्यम से दीर्घावधि कृषि ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, 31 मार्च 2015 को ₹ 8,05.50 लाख का प्रावधान, पुनरीक्षण के पश्चात् योजना का क्रियान्वयन केवल सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) समन्वित जल ग्रहण विकास हेतु			
[03] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	89,00.00		
पु.	- 15,34.41	73,65.59	73,65.59
			..
<p>31 मार्च 2015 को ₹ 15,34.41 लाख का प्रावधान भारत सरकार से द्वितीय किस्त प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			
[03] अनुदान			
मू.	60,00.00
पु.	- 60,00.00
<p>₹ 60,00.00 लाख का प्रावधान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को अनुदान सशर्त जारी किया गया कि भारत सरकार वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में उपलब्ध शेष की 60 प्रतिशत निधियां खर्च करेगी, हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, भारत सरकार द्वारा शर्त की अनुपालना नहीं करने तथा निधियां जारी न करने के कारण ₹ 60,00.00 लाख का समस्त प्रावधान 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किया गया।</p>			
2505. ग्राम रोजगार			
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) इन्दिरा आवास योजना			
[04] अनुदान (राज्यांश)			
मू.	2,49,85.07	1,17,54.27	..
पु.	- 1,32,30.80	1,17,54.27	..
<p>31 मार्च 2015 को ₹ 1,32,30.80 लाख का प्रावधान 2012-13 में 4 जिलों, 2013-14 में 9 जिलों तथा 2014-15 में 9 जिलों के लिए <i>इंदिरा आवास योजना</i> हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (राज्यांश)			
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[01] कार्यकलाप संबंधी			
मू.	8,30,89.49	5,74,49.71	..
पु.	- 2,56,39.78	5,74,49.71	..
<p>₹ 2,56,39.78 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी करने को आरोपित की गयी।</p>			
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
102. सामुदायिक विकास			
(01) वित्तीय सशक्तिकरण योजना			
[06] अनुसूचित जाति के परिवार को प्रोत्साहन			
मू.	7,43.00
पु.	- 7,43.00
<p>₹ 7,43.00 लाख का प्रावधान भामाशाह योजना-2008 में सेवा प्रदाताओं के दावों का भुगतान, यदि दावे उचित तथा नियमानुसार प्राप्त होते हैं, के लिए अनुमानित किया गया था। यद्यपि, 31 मार्च 2015 को ₹ 7,43.00 लाख का समस्त प्रावधान दावों का भुगतान किया जाना देय है या नहीं, का निर्णय नहीं लिये जा सकने के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(20) पिछड़ा जिला विकास कोष			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	47,36.47		
		28,95.00	28,95.00
पु.	- 18,41.47		..
₹ 47,36.47 लाख का प्रावधान क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करने, गरीबी उन्मूलन में सहयोग तथा जवाबदेह व उत्तरदायी पंचायतों को प्रोत्साहित करने हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 13.02.2015 के द्वारा प्रावधान में 52 प्रतिशत तक की कटौती करने के कारण ₹ 18,41.47 लाख का प्रावधान 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(23) जिला नवाचार कोष			
[02] कार्यकलाप /गतिविधियां			
मू.	2,83.15		
	
पु.	- 2,83.15		..
₹ 2,83.15 लाख का प्रावधान राज्य के 33 जिलों में पूर्व में सृजित सम्पत्तियों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए अनुमानित किया गया था। यद्यपि, भारत सरकार से निधियों की द्वितीय किश्त प्राप्त न होने के कारण 31 मार्च 2015 को ₹ 2,83.15 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
2013-14 के दौरान भी समस्त प्रावधान इसी कारण से अभ्यर्पित किया गया था।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(25) ग्रामीण बी.पी.एल. आवास			
[02] विशिष्ट संघटक योजना में कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	1,26,15.26		
		1,12,05.37	1,12,05.37
पु.	- 14,09.89		..
₹ 1,26,15.26 लाख का प्रावधान बी.पी.एल. परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण हेतु निधियां उपलब्ध कराने के लिए अनुमानित किया गया था। यद्यपि, हुडको द्वारा की गई मांग के अनुसार अनुदान जारी किये गये परिणामतः 31 मार्च 2015 को ₹ 14,09.89 लाख अभ्यर्पित किये गये।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(27) सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	65,64.00		
		45,70.68	45,70.68
पु.	- 19,93.32		..
₹ 65,64.00 लाख का प्रावधान स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालयों के निर्माण द्वारा स्वच्छ तथा स्वस्थ राज्य बनाने हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त न होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं करने के कारण 31 मार्च 2015 को ₹ 19,93.32 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(30) राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	12,81.60	8,87.78	8,87.78
पु.	- 3,93.82		

₹ 12,81.60 लाख का प्रावधान पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता निर्माण तथा उत्तरदायित्वों को बढ़ाने हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त न होने के कारण ₹ 3,93.82 लाख का प्रावधान 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किया गया।

198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(06) राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (ग्राम पंचायतों के प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये)			
मिड डे मील योजनान्तर्गत सहायता			
[04] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	1,70,00.00	1,11,18.40	1,11,18.34
पु.	- 58,81.60		

₹ 1,70,00.00 लाख का प्रावधान सरकारी सहायतार्थ स्कूलों के 1 से 8 वीं कक्षा हेतु प्रत्येक शिक्षण दिवस पर तैयार दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण ₹ 58,81.60 लाख का प्रावधान 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किया गया।

2701. मध्यम सिंचाई			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सर्वेक्षण (मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से)			
[02] सिंचाई प्रबन्धन और प्रशिक्षण केन्द्र			
मू.	3,14.36	3,27.17	1,88.12
पु.	12.81		

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12.81 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 1,39.05 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

2702. लघु सिंचाई			
01. सतही जल			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम			
[01] मुख्य अभियंता, राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग के माध्यम से			
मू.	25,10.00	15,24.47	15,24.46
पु.	- 9,85.53		

31 मार्च 2015 को ₹ 9,85.53 लाख का प्रावधान (i) निर्धारित मापदण्डों को प्राप्त नहीं करने के कारण विभाग की वित्तीय एजेन्सी, यूरोपियन यूनियन से किश्त प्राप्त न होने तथा (ii) राज्य निधि के माध्यम से व्यय करने हेतु राज्य वित्त विभाग से स्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2705. कमान क्षेत्र विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[01] गंग नहर परियोजना			
मू.	2,88.01		
पु.	- 2,36.40	51.61	51.60
			- 0.01
31 मार्च 2015 को ₹ 2,36.40 लाख का प्रावधान स्थानीय प्रशासन तथा स्टॉफ का स्थानीय निकायों और पंचायती राज के चुनावों में व्यस्त होने से, जल उपभोक्ता एसोसिएशन के चुनाव न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2801. बिजली			
06. ग्रामीण विद्युतीकरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राजस्थान अक्षय ऊर्जा कॉरपोरेशन के माध्यम से			
[01] ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु			
मू.	10,77.85		
पु.	- 10,77.85
			..
31 मार्च 2015 को ₹ 10,77.85 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा विद्युतीकरण			
[01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से			
मू.	17,00.00		
पु.	- 17,00.00
			..
31 मार्च 2015 को ₹ 17,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
2853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
02. खानों का विनियमन तथा विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) संचालन एवं अधीक्षण			
मू.	2,83.07		
पु.	- 1,95.57	87.50	87.50
			..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,95.57 लाख का प्रावधान (i) आयोजना सीमा में कटौती, (ii) कुछ कानूनी मामलों के कारण पदों का नहीं भरा जाना जिन पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की जा चुकी है तथा (iii) परीक्षा अवधि के अन्तर्गत कार्मिकों के स्थिर वेतन के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना			
मू. 25,00.00	22,00.00	22,00.00	..
पु. - 3,00.00			
31 मार्च 2015 को ₹ 3,00.00 लाख का प्रावधान परियोजना के देरी से शुरू करने तथा स्वयं सहायता समूह के कम गठन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
3452. पर्यटन			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पर्यटक सूचना और प्रचार			
मू. 5,07.22	1,66.02	1,66.02	..
पु. - 3,41.20			
31 मार्च 2015 को ₹ 3,41.20 लाख का प्रावधान प्रचार एवं विज्ञापन पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[02] तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत यू.आई.डी. परियोजना			
मू. 21,61.00
पु. - 21,61.00			
31 मार्च 2015 को ₹ 21,61.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
[01] निदेशन तथा प्रशासन			
मू. 2,78.75	1,00.95	1,00.94	- 0.01
पु. - 1,77.80			
31 मार्च 2015 को ₹ 1,77.80 लाख का प्रावधान अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्रों में नये खोले गये ब्लॉक सांख्यिकी विभागों हेतु 200 स्वीकृत पदों में से 151 पद वर्ष भर रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) भामाशाह योजना, 2014			
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
मू.	92,94.10	41,00.00	41,00.00
पु.	- 51,94.10		..
<p>₹ 92,94.10 लाख का प्रावधान भामाशाह योजना के क्रियान्वयन हेतु सरकारी योजनाओं के वित्तीय तथा गैर वित्तीय लाभों को पारदर्शी तरीके से बी.पी.एल., अन्त्योदय तथा अन्नपूर्णा परिवारों के प्रत्येक परिवार की महिला प्रमुख को सीधे हस्तान्तरण हेतु अनुमानित किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार परिवार की महिला प्रमुख के भामाशाह योजना में नामांकन के समय ₹ 1,000 जारी करेगी तथा ₹ 1,000 की द्वितीय किश्त छः माह बाद उनके बैंक खाते में हस्तांतरित करना होगा। सरकारी योजनाओं के समस्त वित्तीय तथा गैर वित्तीय लाभों को जैसे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा मजदूरी, छात्रवृत्तियां, जननी सुरक्षा योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि, भामाशाह प्लेटफार्म के तहत बैंक खाते में हस्तांतरित किये जायेंगे।</p> <p>यद्यपि, 31 मार्च 2015 को ₹ 51,94.10 लाख का प्रावधान चुनाव आचार संहिता (स्थानीय निकायों) के कारण भामाशाह नामांकन का कार्य पर्याप्त संख्या में पूर्ण न किये जा सकने से भामाशाह नामांकन तथा भामाशाह कार्ड की तैयारी पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			
3456. सिविल पूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सिविल पूर्ति योजना			
[03] राशन कार्डों का कम्प्यूटराईजेशन			
मू.	4,32.00	81.90	81.90
पु.	- 3,50.10		..
<p>31 मार्च 2015 को ₹ 3,50.10 लाख का प्रावधान राशन कार्डों में त्रुटि के कारण राशन कार्डों के कम्प्यूटराईजेशन हेतु वर्ष के दौरान कम भुगतान के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[02] अंत्योदय परिवार अन्न योजना			
मू.	10,18.05	8,33.01	8,33.01
पु.	- 1,85.04		..
<p>31 मार्च 2015 को ₹ 1,85.04 लाख का प्रावधान अन्त्योदय परिवारों को वितरित खाद्यान्न का संग्रहण तथा परिवहन के भुगतान के लिए दावे बकाया न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[02] विकास कार्य			
मू.	6,45.32	5,40.90	5,40.90
पु.	- 1,04.42		..
<p>31 मार्च 2015 को ₹ 1,04.42 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।</p>			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(13) अनुसूचित जाति के निराश्रित बच्चों हेतु पालनहार योजनान्तर्गत सहायता			
मू.	27,01.15		
पु.	9,98.45	36,99.60	36,98.88
			- 0.72

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 9,98.45 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(17) अंतर्जातीय विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू.	10,00.00		
पु.	6,88.00	16,88.00	16,83.00
			- 5.00

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,88.00 लाख की अतिरिक्त निधियां अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत प्रोत्साहन हेतु प्रार्थना पत्र अधिक प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

2401. फसल-कृषि कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) कृषि विभाग के द्वारा			
[04] फसल बीमा (50% राज्यांश : 50% केन्द्रीयंश)			
मू.	60,47.01		
पु.	11,14.97	71,61.98	71,61.98
			..

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 11,14.97 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[02] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू.	20,04.00		
पु.	9,62.86	29,66.86	29,66.86
			..

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 9,62.86 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल-कृषि कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[08] राजफेड को सहायता (सहकारिता विभाग के माध्यम से)			
मू.	2,70.00	10,80.00	10,80.00
पु.	8,10.00		
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 8,10.00 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[12] राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के माध्यम से			
मू.	7,80.00	22,70.00	22,70.00
पु.	14,90.00		
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 14,90.00 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
2425. सहकारिता			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान			
मू.	22,30.79	63,49.00	63,49.00
पु.	41,18.21		
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 41,18.21 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष 2013-14 के बकाया दावों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
3456. सिविल पूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सिविल पूर्ति योजना			
[06] सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन			
मू.	31.67	10,35.43	10,35.43
पु.	10,03.76		
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,03.76 लाख की अतिरिक्त निधियां लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ऑपरेशन (संचालन) के कम्प्यूटरीकरण से अंत तक के अंतर्गत भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

5. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत/आधिक्य को देखते हुए, प्रावधान का आवर्धन/कटौती, अत्यधिक/अनावश्यक था :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर			
मू.	27,10.76		
पु.	3,43.39	30,54.15	28,34.05 - 2,20.10

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,43.39 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 2,20.10 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

2402. मृदा तथा जल संरक्षण

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना

(02) पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन परियोजना

(आई फैड फण्डेड) (एम पावर)

मू. 6,98.94

पु. - 4,12.23

2,86.71

4,35.21

+ 1,48.50

31 मार्च 2015 को ₹ 4,12.23 लाख का प्रावधान (i) 56 पदों में से 29 पद मय उप निदेशक, कनिष्ठ अभियन्ता तथा सहायक लेखाधिकारी के रिक्त रहने, जिससे कार्य क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ा तथा (ii) चुनाव आचार संहिता के कारण सी आई डी एफ के कार्य में देरी और अत्यधिक कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 1,48.50 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

पूँजी

दत्तमत

- ₹ 4,97,46.10 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 3,36,57.63 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
- ₹ 4,97,46.10 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 9,72.25 लाख अनुभ्यर्पित रहे।
- वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 11,17.83 लाख, ₹ 4,01,80.68 लाख, ₹ 1,23,83.38 लाख, ₹ 2,75,07.63 लाख तथा ₹ 4,97,46.10 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 8.80 प्रतिशत से 32.11 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत का एक कारण भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होना था।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) सामान्य भवन (सहकारिता विभाग)			
मू.	1,07.09
पु.	- 1,07.09
31 मार्च 2015 को ₹ 1,07.09 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) सामान्य भवन (भू-राजस्व)			
मू.	8,30.96	3,80.20	- 1.57
पु.	- 4,50.76		
31 मार्च 2015 को ₹ 4,50.76 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) कॉलेज शिक्षा			
[90] वृहद् निर्माण कार्य			
मू.	4,46.66	52.56	+ 0.35
पु.	- 3,94.10		
31 मार्च 2015 को ₹ 3,94.10 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) शिक्षक शिक्षा के लिए ब्लॉक संस्थान			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	1,58.00
पु.	- 1,58.00
₹ 1,58.00 लाख का प्रावधान केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत शिक्षक शिक्षा के लिए ब्लॉक संस्थान (बाईट) हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, 31 मार्च 2015 को ₹ 1,58.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तकनीकी शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से			
मू.	4,57.88	2,56.42	2,31.46
पु.	- 2,01.46		
31 मार्च 2015 को ₹ 2,01.46 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 24.96 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. तकनीकी शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) भवन			
मू.	4,96.27	11.36	41.15
पु.	- 4,84.91		
31 मार्च 2015 को ₹ 4,84.91 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 29.79 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. तकनीकी शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) महिला पोलिटेक्नीक विद्यालय			
मू.	1,50.00
पु.	- 1,50.00		
02. तकनीकी शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) छात्रावास सुविधा			
मू.	2,09.57
पु.	- 2,09.57		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 3,59.57 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
03. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) खेल विभाग के माध्यम से जिला संकुल			
मू.	12,19.32	4,37.43	4,37.43
पु.	- 7,81.89		
31 मार्च 2015 को ₹ 7,81.89 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[01] स्वास्थ्य उप केन्द्रों का निर्माण			
मू.	25,82.23
पु.	- 25,82.23
31 मार्च 2015 को ₹ 25,82.23 लाख का समस्त प्रावधान मुख्यतः 1079 प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु स्वीकृति जारी न होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 7,77.00 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 18,05.23 लाख) किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर			
मू.	1,00.01
पु.	- 1,00.01
31 मार्च 2015 को ₹ 1,00.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[01] अन्य ग्रामीण पेयजल योजनाएं			
मू.	1,40,56.13	1,23,85.00	1,23,83.80
पु.	- 16,71.13		- 1.20
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[02] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर जल प्रदाय परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	6,28.10	4,40.83	4,40.83
पु.	- 1,87.27		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[03] बीसलपुर-दूदू जल प्रदाय परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	16,12.85	11,16.64	11,16.64
पु.	- 4,96.21		..

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[07] इन्द्रोका-माणकलाव-दांतिवाडा जल प्रदाय योजना (नाबार्ड)			
मू.	4,50.48	3,19.53	3,19.53
पु.	- 1,30.95		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[11] कोलायत तहसील जल प्रदाय परियोजना			
मू.	5,32.08	4,14.64	4,14.64
पु.	- 1,17.44		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[13] नर्मदा जल प्रदाय परियोजना (एफ.आर.) नाबार्ड			
मू.	6,08.10	2,52.32	2,52.32
पु.	- 3,55.78		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[18] तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत कार्य			
मू.	30,07.00	27,38.00	27,37.12
पु.	- 2,69.00		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[22] टोंक, उनियारा और देवली को बीसलपुर बांध से जलप्रदाय परियोजना			
मू.	6,73.10	4,94.98	4,94.98
पु.	- 1,78.12		

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[25] बोरावास-मंडाना जलप्रदाय परियोजना			
मू.	6,36.08		
पु.	- 4,89.11	1,46.97	1,46.97
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[26] नागदा -अंता-बलदेवपुरा जलप्रदाय परियोजना			
मू.	2,77.16		
पु.	- 2,19.91	57.25	57.25
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[29] डीग जलपूर्ति योजना			
मू.	1,69.05		
पु.	- 1,24.55	44.50	44.50
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[30] फ्लोराईड कंट्रोल प्रोजेक्ट अजमेर-पीसांगन			
मू.	18,71.61		
पु.	- 3,70.38	15,01.23	15,01.23
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[33] चम्बल-बालेर-सवाई माधोपुर जलप्रदाय योजना			
मू.	1,24.06		
पु.	- 1,24.06
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[34] नागौर लिफ्ट केनाल फेज-प्रथम			
मू.	21,00.21		
पु.	- 1,89.66	19,10.55	19,10.55

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[35] नावां के 72 गांवों की जलप्रदाय परियोजना			
मू .	9,70.53		
		5,48.79	5,48.79
पु .	- 4,21.74		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[42] गागरिन जल पूर्ति योजना			
मू .	9,07.25		
		6,73.48	6,73.48
पु .	- 2,33.77		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[45] बीसलपुर-दूदू परियोजना, चाकसू-फागी एवं बस्सी			
मू .	22,70.25		
		18,70.45	18,70.45
पु .	- 3,99.80		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[47] बारां क्लस्टर परियोजना			
मू .	2,14.05		
		..	- 22.49
पु .	- 2,14.05		- 22.49
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[49] नर्मदा एफ.आर. क्लस्टर परियोजना			
मू .	6,98.10		
		1,09.44	1,09.44
पु .	- 5,88.66		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[53] बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ जल पूर्ति परियोजना			
मू .	12,76.58		
		10,93.29	10,93.29
पु .	- 1,83.29		..

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[55] नर्मदा परियोजना-क्लस्टर (डी.आर.)			
मू .	5,08.10	1,03.38	1,03.38
पु .	- 4,04.72		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[58] नर्मदा से शिव तहसील, जिला बाड़मेर जलपूर्ति परियोजना (205 गांव)			
मू .	9,22.15	6,00.00	6,00.00
पु .	- 3,22.15		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[61] भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांव हेतु जल पूर्ति परियोजना			
मू .	7,08.10	5,59.12	5,59.12
पु .	- 1,48.98		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[63] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (डी.डी.पी.)			
मू .	29,47.30	25,39.16	25,39.18
पु .	- 4,08.14		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[64] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जल गुणवत्ता के लिए 5 प्रतिशत निश्चित राशि			
मू .	10,78.77	4,65.87	4,65.86
पु .	- 6,12.90		

उपरोक्त पच्चीस शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 88,61.77 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा शीर्ष "4215-01-789(01)[47]" के अंतर्गत ₹ 22.49 लाख के ऋण व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[23] नागौर लिफ्ट कैनाल फेज- II			
मू.	47,48.10		
पु.	- 46,96.41		
		51.69	51.69
			..
31 मार्च 2015 को ₹ 46,96.41 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[65] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए संचालन एवं संधारण प्रतिशतता व्यय			
मू.	42,09.35	42,09.35	36,18.99
			- 5,90.36
₹ 5,90.36 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[02] अन्य शहरी पेयजल योजनाएं			
मू.	32,56.00		
पु.	- 13,91.17		
		18,64.83	18,64.98
			+ 0.15
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[06] चम्बल-बालेर-सवाईमाधोपुर जलप्रदाय परियोजना			
मू.	2,70.00		
पु.	- 2,70.00		
	
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[13] शहरी जल प्रदाय योजना, जोधपुर के पुनर्गठन का कार्य			
मू.	26,70.00		
पु.	- 14,59.20		
		12,10.80	12,10.80
			..

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[15] नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज- II			
मू .	5,40.00
पु .	- 5,40.00		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[16] डीग जलप्रदाय योजना			
मू .	2,70.00	3.04	3.04
पु .	- 2,66.96		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[19] नागदा -अंता-बलदेवपुरा जल प्रदाय योजना			
मू .	4,50.00	96.75	96.75
पु .	- 3,53.25		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[21] देवास जलप्रदाय योजना, फेज-II (शहरी)			
मू .	7,20.00	3,28.50	3,28.50
पु .	- 3,91.50		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[27] फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना			
मू .	6,30.00	5,11.79	5,11.79
पु .	- 1,18.21		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[29] पोकरण-फलसुंड जलप्रदाय परियोजना (शहरी)			
मू .	17,00.00	11,97.00	11,97.00
पु .	- 5,03.00		..

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[34] पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाईप लाईनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू.	11,58.00	3,27.73	3,27.73
पु.	- 8,30.27		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[35] तेरहवां वित्त आयोग			
मू.	11,30.00	4,38.92	4,38.92
पु.	- 6,91.08		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[36] बल्क मीटर एवं उपभोक्ता मीटर की सप्लाई/स्थापना/संचालन एवं संधारण कार्य			
मू.	1,37.28
पु.	- 1,37.28		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[40] चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति योजना-कलस्टर			
मू.	20,40.00	19,08.84	19,08.84
पु.	- 1,31.16		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[46] चम्बल- धौलपुर-भरतपुर परियोजना, फेज-प्रथम, पार्ट द्वितीय (शहरी)			
मू.	2,70.00
पु.	- 2,70.00		

उपरोक्त चौदह शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2015 को ₹ 73,53.08 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रेन्यूवल मिशन			
[01] विकास कार्य (स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से)			
मू.	54,12.03	9,80.84	9,80.84
पु.	- 44,31.19		
31 मार्च 2015 को ₹ 44,31.19 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) शहरी जन सहभागी योजना			
मू.	4,46.50	57.52	57.48
पु.	- 3,88.98		
31 मार्च 2015 को ₹ 3,88.98 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) अग्रिशमन सेवाएं			
मू.	1,78.01
पु.	- 1,78.01
31 मार्च 2015 को ₹ 1,78.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) शहरी सड़कें तथा नालियाँ आदि			
[01] विभिन्न शहरी निकायों के लिए			
मू.	15,13.00	13,22.27	13,22.27
पु.	- 1,90.73		
31 मार्च 2015 को ₹ 1,90.73 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
04. गन्दी बस्तियों का विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) एकीकृत आवास एवं गन्दी बस्ती विकास योजना			
मू.	20,90.32	3,30.48	3,30.48
पु.	- 17,59.84		
31 मार्च 2015 को ₹ 17,59.84 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) भवन निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	1,12.19
पु.	- 1,12.19
₹ 1,12.19 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र में भवन के निर्माण के लिए अनुमानित किया गया था। यद्यपि, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निधियां उपयोजित नहीं करने के परिणामतः 31 मार्च 2015 को ₹ 1,12.19 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) कन्या के छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	1,09.88
पु.	- 1,09.88
31 मार्च 2015 को ₹ 1,09.88 लाख का समस्त प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा छात्रावास भवन पर निर्माण कार्यों का निष्पादन नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) छात्रों हेतु छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	5,42.37	1,16.11	1,16.09
पु.	- 4,26.26		- 0.02
31 मार्च 2015 को ₹ 4,26.26 लाख का प्रावधान अनुसूचित जातियों के छात्रों के चार छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्से की स्वीकृति प्राप्त न होने तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा छात्रावास भवन के निर्माण के लिए कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	7,39.75	5,47.07	5,47.17
पु.	- 1,92.68		+ 0.10
31 मार्च 2015 को ₹ 1,92.68 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा छात्रावास भवन के निर्माण के लिए कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) नाबार्ड सहायतांतर्गत छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	11,09.12		
पु.	- 6,97.38	4,11.74	4,11.74
31 मार्च 2015 को ₹ 6,97.38 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा छात्रावास भवन के निर्माण के लिए कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) आंगन बाड़ी केन्द्र निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत			
मू.	46,39.28		
पु.	- 46,39.28
31 मार्च 2015 को ₹ 46,39.28 लाख का समस्त प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) आंगन बाड़ी केन्द्र अपग्रेडेशन एवं रख रखाव मय क्रेच निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत			
मू.	2,56.59		
पु.	- 2,56.59
31 मार्च 2015 को ₹ 2,56.59 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) नवीन आई.टी.आई. भवन का निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	19,60.18		
पु.	- 13,51.18	6,09.00	6,22.94 + 13.94
31 मार्च 2015 को ₹ 13,51.18 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 13.94 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) नवीन आई.टी.आई. भवन का निर्माण			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	1,56.81
पु.	- 1,56.81
31 मार्च 2015 को ₹ 1,56.81 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि.के.स.)			
[06] कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से			
मू.	4,14.00	2,50.00	..
पु.	- 1,64.00	2,50.00	..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,64.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) किसान सेवा केन्द्र एवं ग्राम ज्ञान केन्द्रों हेतु भवन निर्माण			
मू.	57,96.00	32,47.48	..
पु.	- 25,48.52	32,47.48	..
31 मार्च 2015 को ₹ 25,48.52 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) नाबार्ड के सहयोग से वनीकरण कार्य			
मू.	40,32.99	26,47.64	- 4.70
पु.	- 13,85.35	26,42.94	- 4.70
31 मार्च 2015 को ₹ 13,85.35 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
₹ 4.70 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का विकास			
मू.	1,83.45	44.13	- 0.84
पु.	- 1,39.32	43.29	- 0.84
31 मार्च 2015 को ₹ 1,39.32 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(11) ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना			
[01] जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	8,90.00
पु.	- 8,90.00
31 मार्च 2015 को ₹ 8,90.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना नये नाम <i>गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना</i> के साथ परिवर्तित करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
06. सीमा क्षेत्र विकास (केन्द्रीय सहायता)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	27,31.65	18,36.75	..
पु.	- 8,94.90	18,36.75	..
31 मार्च 2015 को ₹ 8,94.90 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[03] आनुपातिक व्यय का स्थानांतरण (02)[31] से			
मू.	27,60.53	22,51.13	..
पु.	- 5,09.40	22,51.13	..
31 मार्च 2015 को ₹ 5,09.40 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया परिणामतः कम आनुपातिक व्यय हस्तांतरित किये गये।			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधान (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[01] मुख्य नहर (0 कि.मी. से 74 कि.मी.तक) पुर्नजीवीकरण/उन्नयन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण			
मू.	3,60.00	2,29.55	..
पु.	- 1,30.45	2,29.55	..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,30.45 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	48,54.45		
		18,13.55	18,13.55
पु.	- 30,40.90		..
31 मार्च 2015 को ₹ 30,40.90 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 0.01 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 30,40.89 लाख) किया गया, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
31. गंग नहर (वाणिज्यिक) (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	11,25.00		
		8,43.74	8,43.74
पु.	- 2,81.26		..
31 मार्च 2015 को ₹ 2,81.26 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	9,00.00		
		23.37	23.37
पु.	- 8,76.63		..
31 मार्च 2015 को ₹ 8,76.63 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
24. सोम-कमला-अंबा परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पुर्नजीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण			
मू.	2,41.23		
		21.46	28.72
पु.	- 2,19.77		+ 7.26
31 मार्च 2015 को ₹ 2,19.77 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 7.26 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
63. गरदडा परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	2,00.00		
		14.50	14.56
पु.	- 1,85.50		+ 0.06
31 मार्च 2015 को ₹ 1,85.50 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	7,41.50	2,75.72	2,75.72
पु.	- 4,65.78		
31 मार्च 2015 को ₹ 4,65.78 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
71. पीपलाद परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	3,00.00	17.00	17.00
पु.	- 2,83.00		
31 मार्च 2015 को ₹ 2,83.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से			
[06] तेरहवें वित्त आयोग			
मू.	1,92.96	56.37	49.69
पु.	- 1,36.59		
31 मार्च 2015 को ₹ 1,36.59 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 6.68 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से			
[07] पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण			
मू.	1,78.00	13.50	13.50
पु.	- 1,64.50		
31 मार्च 2015 को ₹ 1,64.50 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) मुख्य अभियंता, गुण नियंत्रण एवं बाह्य सहायता कार्यक्रम			
[01] लघु सिंचाई परियोजनाओं का पुर्नवास			
मू.	16,71.06	10,07.38	10,07.38
पु.	- 6,63.68		
31 मार्च 2015 को ₹ 6,63.68 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) विकास आयुक्त कम क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य (बीसलपुर, अजमेर)			
मू.	2,61.12	64.37	60.95
पु.	- 1,96.75		
31 मार्च 2015 को ₹ 1,96.75 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास, बीकानेर के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य			
मू.	17,60.00	10,04.44	10,04.44
पु.	- 7,55.56		
31 मार्च 2015 को ₹ 7,55.56 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य			
मू.	4,40.00
पु.	- 4,40.00		
31 मार्च 2015 को ₹ 4,40.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	2,09,88.00	1,76,30.00	1,76,30.00
पु.	- 33,58.00		
31 मार्च 2015 को ₹ 33,58.00 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड की आयोजना सीमा में कटौती के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया परिणामतः अंश पूंजी में कम निवेश हुआ।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	88,20.00	74,00.00	74,00.00
पु.	- 14,20.00		
31 मार्च 2015 को ₹ 14,20.00 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड की आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया परिणामतः अंश पूंजी में कम निवेश हुआ।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	85,14.00		
अ.	1,54,75.40	2,08,20.80	2,08,22.00
पु.	- 31,68.60		+ 1.20

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,54,75.40 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2015 को ₹ 31,68.60 लाख का प्रावधान जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड की आयोजना सीमा में कटौती के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया परिणामतः अंश पूँजी में कम निवेश हुआ।

80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	52,20.00		
अ.	1,72,47.60	1,93,63.20	1,93,62.80
पु.	- 31,04.40		- 0.40

मार्च 2015 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,72,47.60 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2015 को ₹ 31,04.40 लाख का प्रावधान जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड की आयोजना सीमा में कटौती के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया परिणामतः अंश पूँजी में कम निवेश हुआ।

5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राज्य राजमार्गों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण, जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	49,61.95		
पु.	- 25,89.81	23,72.14	23,72.14

31 मार्च 2015 को ₹ 25,89.81 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि की पोषित सड़कें (राज्य राजमार्ग)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	34,65.49		
पु.	- 21,65.49	13,00.00	13,00.00

31 मार्च 2015 को ₹ 21,65.49 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि की पोषित सड़कें (राज्य राजमार्ग)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	2,77.24
पु.	- 2,77.24
31 मार्च 2015 को ₹ 2,77.24 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि की पोषित सड़कें (राज्य राजमार्ग)			
[93] सड़कें एवं सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	1,03.96
पु.	- 1,03.96
31 मार्च 2015 को ₹ 1,03.96 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें			
मू.	40,61.45	20,77.67	20,77.67
पु.	- 19,83.78
31 मार्च 2015 को ₹ 19,83.78 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) शहरी सड़कें			
मू.	9,45.13	6,10.32	..
पु.	- 3,34.81	6,10.32	..
31 मार्च 2015 को ₹ 3,34.81 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[09] सड़क उन्नयन परियोजना			
मू.	30,53.10	42.04	..
पु.	- 30,11.06	42.04	..
31 मार्च 2015 को ₹ 30,11.06 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) ग्रामीण सड़कें			
मू.	63,00.88		
पु.	- 10,94.85	52,06.03	52,05.99
			- 0.04
31 मार्च 2015 को ₹ 10,94.85 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	3,15.04		
पु.	- 3,15.04
			..
31 मार्च 2015 को ₹ 3,15.04 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(12) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र			
आधुनिकीकरण परियोजना			
[02] सड़क सुरक्षा प्रबन्ध			
मू.	1,06.19		
पु.	- 1,06.19
			..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,06.19 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
05. सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अन्तर्राज्यीय सड़कों का निर्माण			
मू.	5,00.00		
पु.	- 4,72.38	27.62	27.62
			..
31 मार्च 2015 को ₹ 4,72.38 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) प्रतिशतता व्यय (अनुसूचित जाति क्षेत्र की सड़कें)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	22,05.06		
पु.	- 4,25.75	17,79.31	17,79.31
			..
31 मार्च 2015 को ₹ 4,25.75 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) प्रतिशतता व्यय (अनुसूचित जाति क्षेत्र की सड़कें)			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	8,26.90		
पु.	- 1,59.66		
		6,67.24	6,67.24
			..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,59.66 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(03) प्रतिशतता व्यय (अनुसूचित जाति क्षेत्र की सड़कें)			
[92] औजार एवं संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय			
मू.	5,51.27		
पु.	- 1,06.44		
		4,44.83	4,44.83
			..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,06.44 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
5452. पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पर्यटन स्थलों का विकास			
मू.	1,51.70		
पु.	- 1,04.90		
		46.80	46.80
			..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,04.90 लाख का प्रावधान पर्यटक स्थलों के विकास पर कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[10] आरोग्य ऑन लाईन			
मू.	1,79.00		
पु.	- 1,36.59		
		42.41	42.41
			..
31 मार्च 2015 को ₹ 1,36.59 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[02] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	3,74.11	8,34.11	8,34.11
पु.	4,60.00		
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,60.00 लाख की अतिरिक्त निधियां 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			..
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[03] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	3,10.67	7,10.67	..
पु.	4,00.00		
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां 25 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			..
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[05] चूरु-झुंझुनू जल प्रदाय परियोजना फेज-II (ई.ए.पी.)			
मू.	17,96.20	30,41.37	30,41.37
पु.	12,45.17		
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 12,45.17 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[14] पोकरण-फलसुंड जल प्रदाय परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	13,14.18	26,76.67	26,76.67
पु.	13,62.49		

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[16] तिवरी-मथानिया-भोपालगढ़ जल प्रदाय परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	4,18.48	6,57.91	6,57.91
पु.	2,39.43		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[24] चम्बल-भीलवाड़ा जल प्रदाय योजना			
मू.	20,16.20	24,37.97	24,37.97
पु.	4,21.77		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[28] फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना			
मू.	17,35.59	21,24.44	21,24.44
पु.	3,88.85		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[32] राजगढ़-बूंगी जलप्रदाय परियोजना			
मू.	10,56.20	14,89.00	14,89.00
पु.	4,32.80		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[38] बाड़मेर लिफ्ट केनाल जलप्रदाय परियोजना-फेज- II (पार्ट-बी 68 गांवों की क्लस्टर योजना)			
मू.	4,21.78	7,04.71	7,04.71
पु.	2,82.93		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[44] जवाई क्लस्टर परियोजना - II			
मू.	4,62.15	8,27.30	8,27.29
पु.	3,65.15		

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[57] कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के अंतर्गत सीकर, झुंझुनू, खेतडी एकीकृत जल पूर्ति परियोजना			
मू.	8,57.51	26,50.64	26,50.64
पु.	17,93.13		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[73] नागौर लिफ्ट केनाल परियोजना फेज- II (डी डी पी) ग्रामीण			
अ.	0.01	4,84.88	4,84.88
पु.	4,84.87		
उपरोक्त नो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 57,71.42 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[30] 200 एमएलडी जलशोधन यंत्र, सूरजपुरा (शहरी)			
मू.	5,00.00	11,54.61	11,54.61
पु.	6,54.61		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[31] शहरी जलप्रदाय योजना जालौर (शहरी)			
मू.	90.00	2,70.00	2,69.99
पु.	1,80.00		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[32] उम्मेद सागर-धावा-समदड़ी-खंडप जलपूर्ति परियोजना (शहरी)			
मू.	1,93.50	3,73.50	3,73.50
पु.	1,80.00		

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 10,14,61 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि.के.स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	90.00	4,72.12	4,72.12
पु.	3,82.12		
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि.के.स.)			
[07] वन विभाग के माध्यम से			
मू.	1,80.00	6,90.46	6,90.46
पु.	5,10.46		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 8,92.58 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(13) गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना			
[01] जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
अ.	0.01	8,90.00	8,90.00
पु.	8,89.99		
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,89.99 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण में की गई उद्घोषणा की अनुपालना में वर्तमान योजना <i>ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना</i> में परिवर्तन कर <i>गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना</i> करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
28. बीसलपुर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	1,95.40	4,20.32	5,05.55
पु.	2,24.92		
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 2,24.92 लाख की अतिरिक्त निधियों तथा ₹ 85.23 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से			
[01] लघु सिंचाई परियोजनायें			
मू.	7,40.59	10,99.69	10,90.25
पु.	3,59.10		
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 3,59.10 लाख की अतिरिक्त निधियों तथा ₹ 9.44 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से			
[03] वाटर हारवेंस्टिंग स्ट्रैक्चर			
मू.	21,19.75	27,05.40	27,18.99
पु.	5,85.65		
			+ 13.59
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 5,85.65 लाख की अतिरिक्त निधियों तथा ₹ 13.59 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से			
[04] आधुनिकीकरण/उन्नयन/पुनर्जीवीकरण			
मू.	3,56.00	5,46.08	5,46.08
पु.	1,90.08		
			..
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,90.08 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।			
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	34,74.00	1,97,70.00	1,97,69.20
अ.	9,34.61		
पु.	1,53,61.39		
			- 0.80
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,53,61.39 लाख की अतिरिक्त निधियां आयोजना सीमा में वृद्धि के कारण अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में निवेश हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[06] मिसिंग लिंक परियोजना (सप्तदशम्)			
मू.	94.51	4,61.36	4,61.38
पु.	3,66.85		
			+ 0.02
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[07] मिसिंग लिंक परियोजना द्वितीय (अष्टदशम्)			
मू.	21,89.56	24,47.51	24,47.53
पु.	2,57.95		
			+ 0.02

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 04. जिला तथा अन्य सड़कें 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें [08] सड़क उन्नयन परियोजना (नवदशम्)	मू. 71,85.84 पु. 10,93.31	82,79.15	82,79.14	- 0.01
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 17,18.11 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।				
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग [07] स्टेट डाटा सेन्टर	मू. 2,70.40 पु. 2,80.28	5,50.68	5,50.68	..
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 2,80.28 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।				
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग [22] बैंकएण्ड एवं नवीन परियोजनाएं	मू. 66.40 पु. 1,93.05	2,59.45	2,59.44	+ 0.01
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 1,93.05 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।				
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग [23] जी.आई.एस.	मू. 1,12.00 पु. 4,03.93	5,15.93	5,15.93	..
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 4,03.93 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।				
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग [29] राजनेट	मू. 0.01 पु. 9,01.99	9,02.00	9,02.00	..
31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 9,01.99 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।				

अनुदान संख्या 051 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) भामाशाह योजना-2014			
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
मू.	80.00		
		2,95.00	
पु.	2,15.00	2,95.00	..

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 2,15.00 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

6. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, प्रावधान का आर्वद्धन अत्यधिक था :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(12) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र			
आधुनिकीकरण परियोजना			
[01] ग्रामीण सम्पर्क सड़कें			
मू.	88,49.56		
		93,16.36	
पु.	4,66.80	89,62.40	- 3,53.96

31 मार्च 2015 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 4,66.80 लाख की अतिरिक्त निधियों तथा ₹ 3,53.96 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2015)।

परिशिष्ट

परि
(पृष्ठ 15 पर विनियोग लेखों के
व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित वसूलियों)

अनुदान संख्या और नाम	बजट अनुमान	
	राजस्व	पूंजी
	(₹ सहस्र में)	
009. वन	2,00,00	..
010. विविध सामान्य सेवाएं	1	..
012. अन्य कर	34,03	..
014. बिक्री कर	7,61,05	..
015. पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	3	..
016. पुलिस	30,00	..
019. लोक निर्माण कार्य	3,48,30,62	..
021. सड़कें एवं पुल	1,10,68,97	3,21,63,26
022. क्षेत्र का विकास	..	27,27,75
026. चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	1	..
027. पेय जल योजना	3,50,72,11	1,55,00,03
030. जनजाति क्षेत्रीय विकास	20,01	63,20,30
033. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		
<i>दत्तमत</i>	56,67,23	..
<i>प्रभारित</i>	10	..
034. प्राकृतिक आपदाओं से राहत	14,23,06,41	..
035. विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	..	6,58,46
043. खनिज	1,50,04	..
046. सिंचाई	2,38,47,09	1,56,94,49
051. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	..	83,33,45
दत्तमत	25,39,87,61	8,13,97,74
कुल वसूलियां		
<i>प्रभारित</i>	10	..

शिष्ट

सारांश में उल्लिखित)

के अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों का अनुदान वार विवरण)

वास्तविक		बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े	
राजस्व	पूंजी	वृद्धि + कमी-	वृद्धि + कमी-
(₹ सहस्र में)		(₹ सहस्र में)	
1,49,22	..	-50,78	..
..	..	- 1	..
23,57	..	- 10,46	..
7,37,68	..	- 23,37	..
..	..	- 3	..
12,85	..	- 17,15	..
2,97,75,87	..	- 50,54,75	..
81,91,11	2,85,05,11	- 28,77,86	-36,58,15
..	11,79,60	..	- 15,48,15
..	..	- 1	..
3,32,71,69	1,47,25,63	- 18,00,42	- 7,74,40
..	32,30,86	- 20,01	- 30,89,44
52,23,85	..	- 4,43,38	..
3	..	- 7	..
15,70,56,88	..	+ 1,47,50,47	..
..	6,58,46
7,11,98	..	+ 5,61,94	..
1,90,46,66	1,20,51,99	- 48,00,43	-36,42,50
..	33,77,68	..	- 49,55,77
25,42,01,36	6,37,29,33	+ 2,13,75	- 1,76,68,41
3	..	- 7	..

© भारत के नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक
2015

www.cag.gov.in

agaerajasthan@cag.gov.in

विनियोग लेखे

*

2014-2015

*

राजस्थान सरकार